67oha

okf"kZd fjiksVZ

2016-17

l?k yksd lsok vk;ksx

èkkSyiqj gkml] 'kkgtgka jksM] ubZ fnYyh & 110069

http://www.upsc.gov.in

67वीं (2016–17)

वार्षिक रिपोर्ट

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड

नई दिल्ली–110069

http://www.upsc.gov.in

संविधान के अनुच्छेद 323(1) की अपेक्षानुसार
संघ लोक सेवा आयोग
अपनी सड़सठवीं रिपोर्ट राष्ट्रपति को
प्रस्तुत करता है।

यह रिपोर्ट 01 अप्रैल, 2016 (12 चैत्र, शक 1938) से
31 मार्च, 2017 (10 चैत्र, शक 1939) तक की
अवधि के लिए है।

विषय सूची

संक्षिप्तियों की सूची..... **(ix)-(x)**

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग की संरचना ..... **(xi)**

अध्यायों की सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	मुख्य विशेषताएं	1-3
2	संक्षिप्त इतिहास एवं पिछले वर्षों के दौरान कार्यभार	5-10
3	परीक्षाओं द्वारा भर्ती	11-16
4	चयन द्वारा सीधी भर्ती	17-21
5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व	23-26
6	भर्ती नियम, सेवा नियम तथा भर्ती की पद्धति	27-29
7	पदोन्नतियां और प्रतिनियुक्तियां	31-38
8	अनुशासनिक मामले	39-40
9	सरकार द्वारा आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया जाना	41-54
10	आयोग की सलाह को लागू करने में विलम्ब	55-57
11	प्रशासन, प्रशिक्षण और वित्त	59-60
12	विविध	61-65
	कृतज्ञता ज्ञापन	67

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1	आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवन–वृत्त।	69-77
2	आयोग द्वारा की गई सिफारिशें – उम्मीदवारों /अधिकारियों की उपयुक्तता से संबंधित।	79
3	आयोग द्वारा की गई सिफारिशें– छूट संबंधी मामलों, सेवा संबंधी मामलों, वरिष्ठता आदि से संबंधित।	79
4	आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित परीक्षाएं।	80
5	आयोग द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित की गई, लेकिन वर्ष 2016–17 के दौरान पूरी की गई / अंतिम रूप दी गई परीक्षाएं।	81

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
6	वर्ष 2016–17 के दौरान आरक्षित सूची के माध्यम से उन परीक्षाओं के संबंध में अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या, जिनमें आरक्षित सूची नियम लागू होता है।	82
7	वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित की गई परीक्षाओं के अन्तर्गत आने वाली सेवाएं।	83-87
8	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2015 तथा 2016 में बैठे उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा देने के माध्यम (भारतीय भाषाएं/अंग्रेजी) को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण।	88-91
9	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2015 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण।	92-104
10	इंजीनियरी सेवा परीक्षा–2016 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण।	105-112
11	भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016–उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण।	113-119
12	इंजीनियरी,चिकित्सा,वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर–तकनीकी पदों की मंत्रालय–वार संख्या, जिन्हें वर्ष 2016–17 के दौरान विज्ञापित किया गया।	120
13	इंजीनियरी पदों का विषय–वार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2016–17 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया।	121
14	वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का विषय–वार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2016–17 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया।	122
15	गैर–तकनीकी पदों का विषय–वार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2016–17 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया।	123
16	विषय–वार चिकित्सा पद, जिनके लिए वर्ष 2016–17 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया।	124
17	वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित किए गए कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण तथा भर्ती परीक्षण।	125-127
18	वर्ष 2016–17 के दौरान अंतिम रूप दिए गए विपुल भर्ती के मामले।	128-131
19	संवर्ग को दर्शाने वाला विवरण जहॉ भा.प्र.से.(रा.सि.से.) भा.पु.से. एवं भा.व.से. संवर्ग के सम्बन्ध में 2014 और भा.प्र.से.(गै.रा.सि.से.) के सम्बन्ध में 2015 में कोई चयन सूची तैयार नहीं की गई–शून्य रिक्ति/कोई पात्र नहीं।	132
20	अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश – वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित बैठकें।	133-134
21	वर्ष 2016–17 में न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप आयोजित की गई पुनरीक्षा बैठकें।	135
22	अखिल भारतीय सेवाएं – वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित नहीं की गई चयन समिति की बैठकें।	136-137
23	मंत्रालय/विभाग/संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2016–17 के दौरान ग्रुप 'क' एवं ग्रुप 'ख' पदों/सेवाओं में की गई तदर्थ नियुक्तियों की अर्ध–वार्षिक विवरणियां नहीं भेजीं।	138-140

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
24	मंत्रालयों/ विभागों में ग्रुप 'क' एवं 'ख' पदों/ सेवाओं में की गई तदर्थ नियुक्तियां, जो वर्ष 2016–17 के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक चलीं तथा अर्ध–वार्षिक विवरणियों द्वारा आयोग को सूचित की गई।	141-143
25	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का मंत्रालय/विभाग–वार विवरण तथा विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।	144-145
26	वर्ष 2016–17 में आयोजित/पूरी हुई परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर अनु.जाति/अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती।	146
27	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित उन पदों की सूची, जिनके लिए इन वर्गों के किसी भी उम्मीदवार ने वर्ष 2016–17 के दौरान आवेदन नहीं किया।	147
28	वर्ष 2016–17 के दौरान चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की संख्या।	148-151
29	वर्ष 2016–17 के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामले।	152
30	वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा अनुशासनिक मामलों में दी गई सलाह का मंत्रालय–वार विवरण।	153-154
31	सरकार द्वारा भर्ती नियम अधिसूचित नहीं किए जाने वाले मामलों की संख्या और विलम्ब की अवधि दर्शाने वाला विवरण (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)।	155-158
32	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली 1958 के जारी होने के बाद से संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से पृथक किए गए पद/सेवाएं।	159-161
33	आयोग की संवर्ग एवं समूह–वार संख्या तथा कर्मचारियों के पदों की संख्या का विस्तृत विवरण।	162-166
34	आयोग का संगठनात्मक चार्ट। (31 मार्च, 2017 की स्थिति)	167-168
35	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों तथा विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व।	169-170
36	वर्ष 2016–17 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की प्राप्तियां एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण।	171
37	आयोग के पूर्व अध्यक्षों तथा सदस्यों की सूची।	172-178

संक्षिप्तियों की सूची

प्रशा.	प्रशासन
अ.भा.से.	अखिल भारतीय सेवा
अप.	अपराह्न
स.भ.नि.आ.	सहायक भविष्य निधि आयुक्त
प.आ.अ.	पद आवेदक अनुपात
इं.स्ना.	इंजीनियरी स्नातक
वि.स्ना. (इंजी)	विज्ञान (इंजीनियरिंग) स्नातक
प्रौ.स्ना. (बीटेक)	प्रौद्योगिकी स्नातक
के.प्र.अ.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
के.सि.से. (व.नि.अ)	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली
मु.इं.	मुख्य इंजीनियर
के.लो.नि.वि.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
के.स.आ.से	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा
के.स.आ	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
वि.(डि.ऑफ)	———— विभाग
वि.(डि)	विभाग
रो.एवं प्र.महा. निदे.	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
अनुशा.प्रा	अनुशासनिक प्राधिकारी
का.एवं प्र.वि	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
दू.सं.वि.	दूरसंचार विभाग
वि.प.स.	विभागीय पदोन्नति समिति
उ.स.	उप सचिव
क.भ.नि.सं.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क.रा.बी.नि.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
प.सु.	परीक्षा सुधार
पू.	पूर्वाह्न

भू.वि.प.	भू–विज्ञानी परीक्षा
महा.प्र.	महाप्रबंधक
सर.	सरकार
स.	समूह
भा.प्र.से.	भारतीय प्रशासनिक सेवा
भा.आ.से.	भारतीय आर्थिक सेवा
भा.व.से.	भारतीय वन सेवा
भा.वि.से.	भारतीय विदेश सेवा
जां.अ.	जांच अधिकारी
भा.डा.से.	भारतीय डाक सेवा
भा.पु.से.	भारतीय पुलिस सेवा
भा.सां.से.	भारतीय सांख्यिकी सेवा
अ.सं.स.	अल्पकालिक संविदा सहित
सं.स.	संयुक्त सचिव
लाख	गणना संख्या=1,00,000 मापने की इकाई के रूप में प्रयुक्त
क.नि. (एम.ए.)	कला निष्णात
दि.न.नि.	दिल्ली नगर निगम
वा.नि.. (एम.कॉम)	वाणिज्य निष्णात
इं.नि. (एम.ई.)	इंजीनियरी निष्णात
वि.नि.(एम. एससी.) (इंजी.)	विज्ञान निष्णात (इंजीनियरी)
प्रौ.नि. (एम.टैक.)	प्रौद्योगिकी निष्णात
मं.	————————————मंत्रालय
वि.	विविध
से.का.स.	सेवा का सदस्य

मं.प्र.	मंत्रालय का प्रतिनिधि
एम.टी.एस.	मल्टी टास्क स्टाफ
रा.रा.क्षे.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
न.दि.न.नि.	नई दिल्ली नगर निगम
को.उ.न.पा.ग.	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया
सं.	संख्या
गै.रा.सि.से.	गैर–राज्य सिविल सेवा
नि.सा.स.	निपटान का सामान्य समय
अ.पि.व.	अन्य पिछड़े वर्ग
रा.भा.	राजभाषा
प्र.नि.स.	प्रधान निजी सचिव
नि.स.	निजी सचिव
वि.ज.	विकलांग जन
अनुशं.	अनुशंसित
भ.	भर्ती
से.नि.	सेवानिवृत्त
प.अ.अ.	पद अनुशंसा अनुपात
अनु.सा.एवं वि.	अनुसंधान, सांख्यिकी एवं विश्लेषण
अ.जा.	अनुसूचित जाति

च.स.बै.	चयन समिति की बैठक
स्पे.क्ला.रे.अ.	स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज
रा.सि.से.	राज्य सिविल सेवा
वि.अ.या.	विशेष अनुमति याचिका
अनु.अधि.	अनुभाग अधिकारी
अ.अ./आशु. (ग्रे.ख/ग्रे.–।)	अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड ख/ग्रेड–।) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा
व.प्र.नि.स.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
अ.ज.जा.	अनुसूचित जनजाति
ए.खि.प्र.	एकल खिड़की प्रणाली
उ.श्रे.लि.	उच्च श्रेणी लिपिक
श.वि.एवं ग.उप.	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन
अना.	अनारक्षित
अव.स.	अवर सचिव
सं.रा.क्षे.	संघ राज्य क्षेत्र
सत.	सतर्कता
से.प्र.	.....से प्रभावी
व.	वर्ष

संघ लोक सेवा आयोग
(1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक)

श्री दीपक गुप्ता	अध्यक्ष	दिनांक 20.09.2016 (अप.) को पदत्याग दिया।
श्रीमती अलका सिरोही	सदस्य*	संविधान के अनुच्छेद 316 (1क) के अंतर्गत दिनांक 21.09.2016 से अध्यक्ष, सं.लो.से.आ. के दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त। दिनांक 03.01.2017 को पदत्याग दिया।
प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	सदस्य	संविधान के अनुच्छेद 316 (1क) के अंतर्गत दिनांक 04.01.2017 से अध्यक्ष, सं.लो.से.आ. के दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त।
श्री मनबीर सिंह	सदस्य	दिनांक 12.09.2016 (अप.) को पदत्याग दिया।
वाइस एडमिरल (से.नि.) डी.के. दीवान	सदस्य	दिनांक 19.08.2016 (अप.) को पदत्याग दिया।
श्री विनय मित्तल	सदस्य	
श्री छतर सिंह	सदस्य	दिनांक 22.09.2017 को त्यागपत्र दे दिया।
प्रो. हेम चन्द्र गुप्ता	सदस्य	दिनांक 17.02.2017 (अप.) को पदत्याग दिया।
श्री अरविन्द सक्सेना	सदस्य	
प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी	सदस्य	
श्री भीम सैन बस्सी	सदस्य	दिनांक 31.05.2016(अप.) को पदभार ग्रहण किया।
एअर मार्शल अजित एस. भोंसले (से.नि.) एवीएसएम, वीएसएम	सदस्य	दिनांक 21.02.2017(अप.) को पदभार ग्रहण किया।
सुश्री सुजाता मेहता	सदस्य	दिनांक 21.02.2017(अप.) को पदभार ग्रहण किया।

अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवनवृत्त का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–।** में दिया गया है।

अध्याय–1

मुख्य विशेषताएं

1. परीक्षा

आयोग ने परीक्षा द्वारा भर्ती की पद्धति के अन्तर्गत कुल 14 परीक्षाओं का आयोजन किया। इनमें से, 10 परीक्षाएं सिविल सेवाओं/पदों हेतु चयन के लिए और 04 परीक्षाएं रक्षा सेवाओं के लिए आयोजित की गई। इन परीक्षाओं के लिए, कुल 34,71,693 आवेदन प्राप्त हुए और प्रोसेस किए गए तथा सिविल सेवाओं/पदों के लिए 8,990 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया। रक्षा सेवाओं के लिए साक्षात्कार रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा आयोजित किया गया। विभिन्न पदों के लिए कुल 4,612 [4,445+167 (आरक्षित सूची)] उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई। सिविल सेवाओं/पदों के लिए कुल 3,244 उम्मीदवारों (आरक्षित सूची के माध्यम से 167 उम्मीदवारों सहित) और रक्षा सेवाओं/पदों के लिए 1,368 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई **(परिशिष्ट–4, परिशिष्ट–5 और परिशिष्ट–6)।**

(अध्याय–3)

2. परीक्षा द्वारा भर्ती की पद्धति के अन्तर्गत भरे जाने वाले अनु. जाति, अनु.ज.जा. और अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 1,741 पदों में से, आयोग ने अनु. जाति, अनु.ज.जा. और अ.पि.व. के 1,729 उम्मीदवारों की अनुशंसा की। इसके अलावा, आरक्षित श्रेणी के 12 उम्मीदवारों को अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित किया गया।

(अध्याय–5)

3. इंजीनियरी सेवा परीक्षा की योजना को वर्ष 2017 से परिवर्तित किया गया है। पहले यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती थी, परंतु अब इसे तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है अर्थात् प्रारंभिक/चरण–I परीक्षा, प्रधान/चरण–II परीक्षा और चरण–III (व्यक्तित्व परीक्षण)। अनुशंसा हेतु योग्यताक्रम का निर्धारण परीक्षा के तीनों चरणों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

3.1 इंजीनियरी के सभी चार विषयों अर्थात् सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी और इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी के पाठ्यक्रम का भी संशोधन कर परीक्षा की नई योजना के साथ वर्ष 2017 से लागू किया गया है।

(अध्याय–3)

4. भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2016 के लिए भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा की नई योजना लागू की गई। इसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विषय	अधिकतम अंक	निर्धारित समय
1.	सामान्य अंग्रेजी	100	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	100	3 घंटे
3.	सांख्यिकी–I (वस्तुनिष्ठ)	200	2 घंटे
4.	सांख्यिकी–II (वस्तुनिष्ठ)	200	2 घंटे
5.	सांख्यिकी–III (विवरणात्मक)	200	3 घंटे
6.	सांख्यिकी–IV (विवरणात्मक)	200	3 घंटे

- सांख्यिकी–I व II वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर हैं (प्रत्येक पेपर में 80 प्रश्न तथा अधिकतम अंक 200), जिनके लिए निर्धारित समय 120 मिनट है।
- सांख्यिकी–III व IV विवरणात्मक प्रकार के पेपर हैं, जिनमें संक्षिप्त उत्तर वाले/छोटे सवालों पर आधारित प्रश्न(50%) तथा विस्तृत उत्तर वाले और कांप्रीहेंशन प्रॉब्लम पर आधारित प्रश्न (50%) शामिल हैं। प्रत्येक खंड में से कम से कम एक संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न और एक विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न का उत्तर लिखना अनिवार्य है।

4.1 परीक्षा की नई योजना के अनुरूप वर्ष 2016 से भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया गया है।

(अध्याय–3)

5. परीक्षा द्वारा भर्ती की पद्धति के अंतर्गत नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजा जाता है।

नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलंब के 20 मामलों की सूचना प्राप्त हुई।

5.1 आयोग की यह दृढ़ राय है कि उसके द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव भेजने के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करवाई जानी चाहिए। ऐसे अनेक मामलों में, आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों को अन्यत्र अवसर प्राप्त हो जाता है और वे सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं रह पाते और इस प्रकार ऐसे उम्मीदवारों के चयन की पूरी प्रक्रिया निष्फल हो जाती है।

(अध्याय–10)

6. आयोग को उम्मीदवारों द्वारा सूचना छिपाने, झूठी सूचना / जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने और नकल करने आदि से संबंधित ग्यारह (11) मामलों की सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया और निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, दोषी उम्मीदवारों पर, आयोग द्वारा आयोजित भावी परीक्षाओं/चयन से उनकी उम्मीदवारी के निरस्तीकरण से लेकर उनके विवर्जन, जो पांच वर्ष से लेकर स्थायी विवर्जन तक थी, की शास्ति लगाई।

(अध्याय–12)

II. चयन द्वारा सीधी भर्ती

1. आयोग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 1,808 पदों के लिए 264 अधियाचनाएं प्राप्त हुईं। पिछले वर्ष से अग्रेनीत मामलों सहित वर्ष के दौरान 3,352 पदों के लिए कुल 440 अधियाचनाओं पर कार्यवाही की गई। इनमें से, 147 पदों के लिए 24 अधियाचनाओं को संबंधित मंत्रालयों/विभागों से स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण बंद कर दिया गया अथवा उनके द्वारा विज्ञापन दिए जाने से पूर्व के चरण में ही वापस ले लिया गया।

(अध्याय–4)

2. वर्ष के दौरान 240 अधियाचनाओं के लिए कुल 1,661 पदों हेतु विज्ञापन दिया गया जिसके लिए 7,42,679 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। विज्ञापनों के प्रकाशन के पश्चात 35 पदों के लिए 12 अधियाचनाओं के संबंध में भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और 01 अधियाचना के संबंध में इसे संशोधित किया गया।

(अध्याय–4)

3. वर्ष के दौरान, कुल 4,55,255 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गई जिसमें पिछले वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्र भी शामिल हैं; 6,397 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया तथा वास्तव में 4,918 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए आए। 1,247 पदों के लिए 200 अधियाचनाओं के मामलों में 1,123 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अनुशंसा की गई। आवेदक–पद अनुपात 365 और अनुशंसा–पद अनुपात 0.90 था।

(अध्याय–4)

4. 24 मामलो में, कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/भर्ती परीक्षण (सीबीआरटी/आरटी) आयोजित किए गए, जिसमें रिक्तियों की संख्या की तुलना में आवेदकों की संख्या बहुत अधिक थी। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के पद हेतु आयोजित एक भर्ती परीक्षण भी शामिल है। इस भर्ती परीक्षण के लिए कुल 5,54,018 आवेदन प्राप्त हुए।

(अध्याय–4)

5. 124 पदों हेतु चयन की प्रक्रिया, उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण निष्फल हो गई। इनमें से अधिकांश पदों में विशेषज्ञ चिकित्सा अथवा वैज्ञानिक योग्यता अपेक्षित थी। आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है ताकि निष्फल होने वाले ऐसे मामलों में कमी लाई जा सके।

(अध्याय–4)

6. आयोग में रिक्तियों के विज्ञापनों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करिअर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया ताकि आयोग की परीक्षाओं और इसके द्वारा की जाने वाली भर्तियों का व्यापक प्रचार–प्रसार हो सके।

(अध्याय–4)

7. 609 आरक्षित पदों की तुलना में, कुल 528 उम्मीदवारों (149 अ.जा., 75 अ.ज.जा. और 304 अ.पि.व.) की अनुशंसा की गई। इस प्रकार आरक्षित श्रेणी के 86.7

प्रतिशत पदों पर भर्ती हुई। इसके अलावा, 19 अ.जा., 04 अ.ज.जा. और 71 अ.पि.व. उम्मीदवारों की अनुशंसा अनारक्षित पदों के लिए की गई।

(अध्याय–5)

8. आयोग ने शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 47 पदों हेतु 27 उम्मीदवारों की अनुशंसा की।

(अध्याय–5)

9. 49 मामलों में आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलम्ब की सूचना प्राप्त हुई। कुछ मामलों में, संबंधित मंत्रालय/विभाग ने अनुशंसित उम्मीदारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी। आयोग, इस बात पर पुनः बल देता है कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव यथाशीघ्र जारी कर दिए जाएं।

(अध्याय–10)

III. नियुक्ति

1. आयोग ने पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन आदि के लिए उम्मीदवारों/कर्मियों की उपयुक्तता के आधार पर 3,958 अधिकारियों/पदों के संबंध में अनुशंसा की।

(अध्याय–7)

2. आयोग ने 7,999 अधिकारियों के सेवा अभिलेखों पर विचार किया और (क) केन्द्रीय सेवाओं के अंतर्गत 3,850 अधिकारियों की पदोन्नति और (ख) प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) /आमेलन पर नियुक्ति के लिए 108 अधिकारियों की अनुशंसा की।

(अध्याय–7)

अध्याय–2

संक्षिप्त इतिहास एवं विगत वर्षों के दौरान कार्यभार

संक्षिप्त इतिहास

1. भारत में लोक सेवा आयोग का उल्लेख दिनांक 05 मार्च,1919 के भारतीय संवैधानिक सुधारों पर भारत सरकार की प्रथम विज्ञप्ति में मिलता है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी कार्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव था जिसे सेवा मामलों के विनियमन का अधिकार हो। मुख्यतया, सेवा मामलों के विनियमन हेतु प्रस्तावित इस प्रकार के निकाय की संकल्पना को भारत सरकार अधिनियम, 1919 में कुछ व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया गया। इस अधिनियम की धारा 96 सी में भारत में एक ऐसे लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, जो ''भारत में लोक सेवाओं में भर्ती एवं उनके नियंत्रण संबंधी उन प्रकार्यों का निर्वहन करे जो उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।''

2. भारत सरकार अधिनियम, 1919 के पारित होने के उपरांत, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सरकार तथा स्थानीय सरकारों के बीच इस प्रकार स्थापित किए जाने वाले निकाय के प्रकार्यों तथा कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत पत्राचार हुआ। यह पत्राचार चार वर्ष चला। इसके बावजूद किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका तथा इस मामले को रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया (ली कमीशन) को भेजा गया। दिनांक 27 मार्च, 1924 की अपनी रिपोर्ट में **ली कमीशन ने संस्तुति की कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 में परिकल्पित वैधानिक लोक सेवा आयोग को अविलम्ब स्थापित किया जाए।**

3. भारत सरकार अधिनियम,1919 की धारा 96 (सी) के प्रावधानों तथा 1924 में लोक सेवा आयोग की यथाशीघ्र स्थापना किए जाने की ली कमीशन की प्रबल संस्तुति के बावजूद भारत में पहली बार अक्तूबर, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।

4. **प्रथम लोक सेवा आयोग की 1 अक्तूबर, 1926 को स्थापना हुई।** आयोग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के अतिरिक्त चार सदस्य थे। सर रॉस बार्कर, युनाइटेड किंगडम के होम सिविल सर्विस के सदस्य, आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए तथा उनके द्वारा आयोग का गठन किया गया एवं उनके उत्तराधिकारियों ने उसी मॉडल और ब्रिटिश सिविल सेवा कमीशन की परम्पराओं के अनुसार आयोग का गठन किया।

5. लोक सेवा आयोग के कार्य भारत सरकार अधिनियम, 1919 में निर्धारित नहीं किए गए थे, अपितु इन्हें भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 96 (सी) की उपधारा (2) के अंतर्गत गठित लोक सेवा आयोग (कार्य) नियमावली, 1926 के अंतर्गत विनियमित किया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं तथा वर्ग 'I' एवं वर्ग 'II' केन्द्रीय सेवाओं हेतु भर्ती से संबंधित मामलों, परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी मामलों और चयन द्वारा भर्ती हेतु योग्यताओं, इन सेवाओं पर पदोन्नति, अनुशासनिक मामलों, वेतन एवं भत्तों से संबंधित मामलों, पेंशन, भविष्य अथवा पारिवारिक पेंशन निधि, अवकाश नियमावली और सेवा शर्तों, जो कि सामान्यतः इन सेवाओं से संबंधित है, के किसी भी विषय पर आयोग का परामर्श लिए जाने का प्रावधान है।

6. भारत में लोक सेवा आयोग के इतिहास में अगला महत्वपूर्ण विकास दिसम्बर, 1931 में श्वेत पत्र जारी होने के साथ हुआ, जिसमें भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए प्रस्ताव शामिल थे। श्वेत पत्र में प्रस्तावित फेडरेशन तथा प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोगों का ब्लूप्रिंट भी था। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर बनी संयुक्त समिति (1934) की रिपोर्ट इस दिशा में अगला कदम थी।

7. श्वेत पत्र में लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रस्तावों को **भारत सरकार अधिनियम,1935** की धारा 264 से 268 तक में मूर्त रूप दिया गया जैसा कि

संवैधानिक सुधारों पर बनी संयुक्त समिति (1934) की रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख किया गया है। अधिनियम में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक प्रांत अथवा प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की सम्भावना पर विचार किया गया है।

8. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की लोक सेवा आयोगों से संबंधित धाराओं को 1 अप्रैल, 1937 से प्रभावी किया गया तथा केन्द्र का तत्कालीन लोक सेवा आयोग, फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया।

9. संविधान सभा ने सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती तथा सेवा के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ तथा प्रांतीय स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को सुरक्षित तथा स्वायत्त बनाने की आवश्यकता अनुभव की। **स्वतंत्रता के पश्चात्, 26 जनवरी, 1950 को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के प्रख्यापन के साथ ही, 'फेडरल लोक सेवा आयोग' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा इसे नया नाम दिया गया 'संघ लोक सेवा आयोग'।** संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड (1) के कारण फेडरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य बन गए। 1926 से अध्यक्षों तथा सदस्यों की सूची **परिशिष्ट–37** में दी गई है।

आयोग के कार्य

10. संविधान के अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्य निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) संघ की सेवाओं पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन।

(ख) साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती।

(ग) निम्नलिखित मामलों में भी आयोग का परामर्श लिया जाएगा:–

(i) पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर अधिकारियों की नियुक्ति।

(ii) भारत सरकार और संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं एवं पदों के लिए भर्ती नियमावली बनाना एवं उनमें संशोधन करना।

(iii) विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले।

(iv) भारत के राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया अन्य कोई मामला।

कार्यभार

11. वर्ष 1950–51 से अब तक आयोग का कार्यभार (दशक–वार) **तालिका–1,2,3,4 और 5 में** दर्शाया गया है।

12. **तालिका–1** में विगत वर्षों में प्राप्त आवेदनों, साक्षात्कार लिए गए उम्मीदवारों/मूल्यांकन किए गए सेवा अभिलेखों और अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाई गई है।

तालिका –1: परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा भर्ती

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या			साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार/मूल्यांकन किए गए सेवा अभिलेख			अनुशंसित उम्मी. दवारों की संख्या		कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया (एन.एफ.एस.)	
	परीक्षा	भर्ती	कुल	परीक्षा*	भर्ती	कुल	परीक्षा¥	भर्ती	भर्ती	कुल
1950-51#	24680	18047	42727	3383	6484	9867	2780	883	120	3783
1960-61	34349	36833	71182	4862	9078	13940	3298	1727	249	5274
1970-71	81539	65197	146736	3473	13706	17179	4187	2059	190	6436
1980-81	243374	58748	302122	9256	14090	23346	4093	2591	361	7045
1990-91	615850	72079	687929	13838	16788	30626	4609	2341	655	7605
2000-01	762501	48019	810520	3351	5662	9013	4177	1050	179	5406
2010-11	1893030	106083	1999113	5342	4083	9425	4896	1117	155	6168
2016-17	3471693	742679	4214372	8990	4918	13908	4612	1123	124	5859

ये आंकड़े 26 जनवरी, 1950 से 31 मार्च, 1951 तक के हैं।

* संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार।

¥ संघ लोक सेवा आयोग तथा एसएसबी (एनडीए+सीडीएस) द्वारा चयन किए गए उम्मीदवार।

13. आयोग द्वारा निपटाए गए अनुशासनिक मामलों की संख्या **तालिका–2** में दी गई है और **आरेख–1** में भी दर्शाई गई है।

तालिका–2: अनुशासनिक मामले

वर्ष	वर्ष के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामलों की संख्या	अनुशासनिक मामलों की संख्या जिनमें परामर्श दिया गया	त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव जिन्हें लौटाया गया
1950-51*	53	53	-
1960-61	101	64	37
1970-71	161	102	59
1980-81	381	260	121
1990-91	489	195	294
2000-01	815	566	249
2010-11	826	417	409
2016-17	480	431	49

* ये आंकड़े 26 जनवरी, 1950 से 31 मार्च, 1951 तक के हैं।

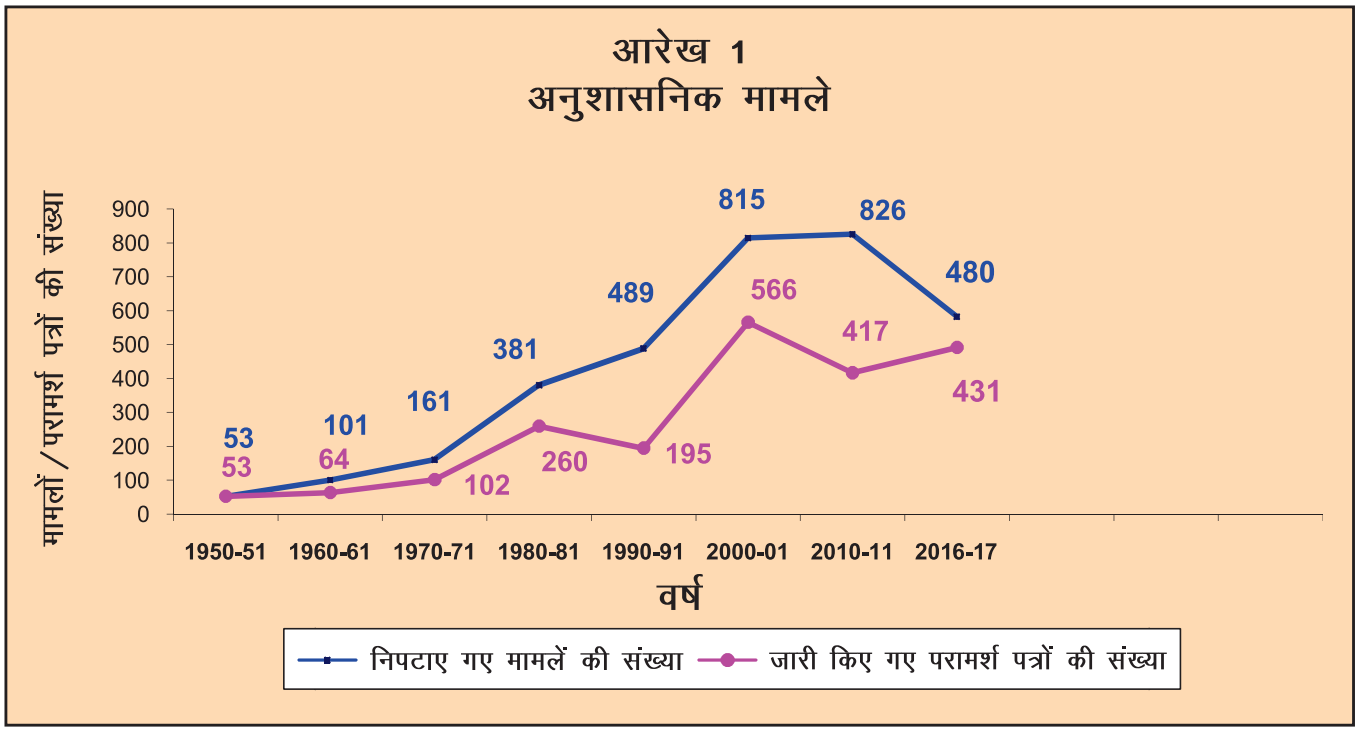

14. आयोग में प्राप्त और परामर्श दिए गए भर्ती नियमावली के मामलों की संख्या **तालिका–3** में दी गई है और **आरेख–2 क और आरेख–2 ख** में भी इसे दर्शाया गया है।

तालिका 3: भर्ती नियमावली संबंधी मामले (1950–2016)

वर्ष	भर्ती नियमावली के प्राप्त मामले	भर्ती नियमावली जिनमें परामर्श दिया गया
1950-51	--	--
1960-61	332	299
1970-71	934	907
1980-81	1241	1359
1990-91	1660	1659
2000-01	1209	1233
2010-11	1386	1372
2011-12	1306	1335
टिप्पणी : एकल खिड़की प्रणाली की शुरूआत 01.09.2011 से हुई। इसलिए दो चरणों में विश्लेषण हुआ यथा एकल खिड़की प्रणाली से पहले अर्थात (वित्त वर्ष 2011–12 तक) और एकल खिड़की प्रणाली के पश्चात (वित्त वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक)।		
2012-13	696	726
2013-14	642	648
2014-15	604	601
2015-16	11 (अग्रेनीत) +630 = 641	641
2016-17	615	608

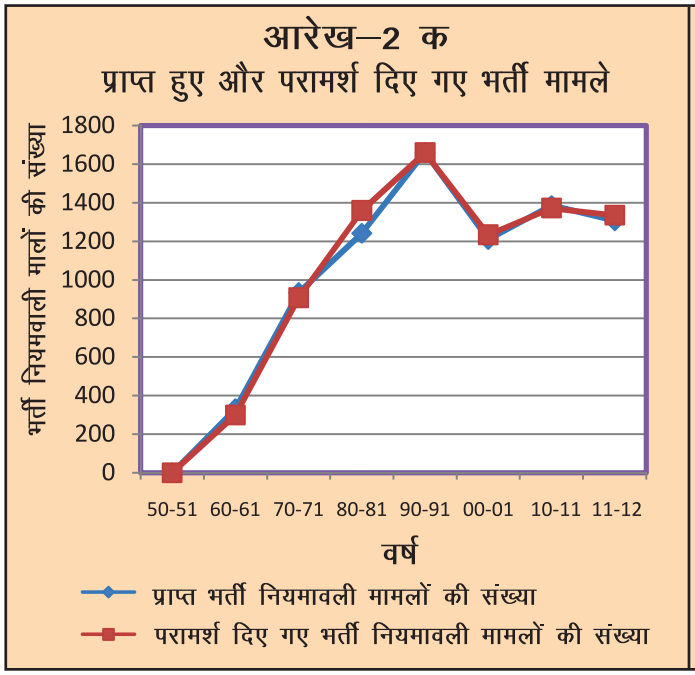

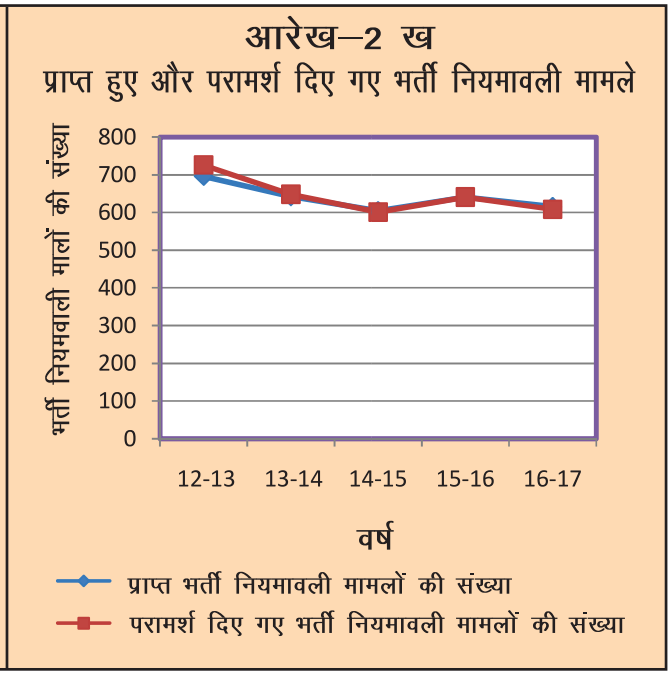

15. अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही किए गए अभिलेखों की संख्या **तालिका–4** में दी गई है और **आरेख–3** में भी इसे दर्शाया गया है।

तालिका 4: अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करना

वर्ष	अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश के लिए जांच किए गए अभिलेखों की संख्या (अनुशंसित अधिकारी)
1950-51	-
1960-61	2054
1970-71	1617
1980-81	2010 (499 अधिकारी)
1990-91	1488 (543 अधिकारी)
2000-01	840 (268 अधिकारी)
2010-11	1105 (418 अधिकारी)
2016-17	953 (335 अधिकारी)

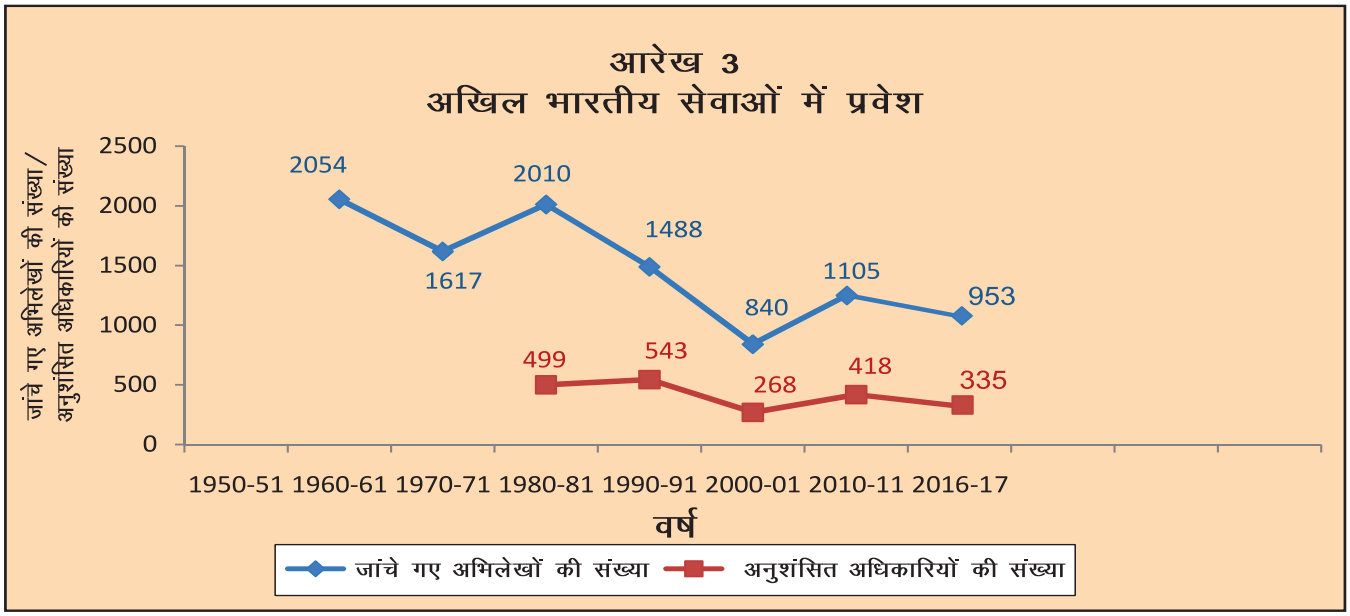

16. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन मामलों के लिए कार्यवाही किए गए अभिलेखों की संख्या **तालिका–5** में दी गई है।

तालिका–5 प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामले

वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामलों के लिए जांचे गए अभिलेखों की संख्या (अनुशंसित अधिकारी)
1950-51	-
1960-61	5200
1970-71	12924
1980-81	20711
1990-91	35645 (4100 अधिकारी)
2000-01	32726 (6221 अधिकारी)
2010-11	17574 (3978 अधिकारी)
2016-17	7999 (3958 अधिकारी)

एकल खिड़की प्रणाली

17. आयोग में एकल खिड़की प्रणाली, सर्वप्रथम वर्ष 2011 में शुरू की गई और आयोग के विभिन्न कार्यों के लिए इसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया गया। इसका प्रयोजन पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति मामलों/चयन समिति की बैठकों/अनुशासनिक मामलों/भर्ती नियमावली प्रस्तावों/सीधी भर्ती के मामलों की कार्यवाही में तेजी लाना है। इस व्यवस्था के तहत :–

(i) मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को अपने प्रस्तावों को आयोग में व्यक्तिगत रूप से लाने होते है। आयोग की सम्बद्ध शाखा में अवर सचिव रैंक का पदनामित अधिकारी मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) से परामर्श करके, उसी समय प्रस्ताव की छान–बीन करता है।

(ii) त्रुटिपूर्ण प्रस्तावों को कमियां दर्शाते हुए, सुधार के लिए वापिस लौटा दिया जाता है। जांच–सूची के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए प्रस्तावों को ही स्वीकार किया जाता है और समयबद्ध तरीके से उन पर कार्रवाई की जाती है।

18. **एकल खिड़की प्रणाली के कारण मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में जिन वर्तमान दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होता है,उसमें सुधार आया है।** इससे मामलों पर कार्यवाही करने में लगने वाले समय में कमी आई है। विभिन्न मामलों की कार्यवाही में लगने वाले समय का तुलनात्मक विवरण **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका 6: एकल खिड़की प्रणाली अपनाने के बाद आयोग में प्रस्तावों की कार्रवाई में लगने वाले समय में कमी

वर्ष	सीधी भर्ती	विभागीय पदोन्नति समिति	प्रतिनियुक्ति	अनुशासनिक मामले	भर्ती नियमावली
2007-08	397 दिन	133 दिन	180 दिन	180 दिन	33 दिन
2016-17	203 दिन	38 दिन	66 दिन	81 दिन	17 दिन
समय में प्रभावी कमी –प्रतिशत में	48.87%	71.43%	63.33%	55%	48.48%

अध्याय–3

परीक्षा द्वारा भर्ती

1. आयोग ने वर्ष 2016–2017 के दौरान 14 परीक्षाओं, यथा सिविल सेवाओं/ पदों के लिए 10 तथा रक्षा सेवाओं के लिए 04 परीक्षाओं का आयोजन किया। इन परीक्षाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

सिविल सेवाओं/पदों के लिए

(i) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2016 [सि.से. (प्रा)]

(ii) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016 [सि.से. (प्र.)]

(iii) भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016 (भा.व.से.)

(iv) इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016 (इं.से.प.)

(v) इंजीनियरी सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2017 (इं.से.प.)

(vi) भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2016 (भा.आ.से./भा.सां.से.)

(vii) सम्मिलित भूवैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2016 (भूवि.प.)

(viii) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016 (स.चि.से.)

(ix) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2016 (के.स.पु.ब.)

(x) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सहायक कमांडेंट) (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2017

रक्षा सेवाओं के लिए

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2016 (रा.र.अ.एवं नौसे., (I) 2016)

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2016 (रा.र.आ.एवं नौसे. (II), 2016)

(iii) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2016 (स.र.से.-(II), 2016)

(iv) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2017 (स.र.से.-(I), 2017)

1.2 वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाली सेवाएं **परिशिष्ट–7** में दी गई हैं।

आवेदन पत्रों की संख्या

2. वर्ष 2016–2017 के दौरान, आयोग ने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 29,20,392 आवेदन पत्रों की तुलना में 34,71,693 आवेदन पत्र प्राप्त किए। नीचे दी गई **तालिका–1** पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त आवेदकों की संख्या दर्शाती है।

तालिका –1

परीक्षा	2014–15	2015–16	2016–17
सिविल			
1. सि.से.(प्रा.)	947428	939763	1128262
2. सि.से.(प्र.)	16706	14927	15382
3. भा.व.से.(प्र.)	773	991	932
4. इं.से.प.	261696	250041	267557
5. इं.से.प.(प्रा)	--	--	325604
6. भा.आ.से./ भा.सां.से.	22918	17868	18839
7. अनु.अधि. सी.वि. प्र.प.	2038	2314	--
8. स.चि.से.	30606	31786	33986
9. भू.वि.प.	23364	22484	23421
10. के.स.पु.बल	215790	238972	270727
11. के.औ.सु.ब, सी.वि. प्र.प.	* 582 * 924	--	803

12. स्पे.क्ला.रे.अप्रें. @	317735	--	--
कुल सिविल	**1840560**	**1519146**	**2085513**
रक्षा			
1. रा.र.अ.एवं नौ.से.अ. (I)	536320	507576	503062
2. रा.र.अ.एवं नौ.से.अ. (II)	390306	413867	423064
3. स.र.से. (II)	244911	243496	276210
4. स.र.से. (I)	255697	236307	183844
कुल रक्षा	**1427234**	**1401246**	**1386180**
कुल योग	**3267794**	**2920392**	**3471693**

-- परीक्षा नहीं हुई

@ स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा, 2015 वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित की गई।

* केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2014 और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2015 भी वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित की गई।

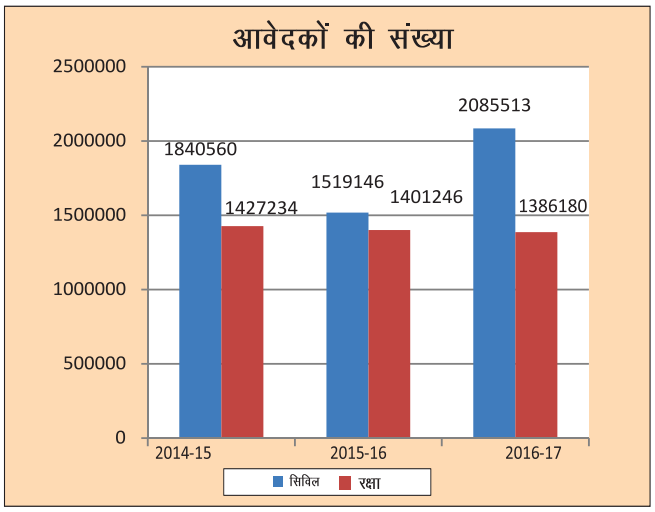

परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या

3 निम्नलिखित **तालिका–2** पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में बैठे उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है:–

तालिका –2

परीक्षा	2014-15	2015-16	2016-17
सिविल			
1. सि.से. (प्रा.)	446623	463418	459659
2. सि.से. (प्र.)	16286	14626	15149
3. भा.व.से.(प्र.)	543	736	651
4. इं.से.प.	85504	92817	87957
5. इं.से.प.(प्रा)	--	--	154995
6. भा.आ.से. भा.सां.से.	2677	2917	2856
7. अनु.अधि. सी.वि.प्र.प.	1162	1781	--
8. स.चि.से.	14600	15420	16864
9. भू.वि.प.	6881	9076	6725
10. के.स.पु.ब.	85407	98162	96473
11. के.औ.सु.ब., सी.वि.प्र.प.	* 434 * 617	--	553
12. स्पे.क्ला.रे. अप्रें. @	163884	--	--
कुल सिविल	**824618**	**698953**	**841882**
रक्षा			
1. रा.र.अ. (I)	309888	311279	305146
2. रा.र.अ. (II)	259640	283001	286511
3. स.र.से. (II)	111464	113768	127013
4. स.र.से. (I)	118597	120281	93508
कुल रक्षा	**799589**	**828329**	**812178**
कुल योग	**1624207**	**1527282**	**1654060**

-- परीक्षा नहीं हुई

* केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2014 और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2015 भी वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित की गई।

@ स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा, 2015 वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित की गई।

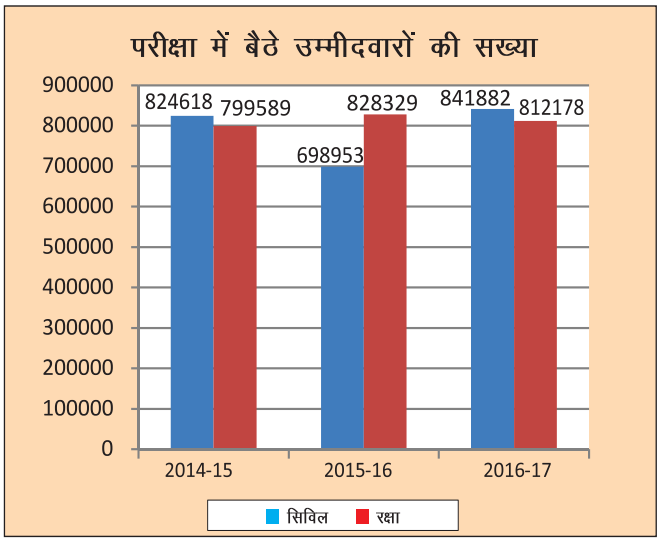

साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार

4. आयोग केवल सिविल सेवाओं/ पदों हेतु

साक्षात्कार करता है। रक्षा सेवाओं के मामले में, आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण आदि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेवा चयन बोर्ड आयोजित करते हैं। आयोग ने वर्ष 2016–17 के दौरान, सिविल सेवाओं/ पदों के लिए वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान आयोजित निम्नलिखित परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किए:–

(i) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015

(ii) इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016

(iii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2016

(iv) भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2016

(v) सम्मिलित भू–वैज्ञानिक एवं भू–विज्ञानी परीक्षा, 2016

(vi) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016

(vii) भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016

5. कुल मिलाकर, वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग ने विभिन्न सिविल सेवाओं/पदों के लिए 8,990 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया। रक्षा सेवा परीक्षाओं के संबंध में साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण आदि रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए। विभिन्न सिविल सेवाओं/ पदों के लिए आयोग द्वारा साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की परीक्षा–वार संख्या नीचे **तालिका–3** में दी गई है:

तालिका –3

क्रम संख्या	परीक्षा	वर्ष 2015–2016 के दौरान साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की संख्या
	सिविल सेवाओं/पदों हेतु	
1.	सि.से.(प्र.), 2015	2792
2.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016	1692
3.	के.स.पु.ब./(सहा. कमा.), 2016	431
4.	भाआसे/भासांसे, 2016	74
5.	भू.वि.प., 2016	415
6.	स.चि.से., 2016	3288
7.	भा.व.से.(प्र.), 2016	298
	योग	**8990**

अनुशंसित उम्मीदवार

6. आयोग ने वर्ष 2016–17 के दौरान, सिविल सेवाओं/ पदों और रक्षा सेवाओं/ पदों पर नियुक्ति हेतु 4,612 उम्मीदवारों की अनुशंसा की। रक्षा सेवाओं के लिए, नियुक्ति हेतु अनुशंसाएं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं तथा रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कारों एवं शारीरिक परीक्षणों पर आधारित थीं। उपर्युक्त में से, सिविल सेवाओं/ पदों के लिए आरक्षित सूची से भी 167 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई। अनुशंसित उम्मीदवारों की परीक्षा–वार संख्या **तालिका–4** में दी गई है:–

तालिका –4

क्रम संख्या	परीक्षा	वर्ष 2015–16 के दौरान अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
क) सिविल सेवाओं/पदों हेतु		
1.	सि.से.(प्र.), 2015	1078
2.	भा.व.से. (प्र.), 2016	110
3.	इं.से.प., 2016	604
4.	के.स.पु.ब. (सहा.कमा.) 2016	189
5.	भा.आ.से./भा.सां.से., 2016	24
6.	भू.वि.परीक्षा 2016	178
7.	स.चि.से., 2016	894
कुल		**3077**
(ख) रक्षा सेवाओं/पदों के लिए		
1.	रा.र.अ (।।), 2015	423
2.	सं.र.से.(।।), 2015	290
3.	सं.र.से.(।), 2016	209
4.	रा.र.अ. (।), 2016	446
कुल		**1368**
(ग)	**आरक्षित सूची के माध्यम से अनुशंसित उम्मीदवार**	**167**
(क), (ख) और (ग) का सकल योग		**4612**

पद आवेदक अनुपात

7. किसी एक परीक्षा के आवेदन पत्रों की संख्या को उस परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या से भाग देने पर पद आवेदक अनुपात (ए पी आर) प्राप्त होता है। पद आवेदक अनुपात से प्रत्येक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवाओं/ पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का सूचकांक प्राप्त होता है। पद आवेदक अनुपात की गणना के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षा, 2015 के माध्यम से भरे गए प्रत्येक पद के लिए 969.29 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। के.स.पु.ब. (सहा.कमा.), 2016 में प्रत्येक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1283 थी जिसका अनुपात सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक था। विवरण **तालिका–5** में दिया गया है।

पद अनुशंसा अनुपात

8. अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को पदों की संख्या से भाग देने पर पद अनुशंसा अनुपात (आर.पी.आर.) प्राप्त होता है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए पद अनुशंसा अनुपात **तालिका–5** में दिया गया है। सिविल पदों संबंधी विवरण **परिशिष्ट–4** और रक्षा पदों संबंधी विवरण **परिशिष्ट–5** में दिया गया है।

तालिका –5

परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	पद आवेदक अनुपात	पद अनुशंसा अनुपात
सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015	1164	1128262*	1164	969.29	1
भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016	110	252230**	110	2293	1
इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016	676	250041	604	369.88	0.89
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहा. कमा.) परीक्षा, 2016	211	270727	189	1283.07	0.89
भारतीय आर्थिक सेवा / भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2016	27	18839	24	697.74	0.89
भूविज्ञानी परीक्षा, 2016	182	23421	178	128.69	0.98
सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016	1025	33986	894	33.15	0.87
कुल	**3395**	**1977506**	**3163**	**582.46**	**0.93**

* सि.से. (प्रा.) परीक्षा, 2015 में आवेदकों की संख्या

** सि.से. (प्रा.) परीक्षा, 2016 में भारतीय वन सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2015 के आवेदकों की संख्या

सिविल सेवा परीक्षा, 2015

(i) मुख्य विशेषताएं

9. सिविल सेवा परीक्षा, 2015 की अधिसूचना 23 मई, 2015 को जारी की गई। अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, उपर्युक्त परीक्षा के लिए कुल 9,39,763 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें से 4,63,418 उम्मीदवार उक्त परीक्षा में बैठे। सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 की लिखित परीक्षा 18 दिसम्बर, 2015 से आयोजित की गई जिसमें 14,626 उम्मीदवार बैठे। व्यक्तित्व परीक्षण/ साक्षात्कार 8 मार्च, 2016 से 06 मई, 2016 तक आयोजित किए गए।

(ii) अनुशंसाएं

10. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 का अंतिम परिणाम 10 मई, 2016 को घोषित किया गया। आयोग ने कुल 1164 उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की, जिनमें अ.जा. के 176, अ.ज.जा. के 89, अ.पि.व. के 331 तथा शारीरिक रूप से निःशक्त 46 उम्मीदवार शामिल थे।

(iii) महिला उम्मीदवार

11. वर्ष 2016–17 में कुल 229 महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई।

iv) शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवार

12. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 के आधार पर नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से निःशक्त 46 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई।

(v) साक्षात्कार

13. सिविल सेवा परीक्षा, 2015 के उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए 08 मार्च, 2016 से 06 मई, 2016 तक व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड गठित किए गए थे। आठ व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड का गठन 3 दिन के लिए; सात व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड का गठन 19 दिन के लिए; 6 व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड का गठन 12 दिन के लिए तथा 5 व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड का गठन 2 दिन के लिए किया गया। उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से उनके द्वारा सिविल सेवा (प्रधान परीक्षा) में अनिवार्य भारतीय भाषा के पेपर के लिए चयनित भाषा का विकल्प प्रदान किया गया था। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक कुल 2797 उम्मीदवारों में से 2792 उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित हुए (05 उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए)। 2368 उम्मीदवारों ने अंग्रेजी, जबकि 429 उम्मीदवारों ने किसी एक भारतीय भाषा को साक्षात्कार के माध्यम के रूप में चुना। इस संबंध में विवरण **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका –6

व्यक्तित्व परीक्षण का माध्यम

भारतीय भाषाओं के नाम	उम्मीदवारों की संख्या
बंगाली	2
गुजराती	22
हिंदी	321
कन्नड़	1
मलयालम	3
मराठी	44
पंजाबी	7
तमिल	15
तेलुगु	13
उर्दू	1
कुल	**429**

(vi) प्रधान परीक्षा में भारतीय भाषा

14. वर्ष 2015 की परीक्षा के लिए किसी भारतीय भाषा के साहित्य को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1300 थी। अन्य पेपरों के उत्तर देने के लिए माध्यम के रूप में भारतीय भाषा को चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या का विवरण परिशिष्ट–8 में दिया गया है।

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016

15. इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016 की अधिसूचना 27 फरवरी, 2016 को जारी की गई। इस अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, कुल 2,67,557 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया। लिखित परीक्षा 27 मई, 2016 से 29 मई, 2016 तक आयोजित की गई जिसमें कुल 87,957 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। लिखित परीक्षा का परिणाम 03 अगस्त, 2016 को घोषित हुआ। लिखित परीक्षा में बैठे कुल 87,957 उम्मीदवारों की तुलना में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कुल 1,721 उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के 782, अ.पि.व. के 614, अ.जा. के 221 एवं अ.ज.जा. के 104 उम्मीदवार शामिल थे। इस संख्या में शारीरिक रूप से निःशक्त 106 उम्मीदवार भी शामिल हैं। लिखित परीक्षा में अर्हक उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए 05 सितंबर, 2016 से 11 नवम्बर, 2016 तक व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड गठित किए गए। गठित किए गए व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड की अधिकतम संख्या 4 तथा न्यूनतम संख्या 2 थी। अंतिम परिणाम 29 नवंबर, 2016 को घोषित किया गया। **कुल 604 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई जिसमें सामान्य श्रेणी के 288, अ.पि.व. के 177, अ.जा. के 93 और अ.ज.जा. के 46 उम्मीदवार शामिल थे। इस संख्या में शारीरिक रूप से निःशक्त 38 उम्मीदवार भी शामिल थे।**

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2017

15.1 इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2017 की अधिसूचना 28 सितंबर, 2016 को जारी की गई। इस अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, कुल 3,25,604 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया। इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक)/ चरण–I के लिए लिखित परीक्षा दिनांक 8 जनवरी 2017 को आयोजित की गई जिसमें 1,54,995 उम्मीदवार बैठे। परीक्षा के

प्रथम चरण के परिणाम की घोषणा 23 फरवरी 2017 को की गई। द्वितीय चरण/इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2017 के लिए कुल 3,769 उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की जिसमें **सामान्य श्रेणी के 1458, अ.पि.व. के 1333, अ.जा. के 654 और अ.ज.जा. के 324 उम्मीदवार** शामिल थे।

वर्ष 2016–17 के दौरान कार्यान्वित किए गए परिवर्तन

i) इंजीनियरी सेवा परीक्षा

क. वर्ष 2017 से इंजीनियरी सेवा परीक्षा की योजना में परिवर्तन किया गया है। इस परीक्षा में पहले जहां दो चरण होते थे, इसे अब तीन चरणों में विभाजित कर दिया गया है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा/ प्रथम चरण, प्रधान परीक्षा/ द्वितीय चरण तथा तृतीय चरण (व्यक्तित्व परीक्षण) शामिल हैं। अनुशंसा के लिए परीक्षा के सभी तीनों चरणों में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी।

ख. इंजीनियरी की चारों शाखाओं अर्थात सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी के पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है और इसे वर्ष 2017 से प्रारंभ की गई नई योजना के साथ लागू किया गया है।

ii) भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षाः

(ए) भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2016 के लिए भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा हेतु एक नए पैटर्न को लागू किया गया जो इस प्रकार हैः

क्र. सं.	विषय	अधिकतम अंक	अनुमत समय
1.	सामान्य अंग्रेजी	100	3
2.	सामान्य अध्ययन	100	3
3.	सांख्यिकी–I (वस्तुनिष्ठ)	200	2
4.	सांख्यिकी–II (वस्तुनिष्ठ)	200	2
5.	सांख्यिकी–III (विवरणात्मक)	200	3
6.	सांख्यिकी–IV (विवरणात्मक)	200	3

- सांख्यिकी–I व II पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न (80 प्रश्न जिनके लिए प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंक 200) हैं जिन्हें 120 मिनट में हल करना होता है।
- सांख्यिकी– III व IV पेपर विवरणात्मक शैली का होता है जिसमें संक्षिप्त उत्तर/ छोटी समस्या आधारित प्रश्न (50%) तथा विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न एवं कांप्रीहेंशन आधारित प्रश्न (50%) होते हैं। प्रत्येक खंड से एक विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न तथा एक संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न हल करना अनिवार्य है।

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षण के पाठ्यक्रम को भी वर्ष 2016 से तदनुसार संशोधित करते हुए परीक्षा के संशोधित पैटर्न के समरूप बनाया गया है।

अध्याय–4

चयन द्वारा सीधी भर्ती

1 संविधान के अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 321 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग को केन्द्र सरकार, संघ शासित क्षेत्रों, सांविधिक संगठनों, स्थानीय निकायों और लोक संस्थाओं में सभी ग्रुप 'क' पदों और राजपत्रित ग्रुप 'ख' पदों के लिए चयन द्वारा सीधी भर्ती करने के उत्तरदायित्व का अधिदेश प्राप्त है ।

प्राप्त अधियाचनाओं की संख्या

2. आयोग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 2,577 पदों के लिए 314 अधियाचनाओं की तुलना में, **वर्ष 2016–17 के दौरान 1,808 पदों के लिए 264 अधियाचनाएं प्राप्त हुईं ।** आयोग ने 2015–16 के दौरान 3,952 पदों के लिए 502 अधियाचनाओं की तुलना में, वर्ष 2016–17 के दौरान 3,352 पदों के लिए कुल मिलाकर 440 अधियाचनाओं (बैकलॉग सहित) पर कार्यवाही की। इन 440 अधियाचनाओं में से, 147 पदों के लिए 24 अधियाचनाओं को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तावों में विसंगतियों के कारण वापस भेज दिया गया। आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को वापस किए गए प्रस्तावों को समाप्त हुआ माना गया। पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त अधियाचनाओं और इससे सम्बद्ध पदों का चित्रण **आरेख–1** में दर्शाया गया है।

आरेख 1 : प्राप्त अधियाचनाओं की संख्या और संबंधित पद

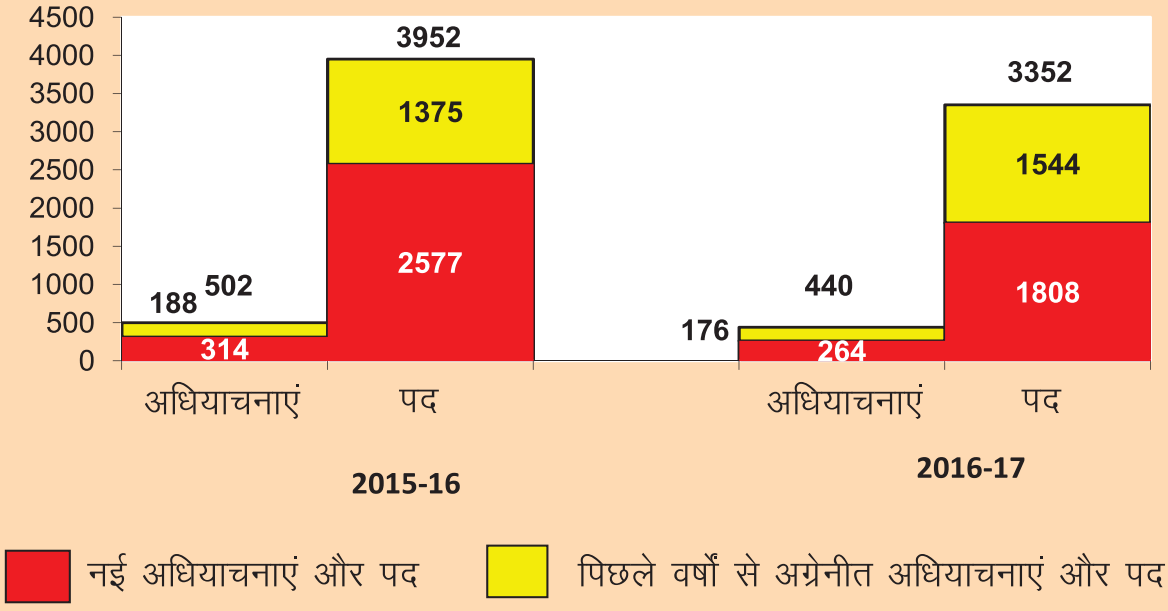

3. आरेख 1 इंगित करता है कि पिछले वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान संबंधित मंत्रालयों/विभागों से आयोग को प्राप्त नई अधियाचनाओं और पदों की संख्या में कुछ कमी आई है।

प्राप्त हुए आवेदन, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या का सांख्यिकीय सार

4. वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग ने 1,661 पदों के लिए 240 अधियाचनाओं के संबंध में आवेदन आमंत्रित करने हेतु 26 विज्ञापन जारी किए। वर्ष 2016–17 के दौरान विज्ञापित पदों की मंत्रालयवार संख्या **परिशिष्ट–12** में दी गई है। न्यायालय के आदेशों, अधियाचनाओं को वापस ले लेने आदि जैसे विभिन्न कारणों से, विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद 35 पदों के लिए 12 अधियाचनाओं संबंधी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई जबकि 01 अधियाचना में आशोधन किया गया।

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग को कुल 7,42,679 ऑन लाइन आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान कुल 4,55,255 आवेदनों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें पिछले वर्ष प्राप्त आवेदन भी शामिल हैं। लघु सूची बनाने के बाद, आयोग द्वारा 6,397 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिसमें से 4,918 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए आए । वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग द्वारा 1,247 पदों हेतु कुल 200 अधियाचनाओं को अंतिम रूप देते हुए विभिन्न पदों के लिए 1,123 उम्मीदवारों को भर्ती हेतु अनुशंसित किया गया । इसे **आरेख–2** में दर्शाया गया है ।

आरेख 2 : प्राप्त हुए आवेदन पत्रों, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

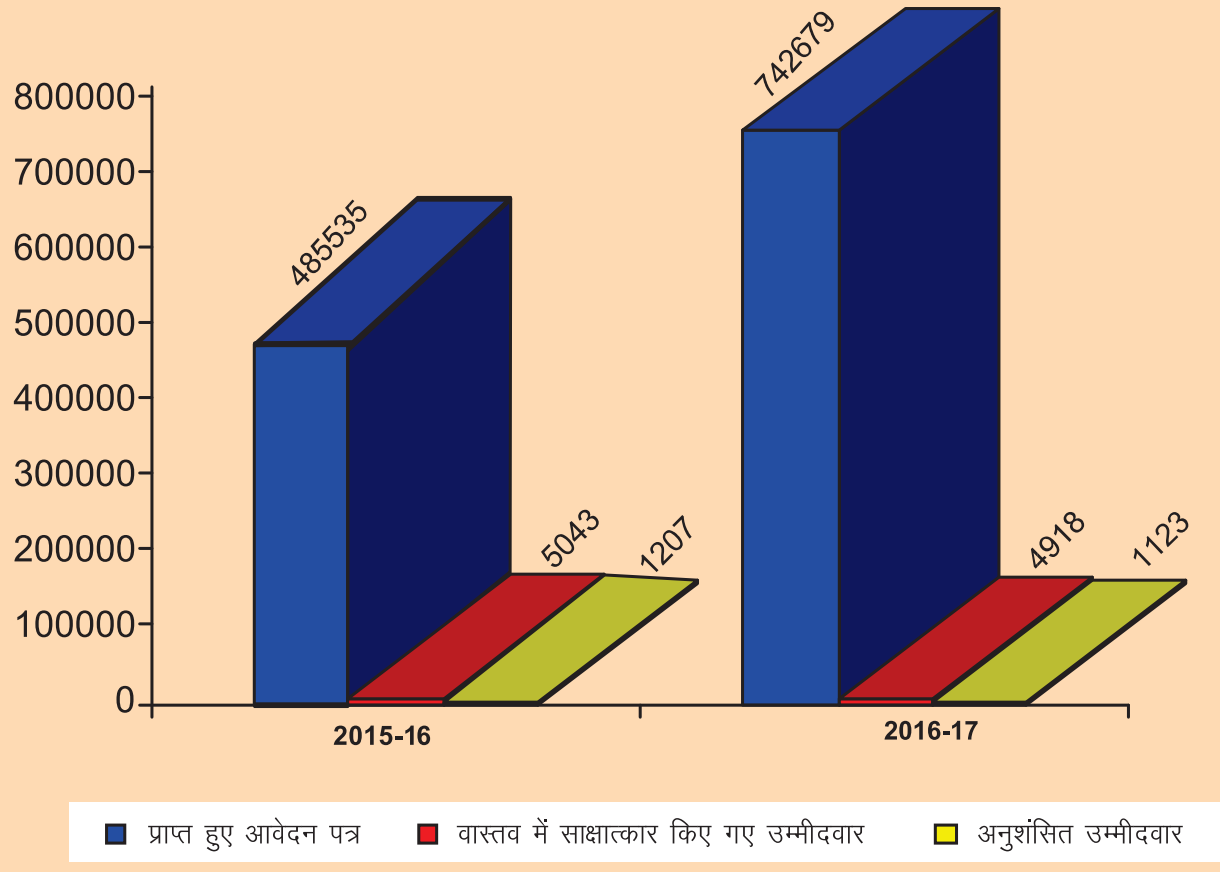

तालिका–1: वर्ष 2016–17 के दौरान अंतिम रूप दिए गए पदों और अनुशंसित उम्मीदवारों की विस्तृत विषय–वार संख्या

विस्तृत विषय	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवार	पद आवेदक अनुपात	पद अनुशंसा अनुपात
इंजीनियरी	189	30131	178	159	0.94
वैज्ञानिक एवं तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर)	407	29530	390	73	0.96
गैर–तकनीकी	374	386194	349	1033	0.93
चिकित्सा	277	9400	206	34	0.74
कुल	**1247**	**455255**	**1123**	**365**	**0.90**

टिप्पणी : 1. पद आवेदक अनुपात = आवेदकों की संख्या को पदों की संख्या द्वारा विभाजित करके

2. पद अनुशंसा अनुपात = अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को पदों की संख्या द्वारा विभाजित करके।

5. वर्ष 2016–17 के दौरान, इंजीनियरी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर), गैर–तकनीकी तथा चिकित्सा के चार विस्तृत विषयों के अन्तर्गत उन पदों की संख्या, जिनके संबंध में भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया, अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या, पद आवेदक अनुपात तथा पद अनुशंसा अनुपात का विवरण **तालिका–1** में दिया गया है ।

6. उपर्युक्त चार विस्तृत विषयों में विषय/ विशेषज्ञता–वार तथा समुदाय–वार जिनके संबंध में भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया पदों की संख्या तथा वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः **परिशिष्ट–13, परिशिष्ट–14, परिशिष्ट–15 तथा परिशिष्ट–16** में दर्शाई गई है। पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2016–17 में भिन्नता की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण (विषय–वार) **परिशिष्ट–2** में दिया गया है।

कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/ भर्ती परीक्षण (सीबीआरटी/आरटी)

7. भर्ती परीक्षण उन मामलों में आयोजित किए जाते हैं जहां बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण (सीबीआरटी/आरटी) पद्धति का उद्देश्य उचित संख्या तक उम्मीदवारों की एक चयनित सूची तैयार करना है। कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण/ भर्ती परीक्षण में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को प्रत्येक मामले के आधार पर समुचित महत्व (वेटेज) दिया जाता है। अंतिम चयन के लिए भर्ती परीक्षण के बाद साक्षात्कार होता है।

8. **वर्ष 2016–17 के दौरान, 706 पदों के लिए भर्ती के 24 मामलों में कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण आयोजित किए गए** (जिसमें प्रवर्तन अधिकारी/ लेखाधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पद के लिए एक सीबीआरटी इतर मामला तथा गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के पद हेतु एक दक्षता परीक्षण का मामला शामिल है) । इन मामलों का विवरण **परिशिष्ट–17** में दिया गया है।

भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने में लगने वाला औसत समय

9. वर्ष 2016–17 के दौरान, भर्ती के सामान्य मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाला औसत समय, सभी प्रकार से पूर्ण अधियाचना प्राप्ति की तारीख से लेकर अनुशंसा की तारीख तक लगभग 203 दिन था ।

पद आवेदक अनुपात (ए पी आर)

10. पद आवेदक अनुपात (ए पी आर) एक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का औसत सूचक है। चयन द्वारा सीधी भर्ती के मामलों में, जिन्हें वर्ष 2016–17 में अंतिम रूप दिया गया, प्रति पद औसतन 365 आवेदक थे । आरेख– 3 से यह पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में वैज्ञानिक और तकनीकी विषय (इंजीनियरी को छोड़कर) को छोड़कर सभी विषयों के संबंध में प्रति पद आवेदकों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

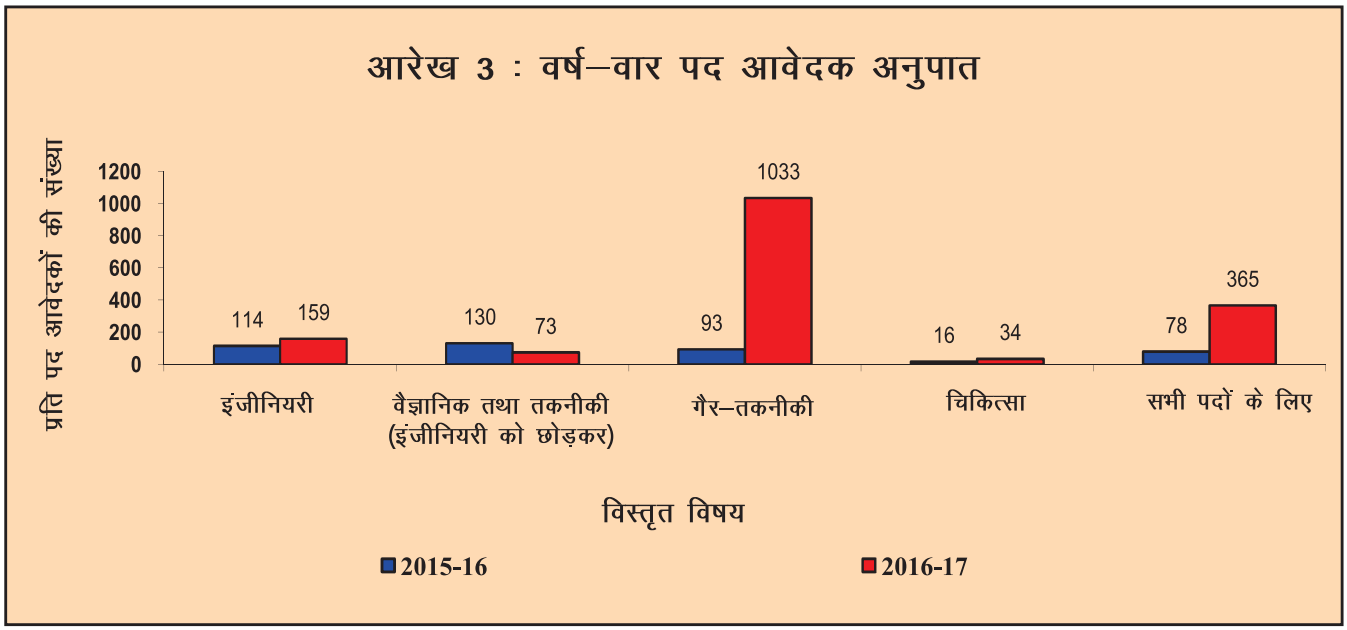

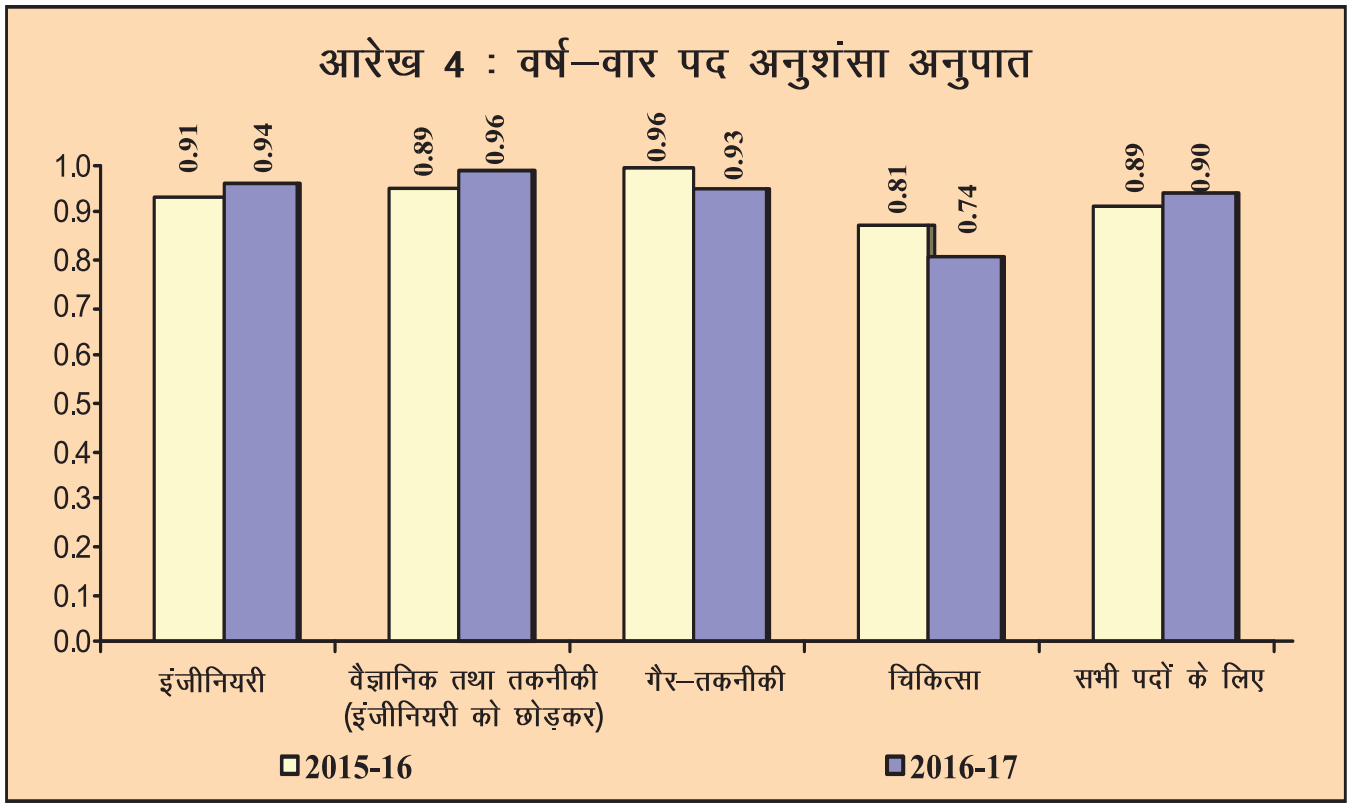

पद अनुशंसा अनुपात (आर.पी.आर.)

11. पद अनुशंसा अनुपात (आर.पी.आर.) का एक से कम होना उस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता/कम उपलब्धता को दर्शाता है । **आरेख–4** यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2016–17 में गैर–तकनीकी तथा चिकित्सा विषयों के पदों के संबंध में पद अनुशंसा अनुपात कम है ।

कोई योग्य नहीं पाया गया

12. वर्ष के दौरान, 124 पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया विफल रही । इन पदों में से अधिकांश पदों के लिए विशेषीकृत चिकित्सा या वैज्ञानिक योग्यताएं अपेक्षित थीं ।

विपुल मात्रा में भर्ती संबंधी मामले

12. ऐसे मामले, जहां 500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, को विपुल भर्ती का मामला माना जाता है । वर्ष 2016–17 के दौरान 771 पदों के लिए 43 ऐसे मामलों को अंतिम रूप दिया गया, जिनके लिए 4,38,573 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। ऐसे मामलों का विवरण **परिशिष्ट–18** में दिया गया है।

सांविधिक निकायों / स्थानीय प्राधिकरणों के लिए भर्ती

14. वर्ष 2016–17 के दौरान, सांविधिक निकायों/ स्थानीय प्राधिकरणों के लिए भी आयोग द्वारा भर्ती की गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद के लिए 170 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई।

आयोग की दक्षता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए किए गए परिवर्तन

आयोग की नई वेबसाइट

15. आयोग की नई वेबसाइट में, भर्ती शाखा से संबंधित जानकारी की सामग्री को उपयोगकर्ता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया गया।

16. आयोग की परीक्षाओं और भर्ती के व्यापक प्रचार के लिए आयोग की रिक्तियों के विज्ञापनों को श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर रखा गया।

तकनीकी प्रेरण

17. भर्ती शाखा द्वारा विज्ञापित विभिन्न भर्ती मामलों के लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने के अतिरिक्त, समय सीमा को और भी कम करने के लिए आयोग द्वारा विभिन्न तकनीकी पहल की गई। साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों को सम्मन–लेटर ई–मेल के माध्यम से भेजा गया। उच्च उम्मीदवार भर्ती मामलों के लिए साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की चयन–सूची तैयार करने के लिए कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण (सीबीआरटी) आयोजित किए गए। सीबीआरटी के लिए ई–प्रवेश पत्र उम्मीदवार द्वारा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

18. इंटरव्यू बोर्ड की रिपोर्ट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है।

19. प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन का एक छोटा संस्करण विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कुल 5,54,018 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए।

अध्याय–5

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व

1. अनु.जाति (एससी), अनु.जनजाति (एस टी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओ बी सी) से संबंधित उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के नियमों के अनुसार रियायती मानकों पर की जाती है।

2. वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए कुल 1729 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित/पूर्ण हुई परीक्षाओं के लिए इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों का ब्यौरा **परिशिष्ट–26** में दिया गया है। वर्ष 2015–16 और वर्ष 2016–17 का तुलनात्मक विवरण **तालिका–1 और तालिका–2** में दिया गया है।

3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में वर्ष 2016–17 के दौरान आवेदन करने वाले/परीक्षाओं में बैठने वाले और साक्षात्कार किए गए (जिनके सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया) तथा अनुशंसा किए गए अनु.जाति/अनु.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों का ब्यौरा परिशिष्ट–4 और परिशिष्ट–5 पर उपलब्ध है। उपर्युक्त के अलावा, आरक्षित सूची के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान अनु. जाति के 01, अनु.जनजाति के 01 और अन्य पिछड़े वर्ग के 62 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–6** पर दिया गया है।

तालिका–1

विवरण	2015-16				2016-17			
	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित
परीक्षा द्वारा भर्ती	2294	1977	317	47	1741	1729*	#12	12
प्रतिशतता		86.18%				99.31%		

* इसमें आरक्षित सूची नियम वाली परीक्षाओं के संबंध में अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित 213 उम्मीदवार शामिल हैं। अंतिम स्थिति के बारे में इन परीक्षाओं के लिए प्रत्येक में आरक्षित सूची नियम को लागू करने पर सेवा के आबंटन के बाद जानकारी मिलेगी।

विस्तृत विवरण तालिका–2 में दिया गया है।

तालिका–2

परीक्षा	अनु. जाति	अनु. ज. जाति	अ.पि.व.
1. भा.व.से. 2016	01	-	08
2. भा.आ.से./भा.सां.से. 2016	--	03	--
कुल	**01**	**03**	**08**

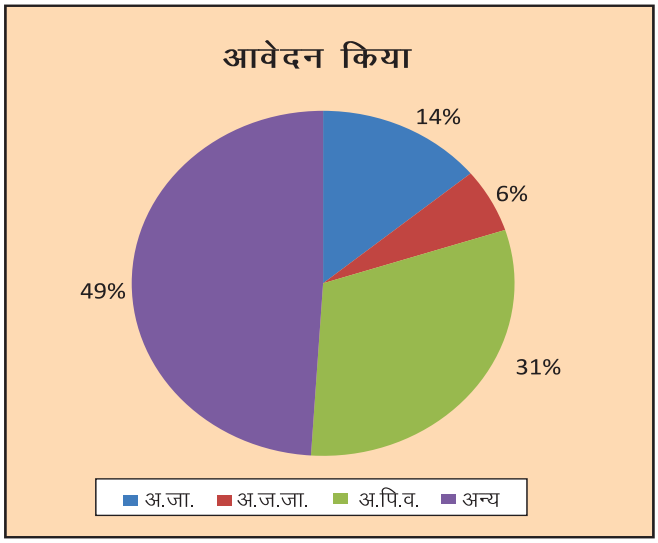

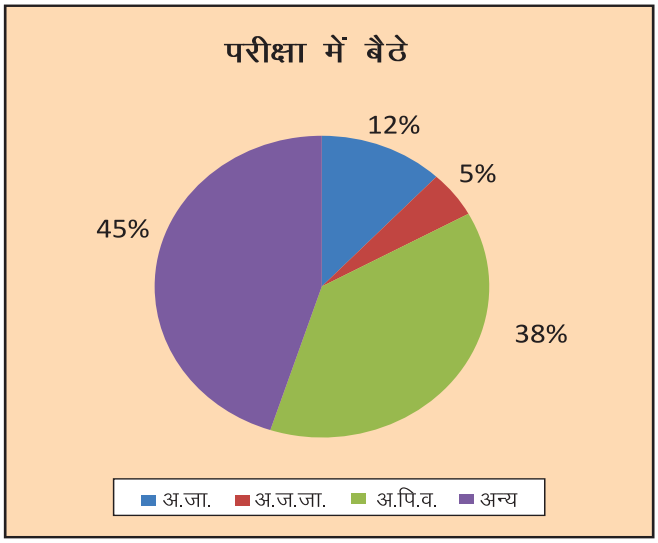

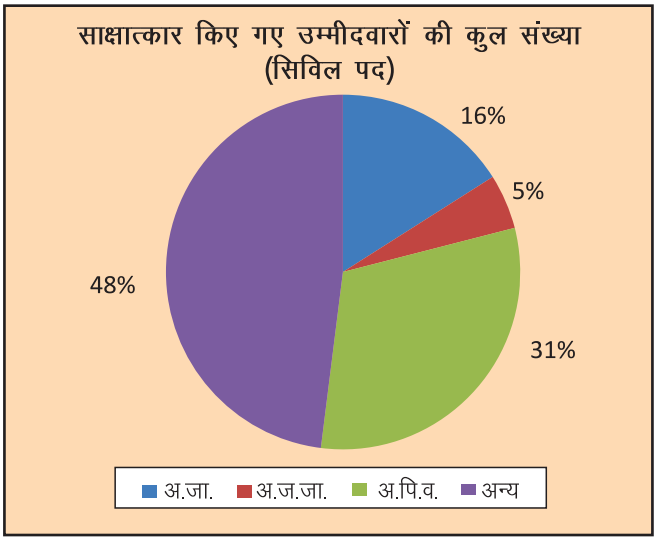

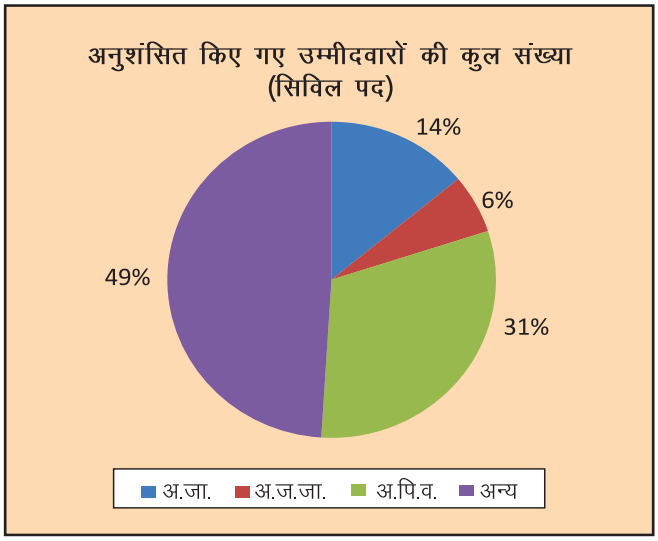

चयन द्वारा सीधी भर्ती

4. अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा वर्ष 2016–17 के दौरान इन पदों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों का विवरण **तालिका–3** में दिया गया है।

5. 609 आरक्षित पदों (168 अ.जा., 89 अ.ज.जा. तथा 352 अ.पि.व.) में से वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा कुल 528 उम्मीदवारों (149 अ.जा., 75 अ.ज.जा. तथा 304 अ.पि.व) की अनुशंसा की गई।

6. इसके अतिरिक्त, कुल 94 उम्मीदवारों (19 अ.जा., 04 अ.ज.जा. तथा 71 अ.पि.व. उम्मीदवारों) की अनुशंसा अनारक्षित पदों के लिए की गई। विवरण परिशिष्ट–28 में दिया गया है।

7. वर्ष 2016–17 तथा 2015–16 के दौरान अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों और अनुशंसित उम्मीदवारों का तुलनात्मक विवरण **तालिका–4** में दिया गया है।

तालिका–3 : वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों हेतु भर्ती को दिया गया अंतिम रूप

विवरण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
1. आरक्षित पद	168	89	352	609
2. आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार	77,455	18,311	1,47,979	2,43,745
3. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार	872	400	2,053	3,325
4. साक्षात्कार में उपस्थित हुए उम्मीदवार	642	279	1,396	2,317
5. अनुशंसित उम्मीदवार	149	75	304	528
6. कमी	19	14	48	81
उपर्युक्त मद 6 में से, (i) वे पद जिनके लिए किसी अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया **(परिशिष्ट–27 में विवरण)**	11	6	2	19
(ii) वे पद जिनके लिए कोई अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया	8	8	46	62

तालिका–4 : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों तथा चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

2015-16					2016-17				
आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवार	कमी	अनारक्षित पदों पर अनुशंसित अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. उम्मीदवार	अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. के कुल अनुशंसित उम्मीदवार	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. उम्मीदवार	कमी	अनारक्षित पदों पर अनुशंसित अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. उम्मीदवार	अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. के कुल अनुशंसित उम्मीदवार
603	530 (87.9%)	73 (12.1%)	114	644 (106.8%)	609	528 (86.7%)	81 (13.3%)	94	622 (102.1%)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण

8. आयोग ने मानदंडों में शिथिलता के आधार पर नियुक्ति हेतु चुने गए अनुसूचित जाति के 39, अनुसूचित जनजाति के 27, अन्य पिछड़े वर्गों के 44 उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से निःशक्त 06 उम्मीदवारों (जिसमें 01 अ.जा., 02 अ.पि.व. और 03 सामान्य उम्मीदवार शामिल हैं) को सामान्य उम्मीदवारों के स्तर तक लाने के लिए उनके सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुशंसा की। पद पर उनकी नियुक्ति के पश्चात, अनुशंसित की गई सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि तीन माह से लेकर एक वर्ष तक थी। अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवारों का समुदाय–वार तथा अवधि–वार वितरण, जिनके लिए आयोग ने वर्ष 2016–17 के दौरान सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुशंसा की, **तालिका–5** में दिया गया है।

चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनुशंसित शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति

9. वर्ष 2016–17 के दौरान, शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 47 पदों पर कुल 27 व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई। शारीरिक

रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों तथा इन पदों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की विषय–वार संख्या **तालिका–6** में दी गई है।

तालिका–5: सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवारों का समुदाय–वार तथा अवधि–वार वितरण

सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि	समुदाय–वार उम्मीदवार				
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति	कुल
3 महीने	20	8	5	2	**35**
6 महीने	14	9	17	1	**41**
9 महीने	3	6	6	1	**16**
एक वर्ष	2	4	16	2	**24**
कुल	**39**	**27**	**44**	**6**	**116**

तालिका–6: वर्ष 2016–17 के दौरान शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों तथा उनके लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की विषय–वार संख्या

क्र. सं.	विषय	शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	ऐसे अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
1	इंजीनियरी	12	7
2	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	15	6
3	गैर–तकनीकी	19	14
4	चिकित्सा	1	0
कुल		**47**	**27**

अध्याय–6

भर्ती नियम, सेवा नियम तथा भर्ती की पद्धति

1. आयोग को भारत सरकार/संघ शासित क्षेत्रों और कतिपय स्वशासी संगठनों यथा एनडीएमसी, ईपीएफओ, ईएसआईसी, डीजेबी आदि के अंतर्गत आने वाले सिविल पदों के संबंध में भर्ती और सेवा नियमों को बनाने/संशोधन करने के संबंध में परामर्श देने का अधिदेश प्राप्त है। नए सृजित पदों के लिए अधिसूचित भर्ती नियमों के न होने पर, आयोग एकबारगी भर्ती की पद्धति के निर्धारण पर परामर्श देता है जिसमें इन पदों को भरने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को एकबारगी छूट की व्यवस्था होती है। वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग ने भर्ती नियमों को बनाने और संशोधन करने और एकबारगी भर्ती की पद्धति के निर्धारण के लिए 615 पदों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किए। पिछले वर्ष का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं था, और इसलिए, वर्ष 2016–17 के दौरान 615 पदों से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया। आयोग ने 608 प्रस्तावों के लिए भर्ती नियमों के संबंध में परामर्श पत्र जारी किए और 07 भर्ती नियम प्रस्तावों को अगले वर्ष अर्थात् 2017–18 के लिए अग्रेनीत किया गया।

2. पदों की संख्या जिनके लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त और परामर्श दिए गए प्रस्तावों का वर्ष–वार विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

तालिका–1: वर्ष के दौरान मूल्यांकन किए गए भर्ती नियमों के प्रस्ताव

क्रम सं.	वर्ष	अग्रानीत	प्राप्त	पद, जिन पर परामर्श दिया गया	अग्रेनीत
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	2012-13	44	696	726	14
2	2013-14	14	642	648	08
3	2014-15	08	604	601	11
4	2015-16	11	630	641	0
5	2016-17	0	615	608	7

3. पदों की संख्या, जिनके प्रस्तावों पर कार्यवाही की गई, की तुलना में परामर्श दिए गए पदों की संख्या, प्रतिशत के रूप में वर्ष 2012–13 में 98.12% से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 98.86% हो गई।

4. उपर्युक्त अवधि अर्थात् वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 के दौरान जारी किए गए परामर्श पत्रों की संख्या का सार **तालिका–2** में दिया गया है और **आरेख–1** में चित्रित किया गया है।

तालिका–2 : जारी किए गए परामर्श पत्रों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	जारी परामर्श पत्रों की संख्या
1	2012-13	326
2	2013-14	322
3	2014-15	326
4	2015-16	390
5	2016-17	449

4.1 वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2016–17 में जारी किए गए परामर्श पत्रों की संख्या में 37.73% की वृद्धि हुई है।

आरेख–1

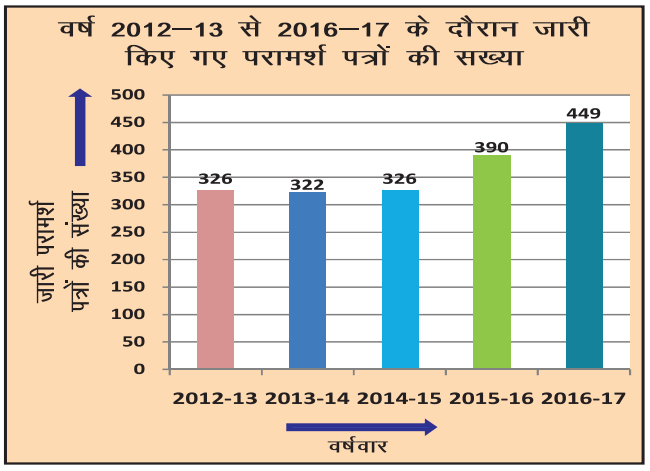

एकल खिड़की प्रणाली

5. आयोग में एकल खिड़की प्रणाली के अन्तर्गत भर्ती नियमों में संशोधन, भर्ती नियम बनाने तथा भर्ती की एकबारगी पद्धति के निर्धारण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इस प्रणाली में एक पूर्व निर्धारित जांच–सूची की व्यवस्था है जिसके आधार पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की प्रारंभिक संवीक्षा की जाती है। जांच–सूची की व्यवस्था के कारण संवीक्षा की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है।

6. एकल खिड़की प्रणाली के लिए प्रयोग की जा रही जांच–सूची में पहले 57 मदें शामिल की गई थीं जिनके संबंध में मंत्रालयों/विभागों को जानकारी देनी होती थी। वर्ष के दौरान, एकल खिड़की विचार–विमर्श के दौरान मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों से प्राप्त इनपुटों को विधिवत रूप से शामिल करके जांच–सूची को व्यापक रूप से सुप्रवाही बनाया गया है। संशोधित जांच–सूची में अब 29 मदें हैं और यह अब अधिक सूचनात्मक, व्यापक आधार वाली तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार भी है। यह संशोधित जांच–सूची मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दी गई थी। इसके अलावा, इस प्रकार समाविष्ट विभिन्न मदों की, जटिलताओं को महत्व देते हुए, संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा नामित अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय कार्यशाला श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया। विभिन्न भागीदारों के तत्काल संदर्भ के लिए जांच सूची को भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

7. भर्ती नियमों को बनाने और संशोधन के प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं और आयोग का अनुमोदन प्राप्त किए जाने से पहले इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक है। आयोग में, पिछले पांच वर्षों में, प्रस्तावों के निपटान के लिए लिया गया औसत समय **तालिका–3** में दिया गया है।

तालिका–3 : भर्ती नियमों के प्रस्तावों के निपटान का औसत समय

क्र.सं.	वर्ष	निपटान के लिए लिया गया औसत समय (दिनों में)
1.	2011-12	31
2.	2012-13	26
3.	2013-14	24
4.	2014-15	20
5.	2015-16	18
6.	2016-17	17

8. इन प्रस्तावों के लिए निर्धारित सामान्य निपटान समय 30 दिन है। वर्ष 2011–2012 से निपटान समय उत्तरोत्तर कम होकर 31 दिन से 17 दिन तक हो गया है। इस प्रकार, सामान्य निपटान समय की तुलना में अब निपटान समय में 43% की कमी हुई है, जैसा कि **आरेख–2** में दर्शाया गया है।

आरेख 2 : निपटान के लिए लिया गया औसत समय

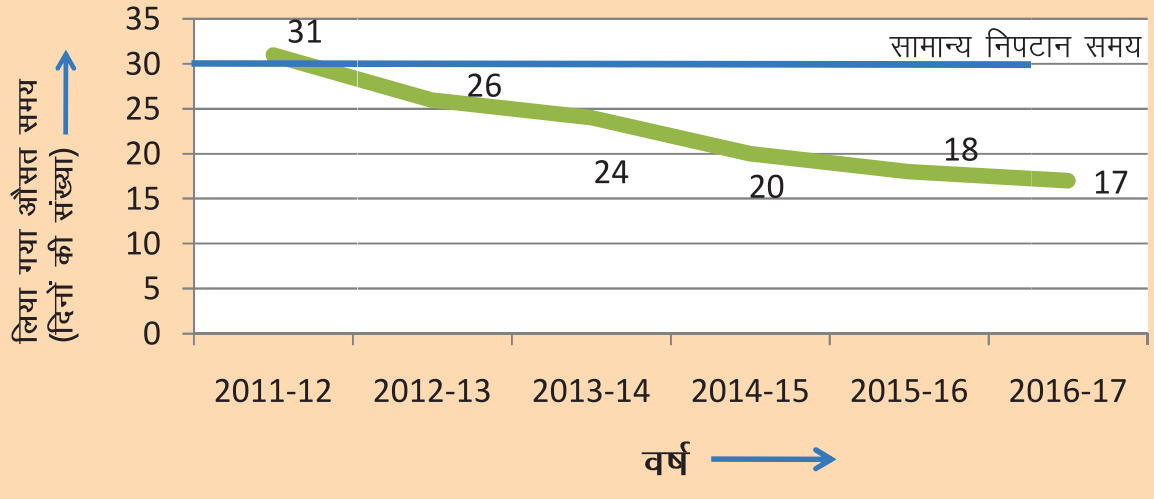

9. वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग ने सेवा नियमों के प्रस्तावों में संशोधन/बनाने का भी अनुमोदन किया, जो निम्नानुसार है :–

(i) रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा नियमावली–संशोधन

(ii) भारतीय आपूर्ति सेवा, समूह 'क' नियमावली 2012–संशोधन

(iii) भारतीय कौशल विकास सेवा नियमावली, समूह 'क'–बनाना

10. वर्ष के दौरान, आयोग ने नए सृजित पदों जिसमें नियमित भर्ती नियमों को बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, से संबंधित भर्ती की एकबारगी प्रणाली के 12 प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया।

आयोग द्वारा की गई नई पहलें

11. अंतर सेवा तुलना के लिए डाटा बेस बनाने और इसी तरह की सेवाओं के पुनः संरचनात्मक प्रस्तावों को तैयार करने के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के विभिन्न संगठित समूह क सेवाओं के लिए एक पहल 2015–2016 में की गई जिसके तहत प्रारंभिक और वर्तमान सेवा नियमों के ई–दस्तावेज़ तैयार किए गए। इस पहल के परिणामस्वरूप, 2016–2017 में एक ई–दस्तावेज का संकलन तैयार किया गया, जिसमें 47 संगठित समूह क सेवाएं शामिल थीं।

12. आयोग के निर्णय के आधार पर सार्क सदस्य देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए 29 नवंबर, 2016 को भर्ती नियम शाखा द्वारा "सरकार में पदों के लिए भर्ती नियमों के संशोधन और तैयार करने" पर सार्क के लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अध्याय–7

पदोन्नतियां और प्रतिनियुक्तियां

अखिल भारतीय सेवाओं में राज्य सेवा अधिकारियों को शामिल करना

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य सेवा अधिकारियों का अखिल भारतीय सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.)/भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.)/भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) में समावेशन भारत सरकार द्वारा बनाए गए पदोन्नति संबंधी विनियमों द्वारा शासित होता है। आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति, विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए चयन करती है। भारत सरकार (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) ने दिनांक 25 जुलाई, 2000 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संबंधी पदोन्नति विनियमों में संशोधन किया है ताकि वर्ष–वार चयन सूचियां तैयार की जा सकें। तदनुसार, वर्ष के दौरान विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन के लिए वर्ष 2015 की रिक्तियों के लिए चयन सूचियां तैयार की गई थीं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों के मामले में जहाँ पिछली रिक्तियां थीं, पिछले वर्षों की चयन सूचियां भी तैयार की गई थीं।

2. पिछले पांच वर्षों के दौरान, अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन के लिए विभिन्न राज्यों के जिन अधिकारियों पर विचार किया गया और जिनकी अनुशंसा की गई, उनके तुलनात्मक आंकड़े **आरेख– 1** में दिए गए हैं।

3. वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग ने विभिन्न राज्यों के 953 अधिकारियों के नामों पर विचार किया, जिनमें से 335 अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए अनुशंसा की गई जबकि वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 1,429 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया था जिनमें से 468 अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए **तालिका–1** में दर्शाए अनुसार अनुशंसा की गई थी।

आरेख 1
अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नित (कुल)

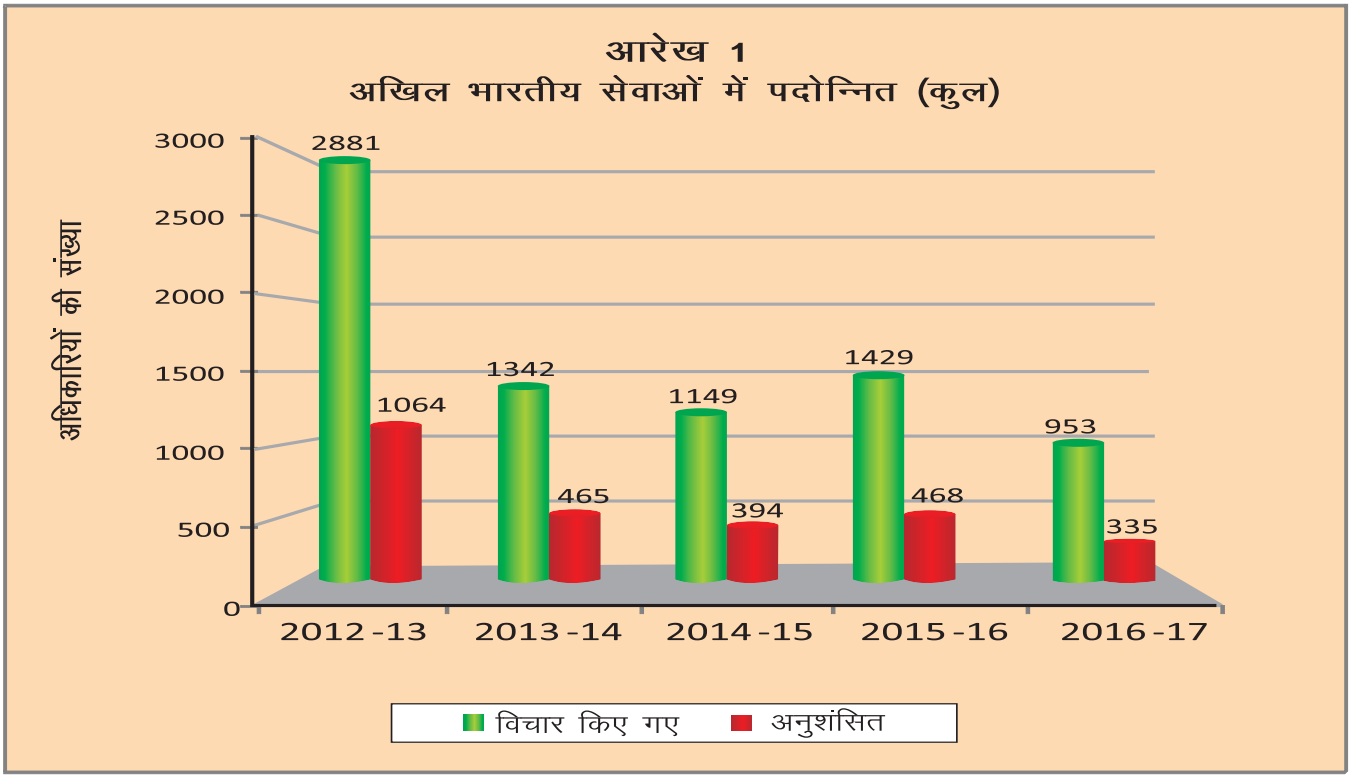

तालिका–1 : अनुशंसित अधिकारियों की सेवा–वार संख्या

विवरण	2015-16	2016-17
भा.प्र.से. (राज्य सिविल सेवा से)	297	135
भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा से)	23	14
भा.पु.से.	103	120
भा.व.से.	45	66
कुल	**468**	**335**

4. पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए विभिन्न राज्यों के जिन अधिकारियों पर विचार किया गया और जिनकी अनुशंसा की गई, उनके सेवा–वार तुलनात्मक आंकड़े **आरेख– 2** में दिए गए हैं।

5. वर्ष 2016–17 के दौरान, 119 संवर्गों/उप–संवर्गों में से 49 के संबंध में वर्तमान चयन सूची अर्थात 2015 तैयार करने के लिए चयन समिति की बैठकें (एससीएम) आयोजित की गई। (एक उप–संवर्ग में, 2015 की चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की बैठक पहले ही वर्ष 2015–16 में कर ली गई थी।) एक उप–संवर्ग में, 2016 की चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की बैठक वर्ष 2016–17 में की गई। भारत सरकार द्वारा 18 संवर्गों/उप–संवर्गों में ''शून्य'' रिक्तियां निर्धारित की गई और 02 संवर्गों/उप संवर्गों में राज्य सेवा का कोई अधिकारी पात्र नहीं था। विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट–19** में दी गई है। इस प्रकार, वर्ष 2016–17 के दौरान संवर्गों/उप संवर्गों की चयन सूची तैयार किए जाने की कुल प्रतिशतता 58% रही। आयोग ने, वर्ष 2016 के आरंभ से ही, अखिल भारतीय सेवाओं में समावेशन की प्रक्रिया के निर्धारण को गतिशील बनाने के भरसक प्रयास किए ताकि राज्य सेवा अधिकारियों की संबद्ध अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठकें आयोजित करने में विलंब न हो। जनवरी माह में ही सभी राज्य सरकारों/संवर्गों और केन्द्रीय सरकार के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को पत्र लिखा गया था जिसमें मॉडल कैलेन्डर में सुझाई गई तारीखों के अनुसार रिक्तियों को निर्धारित करने और चयन समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेजने का उनसे अनुरोध किया गया था। आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा रिक्तियों के निर्धारण और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की स्थिति की समीक्षा के लिए 26 और 27 मई को सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और केन्द्र सरकार में संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारियों के साथ दो जोनल बैठकें भी आयोजित की। 11 जुलाई, 2016 को पुनः चयन समिति की बैठकें आयोजित करने की स्थिति की पुनः समीक्षा की गई और उन राज्य सरकारों को दुबारा पत्र लिखे गए जिनसे प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही थी।

6. शेष संवर्गों/उप–संवर्गों के संबंध में, चयन सूचियां विभिन्न कारणों से तैयार नहीं की जा सकीं, यथा भारत सरकार द्वारा रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया जाना, न्यायालय के आदेश/निदेश, वरिष्ठता संबंधी विवाद, पिछले वर्षों की चयन–सूचियों को अंतिम रूप न दिया जाना और राज्य सरकारों से प्रस्तावों का प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना, आदि। इस संबंध में विस्तृत जानकारी **आरेख–3** में दर्शाई गई है तथा **परिशिष्ट–22** में विवरण दिया गया है।

आरेख 2
विचार किए गए और अनुशंसित अधिकारियों की सेवा–वार संख्या

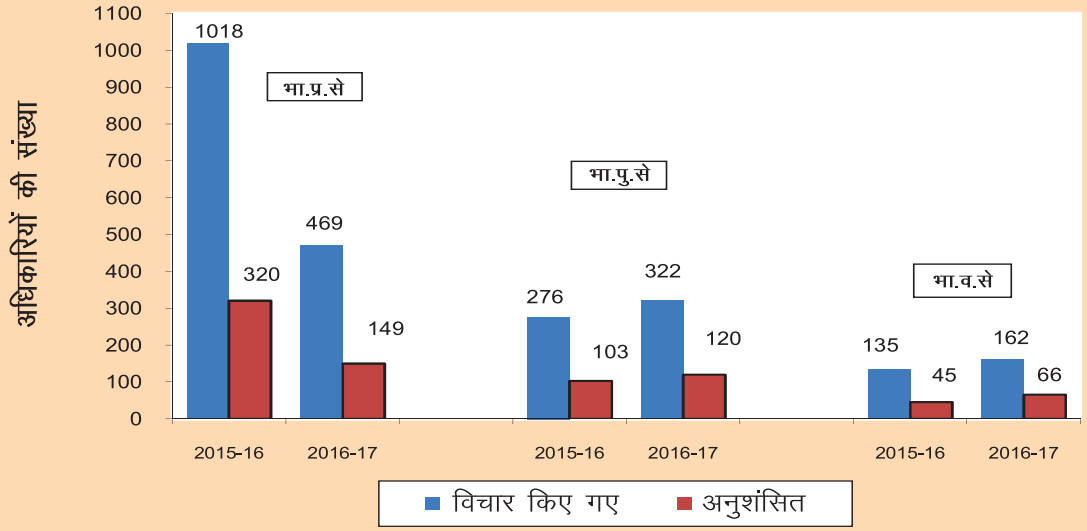

आरेख 3
वर्ष 2016–17 के दौरान चयन समिति की बैठकों का ब्यौरा

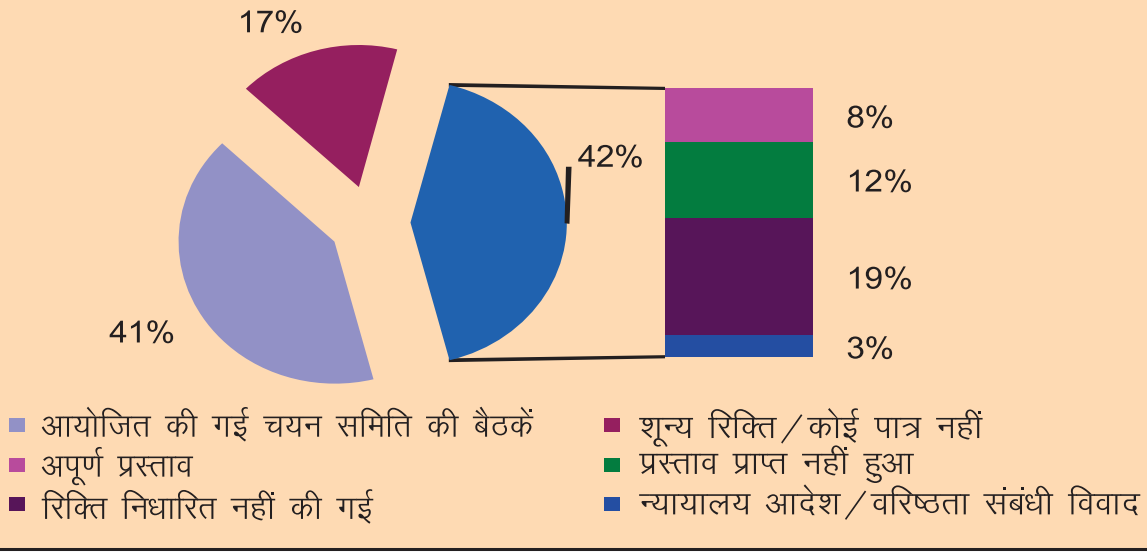

7. वर्ष 2016–17 के दौरान, चयन समिति की 41 बैठकों में 41 संवर्गों/उप संवर्गों की चयन सूचियां वर्तमान वर्ष के लिए तैयार की गई और चयन समिति की 08 अन्य बैठकों में 23 चयन सूचियां तैयार की गई जिनमें वर्तमान वर्ष की 08 चयन सूचियां एवं पिछले वर्षों की 15 चयन सूचियां शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, चयन समिति की अन्य 08 बैठकों में, केवल पिछले वर्षों के लिए 11 चयन सूचियां तैयार की गई। चयन समिति की एक बैठक में वर्ष 2016 के लिए भी चयन सूची तैयार की गई। इस प्रकार, वर्ष 2016–17 के दौरान चयन समिति की कुल 58 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 76 चयन सूचियां तैयार की गई। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निदेशों के अनुसरण में, चयन समिति की 11 पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 28 चयन सूचियों की पुनरीक्षा की गई। इस प्रकार, वर्ष 2016–17 के दौरान, कुल 104 चयन सूचियां तैयार/ पुनरीक्षित की गई। इस संबंध में विवरण **तालिका–2** में दिया गया है और **परिशिष्ट–20** में दर्शाया गया है।

तालिका–2: वर्ष 2016–17 के दौरान तैयार की गई चयन सूचियां

क्रम सं	विवरण	चयन सूचियों की संख्या
1.	केवल वर्तमान वर्ष के लिए तैयार की गई चयन सूची (चयन सूची 2015)	**41**
2.	पिछले वर्षों की चयन सूचियों सहित वर्तमान वर्ष के लिए तैयार की गई चयन सूची (चयन सूची 2015)	**23**
3.	केवल पिछले वर्षों के लिए तैयार की गई चयन सूची	**11**
4.	वर्ष 2016 के लिए तैयार की गई चयन सूची	**01**
5.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालयों के निदेशों के अनुसरण में पुनरीक्षा बैठकों में पिछले वर्षों की चयन सूचियों की पुनरीक्षा की गई **(परिशिष्ट–21)**	**28**
	कुल	**104**

राज्यों में पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर नियुक्ति हेतु भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पैनल में शामिल किया जाना

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. (सिविल) सं0 310/1996 (प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक 22 सितम्बर, 2006 के अपने आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निदेश दिया है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन राज्य सरकार द्वारा विभाग के उन तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाए, जिनका नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीजीपी के पद (प्रमुख पुलिस बल) के लिए पैनल में शामिल किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अनुसार, आयोग को राज्यों में पुलिस महानिदेशक/पुलिस बल के प्रमुख के पद पर पदोन्नति के मामले में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त विशिष्ट आदेश के मद्देनज़र, पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने हेतु आयोग की सहायता के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों को निदेश देने और इस प्रकार के पैनल में शामिल करने के तौर–तरीकों के संबंध में निदेश प्राप्त करने हेतु आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अंतर्वादीय आवेदन–पत्र (आई ए) दाखिल किया। आयोग द्वारा दायर अंतर्वादीय आवेदन–पत्र (आई ए) दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

9. वर्ष 2016–17 के दौरान, पुलिस महानिदेशक (प्रमुख पुलिस बल) के पद के लिए एमपैनलमेंट समिति की बैठक आयोजित करने के लिए आयोग में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

पदोन्नतियां और प्रतिनियुक्तियां

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानान्तरण के संबंध में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों अथवा स्थानान्तरणों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारण के लिए आयोग से परामर्श करने की व्यवस्था है।

11. संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, आयोग केन्द्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न सिविल सेवाओं और पदों पर पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति [लघु अवधि की संविदा सहित (आई एस टी सी)]/ आमेलन से संबंधित कार्य करता है। अनुच्छेद 321 के प्रावधानों के अनुरूप, आयोग स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित निकायों अथवा लोक संस्थानों, जहां संगत अधिनियमों में इसके लिए प्रावधान है, में पदों पर पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन का कार्य भी करता है।

12. आयोग ने वर्ष 2016–17 के दौरान, वर्ष 2015–16 में 8,572 अधिकारियों की तुलना में 3,958 अधिकारियों की पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा की। इस प्रक्रिया में, आयोग ने वर्ष 2015–16 के दौरान 14,070 सेवा अभिलेखों पर विचार किया जबकि वर्ष 2016–17 के दौरान 7,999 अधिकारियों के सेवा अभिलेखों पर विचार किया गया।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम)।

13. पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन के प्रस्तावों में प्रक्रियागत तेजी लाने के लिए, आयोग में 01 अगस्त, 2010 से एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई।

14. वर्ष 2016–17 के दौरान 31 मार्च, 2017 तक की अवधि में एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त/ वापस किए गए प्रस्ताव तथा स्वीकृत किए गए मामलों में कार्यवाही का चरणबद्ध विवरण **तालिका–3** में दिया गया है।

तालिका : 3 प्राप्त/ वापस किए गए प्रस्ताव तथा कार्यवाही का चरण

पदोन्नति मामले						
कुल प्राप्त मामले	उसी समय संवीक्षा के पश्चात स्वीकृत/वापस किए गए	आयोजित बैठकें/परामर्श पत्र जारी किए गए/ निपटाए गए	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक–30.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन के कारण प्रास्थगन में रखना	सदस्य नामित किए गए/बैठक निर्धारित की गई	जवाब/ दस्तावेज़ की प्रतीक्षा	परीक्षण/ प्रस्तुतीकरण के अधीन
604	480 (स्वीकार किए गए) 124 (वापस किए गए)	434*	13	33	26	28

प्रतिनियुक्ति मामले					
कुल प्राप्त मामले	उसी समय संवीक्षा के पश्चात स्वीकृत/वापस किए गए	आयोजित बैठकें/ परामर्श पत्र जारी किए गए/ निपटाए गए	सदस्य नामित किए गए/बैठक निर्धारित की गई/ अनुमोदित पात्रता	जवाब/ दस्तावेज़ की प्रतीक्षा	परीक्षण/ प्रस्तुतीकरण के अधीन
302	194 (स्वीकार किए गए) 108 (वापस किए गए)	144#	13	6	31

*** गत वर्ष से अग्रेनीत मामलों के सम्बन्ध में 54 बैठकें शामिल हैं।**
 # 48 निष्फल मामले शामिल हैं, जहां कोई भी पात्र नहीं पाया गया।

केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नतियां

15. वर्ष 2016–17 के दौरान, एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति समिति (वि.प.स.) के कुल 480 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की गई तथा 434 मामलों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परामर्श पत्र जारी किए गए, जिनमें 54 मामले पिछले वर्ष के थे। वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त हुए 33 मामलों में, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की तारीख निश्चित की गई तथा इन बैठकों की अध्यक्षता के लिए सदस्य नामित किए गए। 13 प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक–30.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन से प्रभावित होने के कारण प्रास्थगन में रखे गये। शेष 54 मामले 31 मार्च, 2017 तक कार्यवाही के विभिन्न चरणों पर थे।

16. निपटान में लगने वाले सामान्य समय (एन टी डी) 120 दिन की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति के मामलों के निपटान में लगने वाला औसत समय 38 दिन था। पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोग द्वारा स्वीकार किए गए कमी वाले मामलों तथा विभागीय पदोन्नति समिति के प्रस्तावों के निपटान में लगने वाले समय का विवरण **तालिका–4** में दिया गया है।

तालिका–4: विभागीय पदोन्नति समिति प्रस्तावों में कमियों वाले प्रस्तावों का विवरण तथा निपटान समय

प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	उसी समय संवीक्षा के पश्चात् लौटाए गए उन प्रस्तावों की संख्या जिनमें कमियां पाई गई थीं (कमी वाले प्रस्तावों का%)	स्वीकार किए गए प्रस्तावों की संख्या	निपटान में लगने वाले 120 दिन के सामान्य समय की तुलना में स्वीकृत प्रस्तावों के निपटान में लगने वाला औसत समय
वर्ष 2012-13			
589	61(10%)	528	55 दिन
वर्ष 2013-14			
541	49 (9%)	492	52 दिन
वर्ष 2014-15			
603	84(14%)	519	62 दिन
वर्ष 2015-16			
698	137(19%)	561	35 दिन
वर्ष 2016-17			
604	124(20%)	480	38 दिन

17. वर्ष 2015–16 में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की 530 बैठकों में 8,396 अधिकारियों की अनुशंसा की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की 434 बैठकों में **आयोग ने 3,850 अधिकारियों की अनुशंसा** की।

18. **वर्ष 2016–17 के दौरान पदोन्नति के लिए जिन 3,850 अधिकारियों की अनुशंसा की गई थी, उनमें से 252 अधिकारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे** तथा उनकी अनुशंसा उनके लिए आरक्षित 510 रिक्तियों के अंतर्गत हुई थी। पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण शेष 258 आरक्षित रिक्तियों पर किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी की अनुशंसा नहीं की जा सकी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल 244 अधिकारियों को अनारक्षित रिक्तियों के अंतर्गत ग्रुप 'क' में पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया। ऐसे मामलों का मंत्रालय/विभाग–वार ब्यौरा **परिशिष्ट–25** पर दिया गया है।

प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/ आमेलन

19. वर्ष 2016–17 के दौरान, एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/आमेलन के कुल 194 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। **चयन समिति की बैठकें/चयन समिति की बैठकें (पीटी) आयोजित की गई तथा 96 मामलों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परामर्श पत्र जारी किए गए** तथा 48 मामले विभिन्न कारणों से निष्फल हो गए। इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त 13 मामलों में, चयन समिति की बैठकों की तारीख निश्चित की गई अथवा सदस्य नामित किए गए। शेष 37 मामले 31 मार्च, 2017 तक कार्यवाही के विभिन्न स्तरों पर थे।

20. वर्ष 2016–17 के दौरान प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन के लिए स्वीकार किए गए प्रस्तावों के निस्तारण में लगने वाला औसत समय, निस्तारण के लिए निर्धारित सामान्य समय 180 दिन की तुलना में 66 दिन था। पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोग द्वारा स्वीकार किए गए कमी वाले प्रस्तावों तथा प्रस्तावों के निस्तारण में लगने वाले समय का विवरण **तालिका–5** में दिया गया है।

तालिका –5: प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन मामलों में कमियों वाले प्रस्तावों का विवरण तथा निस्तारण समय

प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	उसी समय संवीक्षा के पश्चात् लौटाए गए उन प्रस्तावों की संख्या जिनमें कमियां पाई गई थीं (कमी वाले प्रस्तावों का%)	स्वीकार किए गए प्रस्तावों की संख्या	निपटान में लगने वाले 180 दिन के सामान्य समय की तुलना में स्वीकृत प्रस्तावों के निपटान में लगने वाला औसत समय
वर्ष 2012-13			
246	59(24%)	187	69 दिन
वर्ष 2013-14			
268	54(20%)	214	68 दिन
वर्ष 2014-15			
294	116(39%)	178	79 दिन
वर्ष 2015-16			
334	109(32%)	225	60 दिन
वर्ष 2016-17			
302	108(36%)	194	66 दिन

21. वर्ष 2015–16 के दौरान प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/आमेलन के लिए आयोजित की गई 132 चयन समिति/चयन समिति (पीटी) बैठकों में 176 अनुशंसित अधिकारियों की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान **आयोग ने चयन समिति/चयन समिति (पीटी) की 96 बैठकों में 108 अधिकारियों की अनुशंसा की।**

मंत्रालयों/ विभागों द्वारा प्रतिवेदित तदर्थ नियुक्तियां

22. ग्रुप 'क' और 'ख' के विभिन्न पदों पर सरकार द्वारा की गई ऐसी सभी नियुक्तियों को तदर्थ माना जाता है, जहां नियुक्तियां/ पदोन्नतियां आयोग द्वारा की जानी हों। सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा मासिक तथा अर्ध–वार्षिक विवरणियों में इनके बारे में आयोग को सूचना भेजना अपेक्षित है। तथापि, वर्ष 2016–17 के दौरान 52 मंत्रालयों/विभागों तथा संघ शासित क्षेत्रों से मासिक/अर्ध–वार्षिक विवरणियां प्राप्त नहीं हुईं जिनका ब्यौरा **परिशिष्ट–23** में दिया गया है।

23. वर्ष 2016–17 के दौरान, संघ शासित क्षेत्रों सहित 05 मंत्रालयों/विभागों ने ग्रुप 'क' के 01 पद पर नई तदर्थ नियुक्तियां किए जाने के बारे में सूचित किया। वर्ष 2015–16 के दौरान, 07 मंत्रालयों/विभागों/संघ शासित क्षेत्रों ने ग्रुप 'क' के 01 और ग्रुप 'ख' के 02 पदों पर तदर्थ नियुक्तियां किए जाने के बारे में सूचित किया था।

24. वर्ष 2016–17 के अंत तक, तदर्थ नियुक्तियों से संबंधित 09 मामले एक वर्ष से अधिक अवधि तक चल रहे थे। ऐसे मामलों का वर्ष–वार विवरण **तालिका–6** में दिया गया है। मंत्रालय–वार विवरण **परिशिष्ट–24** में दिया गया है।

तालिका–6: एक वर्ष से अधिक अवधि तक चल रही तदर्थ नियुक्तियां

क्रम सं.	वर्ष	ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'
1.	1–2 वर्ष के बीच	0	0
2.	2–3 वर्ष के बीच	0	0
3.	3–4 वर्ष के बीच	0	0
4.	4–5 वर्ष के बीच	0	0
5.	5–10 वर्ष के बीच	7	0
6.	10 वर्ष से अधिक	2	0
	कुल	**09**	**0**

नोट : ऊपर दर्शाए गए आंकड़े मंत्रालयों/ विभागों द्वारा दिसंबर, 2015 में समाप्त होने वाली अवधि की अर्ध–वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े हैं। जिन मंत्रालयों/ विभागों ने दिसंबर, 2015 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, उनके मामले में जून, 2015 की अर्ध–वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़ों को लिया गया है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालय के निर्णयों/आदेशों को कार्यान्वित किया जाना

25. आयोग, मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संघ शासित प्रदेशों से सम्बन्धित विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति/आमेलन से सम्बन्धित प्रस्तावों की जांच और उस पर कार्यवाही करता है, जहां भर्ती नियमों के अनुसार आयोग का परामर्श आवश्यक है।

26. तद्नुसार, ऐसे पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की बैठकें/चयन समिति की (पीटी) बैठकें आयोग में आयोजित की जाती हैं। अधिकारियों/उम्मीदवारों से संबंधित आयोग की अनुशंसा को संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संघ शासित प्रदेशों को भेज दिया जाता है और ऐसी अनुशंसाओं को नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना होता है। आयोग परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता है तथा पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)/ आमेलन द्वारा नियुक्तियों के लिए पैनल की अनुशंसा करता है। पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालय के किसी निदेश के कार्यान्वयन का दायित्व प्राथमिक तौर पर संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन/ संघ शासित प्रदेश का होता है।

अध्याय–8

अनुशासनिक मामले

1. संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ग) में प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग से भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन एक नागरिक की हैसियत से सेवारत किसी कर्मचारी को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों तथा ऐसे मामलों से संबंधित अभ्यावेदन अथवा याचिका पर परामर्श लिया जाएगा। आयोग से परामर्श, संगत पेंशन नियम जहां राष्ट्रपति किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन रोकने अथवा निकासी का प्रस्ताव करता है, के अंतर्गत भी अपेक्षित है। तदनुसार, अनुशासनिक मामले मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारों द्वारा परामर्श हेतु आयोग को प्रेषित किए जाते हैं।

2. संघ लोक सेवा आयोग में अनुशासनिक मामलों के त्वरित निपटान एवं परिहार्य विलम्ब को कम करने हेतु सितम्बर, 2010 में पांच मंत्रालयों को शामिल करते हुए एकल खिड़की प्रणाली प्रारम्भ की गई। धीरे–धीरे इस प्रणाली में सभी मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया। 01 जनवरी, 2013 से सभी राज्य सरकारों को भी एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत लाया जा चुका है। मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले मामलों की प्रारम्भिक तौर पर एकल खिड़की पर ही जांच सूची के अनुरूप संवीक्षा कर ली जाती है। सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को ही आगे की जांच तथा परामर्श हेतु आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है।

3. वर्ष 2016–17 तथा पिछले छह वर्षों के दौरान आयोग द्वारा प्राप्त किए गए तथा कार्यवाही किए गए अनुशासनिक मामलों की संख्या को नीचे **तालिका–1** में दर्शाया गया है।

तालिका–1

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में अग्रेनीत मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए परामर्श पत्रों की संख्या	वर्ष के दौरान वापस किए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष बचे मामलों की संख्या
2010-11	236	762	417	409	172
2011-12	172	655	424	255	148
2012-13	148	642	453	201	136
2013-14	136	619	455	122	178
2014-15	178	538	463	104	149
2015-16	149	546	492	91	112
2016-17	112	487	431	49	119

4. वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग को 487 अनुशासनिक मामले परामर्श हेतु प्राप्त हुए। पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2015–16 से आगे लाए गए 112 मामले जो कि 01 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार आयोग के पास लंबित थे, सहित वर्ष के दौरान आयोग के पास कुल 599 मामले थे। इन 599 मामलों में से 431 मामलों में आयोग द्वारा परामर्श दिया गया तथा प्रक्रियात्मक कमियों के चलते 49 मामले लौटा दिए गए। इस प्रकार, वर्ष के दौरान 599 मामलों में से 480 मामलों का निपटान किया गया तथा वर्ष के अंत में 119 मामले शेष बचे रहे।

5. **तालिका–1** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या में तथा जिन मामलों पर कार्यवाही की गई है, उनकी संख्या में भी कमी आई है। इसका कारण यह है कि 2010–11 से पहले मामले डाक द्वारा प्राप्त होते थे तथा उनमें कई दस्तावेज़ीय तथा प्रक्रियात्मक कमियां होती थीं। इसके परिणामस्वरूप, आयोग बहुत से मामलों को अंतिम परामर्श दिए बिना ही सरकार को लौटा देता था। एकल खिड़की प्रणाली के लागू होने के परिणामस्वरूप प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय दस्तावेज़ीय तथा प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का संबंधित मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक अनुपालन किया जा रहा है जिससे कार्यवाही में लगने वाले आनुपातिक समय में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप समयबद्ध तरीके से मामलों का निपटान होता है।

6. प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं तथा अधूरे दस्तावेज़ों की कमी को पूरा नहीं किए जाने के कारण लौटाए जाने वाले मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है जो कि 2010–11 में 409 से घटकर 2016–17 में 49 रह गई। संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा मामले के अभिलेखों की प्रारंभिक स्तर पर सावधानीपूर्वक संवीक्षा से मामलों को अंतिम रूप देने में अनावश्यक विलम्ब में कमी आती है।

7. कदाचार, आरोपित अधिकारियों की संख्या का वर्ग–वार ब्यौरा और आयोग के परामर्श का विवरण **परिशिष्ट–29** में दर्शाया गया है। इस परिशिष्ट में उन मामलों की संख्या को भी दर्शाया गया है, जिन्हें दस्तावेजीय/प्रक्रियात्मक कमियों के कारण संबंधित मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों को वापस भेजा गया।

8. उन 431 मामलों के संबंध में मंत्रालय/ विभाग और राज्य सरकार–वार विवरण, जिनमें आयोग ने परामर्श दिया, **परिशिष्ट–30** में दिया गया है। 306 मामलों में आरोप संदिग्ध सत्यनिष्ठा से संबंधित थे। इनमें से आयोग ने 254 मामलों में दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने, 31 मामलों में लघु शास्ति अधिरोपित करने तथा 21 मामलों में कोई शास्ति अधिरोपित न करने का परामर्श दिया।

9. 123 मामले कदाचार की अन्य श्रेणियों जिसमें कर्तव्यनिष्ठा का अभाव शामिल है, से संबंधित थे। इन मामलों में आयोग ने 65 मामलों में दीर्घ शास्ति, 47 मामलों में लघु शास्ति और 11 मामलों में कोई शास्ति अधिरोपित न करने का परामर्श दिया।

10. शेष 02 मामलों में, आयोग का परामर्श विविध प्रकृति का था। एक मामले में, मंत्रालय ने यह सूचना दी थी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले सुझाई गई शास्ति की मात्रा कार्यान्वित किए जाने लायक नहीं थी। तदनुसार, आयोग में आरोपित अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति की भाषा में बदलाव का परामर्श दिया। तत्पश्चात मंत्रालय ने आयोग के परामर्श के अनुरूप शास्ति में सुधार करके शास्ति आदेश जारी किया। एक अन्य मामले में आयोग ने पाया कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के विरूद्ध एक अपील में आरोपित अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया था और चूंकि यह निर्णय पहले ही आयोग के समक्ष था। आयोग ने आरोपित अधिकारी के विरूद्ध निष्कासन की शास्ति को खारिज करने का परामर्श दिया।

11. वर्ष 2016–17 के दौरान, सरकार ने कुल 398 मामलों में आयोग के परामर्श के अनुसार आदेश पारित किए। 06 मामलों में सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं थे। इन 06 मामलों का विवरण **अध्याय–09** में दिया गया है।

अध्याय–9

सरकार द्वारा आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया जाना

उन 06 मामलों का विवरण नीचे दिया गया है जिनमें सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं थेः–

(I), (II) और (III)

शहरी विकास मंत्रालय के तीन अधिकारियों के विरूद्ध आरम्भ की गई दीर्घ शास्ति कार्यवाही के अंतर्गत कार्रवाई

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय के तीन अधिकारियों यथा एक मुख्य अभियंता और दो अधीक्षक अभियंताओं के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति हेतु कार्यवाही आरम्भ की गई थी।

2. तीनों आरोपित अधिकारियों अर्थात एक मुख्य अभियंता (आरोपित अधिकारी–।) और दो अधीक्षक अभियंताओं (आरोपित अधिकारी–।। और आरोपित अधिकारी–।।।) ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना में अपने–अपने पदों पर तैनाती के दौरान कार्य करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे निम्नलिखित चार निर्माण कार्यों की निविदाओं पर कार्यवाही करते समय चूक की नामतः मार्फत जीसी के लिए 494 फैमिली क्वार्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, झपहां, मुजफ्फरपुर एसएचः मार्फत (i) टाइप–II/112 नं. (ii) टाइप–II/114 नं. (iii) टाइप–II/120 नं. और (iv) टाइप–II/104 नं. फैमिली क्वार्टरों का निर्माण जिनमें आंतरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता संबंधी सुविधाएं और बिजली व्यवस्थापन सम्मिलित था। प्रत्येक आरोपित अधिकारी के संबंध में आरोप की मदें और आयोग का विश्लेषण और निष्कर्ष नीचे दिया गया है :

2.1 आरोपित अधिकारी–I (सीई) के विरूद्ध आरोप की निम्नलिखित मदों के लिए 25 सितम्बर, 2002 को एक दीर्घ शास्ति आरोप पत्र जारी किया गया था।

मद–। आरोपित अधिकारी–। निम्नलिखित बिंदुओं पर विवेचनात्मक रूप से ध्यान देने में असफल रहे

I. निविदाओं की बिक्री के लिए तारीख 19.12.2001 से बढ़ाकर 24.12.2001 करने के कारण।

II. निविदा बक्से का तथाकथित रूप से जलना।

III. निविदा प्राप्ति के निर्धारित समय अर्थात दिनांक 27.12.2001 को दोपहर 3.00 बजे से पहले और डाक द्वारा प्राप्त की गई निविदाओं को अनदेखा करना; निविदा प्राप्त करने की तारीख 27.12.2001 से बढ़ाकर 19.01.2002 करना और

IV. निविदाकारों द्वारा विभाग से उनकी निविदाओं पर विचार करने का अनुरोध किए जाने के अगले ही दिन अपनी निविदाएं वापिस लेना (जो कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में पहले ही दिनांक 27.12.2001 को निविदाएं प्राप्त किए जाने के निर्धारित समय दोपहर 3.00 बजे से पूर्व दोपहर 1.20 बजे पर प्राप्त हो चुकी थी)।

इन सब कारकों से उक्त निर्माण कार्यों की निविदाओं को एकत्र करना सुविधाजनक हुआ। उक्त चार निर्माण कार्यों में से तीन के लिए जमा की गई निविदाएं, जो आरोपित अधिकारी–। को कार्यपालक अभियंता से सामग्री और श्रम की दरों और अन्य विवरण के साथ प्राप्त हुई थीं, उनके द्वारा स्वीकृति के लिए केन्द्रीय निर्माण बोर्ड को अग्रेषित की गई।

मद–।।.आरोपित अधिकारी–। ने उक्त चार में से तीन निर्माण कार्यों (जैसा मद–। में दिया गया है) की निविदाओं को मंजूर किए जाने की अनुशंसा करते समय सबसे कम दरों वाले निविदाकारों, जिन्होंने निविदाओं को एकत्र किया और हाल ही में उसी परिसर में स्वीकृत दो समान निर्माण कार्यों की दरों की अपेक्षा 40.61%/

42.59% और 45.58% अधिक दरें उद्धृत की, से अर्थहीन मोलभाव करके अनुमानित लागत से क्रमशः 36.39%, 36.03% और 32.95% अधिक दरों वाली उक्त निविदाओं को मंजूर किए जाने की अनुशंसा करके और संगत प्रावधानों की अनदेखी कर और केन्द्रीय निर्माण बोर्ड से तथ्यों को छुपाकर बोर्ड को भ्रमित करने की कोशिश की। अतः, कुल 9,72,03,896/–रू. की कुल लागत वाले तीन बड़े निर्माण कार्यों की निविदाओं के संबंध में, जिनका पूलन किया गया था और अनुचित रूप से अधिक दरें उद्धृत की गई थीं, आरोपित अधिकारी ने निविदाकारों से अर्थहीन मोलभाव करने के बाद केन्द्रीय निर्माण बोर्ड को अनुचित रूप से अधिक दरों वाली निविदाओं को मंजूर करने के लिए भ्रमित करने का प्रयास किया। इसमें 2,15,42,820/–रू. की वित्तीय विवक्षा सम्मिलित थी और इससे सरकार को बड़ी हानि हो सकती थी।

अतः, आरोपित अधिकारी–। पूर्ण सत्यनिष्ठा बरतने में असफल रहे और कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव का प्रदर्शन किया और इस प्रकार, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,1964 के नियम 3(1)(i) एवं (ii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

2.2 चूंकि आरोपित अधिकारी–। ने आरोपों का खंडन किया, इसलिए उनके विरूद्ध नियमित जांच का आदेश दिया गया। जांच अधिकारी ने आरोप की दोनों मदों को 'सिद्ध नहीं' पाया। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच के निष्कर्षों से असहमत हुए और अनुशासनिक प्राधिकारी के असहमति ज्ञापन के साथ जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित अधिकारी–। को अग्रेषित की गई और उनका अभ्यावेदन मांगा गया। आरोपित अधिकारी–। के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोपों को आंशिक रूप से सिद्ध पाया और आरोपित अधिकारी–। की पेंशन में कटौती किए जाने के अनंतिम निर्णय के साथ मामले को परामर्श के लिए फरवरी, 2010 में आयोग को भेजा गया।

2.3 मामलों के विस्तृत विश्लेषण के बाद आरोपित अधिकारी–। के मामले में आयोग ने पाया कि असंगत पैटर्न और ठेकेदारों के बीच स्पष्ट सांठ–गांठ के बावजूद, जैसा कि उनके द्वारा उद्धृत दरों से स्पष्ट है, आरोपित अधिकारी–। ने निविदाओं को मंजूरी के लिए अनुशंसित किया। यद्यपि उनकी स्वयं की भागीदारी सिद्ध नहीं हुई, परंतु उनका कृत्य सरकार के हित में नहीं था क्योंकि वे घटनाक्रम का संज्ञान लेने में असफल रहे। भारत सरकार के एक अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते, आरोपित अधिकारी–। से यह अपेक्षित था कि वे सरकार के हितों की रक्षा करते और यदि किसी सरकारी सेवक द्वारा किया गया कोई भी कृत्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के हितों को नुकसान पहुंचाता है तो उसे घोर कदाचार माना जाता है। ऐसे किसी कदाचार का निवारण करने और एक विश्वसनीय निर्णय लेने के लिए आरोपित अधिकारी को चाहिए था वे निविदाओं के पूलन के प्रयास का पता लगाते। इसके अलावा, निविदा बक्सों के जलने की घटना संबंधी कारणों का पता लगाने की दिशा में उनकी अकर्मण्यता पूरे घटनाक्रम पर संदेह उत्पन्न करती है और उक्त घटना का पता लगाने में उनकी असफलता से उनका दोष और अधिक गम्भीर हो जाता है।

2.4 इसके अतिरिक्त, आयोग ने पाया कि कम दरों वाली निविदाओं से संबंधित सूचना, जो निविदाओं के पैटर्न को स्पष्ट करती है, का निर्णय लिए जाने पर काफी प्रभाव होता है, और, आरोपित अधिकारी–। द्वारा न तो अपनी अनुशंसाओं में और उन ही 'ट्रेंड ऑफ टेंडर्स' पैरा में इन बातों का वर्णन किया जो निश्चित तौर पर उनकी चूक थी क्योंकि उन्होंने महत्वूपर्ण तथ्यों को छिपाया जिससे सरकार के राजकोष को भारी वित्तीय क्षति हो सकती थी। उनके जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपना निष्कर्ष दिया कि आरोपित अधिकारी–। के मामले में उन पर 'उन्हें अन्यथा रूप से ग्राह्य मासिक पेंशन में से दस प्रतिशत राशि दो वर्ष की अवधि के लिए रोके जाने' की शास्ति अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा। आयोग का परामर्श 31 मई, 2011 को अनुशासनिक प्राधिकारी को संसूचित कर दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने आयोग की सलाह मानते हुए 16 नवम्बर, 2011 को शास्ति आदेश जारी कर दिए। तत्पश्चात, आरोपित अधिकारी–। द्वारा दायर किए गए मूल आवेदन संख्या 3794/2012 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 के निर्णय के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी ने मामले पर पुनर्विचार किया और 02 जुलाई, 2015 को नवीन आदेश जारी किया जिसमें आरोपित अधिकारी–। को आरोप मुक्त किया और 25 सितम्बर, 2002 के आरोप ज्ञापन को वापिस लिया गया।

3. आरोपित अधिकारी–।। (अधीक्षक अभियंता) के विरूद्ध आरोप की निम्नलिखित मदों के लिए 2 जनवरी, 2003 को एक दीर्घ शास्ति आरोप पत्र जारी किया गया था।

मद–। : आरोपित अधिकारी–।। निम्नलिखित बिंदुओं पर विवेचनात्मक रूप से ध्यान देने में असफल रहे।

I. निविदाओं की बिक्री के लिए तारीख को 19.12.2001 से बढ़ाकर 24.12.2001 करने के कारण।

II. निविदा बक्से का तथाकथित रूप से जलना।

III. निविदाओं की प्राप्ति के लिए निर्धारित समय अर्थात दिनांक 27.12.2001 को दोपहर 3.00 बजे से पहले प्राप्त और डाक द्वारा प्राप्त की गई निविदाओं को अनदेखा करना; निविदा प्राप्त करने की तारीख को 27.12.2001 से बढ़ाकर 19.01.2002 करना और

IV. निविदाकारों द्वारा विभाग से उनकी निविदाओं पर विचार करने का अनुरोध किए जाने के अगले ही दिन अपनी निविदाएं वापिस लेना (जो कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में पहले ही दिनांक 27.12.2001 को निविदाएं प्राप्त किए जाने के निर्धारित समय दोपहर 3.00 बजे से पूर्व दोपहर 1.20 बजे प्राप्त हो चुकी थी)।

इन सब कारणों से उक्त चार निर्माण कार्यों की निविदाओं का पूलन करना सुविधाजनक बना। कार्यपालक इंजीनियर द्वारा उक्त चार निर्माण कार्यों के लिए पूल की गई निविदाओं के संबंध में टिप्पणियों के साथ सामग्री और श्रम की दरों और अन्य विवरण की एक प्रति मुख्य अभियंता को भेजी गई जिसकी एक प्रति आरोपित अधिकारी–।। को दी गई थी और आरोपित अधिकारी–।। ने इसे मुख्य अभियंता को उक्त चारों निर्माण कार्यों के संबंध में सबसे कम दरों वाले निविदाकारों से मोलभाव करने के लिए अग्रेषित किया जिन्हें एकत्रित किया गया और अनुपयुक्त रूप से उच्च दरें उद्धृत करवाई और उनको मंजूरी के लिए केन्द्रीय निर्माण बोर्ड को अग्रेषित किए जाने की अनुशंसा की।

मद–।।: उन्होंने 3,24,91,785/–रू. की वित्तीय विवक्षाओं वाली उक्त पूल की गई निविदाओं को अस्वीकार किए जाने की अनुशंसा नहीं की और उक्त चारों निर्माण कार्यों, (जैसा मद–। में वर्णित है) के लिए मोलभाव करने के बाद निविदाओं को मंजूरी दिए जाने की अनुशंसा करके उच्चतर प्राधिकारियों को भ्रमित किया और उन्होंने ऐसा इस तथ्य की जानकारी होते हुए किया कि उन बोलियों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी (जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया) जिनका पूलन किया गया था और जिनमें उसी परिसर में स्वीकृत दो समान निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त की गई अनुमानित लागत से 25.84% और 18.35% अधिक दरों की तुलना में अनुमानित लागत से क्रमशः 40.61%, 42.59%, 42.66% और 45.58% अधिक दरें उद्धृत की गई थी और इस प्रकार संगत प्रावधानों के उल्लंघन में मदद की।

उपर्युक्त चार बड़े निर्माण कार्यों की निविदाओं की कुल अनुमानित राशि 12,87,17,577/–रू. थी। निविदाओं का पूलन किया गया था और उनमें अनुचित रूप से अधिक दरें उद्धृत की गई थी। आरोपित अधिकारी–।। ने बातचीत करने के बाद उच्चतर प्राधिकारियों को अनुचित रूप से अधिक दरों वाली निविदाओं को मंजूर करने के लिए भ्रमित करने का प्रयास किया, जिसमें बड़ी वित्तीय विवक्षा सम्मिलित थी और जिसके परिणामस्वरूप सरकार को बड़ी हानि हो सकती थी।

अतः, आरोपित अधिकारी–।। पूर्ण सत्यनिष्ठा बरतने में असफल रहे और उन्होंने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव का प्रदर्शन किया और इस प्रकार, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(i) एवं (ii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

3.1 आरोपित अधिकारी–।। ने आरोपों का खंडन किया और उनके विरूद्ध नियमित जांच का आदेश दिया गया। जांच अधिकारी ने आरोप की दोनों मदों को 'सिद्ध नहीं' पाया। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच के निष्कर्षों से असहमत हुए और अनुशासनिक प्राधिकारी के असहमति ज्ञापन के साथ जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित अधिकारी–।। को अग्रेषित की गई और उनका अभ्यावेदन मांगा गया। आरोपित अधिकारी–।। के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोपों को

आंशिक रूप से सिद्ध पाया और आरोपित अधिकारी–।। पर उपयुक्त शास्ति अधिरोपित किए जाने के अनंतिम निर्णय के साथ मामले को परामर्श के लिए फरवरी, 2010 को आयोग को भेजा गया।

3.2 आरोपित अधिकारी–।। के मामले में, आयोग ने पाया कि असंगत पैटर्न और ठेकेदारों के बीच प्रत्यक्ष सांठ–गांठ, जो उनके द्वारा उद्धृत दरों से स्पष्ट थी, के बावजूद आरोपित अधिकारी–।। ने मुख्य अभियंता को की गई अपनी अनुशंसाओं में इस तथ्य का वर्णन नहीं किया कि निविदाओं का प्रबंधन/पूलन किया गया था। इस संबंध में निविदाओं द्वारा उद्धृत किए गए आंकड़ों से प्रस्तुत की गई दरों में असंगत पैटर्न स्पष्ट होता है और यह ठेकेदारों के बीच पूलन के लिए की गई सांठ–गांठ को स्पष्ट करता है। आरोपित अधिकारी–।। जैसे अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी से, जो अधीक्षक अभियंता के पद पर कार्यरत हो, यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात के प्रति सचेत रहे कि निविदाओं का पूलन किया गया था। इन निविदाओं को जमा किए जाने के बाद की घटनाओं, जिनमें एक अंशतः जला हुआ निविदा बक्सा भी सम्मिलित था, भी इस बात का स्पष्ट सूचक हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक दरें आमंत्रित करने का पूरा प्रयास असफल रहा और परिणामस्वरूप निविदा संबंधी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। इस स्थिति में, अधीक्षक अभियंता के नाते, आरोपित अधिकारी–।। द्वारा उठाया जाने वाला उपयुक्त कदम यह होना चाहिए था कि वे सभी निविदाओं को सीधे–सीधे अस्वीकार किए जाने और यह सुनिश्चित करने की अनुशंसा करने के बाद में फिर से निविदाएं आमंत्रित करने की पहले हुई घटनाएं दोबारा न हों और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक भागीदारों को निष्पक्ष वातावरण में उपयुक्त अवसर उपलब्ध हो। जिस तरह से भागीदारों ने निविदाओं का पूलन किया था, उसके मद्देनज़र मुख्य अभियंता के समक्ष यह अनुशंसा किए जाने का कोई औचित्य नहीं था कि वे निविदाकारों से बातचीत करें क्योंकि ऐसा प्रयास सार्थक नहीं होता। अतः, यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपित अधिकारी–।। ने इस तरह से पूलन की गई निविदाओं की मुख्य अभियंता के समक्ष अनुशंसा करने में जानबूझकर लापरवाही बरती।

3.3 मद–।। के संबंध में आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी–।। के विरूद्ध आरोप यह है कि उन्होंने 3,24,91,785/–रू. की वित्तीय विवक्षाओं वाली उक्त पूल की गई निविदाओं को अस्वीकार किए जाने की अनुशंसा नहीं की और उक्त निर्माण कार्यों के लिए मोलभाव करने के बाद निविदाओं को मंजूरी दिए जाने की अनुशंसा करके उच्चतर प्राधिकारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया और उन्होंने ऐसा इस तथ्य की जानकारी होते हुए किया कि उन बोलियों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी (जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया) जबकि उसी परिसर में हाल ही में हुए दो समान निर्माण की दरों की तुलना में अनुचित रूप से अधिक दरें उद्धृत की गई थी। आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी–।। ने मोलभाव करने के बाद बड़ी वित्तीय विवक्षाओं वाली निविदाओं को अनुचित रूप से अधिक दरों पर स्वीकार किए जाने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया। अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपित अधिकारी ने पूलन की गई निविदाओं को अस्वीकार किए जाने की अनुशंसा नहीं की। तथापि, चूंकि केन्द्रीय निर्माण बोर्ड ने सभी निविदाओं को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए सरकार को कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुंची। अतः, इस आरोप को इस सीमा तक अंशतः सिद्ध पाया गया कि आरोपित अधिकारी ने पूलन की गई निविदाओं को अस्वीकार किए जाने की अनुशंसा नहीं की थी।

3.4 अपने निष्कर्षों के मद्देनज़र, आयोग ने मद–। को इस सीमा तक अंशतः सिद्ध पाया कि उन्होंने बातचीत करने के बाद पूलन की गई निविदाओं को मंजूरी के लिए केन्द्रीय निर्माण बोर्ड को अग्रेषित करने के लिए मुख्य अभियंता से अनुशंसा की और मद–।। को इस सीमा तक अंशतः सिद्ध पाया कि उन्होंने पूलन की गई निविदाओं को अस्वीकार किए जाने की अनुशंसा नहीं की। आयोग ने आरोपित अधिकारी–।। पर 'उनके समय वेतनमान में दो वर्ष की अवधि के लिए असंचयी प्रभाव से एक स्तर नीचे की कटौती की शास्ति, जिसका उनकी पेंशन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, अधिरोपित किए जाने का परामर्श दिया। आयोग का परामर्श 31 मई, 2011 को अनुशासनिक प्राधिकारी को संसूचित कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी ने आयोग की सलाह मानते हुए 21 दिसम्बर, 2011 को शास्ति आदेश जारी कर दिए। तत्पश्चात, आरोपित अधिकारी–।। द्वारा दायर किए गए मूल आवेदन संख्या 813/2012 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 29 नवम्बर, 2012

के निर्णय के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी ने मामले पर पुनर्विचार किया और 01 जुलाई, 2015 को नवीन आदेश जारी किया जिसमें आरोपित अधिकारी को आरोप मुक्त किया गया और दिनांक 02.01.2003 के आरोप–ज्ञापन को वापिस लिया गया।

4. आरोपित अधिकारी–।।। (अधीक्षक अभियंता) के विरूद्ध आरोप की निम्नलिखित मदों के लिए 02 जनवरी, 2003 को एक दीर्घ शास्ति आरोप–पत्र जारी किया गया था :

मद–। :आरोपित अधिकारी–।।। निम्नलिखित बिंदुओं पर विवेचनात्मक रूप से ध्यान देने में असफल रहे

I. निविदाओं की बिक्री के लिए तारीख को 19.12.2001 से बढ़ाकर 24.12.2001 करने के कारण

II. निविदा बक्से का तथाकथित रूप से जलना।

III. निविदाओं की प्राप्ति के लिए निर्धारित समय अर्थात दिनांक 27.12.2001 को दोपहर 3.00 बजे से पहले और डाक द्वारा प्राप्त की गई निविदाओं को अनदेखा करना; निविदा प्राप्त करने की तारीख को 27.12.2001 से बढ़ाकर 19.01.2002 करना और

IV. निविदाकारों द्वारा विभाग से उनकी निविदाओं पर विचार करने का अनुरोध किए जाने के अगले ही दिन अपनी निविदा वापिस लेना (जो कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में पहले ही दिनांक 27.12.2001 को निविदाएं प्राप्त किए जाने के निर्धारित समय दोपहर 3.00 बजे से पूर्व दोपहर 1.20 बजे प्राप्त हो चुकी थी)।

इन सब कारकों से उक्त निर्माण कार्यों की निविदाओं का पूलन करना सुविधाजनक हुआ। उक्त चार निर्माण कार्यों में से तीन के लिए पूलन की गई निविदाएं, जो आरोपित अधिकारी–।।। को कार्यपालक अभियंता से सामग्री और श्रम की दरों और अन्य विवरण के साथ प्राप्त हुई थी, उनके द्वारा मुख्य अभियंता (आरोपित अधिकारी–।) को बातचीत करने और उसके बाद मंजूरी के लिए केन्द्रीय निर्माण बोर्ड को भेजे जाने के लिए प्रस्तुत की गई थी।

मद–।। : उन्होंने 2,15,42,820/–रू. की बड़ी वित्तीय विवक्षा वाली पूलन की गई निविदाओं को अस्वीकार किए जाने की अनुशंसा नहीं की और बातचीत करने और तत्पश्चात निविदाओं को मंजूरी के लिए केन्द्रीय निर्माण बोर्ड को अग्रेषित किए जाने की अनुशंसा करके उच्च प्राधिकारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया और उन्होंने ऐसा इस तथ्य की जानकारी होते हुए किया कि बोली में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी क्योंकि निविदाओं का अनुचित रूप से अधिक दरों पर पूलन किया गया था जिनमें हाल ही में उसी परिसर में अनुमानित लागत से 25.84% और 18.35% अधिक दर पर हुए दो समान कार्यों की अपेक्षा अनुमानित लागत से क्रमशः 40.61%, 42.59% और 45.58% अधिक दरें निम्नतम दरों के रूप में उद्धृत की गई थी जैसा कि अधीक्षक अभियंता ने अपने दिनांक 12.02.2002 के पत्र में स्पष्ट किया था और आरोपित अधिकारी–।।। ने मुख्य अभियंता को संबोधित अपनी टिप्पणियों में उल्लेख किया था, और इस प्रकार संगत प्रावधानों का उल्लंघन सुकर हुआ।

उक्त तीन बड़े निर्माण कार्यों की निविदाओं की कुल अनुमानित राशि 9,72,03,896/–रू. थी। उक्त कार्यों की निविदाओं का पूलन किया गया था और अनुचित रूप से अधिक दरें उद्धृत की गई थीं। निविदाओं को अस्वीकार किए जाने की अनुशंसा न करके आरोपित अधिकारी–।।। ने मोलभाव करने के बाद उच्चतर प्राधिकारियों को अनुचित रूप से अधिक दरों वाली निविदाओं को मंजूर करने के लिए भ्रमित करने का प्रयास किया जिसमें बड़ी वित्तीय विवक्षा सम्मिलित थी और जिसके परिणामस्वरूप सरकार को बड़ी हानि हो सकती थी।

अतः आरोपित अधिकारी–।।। पूर्ण सत्यनिष्ठा बरतने में असफल रहे और कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव का प्रदर्शन किया और इस प्रकार, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(i) एवं (ii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

4.1 आरोपित अधिकारी–।।। ने आरोपों का खंडन किया और उनके विरूद्ध नियमित जांच का आदेश दिया गया। जांच अधिकारी ने आरोप की दोनों मदों को 'सिद्ध नहीं' पाया। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच के निष्कर्षों से असहमत हुए और अनुशासनिक प्राधिकारी के असहमति

ज्ञापन के साथ जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित अधिकारी–।।। को अग्रेषित की गई और उनका अभ्यावेदन मांगा गया। आरोपित अधिकारी–III के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी ने माना कि उनके द्वारा की गई गलतियां 'जानबूझकर की गई चूक' है क्योंकि आरोपित अधिकारी निविदाओं को अस्वीकार किए जाने की अनुशंसा करने में असफल रहे जबकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि निविदाओं की पूलिंग हुई थी जिसमें बड़ी वित्तीय विवक्षाएं शामिल थीं। आरोपित अधिकारी–।।। पर उपयुक्त शास्ति अधिरोपित किए जाने के अनंतिम निर्णय के साथ फरवरी, 2010 में मामले को आयोग के परामर्श के लिए भेजा गया।

4.2 आरोपित अधिकारी–III के मामले में, आयोग ने पाया कि तारीखों को बढ़ाने अथवा निविदा प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण में आरोपित अधिकारी की कोई भूमिका नहीं थी। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उस समय केवल पुनर्निर्धारण करना ही उपयुक्त प्रतीत हो रहा था और उचित दरों की जांच के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में निविदा पहुंचने के पश्चात ही आरोपित अधिकारी–III की भूमिका प्रारंभ होती है। आयोग ने यह पाया है कि मुख्य अभियंता के कार्यालय में निविदाओं की विस्तृत जांच में, आरोपित अधिकारी–III ने कहीं भी स्पष्ट रूप से सिफारिशें नहीं की थी, अपितु उन्होंने मुख्य अभियंता द्वारा अवलोकन हेतु केवल विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उक्त ठेकेदारों द्वारा उल्लिखित विसंगतियों और अनिश्चित दरों के पैटर्न से यह स्पष्ट था कि निविदाओं को जमा किया गया था और इसमें ठेकेदारों के बीच मिलीभगत का संकेत मिलता है। आरोपित अधिकारी–III निविदाओं की पूरी तरह से अस्वीकृति का सुझाव देने में असफल रहा जो कि उनके स्वयं के कथन अनुसार सरसरी नज़र में जमा किए गए थे। इस प्रकार, आरोपित अधिकारी–III की ओर से चूक की गई थी और आयोग द्वारा आरोप का यह मद आंशिक रूप से साबित हुआ माना गया।

4.3 जहां तक मद–II का संबंध है, मामले में, आयोग ने यह पाया कि मद–II, मद–I का ही विस्तार है। आरोपित अधिकारी ने मुख्य अभियंता को निविदाओं को पूरी तरह से अस्वीकृत करने का सुझाव नहीं दिए जाने के कारण यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया कि निविदाओं को जमा किया गया था। तथापि, चूंकि प्रथम बोली में प्राप्त सभी निविदाओं को केन्द्रीय निर्माण बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए सरकार को कोई हानि नहीं हुई। इसलिए, आयोग द्वारा आरोप का यह मद इस सीमा तक आंशिक रूप से साबित हुआ माना गया कि इस तथ्य की जानकारी के बावजूद कि निविदाओं को जमा किया गया था और बोली में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, आरोपित अधिकारी–III ने मुख्य अभियंता को सौदा तय करने और निविदा को स्वीकृति हेतु केन्द्रीय निर्माण बोर्ड को अग्रेषित करने की सिफारिश की थी। उनके निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने परामर्श दिया कि आरोपित अधिकारी–III पर 'बिना संचयी प्रभाव के अगस्त, 2011 तक वेतन समयमान में एक स्तर तक की कटौती जिससे उनकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न हो' की शास्ति अधिरोपित की जाए। अनुशासनिक प्राधिकारी को दिनांक 31 मई, 2011 को आयोग के परामर्श के संबंध में सूचित किया गया था। आयोग के परामर्श को स्वीकार करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने 11 अगस्त, 2011 को शास्ति आदेश जारी कर दिए। इसके पश्चात, आरोपित अधिकारी–III द्वारा दायर मूल आवेदन सं. 540/2013 में कैट, प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 के निर्णय के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले पर दोबारा विचार किया गया और दिनांक 02 जुलाई, 2015 को नया आदेश जारी किया जिसके जरिए आरोपित अधिकारी–III को दोषमुक्त किया गया और दिनांक 02.01.2003 का आरोप ज्ञापन वापस लिया गया।

5. सभी तीनों मामलों में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ में आयोग के परामर्श को स्वीकार किया गया और दिनांक 16 नवम्बर, 2011, 21 दिसम्बर, 2011 और 11 अगस्त, 2011 के संबंधित शास्ति आदेशों के जरिए इसे लागू किया गया था। इसके पश्चात, आवेदकों द्वारा दायर किए गए मूल आवेदनों में कैट के निर्णयों के अनुपालन में, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया गया और आरोप वापस लेने के संबंध में आदेश जारी किए गए और तीनों आरोपित अधिकारियों को दोषमुक्त किया गया। जहां तक तीनों मामलों में कैट के निर्णय का संबंध है, आयोग ने पाया कि मामले पर फैसला लेते समय कैट ने न तो मामले के गुण–दोष पर विचार किया और न ही आयोग के परामर्श पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी दी है। कैट ने मामले को खारिज किया और केवल

प्रक्रियात्मक आदेशों, अर्थात आरोपित अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट की प्रति के साथ–साथ पूर्व के अंतिम आदेशों को जारी करते समय जांच रिपोर्टों के साथ अनुशासनिक प्राधिकारी का असहमति ज्ञापन प्राप्त नहीं होने, के आधार पर पूर्व के शास्ति आदेशों को अपास्त कर दिया।

6. आरोपित अधिकारियों को दोषमुक्त करने के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2015 (आरोपित अधिकारी–I) के संबंध में और दिनांक 02 जुलाई, 2015 (आरोपित अधिकारी–II एवं आरोपित अधिकारी–III) के संबंध में नए आदेश संबंधित मामलों में आयोग द्वारा दिए गए परामर्शों के विपरीत थे। आयोग ने आगे यह पाया कि मामलों पर अंतिम निर्णय लेते समय, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से असहमति के लिए संगत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने नए अंतिम आदेश जारी करते समय न तो मामले से संबंधित नए तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग को उनके पूर्व परामर्श पर पुनर्विचार करने और न ही संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से असहमति को सुलझाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए मामले को संदर्भित किया। यह मामला शहरी विकास मंत्रालय के ध्यानार्थ लाया गया जिन्होंने अपने प्रत्युत्तर में यह तर्क दिया कि माननीय कैट के निर्णयों के पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी के नए निष्कर्ष पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पुनर्विचार किए जाने के बाद दिए गए परामर्श के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित अधिकारियों को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया। शहरी विकास मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अनुशासनिक प्राधिकारी को केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परामर्श लेने का सुझाव दिया था परंतु संघ लोक सेवा आयोग का नहीं और चूंकि सभी तीनों मामलों में माननीय कैट के आदेशों के अनुसार मामले पर नए सिरे से विचार किया गया था, इसलिए वास्तव में इन मामलों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.12.2006 के का.ज्ञा. में निर्धारित प्रक्रिया लागू नहीं होती है।

7. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.12.2006 के का.ज्ञा. के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी के तर्कों की जांच की गई थी और उन्हें अस्वीकार्य पाया गया क्योंकि (यद्यपि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बाद में आरोपित अधिकारियों को दोषमुक्त करने का परामर्श दिया गया था) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह मत है कि संबंधित मामले में उनके द्वारा पूर्व में की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार होना चाहिए, जो कि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के अनुरूप है, तो प्रशासनिक मंत्रालय को इस मामले को पुनर्विचार हेतु संघ लोक सेवा आयोग को संदर्भित करना चाहिए था अथवा उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विशिष्ट रूप से असहमति बताते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त करना चाहिए था।

चूंकि सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन मामलों को आयोग के परामर्श को अस्वीकृत करने के रूप में माना गया है।

(IV)

रेल मंत्रालय के सेवानिवृत्त सीनियर सेक्शन इंजीनियर के विरूद्ध प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही :

आरोप की निम्नलिखित मदों के अनुसार दिनांक 20 जनवरी, 2003 को एक सेवानिवृत्त सीनियर सेक्शन इंजीनियर/सिग्नल (सी), जालंधर, उत्तर रेलवे के विरूद्ध दीर्घ शास्ति कार्यवाही प्रारंभ की गई थी:–

वर्ष 2002–2003 की अवधि के दौरान एसएसई/सिग्./कांस्ट./जेयूसी के तौर पर कार्य करने के दौरान आरोपित अधिकारी ने इस प्रकार गंभीर कदाचार किया :

मद I : एसएसई/सिग्./कांस्ट./जेयूसी के भंडार में जांच के दौरान, 12.64 लाख रु. तक की अधिक सामग्री और 9.64 लाख रु. तक की सामग्री कम पाई गई।

मद II : आरोपित अधिकारी ने खातों की अधूरी सूची प्रस्तुत करके सतर्कता दल को जानबूझकर गुमराह किया। उन्होंने तीन अघोषित खातों एल–19, एल–21 और एल–24 को तब तक अपने पास रखा जब तक कि खाता शेष और प्रत्यक्ष शेष की तुलना करने पर उन्हें स्टॉक में

बहुत बड़े अंतर की जानकारी नहीं हो गई। उन्होंने बाद में इन खातों में प्रविष्टियां की थीं।

मद III : आरोपित अधिकारी ने दिनांक 30.07.2002 को प्रत्यक्ष शेष की सही स्थिति प्रस्तुत नहीं की थी। जब स्टॉक में अंतिम अंतर उन्हें मालूम था तब उन्होंने 12 कोर केबल के 9 ड्रम कुल 4500 मीटर और 20 कोर केबल के 2 ड्रम कुल 994 मीटर दिनांक 03.12.2002 तक बेहिसाब रखे।

भूलचूक के उपर्युक्त कृत्यों द्वारा, आरोपित कर्मचारी सम्पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने में विफल रहे, उन्होंने ड्यूटी के प्रति समर्पण में कमी दर्शाई और एक रेलवे कर्मचारी के रूप में अशोभनीय कार्य किया, इस प्रकार उन्होंने रेलवे सेवा (आचरण) नियमावली, 1966 के नियम 3 (1) (i), (ii) और (iii) का उल्लंघन किया।

2. चूंकि आरोपित अधिकारी ने आरोपों से इंकार किया, इसलिए मामले को विभागीय जांच के लिए भेजा गया था। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में तीनों मदों को सिद्ध हुआ माना। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच निष्कर्षों को स्वीकार किया और जांच रिपोर्ट की प्रति आरोपित अधिकारी के अभ्यावेदन हेतु अग्रेषित की। जांच रिपोर्ट के प्रति आरोपित अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, अनुशासनिक प्राधिकारी ने जनवरी, 2009 में आरोपित अधिकारी की पेंशन में कटौती लागू करने के अनंतिम निर्णय के साथ मामले को परामर्श हेतु आयोग को अग्रेषित किया।

3. आयोग ने, मामले पर विचार करने के पश्चात, यह पाया कि मद–I के संबंध में आरोपित अधिकारी ने तर्क दिया कि सामग्री की कमी और अधिकता के लिए भंडार क्लर्क जिम्मेदार थे। तथापि, रेलवे के सिग्नल एवं टेलीग्राफ (एस एंड टी) डिवीजन में, वरिष्ठ अधीनस्थ (आरोपित अधिकारी) भंडार, खातों और संबद्ध रिकार्ड के संरक्षक थे और उनसे अपेक्षित था कि वे इन्हें अपने संरक्षण में रखें न कि भंडार क्लर्क या किसी अन्य व्यक्ति के पास। संगत खातों में सामग्री के निर्गम और प्राप्ति को सही प्रकार से लेखबद्ध करना आरोपित अधिकारी की प्रथम जिम्मेदारी थी। खाते में प्रत्येक प्रविष्टि और खातों को सही रूप में दर्शाने हेतु उस पर प्रभारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसलिए, प्रविष्टि संबंधी त्रुटियों को आरोपित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने के प्रारंभिक चरण में ही जांच लेना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो गलत प्रविष्टि संबंधी त्रुटियों को हस्ताक्षर करते समय अनदेखा किया गया था या प्रविष्टियों पर बाद में एक साथ हस्ताक्षर किए गए। आरोपित अधिकारी का यह तर्क स्वीकार्य नहीं पाया गया कि मार्च, 2002 से प्रविष्टियां अधिक समय तक लंबित होने के कारण कमियां हुई थीं क्योंकि प्रविष्टियों को दैनिक आधार पर ही पूरा किया जाना चाहिए था और यदि कमी अथवा अधिकता इस कारण थी, तो प्रभारी होने की वजह से वे इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी थे। यह पाया गया कि उस अवधि के दौरान भंडार क्लर्क स्वीकृत अवकाश पर था। ऐसी स्थिति में, आरोपित अधिकारी का यह कर्तव्य था कि भंडार क्लर्क को ऐसी लंबी अवधि के लिए अवकाश पर जाने हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व उनसे खाते वापस ले लें। यह एक सामान्य परंपरा है कि जब भी कोई कर्मचारी लंबी अवधि के लिए अवकाश पर जाता है तो उसके पास रखे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उससे वापस ले लिए जाते हैं और यहां तक कि अलमारी की चाबियां भी प्रभारी अधिकारी के पास रखी जाती हैं ताकि कार्यालय का काम सुचारु रूप से हो सके। इसलिए, भंडार की कमी एवं अधिकता के लिए आरोपित अधिकारी उत्तरदायी था।

3.1 मद–II के अंतर्गत यह आरोप था कि आरोपित अधिकारी ने खातों की अधूरी सूची प्रस्तुत करके और तीन अघोषित खातों को अपने पास रखकर सतर्कता दल को जानबूझकर गुमराह किया। उन्होंने इन तीन अघोषित रजिस्टरों को तब तक जमा नहीं किया जब तक कि खाता शेष और प्रत्यक्ष शेष की तुलना करने पर उन्हें स्टॉक में बहुत बड़े अंतर की जानकारी नहीं हो गई। इस संबंध में आयोग ने आरोपित अधिकारी के इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया कि इन खातों को छिपाने का उनका कोई इरादा नहीं था, ये खाते इसलिए शामिल नहीं किए जा सके क्योंकि ये उस भंडार क्लर्क की अलमारी में बंद थे जो अवकाश पर था और इसके अतिरिक्त, एस एंड टी, वरिष्ठ अधीनस्थ (आरोपित अधिकारी) भंडार, खातों और संबद्ध रिकार्डों के संरक्षक होने के कारण खातों में कोई प्रविष्टि इसलिए नहीं की गई क्योंकि सम्पूर्ण विवरण भंडार क्लर्क के पास थे। आयोग ने यह भी पाया कि आरोपित अधिकारी प्रभारी थे और रिकार्डों को अपने व्यक्तिगत संरक्षण में रखना, न कि किसी अन्य व्यक्ति के पास रखना,

उनका कर्तव्य था। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि ये खाते भंडार क्लर्क, जोकि अवकाश पर थे, द्वारा रखे गए थे, तब भी आरोपित अधिकारी को प्रभारी होने के कारण उन्हें इतने लंबे अवकाश हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व उनसे खाते ले लेने चाहिए थे। यह भी पाया गया कि भंडार क्लर्क द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी, न तो सतर्कता विभाग को तत्काल ही इन खातों के अपने पास होने के संबंध में जानकारी दी गई और न ही लेनदेन, यदि कोई हो, का उल्लेख दिनांक 13.08.2002 की विवरणी में किया गया। इन खातों की उपलब्धता केवल दिनांक 03.12.2002 की विवरणी में तब दर्शाई गई, जब उन्हें स्टॉक में अंतर के विषय में जानकारी का पता चला। इसलिए, आयोग ने यह पाया कि आरोपित अधिकारी के दुर्भावनापूर्ण इरादे और अकुशल कार्य से इंकार नहीं किया जा सकता।

3.2 मद–III के अंतर्गत आरोप था कि आरोपित अधिकारी ने कोर केबल के ड्रमों की सही स्थिति प्रस्तुत नहीं की और उन्होंने दिनांक 03.12.2002 तक कोर केबल के ड्रमों को तब तक हिसाब में नहीं लिया जब तक कि उन्हें स्टॉक में अंतिम अंतर की जानकारी नहीं हुई। आरोपित अधिकारी ने कहा कि प्रत्यक्ष शेष प्रस्तुत करते समय उन्हें इन ड्रमों का पता नहीं लगा था क्योंकि वह भंडार में अन्य सामग्रियों के ढेर में पड़े थे। आयोग ने आरोपित अधिकारी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया क्योंकि सिग्नलिंग स्टोर में केबल ड्रम सबसे बड़े आकार के होते हैं और इसलिए वे अन्य छोटी सामग्रियों के ढेर में दबे नहीं रह सकते हैं। आयोग ने यह पाया कि आरोपित अधिकारी द्वारा दिनांक 21.07.2002 और 13.08.2002 की विवरणी में नहीं दर्शाए जाने का तथ्य संदेह उत्पन्न करता है। आरोपित अधिकारी ने उनकी उपलब्धता दिनांक 03.12.2002 को तब घोषित की जब स्टॉक में अंतिम अंतर की उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। चूंकि सभी प्रविष्टियां भंडार क्लर्क की लिखावट में थीं, इसलिए प्रविष्टि के समय संभावित हेरफेर से इंकार नहीं किया जा सकता। संभावना की प्रबलता के आधार पर आरोप की यह मद सिद्ध साबित हुई।

3.3 उनकी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में तभी न्याय हो सकेगा जब पांच वर्ष की अवधि के लिए आरोपित अधिकारी की मासिक पेंशन के 20% को रोकने और उपदान को पूर्णतः जब्त करने की शास्ति अधिरोपित की जाए। 22 जुलाई, 2009 में आयोग के परामर्श की जानकारी अनुशासनिक प्राधिकारी को दी गई। आयोग के परामर्श को स्वीकार करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 12 अक्तूबर, 2009 को शास्ति आदेश जारी कर दिए।

4. शास्ति से व्यथित होने पर, आरोपित अधिकारी ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली में मूल आवेदन सं.1134/2010 दायर किया। अधिकरण ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 के अपने निर्णय में यह पाया कि शास्ति आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.के. कपूर [(2011) 4 एस सी सी 589] के मामले में निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं था। कैट ने दिनांक 12 अक्तूबर, 2009 के शास्ति आदेश को रद्द और अपास्त कर दिया और यह आदेश दिया कि आवेदक संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श का उत्तर दे सकते हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात सक्षम अधिकारी उपयुक्त आदेश पारित कर सकते हैं। इसके बाद कैट के निर्णय के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया गया और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 19 जुलाई, 2016 को आरोपित अधिकारी को अन्यथा ग्राह्य मासिक पेंशन के 5% को छः माह तक रोकने की शास्ति अधिरोपित की तथा उनको ग्राह्य उपदान राशि जारी करने के नए आदेश जारी किए।

5. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम शास्ति आदेश आयोग के परामर्श के विपरीत था। यह पाया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की गई शास्ति सक्षम प्राधिकारी को असंगत रूप से कठोर प्रतीत हुई और यह पाया गया कि आरोपित अधिकारी वास्तव में अपने पर्यवेक्षीय कर्तव्यों का अनुपालन करने में विफल रहा परंतु उनकी विफलता 'गंभीर लापरवाही दर्शाती है न कि वह कदाचार की श्रेणी में' आती है। यह देखा गया कि जब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श किया गया, तो वे भी अनुशासनिक प्राधिकारी के शास्ति को कम करने के मत से सहमत थे।

6. चूंकि सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुकूल नहीं था, इसलिए इसे आयोग के परामर्श को स्वीकार न करने वाले मामले के रूप में माना गया है।

(V)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी के विरूद्ध सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत कार्रवाई।

आरोप की निम्नलिखित मद पर डिवीजनल इंजीनियर, गोवा जो बाद में सहायक महाप्रबंधक महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के तौर पर तैनात थे, के विरूद्ध 2 दिसम्बर, 2005 को सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति कार्यवाही प्रारंभ की गई।

वर्ष 1999–2001 की अवधि के दौरान, डिवीजनल इंजीनियर (योजना), गोवा के तौर पर कार्य करने के दौरान, आरोपित अधिकारी ने सर्किल के महाप्रबंधक (टी) और उप वित्तीय सलाहकार के साथ मिलीभगत द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली/खुली निविदा आमंत्रित किए बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज प्राप्त किए और कार्य को जीएमटी की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत लाने हेतु कार्य के ऑर्डर का विभाजन भी किया जिससे विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं हो सकीं।

उक्त कृत्य द्वारा, आरोपित अधिकारी सम्पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने, ड्यूटी के प्रति समर्पण में विफल रहे और उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अशोभनीय कार्य किया, इस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 (1) (i), (ii) और (iii) का उल्लंघन किया।

2. आरोपित अधिकारी ने इस आरोप से इंकार किया और मामले को विभागीय जांच के लिए भेजा गया। जांच अधिकारी ने आरोपित अधिकारी के विरूद्ध इस आरोप को आंशिक रूप से सिद्ध माना, परंतु अनुशासनिक प्राधिकारी (डीए) जांच के निष्कर्षों से असहमत थे और उन्होंने इस आरोप को पूर्णतः सिद्ध माना। जांच रिपोर्ट के साथ असहमति ज्ञापन की एक प्रति आरोपित अधिकारी को अग्रेषित की गई और उनका अभ्यावेदन मांगा गया। आरोपित अधिकारी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात, आरोपित अधिकारी पर उपयुक्त शास्ति लागू करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के अनंतिम निर्णय सहित मार्च, 2011 में आयोग के परामर्श हेतु मामले को संदर्भित किया गया।

3. मामले का विस्तृत विश्लेषण करने पर, आयोग ने पाया कि गोवा दूरसंचार जिले के स्वचालन के लिए एक दूरसंचार कंपनी से तीन परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और इन्हें आरोपित अधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। ये तीनों प्रस्ताव निम्नलिखित के स्वचालन हेतु प्रस्तुत किए गए थे : (1) सामग्री प्रबंधन अनुभाग (2) लेखा अनुभाग और (3) योजना एवं आकलन अनुभाग। यद्यपि उक्त कंपनी द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सिस्टम हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दरों का विवरण दिया गया था, फिर भी आरोपित अधिकारी ने केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खरीदने का प्रस्ताव दिया। जब मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा यह टिप्पणी की गई कि लागत प्रतिस्पर्धी नहीं है, तो महाप्रबंधक (टी) ने केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खरीदने (जैसा कि आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया गया था) और कीमत कम करने के लिए मोल भाव समिति गठित करने का निर्देश दिया। कंपनी के प्रतिनिधि से बातचीत के बाद, तीनों अनुभागों के लिए मूल्य कम कर दिया गया और समिति ने कार्यवृत्त प्रस्तुत किया और यह उल्लेख किया कि बातचीत द्वारा तय की गई दरें उचित हैं और उनके अनुमोदन की अनुशंसा की।

3.1 आयोग ने यह भी पाया कि महाप्रबंधक ने तीनों प्रस्तावों को यह तर्क देकर अलग से अनुमोदित किया कि सामग्री प्रबंधन अनुभाग के स्वचालन हेतु प्रायोगिक परियोजना से सामग्री के सृजन, खरीद और जारी करने पर नियंत्रण के कारण उचित माल–सूची नियंत्रण के साथ अधिक बचत होगी; लेखा अनुभाग के स्वचालन से व्यय पर उचित नियंत्रण और व्यय की निरंतर मानीटरिंग होगी; और यह कि लेखा अनुभाग का कंप्यूटरीकरण बजट पर नियंत्रण करने और सामग्री की सूची तैयार करने, व्यय पर विशेष ध्यान देने आदि के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह भी देखा गया कि जब निविदा आमंत्रित करने से संबंधित प्रश्न उठाया गया, तो आरोपित अधिकारी ने लिखा कि – महाप्रबंधक ने प्रायोगिक परियोजना के तौर पर अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार, आरोपित अधिकारी ने दिनांक 13.03.2000 को कार्य के लिए आदेश जारी

किया। आरोपित अधिकारी का यह तर्क कि वे जीएमटी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थे, आयोग द्वारा तर्कसंगत नहीं पाया गया क्योंकि चयन निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा और खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली आमंत्रित किए बिना नहीं किया गया था, जिससे विभाग प्रतिस्पर्धात्मक बोली से वंचित हुआ। इसलिए, निर्धारित विभागीय मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्राप्त करने के लिए निविदा आमंत्रित नहीं करने की चूक को आयोग द्वारा सिद्ध माना गया।

3.2 आरोपित अधिकारी का यह तर्क कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्वामित्व युक्त मद है (क्योंकि किसी अन्य कंपनी ने ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया था), आयोग द्वारा उचित नहीं पाया गया क्योंकि उक्त कंपनी का चयन निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा नहीं किया गया था।

3.3 जहां तक इस आरोप का संबंध है कि आरोपित अधिकारी ने कार्य को जीएमटी की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत लाने हेतु कार्य के ऑर्डर का विभाजन किया जिससे विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं हो सकीं, आयोग ने यह पाया कि तीनों स्वतंत्र मॉड्यूलों को अलग–अलग विकसित करने अथवा सभी आवश्यकताओं के लिए एक मॉड्यूल का विकास मूलतः सॉफ्टवेयर डिजाइन और उसकी तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता द्वारा संचालित था। चूंकि सामग्री प्रबंधन, लेखा और योजना एवं आकलन अनुभागों के लिए उक्त कंपनी द्वारा तीन अलग–अलग परियोजनाएं प्रस्तुत की गई थीं, और उनके लिए अलग–अलग अनुमोदन लिए गए थे, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना कठिन था कि तीनों मॉड्यूलों का इस प्रकार विभाजन किसी व्यक्तिगत लाभ अथवा समूह के हित में किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह प्रमाणित हो चुका है कि कार्य का विभाजन एक बेहतर विकल्प नहीं था। इसलिए, आरोप का यह भाग आरोपित अधिकारी के विरूद्ध सिद्ध नहीं माना गया।

3.4 उनके विश्लेषण के आधार पर आयोग का निष्कर्ष था कि आरोप का अनुच्छेद आरोपित अधिकारी के विरूद्ध अंशतः सिद्ध हुआ। आयोग ने आरोपित अधिकारी की 'अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति तक उनके वेतन के समयमान में कमी करके एक स्तर की कटौती की शास्ति' अधिरोपित करने का परामर्श दिया था। आयोग का परामर्श 29 अप्रैल, 2011 को अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजा गया। तदनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी ने 16 मई, 2011 को शास्ति आदेश जारी किया।

4. आरोपित अधिकारी ने शास्ति आदेश से व्यथित होकर माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुम्बई पीठ के समक्ष मूल आवेदन नं. 630/2011 दायर किया। अधिकरण ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2015 के निर्णय में शास्ति आदेश को खारिज करने तथा अनुशासनिक प्राधिकारी को मामला वापस भेजने का आदेश दिया ताकि अनुशासनिक प्राधिकारी रिकॉर्ड तथा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में निकाले गए निष्कर्षों के आधार मामले की दोबारा समीक्षा कर सके। इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले की दोबारा समीक्षा की तथा 5 अप्रैल, 2016 को आरोपित अधिकारी के विरूद्ध लघु शास्ति का नया आदेश जारी किया तथा आरोपित अधिकारी को बिना संचयी प्रभाव के तथा उनकी पेंशन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना 30.05.2011 तक उनके वेतन के समयमान में कमी करके एक स्तर की कटौती का आदेश दिया; 31.05.2011 को आरोपित अधिकारी का वेतन फिर बहाल हो जाएगा। यह आयोग के परामर्श के विपरीत था।

5. इस मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी ने शुरू में ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि आरोपित अधिकारी के विरूद्ध आरोप पूरी तरह से सिद्ध हैं तथा उन्हें दीर्घ शास्ति से दण्डित करना उचित होगा। इसी निष्कर्ष के साथ यह मामला आयोग को प्रेषित किया गया। परंतु आयोग ने मामले के न्यायिक विश्लेषण में यह पाया कि आरोपित अधिकारी के विरूद्ध आरोप इसी हद तक सिद्ध है कि उन्होंने निर्धारित विभागीय मानदंडों तथा प्रक्रियाओं के अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां हासिल करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की सिफारिश न करने की भूल की। अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग द्वारा सुझाई गई शास्ति को स्वीकार किया था तथा वही शास्ति अपने 16 मई, 2011 के आदेश द्वारा जारी की थी। हालांकि माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के बाद आया अनुशासनिक प्राधिकारी का 5 अप्रैल, 2016 का नया शास्ति आदेश आयोग के परामर्श से इस मामले में अलग था कि आयोग द्वारा सुझाई गई शास्ति का प्रभाव पेंशन पर पड़ता जबकि नए शास्ति आदेश का पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनुशासनिक प्राधिकारी

का कहना था कि उन्होंने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए शास्ति की अवधि को कम करके पहले की शास्ति में थोड़ा बदलाव किया है। अधिकरण का मानना था कि 16 मई, 2011 के आदेश द्वारा आरोपित अधिकारी को दी गई शास्ति संगत नहीं थी क्योंकि इससे उनकी पेंशन पर प्रभाव पड़ता जिससे उनके साथ गंभीर पक्षपात होता। अनुशासनिक प्राधिकारी ने दोबारा शास्ति देते हुए ऐसा कुछ भी ठोस तथ्य सामने नहीं रखा जो मामले की गुणवत्ता पर प्रभाव डाले तथा लघु शास्ति को न्यायसंगत ठहरा सके। दूसरी तरफ, आयोग ने परामर्श देते समय सिद्ध हुए आरोप की गम्भीरता, आरोपित अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तथा उनके सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पेंशन हित लाभ पर शास्ति के प्रभाव आदि को ध्यान में रखा था।

6. यह मामला अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने का है जबकि प्रशासनिक मंत्रालय ने भी आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए नया शास्ति आदेश जारी करने से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से विचार–विमर्श नहीं किया और यह कहा कि लघु शास्ति का आरोपित अधिकारी की पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं है। अस्वीकार्यता वाले मामलों में का. एवं. प्र. वि. संबंधित प्राधिकरण होने के कारण यह मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समक्ष लाया गया।

7. चूंकि सरकार द्वारा जारी आदेश आयोग के परामर्श के अनुकूल नहीं था, अतः इस मामले को आयोग के परामर्श की अस्वीकार्यता वाला मामला समझा गया है।

(VI)

गृह मंत्रालय के सशस्त्र सीमा बल के एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बाद में कमाण्डेंट (चिकित्सा) के रूप में सेवानिवृत्त) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

नीचे वर्णित आरोपों की मदों के आधार पर सशस्त्र सीमा बल के एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बाद में कमाण्डेंट (चिकित्सा) के रूप में सेवानिवृत्त) के विरूद्ध दीर्घ शास्ति की कार्यवाही 10 मार्च, 2008 को शुरू की गई :

(I) आरोपित अधिकारी ने प्रभागीय मुख्यालय, ईटानगर में वर्ष 1999–2000 के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत दवाईयों की खरीद/सर्वेक्षण के लिए गठित लाइन समिति के पीठाधीन अधिकारी के रूप में, आपूर्ति की गई दवाईयों पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य को बिल में दिए गए मूल्यों के साथ मेल करके नहीं देखा और उन्होंने लाइन समिति की रिपोर्ट में इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि कुछ दवाईयों की आपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी जो 'बिक्री के लिए नहीं' थीं। इस तरह उन्होंने अपने कर्त्तव्य के प्रति उपेक्षा तथा निष्ठा की कमी का प्रदर्शन किया तथा कदाचार करते हुए ऐसा कार्य किया जो एक सरकारी सेवक के पद तथा प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय था। इस तरह उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(ii) और (iii) का उल्लंघन किया।

(II) आरोपित अधिकारी ने वर्ष 1999–2000 में दवाईयों की खरीद/सर्वेक्षण के लिए गठित लाईन समिति के पीठासीन अधिकारी के रूप में आपूर्ति की गई दवाईयों को पूरी तरह वास्तविक रूप से प्राप्त किए बिना 17.01.2000 को लाईन समिति की स्वीकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस तरह उन्होंने गैर–जिम्मेदाराना तरीके से काम किया जो उनकी कर्त्तव्य के प्रति उपेक्षा तथा निष्ठा में कमी को दिखाता है। इस प्रकार उन्होंने कदाचार किया तथा एक ऐसा कार्य किया जो एक सरकारी सेवक के पद तथा प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय था। अतः, उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (ii) और (iii) के उपबंधों का उल्लंघन किया।

2. आरोपित अधिकारी द्वारा आरोपों को अस्वीकार किए जाने के बाद मौखिक जांच का आदेश दिया गया। जांच अधिकारी ने मद–I को सिद्ध पाया तथा मद–II को सिद्ध नहीं पाया। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच के निष्कर्षों से सहमत थे तथा आरोपित अधिकारी को अभ्यावेदन भेजने हेतु जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजी गई। अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोपित अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार किया तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मई, 2011 को यह मामला आयोग के परामर्श हेतु भेजा गया।

3. आयोग ने आरोप की मद–। का परीक्षण करने पर पाया कि आरोपित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित लाईन समिति ने सुस्पष्ट कमियों के होते हुए भी खरीद का समर्थन किया तथा एक स्वीकारात्मक रिपोर्ट दी। यह पाया गया कि आपूर्ति की गई दवाईयों पर वर्णित अधिकतम खुदरा मूल्य बिल में दिए गए मूल्यों से मेल नहीं खाता तथा यह काफी हद तक दवाईयों पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक था। मुख्य व्यय अनुमानतः 1.60 रू. लाख था जिसमें से आपूर्तिकर्ता ने 88,797/–रू. वापस कर दिए। यह अपने आप में पर्याप्त सबूत है कि पहले ज्यादा रकम का दावा किया गया था तथा लाइन समिति को दवाईयों की उचित संवीक्षा कर इस असंगति का पता लगाना चाहिए था। मद–। के अंतर्गत यह भी आरोप है कि सशस्त्र सीमा बल को आपूर्ति की गई दवाईयां वह थीं जिन पर ''केन्द्र सरकार के लिए आपूर्ति, बिक्री के लिए नहीं'' लिखा हुआ था। यह भी रिकॉर्ड करने लायक बात है कि आरोपित अधिकारी तथा लाइन समिति के दूसरे सदस्यों को दवाईयों का निरीक्षण करते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए था।

3.1 आयोग ने यह भी पाया है कि यह मामला पुराना है तथा यह वर्ष 1999–2000 में हुई खरीद से जुड़ा है तथा इससे संगठन को जो क्षति पहुंची, यदि कोई हो, वो काफी कम थी। आरोपित अधिकारी के स्तर पर बेईमानी जैसा कुछ नहीं था परंतु इस बात में कोई शक नहीं कि लाइन समिति को अपने परीक्षण के दौरान ज्यादा सतर्क होना चाहिए था तथा मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बिल में वर्णित मूल्य असंगति की तरफ ध्यान देना चाहिए था। आयोग ने इस आरोप की मद को सिद्ध माना है क्योंकि यह लाइन समिति के पीठासीन अधिकारी के रूप में आरोपित अधिकारी की तरफ से लापरवाही का मामला था।

3.2 जहां तक मद–।। का प्रश्न है, आयोग ने पाया कि जांच अधिकारी ने इसे सिद्ध नहीं माना है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी ने भी इसी को स्वीकार किया है। इसलिए आयोग ने इस आरोप पर विचार–विमर्श नहीं किया।

3.3 उनके विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने पाया कि यदि आरोपित अधिकारी पर 'बिना संचयी प्रभाव के तथा उनकी पेंशन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना छह माह की अवधि के लिए उनके वेतन के समयमान में कमी करके एक स्तर की कटौती' की शास्ति अधिरोपित की जाए तो यह न्याय के हित में होगा। आयोग का परामर्श 12 अक्तूबर, 2012 को अनुशासनिक प्राधिकारी को भेज दिया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकारी ने 27 मार्च, 2014 को यह मामला दोबारा विचार करने हेतु यह कहते हुए आयोग को भेज दिया कि जब तक मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी आयोग द्वारा सुझाई गई शास्ति का अनुमोदन करता तब तक आरोपित अधिकारी 30 जून, 2013 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत जारी रखना जरूरी था। इस तरह आयोग द्वारा सुझाई गई शास्ति कार्यान्वित नहीं की जा सकी। इसलिए अनुशासनिक अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अंतर्गत आरोपित अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने हेतु शास्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए आयोग से नया परामर्श मांगा गया।

4.1 आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद यह पाया कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पेंशन रोकने की सजा उसी मामले में दी जा सकती है जहां सेवानिवृत्त अधिकारी गम्भीर कदाचार और लापरवाही का दोषी पाया जाए। आयोग ने यह भी पाया कि यद्यपि प्रस्तुत मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी ने केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति का आरोप पत्र जारी किया था तथापि मामले का गहन परीक्षण करने पर आयोग ने पाया कि आरोपित अधिकारी के विरूद्ध साबित आरोप इतना गम्भीर नहीं है कि उन पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित की जाए। इसके बाद आयोग द्वारा सुझाई गई लघु शास्ति की मात्रा का निर्णय इस बात को ध्यान में रखकर लिया गया कि आरोपित अधिकारी 30 जून, 2013 को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने जा रहा था।

4.2 आयोग ने यह भी पाया कि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपित अधिकारी की दिनांक 30.06.2013 को होने वाली सेवानिवृत्ति से पहले आयोग द्वारा सुझाई गई शास्ति का कार्यान्वयन नहीं कर सके जबकि आयोग के परामर्श के

अनुकूल शास्ति आदेश जारी करने के लिए साढ़े आठ माह से भी अधिक का पर्याप्त समय था। संबंधित अधिकारियों की तरफ से हुई प्रशासनसिक चूक के चलते अनुशासनिक प्राधिकारी आयोग द्वारा सुझाई गई शास्ति का कार्यान्वयन नहीं कर सके जो अंततः निष्फल हो गई। आयोग ने पाया कि इस मामले में 12 अक्तूबर, 2012 के पहले परामर्श पर दोबारा विचार करके नया परामर्श देने जैसा कुछ नहीं था तथा अनुशासनिक प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्तुत मामले की कार्यवाही में हुई देरी के कारणों की जांच करे तथा आयोग के परामर्श की अस्वीकार्यता की जिम्मेदारी भी तय करें। आयोग का जवाब 24 अप्रैल, 2014 को अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजा गया।

5. इसके पश्चात 17 सितम्बर, 2014 को अनुशासनिक प्राधिकारी ने यह कहते हुए यह मामला दोबारा आयोग को भेज दिया कि सं.लो.से.आ. के निर्देशों के अनुपालन में, आयोग के परामर्श के कार्यान्वयन के मामले में कार्यवाही में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की गई थी। चूंकि सं.लो.से.आ. के निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया था, अतः अनुशासनिक प्राधिकारी ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के अंतर्गत सजा अधिरोपित करने के लिए मामले पर दोबारा विचार करने हेतु आयोग से अनुरोध किया। तथापि आयोग ने 09 दिसम्बर, 2014 को अपनी पहले वाली बात को दोहराया कि इस मामले में पहले वाले परामर्श पर दोबारा विचार करने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा गलती करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई पूरी तरह से प्रशासनिक थी जिससे मामले के गुणावगुण नहीं बदले।

6. यह मामला 29 अप्रैल, 2015 को दोबारा परामर्श हेतु आयोग को भेजा गया। यह बताया गया कि आरोपित अधिकारी के विरूद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को एक उचित सजा अधिरोपित करने के साथ खत्म करना है। आयोग द्वारा सुझाई गई लघु शास्ति का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका और यदि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत दीर्घ शास्ति अधिरोपित की जाती है तो यह आयोग के परामर्श के प्रतिकूल होगा। इसलिए मामले को सुलझाने के उद्देश्य से यह मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को परामर्श हेतु भेजा गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का मत था कि अनुशासनिक प्राधिकारी को आरोपित अधिकारी की पेंशन में कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व, मामले की सभी जानकारियां लेकर सं.लो.से.आ. से परामर्श करना चाहिए। तदनुसार, आरोपित अधिकारी को दी जाने वाली शास्ति की मात्रा पर नया परामर्श प्राप्त करने हेतु मामला आयोग को दोबारा भेजा गया। तथापि आयोग ने 26 मई, 2015 को यह कहते हुए मामला वापस भेज दिया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समक्ष अनुशासनिक प्राधिकारी को सलाह देते हुए जो तथ्य थे वे अब भी समान है तथा इस मामले में पेंशन में कटौती की शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती थी क्योंकि आरोपित अधिकारी के विरूद्ध सिद्ध पाया गया आरोप इतना गम्भीर नहीं था कि उन पर दीर्घ शास्ति लगाई जा सके। वास्तव में शुरूआत में अपना परामर्श देते हुए 10 अक्तूबर, 2012 को आयोग ने यह पाया था कि यह मामला पुराना है तथा 1999–2000 में हुई खरीद से जुड़ा है तथा यदि इससे संगठन को कोई हानि भी हुई तो वो बहुत कम थी और इसमें आरोपित अधिकारी के स्तर पर बेईमानी जैसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। यह आरोपित अधिकारी के स्तर पर लापरवाही का मामला था जो इतना गम्भीर नहीं था कि उन पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित की जाए। अपना परामर्श देते समय आयोग आरोपित अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से भली–भांति परिचित था। मामले पर दोबारा विचार करते समय भी आयोग ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि इस मामले में पेंशन नियमावली के अंतर्गत नया परामर्श देने जैसा कुछ नहीं था क्योंकि परामर्श पत्र में यह विशेष रूप से लिखा गया था कि आरोपित अधिकारी पर अधिरोपित की जाने वाली वेतन कटौती की शास्ति 'बिना संचयी प्रभाव के होगी तथा यह उनकी पेंशन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

7. अनुशासनिक प्राधिकारी ने 07 मार्च, 2017 को आरोपित अधिकारी की 'पेंशन में छह माह की अवधि के लिए 5% की कटौती' की शास्ति का अंतिम आदेश जारी किया जो आयोग के परामर्श के प्रतिकूल था।

8. चूंकि यह मामला आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं था अतः इस मामले को आयोग के परामर्श की अस्वीकार्यता वाले मामले के रूप में देखा गया।

अध्याय–10

आयोग के परामर्श लागू करने में विलम्ब

भर्ती नियमों की अधिसूचना में विलम्ब

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों को आयोग का परामर्श पत्र प्राप्त होने की तारीख से 10 सप्ताह के भीतर संबंधित मंत्रालयों द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए। वर्ष 2016–17 के आरम्भ में, कुल 209 मामले दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी अधिसूचना के लिए लंबित थे। इसके साथ ही, वर्ष 2016–17 के दौरान, 608 पदों के संबंध में आयोग द्वारा परामर्श पत्र जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप 817 मामले अनुमोदित हो गए जोकि संबंधित मंत्रालयों द्वारा अधिसूचित नहीं हुए। इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों की श्रृंखला और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 561 मामलों अथवा कुल मामलों के 68.67% को अधिसूचित किया गया। वर्ष–वार लंबित मामलों का विवरण **तालिका–1** और **आरेख–1 (परिशिष्ट–31)** में दिया गया है :–

तालिका–1: अधिसूचना के लिए लम्बित भर्ती नियम मामले–विश्लेषण

क्रम सं.	लम्बित रहने की अवधि	दिनांक 01.04.2016 को अधिसूचना के लिए लम्बित भर्ती नियम मामले	वर्ष 2016–17 के दौरान जारी परामर्श पत्रों की संख्या	2016–17 के दौरान अधिसूचना हेतु देय परामर्श पत्रों की कुल संख्या	दिनांक 31.3.2017 को अधिसूचना के लिए लम्बित भर्ती नियम मामलों की संख्या	वर्ष 2016–17 के दौरान निपटाए गए भर्ती नियम मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त क्लीयरेंस (%में)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1	2 से 3 वर्ष	12	0	12	10	2	16.67%
2	1 से 2 वर्ष	22	0	22	20	2	09.09%
3	10 सप्ताह से एक वर्ष	175	608	783	226	557	71.14%
	कुल	**209**	**608**	**817**	**256**	**561**	**68.67%**

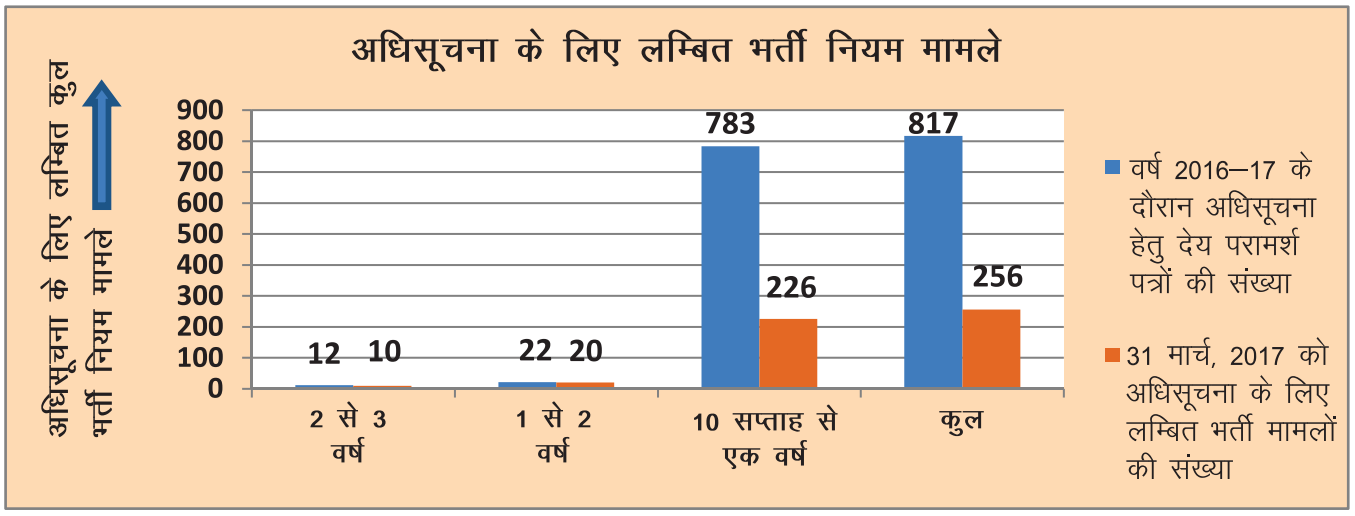

विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में विलम्ब

2. 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कुल 20 मामले ऐसे थे, जिनमें विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक वर्ष से अधिक की देरी की गई। इनमें से 18 मामले (पिछले वर्ष के 156 मामलों की तुलना में) ऐसे थे जिनमें अनुशंसा के बाद एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ऐसे नियुक्ति प्रस्ताव अभी दिए जाने थे। शेष मामलों में से 2 मामले ऐसे हैं जिनमें प्रस्ताव भेजने में एक वर्ष से अधिक परंतु दो वर्ष से कम का विलम्ब है। पिछले वर्ष की तुलना में विलम्ब हुए 20 मामलों का ब्यौरा **तालिका–2** में दर्शाया गया है।

तालिका–2 : परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में होने वाला विलम्ब

क्रम सं.	विलम्ब की अवधि	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव विलम्ब से जारी किया गया		ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव अभी जारी नहीं किया गया है	
		31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
1.	4 वर्ष और उससे अधिक	01	--	04	09
2.	3 से 4 वर्ष	01	--	01	02
3.	2 से 3 वर्ष	--	--	01	04
4.	1 से 2 वर्ष	02	02	08	03
	कुल	**04**	**02**	**14**	**18**

चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में विलंब

3. वर्ष के दौरान कुल 49 मामले ऐसे थे, जिनमें चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक वर्ष से अधिक की देरी की गई।

तालिका–3 : चयन द्वारा सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलम्ब

क्रम सं.	विलम्ब की अवधि	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव विलम्ब से जारी किया गया		ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव अभी जारी नहीं किया गया है	
		31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति	31 मार्च, 2017 को स्थिति
1.	4 वर्ष और उससे अधिक	0	0	10	11
2.	3 से 4 वर्ष	0	0	4	5
3.	2 से 3 वर्ष	1	1	7	2
4.	1 से 2 वर्ष	13	7	22	23
	कुल	**14**	**8**	**43**	**41**

आयोग का मत

4. **आयोग का यह दृढ़ मत है कि उनके द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को, संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में अत्यधिक प्रतीक्षा नहीं कराई जानी चाहिए।** कई मामलों में, आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवार इस बीच किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तथा सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते, इस प्रकार, इन उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह निष्फल हो जाती है। आयोग संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव यथाशीघ्र जारी किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता को दोहराता है।

अध्याय–11

प्रशासन, प्रशिक्षण एवं वित्त

प्रशासन

1. **अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग को आयोग की सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं और वे विभागाध्यक्ष भी हैं।** आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (सदस्यगण) विनियमावली, 1969 (समय–समय पर यथासंशोधित) द्वारा विनियमित होती हैं।

2. सचिव, आयोग सचिवालय के प्रमुख हैं जो भारत सरकार के अपर सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं। 31 मार्च, 2017 को आयोग के सचिवालय में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 1899 थी। सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों का संवर्ग–वार विवरण **परिशिष्ट–33** में दर्शाया गया है। कर्मचारियों की सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (कर्मचारी वृन्द) विनियमावली, 1958 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा विनियमित होती हैं। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **परिशिष्ट–34** पर दिया गया है। आयोग सचिवालय में अनुसूचित जाति (अनु.जा.), अनुसूचित जन जाति (अनु.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (शा. वि.) का प्रतिनिधित्व **परिशिष्ट–35** पर दिया गया है।

प्रशिक्षण

3. आयोग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान कार्यालय में आयोजित किए गए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण **तालिका–।** में दिया गया है।

वित्त

4. सचिवालय में एक अपर सचिव, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, को आयोग के वित्तीय सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। वित्त सलाहकार आयोग का बजट तैयार करने, प्रचालित करने और नियंत्रित करने तथा व्यय, नियंत्रण, निगरानी से संबंधित अन्य मामलों और आयोग को वित्तीय परामर्श देने के लिए उत्तरदायी हैं। आयोग के वित्तीय सलाहकार की सहायता वित्त एवं बजट अधिकारी (एफ एंड बी ओ) द्वारा की जाती है जो लेखा और वित्तीय पृष्ठभूमि वाले अवर सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं।

तालिका–1

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	भाग लेने वालों का स्तर	भाग लेने वालों की संख्या
1.	टिप्पण, प्रारूपण	अनुभाग अधिकारी/ सहायक अनुभाग अधिकारी/ वरिष्ठ सचिवालय सहायक	26
2.	अवकाश नियम	अनुभाग अधिकारी/ सहायक अनुभाग अधिकारी/ वरिष्ठ सचिवालय सहायक	24
3.	यात्रा भत्ता/ छुट्टी यात्रा रियायत/ गृह निर्माण भत्ता/ सामान्य भविष्य निधि नियम	अनुभाग अधिकारी/ सहायक अनुभाग अधिकारी/ वरिष्ठ सचिवालय सहायक	23
4.	चिकित्सा परिचर्या नियम	अनुभाग अधिकारी/ सहायक अनुभाग अधिकारी/ वरिष्ठ सचिवालय सहायक	23
5.	वेतन निर्धारण और पेंशन नियम	अनुभाग अधिकारी/ सहायक अनुभाग अधिकारी/ वरिष्ठ सचिवालय सहायक	21
6.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल)	अनुभाग अधिकारी/ सहायक अनुभाग अधिकारी/ वरिष्ठ सचिवालय सहायक	23

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	भाग लेने वालों का स्तर	भाग लेने वालों की संख्या
7.	आर टी आई एम आई एस (ऑन लाइन) पोर्टल पर आर टी आई आवेदन / अपील पर कार्रवाई से संबंधित प्रशिक्षण	अपीलीय प्राधिकारी / केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी	35

वर्ष 2016–17 के दौरान बजटीय स्थिति

संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद–320 और 321 के अंतर्गत महत्वूपर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें अन्य कार्यों के साथ–साथ सरकार के अधीन वरिष्ठ स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं का संचालन करवाना भी सम्मिलित है। संविधान के अनुच्छेद 322 और 113 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग का बजट भारत की समेकित निधि से प्रभारित है। वित्त वर्ष 2016–17 के लिए 217.00 करोड़ रूपये (बजट अनुमान) का प्रावधान किया गया था जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़ाकर 241.92 करोड़ रूपये कर दिया गया था। यह प्रावधान स्थापना/प्रशासनिक व्यय तथा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए था। परीक्षाओं का संचालन पूर्व.निर्धारित समय–सारणी के अनुसार किया जाना होता है और इसलिए, ऐसा व्यय एक प्रतिबद्ध दायित्व प्रकृति का है जिसे आस्थगित नहीं किया जा सकता। परीक्षा एवं चयन पर होने वाला व्यय प्रत्यक्ष रूप से आयोग द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं एवं भर्ती परीक्षणों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए बजट प्रावधानों तथा निधि के उपयोग के संबंध में स्थिति **तालिका–2** में दी गई है।

तालिका–2

(रु. लाख में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अभ्यर्थित निधियां	निवल विनियोजन (अंतिम अनुदान)	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि	(कॉलम 5 की तुलना में कॉलम 6) निधियों का प्रतिशत उपयोग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2012-13	15057.00	14653.00	404.00	14653.00	14651.87	1.13	99.99%
2013-14	15792.00	16664.00	-	16664.00	16662.55	1.45	99.99%
2014-15	17081.00	18881.00	-	18881.00	18872.75	8.25	99.96%
2015-16	20000.00	21300.00	-	21300.00	21294.59	5.41	99.97%
2016-17	21700.00	24192.00	6.69	24185.31	24178.99*	6.32	99.97%

***** वर्ष 2016–17 के लिए विस्तृत विषय शीर्ष–वार व्यय और प्राप्तियां **परिशिष्ट–36** पर दी गई है।

अध्याय–12

विविध

संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियमावली, 1969 में किए गए संशोधन

दिनांक 10.2.2017 की राजपत्र अधिसूचना सं. 39019/5/96–स्था.(बी) (खंड-IV) द्वारा सरकार ने सं.लो.से.आ. (सदस्य) विनियमावली, 1969 का संशोधन किया।

संघ लोक सेवा आयोग संशोधन विनियमावली, 2017 के अनुसार सं.लो.से.आ. के अध्यक्ष का वेतन 2,50,000/–रू. प्रतिमाह तथा सं.लो.से.आ. के सदस्यों का वेतन 2,25,000/–रू. प्रतिमाह किया गया है। अध्यक्ष/सदस्यों की सेवा की अन्य शर्ते केन्द्र सरकार के वर्तमान में समान वेतन पाने वालो के बराबर होंगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) के अन्तर्गत "लोक प्राधिकरण" है। तदनुसार, आयोग ने 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत 35 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों और 12 अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया।

2. अधिनियम के अंतर्गत सूचना की पहुंच को सुगम बनाने के लिए, प्रभावशाली उपायों के रूप में निम्नलिखित सूचना भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है :–

(क) आयोग।

(ख) आयोग सचिवालय का संगठनात्मक चार्ट।

(ग) विषय–सूची।

(घ) सं.लो.से.आ. में संयुक्त सचिव (निदेशक) स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की सूची।

(ड.) संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर से मामलों की प्रस्तुति के माध्यम।

(च) परामर्श के उद्देश्य से गठित दो या अधिक व्यक्तियों की समितियों का विवरण।

(छ) कार्य–स्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के निवारण हेतु बनी शिकायत समिति का विवरण।

(ज) अ.जा./ अ.ज.जा./ विकलांग व्यक्ति/ भूतपूर्व सैनिक/ अ.पि.व. के लिए सम्पर्क अधिकारी।

(झ) सं.लो.से.आ. के अपीलीय प्राधिकारी तथा के.लो.सू.अ. की सूची।

(ञ) के.लो.सू.अ. हेतु दिशा–निर्देश।

(ट) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की मासिक प्राप्ति तथा निस्तारण का विवरण।

(ठ) आर टी आई तिमाही विवरणियां।

(ड) संघ लोक सेवा आयोग की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची, 2015

(ढ) विनियोजन का विवरण– संघ लोक सेवा आयोग (प्रभारित)।

(ण) सं.लो.से.आ. के अधिकारियों के अंतर्देशीय तथा विदेशी दौरों संबंधी सूचना।

(त) आयोग के ग्रुप 'क' अधिकारियों की वेतन संरचना।

(थ) आर टी आई आवेदन पत्र– प्रथम अपील तथा उनके उत्तर।

(द) पिछली अधिसूचनाएं– के.लो.सू.अ. के आदेश– अपीलीय प्राधिकारी (जुलाई, 2011 से)।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और अपीलों की संख्या तथा उनके निपटान का विवरण **तालिका–1** में दिया गया है :–

तालिका–1

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त आर टी आई आवेदनों की कुल संख्या	5147
2	वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त आर टी आई अपीलों की कुल संख्या	638

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आर टी आई आवेदनों और अपीलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान कर दिया गया।

आयोग का स्थापना दिवस

4. **आयोग का 90वां स्थापना दिवस 30 सितम्बर, 2016 को मनाया गया।** आयोग के माननीय अध्यक्ष/सदस्यों/पूर्व माननीय अध्यक्ष/सदस्यों और आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर आयोग के स्टाफ तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

सार्क सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के लिए 'सरकारी पदों पर भर्ती संबंधी नियमों को बनाना तथा संशोधन' विषय पर कार्यशाला का आयोजन

5. भूटान के थिम्फू में आयोजित सार्क सदस्य देशों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की 5वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में आयोग ने 28–29 नवम्बर, 2016 को सार्क सदस्य देशों के लोक सिविल सेवा आयोगों के प्रतिनिधियों के लिए **''सरकारी पदों पर भर्ती संबंधी नियमों को बनाने तथा संशोधन''** विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क सदस्य देशों तथा काठमांडू स्थित सार्क सचिवालय के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

साक्षात्कार तकनीक पर कार्यशाला

6. सं.लो.से.आ. में 9 और 10 सितम्बर, 2016 को राज्य लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्षों और माननीय सदस्यों के लिए साक्षात्कार तकनीक विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्षों तथा सदस्यों ने इस दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन

7. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 18 और 19 फरवरी, 2017 को गुजरात में कच्छ के धोरडो में किया गया।

विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

8. डॉ. सिदेनदांबा, सदस्य, सिविल सेवा परिषद, मंगोलिया की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने 21 मार्च, 2017 को आयोग का दौरा किया तथा सं.लो.से.आ. के अध्यक्ष के साथ परस्पर विचार–विमर्श किया।

राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधियों का दौरा

9. गुजरात में कच्छ के धोरडो में आयोजित 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में 20 जनवरी, 2017 को गुजरात लोक सेवा आयोग के सचिव तथा संयुक्त सचिव ने सं.लो.से.आ. का दौरा किया। कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा की कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सचिव ने 3 मार्च, 2017 को सं.लो.से.आ. का दौरा किया।

सं.लो.से.आ.(परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958

10. वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग ने परामर्श के अपने दायरे से मुक्त किए जाने के संबंध में सरकार से प्राप्त 04 प्रस्तावों पर विचार किया तथा इनकी जांच करके आयोग की टिप्पणियां संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेज दी गई। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 जारी होने के बाद से, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार आयोग के कार्य–क्षेत्र से मुक्त किए गए पदों/सेवाओं की सूची **परिशिष्ट–32** में दी गई है।

वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी मामले

11. आयोग ने पारस्परिक वरिष्ठता संबंधी 02 मामलों में तथा विविध सेवा संबंधी 04 मामलों में अपनी सलाह दी। वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान वरिष्ठता तथा सेवा से जुड़े उन मामलों की संख्या का तुलनात्मक विवरण, जिन पर आयोग ने अपनी सलाह दी, **परिशिष्ट–3** में दिया गया है।

राज्य लोक सेवा आयोगों के अर्द्ध–वार्षिक सूचना–पत्र का प्रकाशन

12. प्रत्येक वर्ष राज्य लोक सेवा आयोगों और आयोग की विभिन्न शाखाओं से आवश्यक जानकारी/आंकड़े प्राप्त कर लोक सेवा आयोगों के दो अर्द्ध–वार्षिक सूचना–पत्र (जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर तक की अवधि के लिए) प्रकाशित किए जाते हैं। सूचना–पत्र में आयोग तथा सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की गतिविधियों की सूचना होती है। इस वर्ष के दौरान सूचना–पत्र का 70वां और 71वां अंक प्रकाशित हुआ।

सरकारी कार्य में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

13. संघ लोक सेवा आयोग ने शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा अधिनियम/नियमों के प्रावधान तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ ठोस प्रयास जारी रखे।

सरकार की भाषा नीति तथा कार्यक्रम का कार्यान्वयन

14. संघ लोक सेवा आयोग में एक राजभाषा शाखा है जिसके प्रभारी निदेशक (राजभाषा) हैं जिनकी सहायता के लिए दो उप निदेशक (राजभाषा), चार सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं अन्य सहायक स्टाफ है, जो सरकार की राजभाषा नीति और संबद्ध कार्यक्रमों के अनुवीक्षण और कार्यान्वयन का कार्य देखने के साथ–साथ उन सभी दस्तावेजों के अनुवाद का कार्य भी करते हैं जिन्हें हिंदी अथवा दोनों भाषाओं अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया जाना अपेक्षित है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

15. वर्ष 2016–17 के दौरान, सं.लो.से.आ. के सचिव/अपर सचिव की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई और समिति के निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

हिंदी में पत्राचार

16. वर्ष 2016–17 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसरण में सामान्य आदेश, संकल्प, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासनिक रिपोर्ट, नियम, विनियम, निविदा सूचनाएं, निविदा प्रपत्र आदि द्विभाषी रूप से जारी किए गए। 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से सामान्यतः हिन्दी में पत्राचार किया गया।

हिंदी में प्रशिक्षण

17. वर्ष 2016–17 के दौरान, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत 38 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 03 आशुलिपिकों ने हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

हिंदी कार्यशाला

18. आयोग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपना सरकारी काम–काज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा हिंदी में कार्य करने की उनकी झिझक को दूर करने के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान 04 कार्यशालाएं आयोजित की गई।

नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएं

19. वर्तमान में, आयोग में नकद पुरस्कारों के साथ 03 प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। राजभाषा विभाग की प्रथम प्रोत्साहन योजना के अनुसरण में अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य मूलतः हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 02 प्रथम पुरस्कार 2000/–रूपये प्रत्येक, 03 द्वितीय पुरस्कार 1200/–रूपये प्रत्येक तथा 05 तृतीय पुरस्कार 600/–रूपये प्रत्येक तथा 17 प्रोत्साहन पुरस्कार 400/–रूपये प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए। इसी प्रकार, दूसरी प्रोत्साहन योजना के तहत हिंदी में डिक्टेशन देने वाले दो अधिकारियों को 2000/–रूपये प्रत्येक नकद पुरस्कार दिया गया। राजभाषा नीति के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा, आयोग भी हिंदी में अधिकाधिक सरकारी कार्य करने वाले अनुभागों को पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहन योजना चला रहा है।

हिंदी दिवस तथा पखवाड़ा

20. 1 सितम्बर, 2016 से 14 सितम्बर, 2016 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक

प्रयोग करने की अपील के साथ पखवाड़ा आरम्भ हुआ। इस अवधि के दौरान, हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन, निबंध लेखन, कविता–पाठ, श्रुतलेखन, टंकण, मौके पर भाषण, आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े की समाप्ति पर 14 सितम्बर, 2016 को, आयोग की माननीय अध्यक्ष, श्रीमती अलका सिरोही की अध्यक्षता में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

निरीक्षण

21. अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा तथा शाखा प्रमुखों द्वारा आयोजित की गई संगठन एवं पद्धति बैठकों तथा राजभाषा शाखा के सहायक निदेशकों द्वारा किए गए निरीक्षणों द्वारा हिंदी के प्रयोग की गहन मॉनीटरिंग की जाती है। वर्ष 2016–17 के दौरान, राजभाषा नीति और कार्यक्रम के अनुपालन के लिए आयोग के 30 अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

प्रौद्योगिकी का उपयोग

22. गत कुछ वर्षों के दौरान, आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया है। इस प्रौद्योगिकीय प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य सभी भागीदारों को जोड़ना है तथा प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है ताकि आयोग की कार्यप्रणाली उम्मीदवार के लिए अनुकूल वातावरण के भीतर ही अधिक सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी बन सके।

23. आई सी टी का प्रयोग आवेदन पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश पत्रों के वितरण और परिणामों की घोषणा के लिए किया जाता है। वर्ष 2011 से कम्प्यूटर आधारित परीक्षण/ परीक्षा आरम्भ किए जाने के बाद से सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा और चयन द्वारा सीधी भर्ती के 45 मामलों में भर्ती परीक्षाएं कम्प्यूटर आधारित मोड द्वारा आयोजित की गई। उम्मीदवारों के लिए सूचना अधिक कारगर ढंग से प्रसारित करने के लिए आयोग ने भारत सरकार के वेबसाइट संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार विकसित नई वेबसाइट 02 सितम्बर, 2016 को शुरू की है। नई हाई एंड ओ एम आर मशीनों के प्रयोग से उत्तर पत्रकों के मूल्यांकन में तीव्रता आई है। इन प्रयासों के कारण आवेदन प्राप्ति से लेकर परिणामों की घोषणा तक की परीक्षा प्रक्रिया में लगने वाले समय में कटौती हुई है। आई सी टी के प्रयोग से आयोग के कार्यालय में समयबद्ध ता सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का सफलतापूर्वक आरम्भ किया गया है।

परीक्षा सुधार

24. आयोग की परीक्षा सुधार शाखा प्रश्न–पत्रों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए नियमित रूप से विभिन्न परीक्षाओं का विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण करती है। यह विश्लेषण आयोजित परीक्षणों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने तथा परीक्षण संबंधी योजना में अपेक्षित परिवर्तन और सुधार लाने के लिए आवश्यक है।

25. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, इंजीनियरी सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के उम्मीदवारों का समुदाय, आयु, लिंग, योग्यता और विश्वविद्यालय–वार विस्तृत विश्लेषण किया जाता है।

उम्मीदवारों पर मिथ्यानिरूपण एवं अन्य अनाचारों के लिए अधिरोपित शास्तियां

(i) परीक्षा

26. वर्ष 2016–17 के दौरान, उम्मीदवारों द्वारा किए गए अनाचारों के 11 मामले आयोग के समक्ष आए। अनाचार के इन मामलों में अन्य बातों के साथ–साथ उम्मीदवारों द्वारा जानकारी छिपाना, झूठी जानकारी प्रस्तुत करना, दूसरे उम्मीदवारों के ई–प्रवेश पत्रों में हेरफेर करके जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करना, परीक्षा हॉल में मोबाइल पास में रखना तथा उत्तर पुस्तिका वापस किए बिना निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा हॉल छोड़ना आदि शामिल था। आयोग ने ऐसे मामलों को गम्भीरता से लिया और उचित प्रक्रिया अपनाकर दोषी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने से लेकर आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं/चयनों से पांच वर्ष से लेकर स्थायी रूप से विवर्जन करने तक की शास्तियां अधिरोपित कीं।

(ii) चयन द्वारा सीधी भर्ती

27. वर्ष 2016–17 के दौरान, चयन द्वारा सीधी भर्ती के मामलों में उम्मीदवारों को विवर्जित करने/अयोग्य ठहराने का कोई मामला नहीं है।

आयोग का संग्रहालय

क. संग्रहालय का निर्माण

28. आयोग के पास मूल्यवान पुरालेखीय सामग्री है जिस तक आम जनता की पहुंच आसान नहीं है, जैसे मूल पैम्फ्लेट, दस्तावेज़, रिपोर्ट तथा अन्य अभिलेख आदि। तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने एक संग्रहालय बनाने का निश्चय किया जहां पर इस प्रकार की सामग्री को विचारशील दर्शकों के लिए सुरूचिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया जा सके।

ख. संग्रहालय की रूपरेखा

29. संग्रहालय निर्माण के तीन मुख्य घटक हैं। प्रत्येक घटक के अनुरूप संग्रहालय में अलग–अलग खंड बनाए गए हैं। पहला खंड सं.लो.से.आ. के इतिहास पर रोशनी डालते हुए सूचना प्रदान करता है तथा ऐसी सामग्री का प्रदर्शन करता है जिसमें मुख्य रूप से प्राचीन भारत के प्रशासनिक ढांचे तथा मध्यकाल के दौरान देश के प्रशासनिक प्रबंधन एवं भारत सरकार अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण समय की झलक देखने को मिलती है। यह खंड दूसरे देशों की सिविल सेवाओं के संबंध में भी जानकारी देता है।

30. दूसरे खंड में संघ लोक सेवा आयोग से ही संबंधित कुछ प्रतिदर्श सामग्री, विशेषतः परीक्षाओं संबंधी पत्रक (पैम्फ्लेट) प्रदर्शित हैं।

31. तीसरे खंड में संघ लोक सेवा आयोग और उसके माध्यम से भारत में सिविल सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु सुझाव देने के लिए समय–समय पर नियुक्त विभिन्न समितियों की रिपोर्टें प्रदर्शित की गई हैं।

संघ लोक सेवा आयोग संग्रहालय की अवधारणा संघ लोक सेवा आयोग के विकास तथा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए की गई है और इसके माध्यम से देश की प्रशासनिक प्रणाली की झलक, उसकी विशेषता और गुणवत्ता प्रदर्शित होती है।

ग. संग्रहालय भवन

32. संग्रहालय का उद्घाटन माननीया अध्यक्ष श्रीमती अल्का सिरोही के द्वारा 11 नवम्बर, 2016 को किया गया। संग्राहलय भवन संघ लोक सेवा आयोग के परिसर, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में स्थित है। संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है और संग्रहालय जनता के लिए सोमवार से शनिवार– प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुला रहता है और रविवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाशों के दिन बंद रहता है।

कृतज्ञता ज्ञापन

आयोग भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों, राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग एवं मदद के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है। उनके इस सहयोग के बिना आयोग के लिए अपने संवैधानिक कार्यों को सम्पन्न करना सम्भव नहीं हो पाता।

आयोग अपने अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों की भी हार्दिक सराहना करता है, जिन्होंने कठोर परिश्रम और दक्षता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

1.	श्री दीपक गुप्ता	अध्यक्ष	20.09.2016 (अप.) को पद त्याग दिया
2.	श्रीमती अलका सिरोही	सदस्य	03.01.2017(अप.) को पद त्याग दिया।
3.	प्रो. डेविड आर.सिम्लिह	सदस्य	
4.	श्री मनबीर सिंह	सदस्य	12.9.2016 (अप.) को पद त्याग दिया।
5.	वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) डी.के.दीवान	सदस्य	19.8.2016 (अप.) को पद त्याग दिया।
6.	श्री विनय मित्तल	सदस्य	
7.	श्री छतर सिंह	सदस्य	22.09.2017 को पद से त्याग पत्र दिया
8.	प्रो. हेम चंद्र गुप्ता	सदस्य	17.2.2017 (अप.) को पद त्याग दिया।
9.	श्री अरविंद सक्सेना	सदस्य	
10.	प्रो.(डा.)) प्रदीप कुमार जोशी	सदस्य	
11.	श्री भीम सैन बस्सी	सदस्य	
12	एयर मार्शल अजीत एस. भौंसले (सेवानिवृत्त)		
13.	सुश्री सुजाता मेहता	सदस्य	*

*अवकाश पर

(टी. जेकब)
सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक :

परिशिष्ट–1

आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवनवृत्त

श्री दीपक गुप्ता

श्री दीपक गुप्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा, झारखंड संवर्ग के 1974 बैच के अधिकारी हैं।

इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा प्रथम स्थान के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इन्हें कुलपति कांस्य पदक एवं अंग्रेजी साहित्य हेतु प्रतिष्ठित डॅन्न पदक भी प्रदान किया गया तथा सर्वश्रेष्ठ स्नातक पूर्व छात्र भी घोषित किया गया। इन्होंने टेनिस तथा स्क्वाश में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। इतिहास विषय में सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा पास की तथा द्वितीय स्थान पर रहे। श्री दीपक गुप्ता ने स्कूल ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एम. फिल. की उपाधि प्राप्त की तथा मेसन फेलो के रूप में केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हारवर्ड विश्वविद्यालय से 1992 में लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की। वर्ष 1974–76 के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में इन्हें सर्वश्रेष्ठ भा.प्र.से. प्रोबेशनर घोषित किया गया।

बिहार में कई जिला स्तरीय पदों पर कार्य करने के उपरांत इन्होंने राज्य सरकार तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग सभी क्षेत्रों में कई वर्ष कार्य किया। जिला मजिस्ट्रेट, रोहतास के रूप में इन्हें विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए शील्ड प्रदान की गई। राज्य सरकार में इन्होंने स्वास्थ्य, उद्योग, पेयजल, ग्रामीण विकास तथा जल संसाधन विभागों में कार्य किया। भारत सरकार के अधीन इन्होंने उद्योग विकास, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों में कार्य किया। इन्हें सौंपे गए कार्यों में वर्ष 1983–85 के दौरान इंडिया ट्रेड सेंटर, ब्रुसेल्स में (जूट एवं कॉयर) सलाहकार तथा वर्ष 2003–04 के दौरान दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक वर्ष तक सलाहकार का कार्यकाल भी शामिल है। जुलाई, 2008 से सितम्बर, 2011 तक वे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव के पद पर रहे। इन्होंने भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ किया। सेवानिवृत्ति के उपरांत इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा उपागमन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया।

इनके दो डाक्यूमेंट्री अध्ययन भी प्रकाशित हुए हैं :– प्रथमः इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेंज, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'ए डाक्यूमेंट्री स्टडी ऑफ पार्टीसिपेटरी इमेजीनेशन मैनेजमेंट। द्वितीयः स्वास्थ्य मंत्रालय के केन्द्रीय टी.बी. प्रभाग द्वारा प्रकाशित 'कवरिंग ए बिलियन विद डॉट्स' है। एस.ए.जी.ई. ने इनके द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक ''अचीविंग यूनीवर्सल एनर्जी एक्सेस इन इंडिया : चेलेंजिज एंड वे फॉरवर्ड'' भी प्रकाशित की है।

श्री दीपक गुप्ता, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा 20.09.2016 (अप.) को उन्होंने पद त्याग दिया।

श्रीमती अलका सिरोही

श्रीमती अलका सिरोही ने जुलाई, 1974 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है। इन्होंने, मध्यप्रदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया है जैसे–कार्यपालक निदेशक, पर्यावरण योजना एवं समन्वय संगठन तथा महानिदेशक, आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ–साथ उप–प्रभागीय मजिस्ट्रेट, समाहर्ता और जिला मजिस्ट्रेट, अपर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण; अपर सचिव, आवास एवं पर्यावरण। इन्होंने उच्चतर शिक्षा आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है और राज्य सरकार के कृषि, सहकारिता और कमान क्षेत्र विकास, महिला और बाल विकास (जहां इन्होंने राज्य की पहली महिला सशक्तीकरण नीति का प्रारूप तैयार किया), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, व्यावसायिक कर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वर्ष 1991 से 2005 तक की 15 वर्ष की अवधि के दौरान राज्य सरकार में सचिव/प्रधान सचिव रही हैं। इन्होंने विकास आयुक्त

और पदेन प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के रूप में भी कार्य किया, जहां ग्रामीण सड़कों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई पद्धतियां तैयार की गई, जिन्हें बाद में अन्य राज्यों में भी अपनाया गया।

राज्य सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान, इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई नए कार्यक्रमों को अपनाया, जिनमें वर्ष 1981 में इनके जिले में अत्यंत सफल रहा व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो सहित पांच ऐसी बीमारियों से बचाना था, जिनका बचाव टीकों से संभव है। इसमें अपनाई गई पद्धति बाद में वर्तमान राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम में भी अपनाई गई।

भारत सरकार में इन्होंने रक्षा उत्पादन विभाग और बाद में उपभोक्ता मामले विभाग में अपर सचिव के रूप में कार्य किया, जहां ये "जागो ग्राहक जागो" नामक उपभोक्ता जागरूकता के एक मल्टी–मीडिया अभियान को डिजाइन करने के कार्य से निकटता से जुड़ी हुई थीं। सितम्बर, 2008 से अक्तूबर, 2010 तक, आप भारत सरकार में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव रहीं और नवम्बर, 2010 से सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग रहीं, और यह प्रभार इन्होंने जनवरी, 2012 तक संभाला। इस अवधि के दौरान, ये कई भ्रष्टाचार–निरोधी कानूनों का प्रारूप तैयार करने के कार्य से निकट से जुड़ी रहीं।

इन्होंने लोरेटो डिग्री कॉलेज, लखनऊ और लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन किया जहां से इन्होंने अपना स्नातकोत्तर पूरा किया। इन्हें समग्र अकादमिक उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा छः स्वर्ण पदक और संसदीय पुरस्कार दिया गया।

इन्हें कार्मिक प्रबंधन का दीर्घकालीन अनुभव है।

श्रीमती अलका सिरोही ने दिनांक 04.01.2012 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला तथा इन्हें संविधान के अनुच्छेद 316–(1ए) के अंतर्गत 21.09.2016 को सं.लो.से.आ. के अध्यक्ष का कर्तव्य निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया। 03.01.2017 (अप.) को उन्होंने पद त्याग दिया।

प्रोफेसर डेविड आर. सिम्लिह

प्रो. डेविड आर.सिम्लिह ने सेंट एडमंड कॉलेज, शिलांग में अध्ययन किया जहां से इन्होंने इतिहास में ऑनर्स के साथ स्नातक किया (1974)। तत्पश्चात इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर पाठ्यक्रम किया (1974–76)। 1979 में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एन ई एच यू) के इतिहास विभाग में कार्यभार ग्रहण करने से पहले ये 1977 में अपने कॉलेज में परा–स्नातक अध्यापन के लिए वापस चले गए। ये इतिहास के प्रोफेसर के पद तक पहुंचे। उक्त पद के साथ–साथ ये अलग–अलग समय में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, प्रोक्टर डायरेक्टर, कॉलेज डिवलपमेंट काउंसिल और विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, एन ई एच यू के पदों पर भी रहे। ये परीक्षा नियंत्रक, एन ई एच यू (2008 से 2010) भी रहे। इन्होंने नॉर्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के स्थानापन्न रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य किया (2010)। प्रोफेसर सिम्लिह नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के सम–कुलपति (2010–2011) रहे।

भारत के राष्ट्रपति ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर में आगमन के दौरान सितम्बर, 2011 में प्रोफेसर डेविड सिम्लिह को कुलपति नियुक्त किया। इन्होंने 5 अक्तूबर, 2011 को पदभार संभाला। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान प्रोफेसर सिम्लिह ने विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को दुरूस्त किया। तीन वर्ष की अवधि के बाद दीक्षांत समारोह आयोजित कराया; विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित वैधानिक बैठकों को व्यवस्थित किया और XIवीं योजना को कार्यान्वित करने और XIIवीं योजना के दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने के लिए प्रशासन को तैयार किया। शैक्षिक और परीक्षा संबंधी सुधार आरम्भ करने के लिए भी कदम उठाए। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में कई सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में भारत में संयुक्त राज्य के राजदूत और भारत में यूरोपीय राजदूतों के एक प्रतिनिधिमंडल समेत कई गण्यमान्य व्यक्तियों की मेज़बानी की। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, कर्मचारियों और शिक्षकों ने प्रोफेसर सिम्लिह को एक भावप्रवण विदाई दी।

वर्ष 1980 में एम.फिल की उपाधि प्रदान किए जाने के बाद इन्होंने शोध कार्य जारी रखा और वर्ष 1985 में

इन्हें पीएच.डी की उपाधि प्रदान की गई। प्रोफेसर डेविड सिम्लिह ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, आधुनिक भारतीय इतिहास और उत्तर पूर्वी भारत में ईसाई धर्म के इतिहास के पाठ्यक्रमों का अध्यापन कार्य किया। इन्होंने एम.फिल के 14 विद्यार्थियों और पीएच.डी डिग्रियों के लिए 8 विद्यार्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया और कई अन्य विद्यार्थियों के ज्ञानगुरू भी रहे। इन्होंने नोट्र डैम यूनिवर्सिटी, यू.एस.ए. के लिए वरिष्ठ फुलब्राइट फैलोशिप; यूनाइटेड किंगडम में शोध के लिए चार्ल्स वैलेस ग्रांट और पेरिस में शोध के लिए एक इंडो–फ्रांस सांस्कृतिक आदान–प्रदान ग्रांट सहित कई प्रतिष्ठित शैक्षिक फैलोशिप प्राप्त की हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान कार्य में गहन रूचि लेते हुए इन्होंने उस क्षेत्र के इतिहास पर अनेक पुस्तकें तथा शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। इनका हालिया प्रकाशन है 'ऑन द एज ऑफ एम्पायरः फोर ब्रिटिश प्लान्स फॉर नार्थ ईस्ट इंडिया, (सेज प्रकाशन, 2014) और लेयर्स ऑफ हिस्ट्रीः ऐस्सेज आन द खासी– जयंतिआ (रिजेंसी प्रकाशन, 2015)। अपने शोध के चलते इन्होंने भारत सहित विदेशों में भी अत्यधिक भ्रमण किया है। फुलब्राइट फैलोशिप के दौरान इन्होंने यू.एस. के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए। वे दक्षिण एशियाई अध्ययन केन्द्र, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ; एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी; स्वानसी यूनिवर्सिटी; इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फोर द् आर्ट्स, नई दिल्ली ; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा पूर्वोत्तर भारत के विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों में व्याख्यान दे चुके हैं।

प्रोफेसर डेविड आर सिम्लिह पूर्वोत्तर भारत के इतिहास पर विशेषज्ञता प्राप्त नॉर्थ–ईस्ट इंडिया हिस्ट्री एसोसिएशन, 2010–2011 के अध्यक्ष थे, जिसका गठन संगठन के अन्य दीर्घकालिक सदस्यों के साथ मिलकर किया गया था। इन्होंने आई सी एस एस आर–एन.ई.आर.सी., शिलांग के पूर्व अवैतनिक निदेशक के रूप में कार्य किया, ये दो बार भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के परिषद सदस्य रहे। ये भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के भी परिषद सदस्य रहे। प्रोफेसर सिम्लिह आधुनिक भारत खण्ड, भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा दिसम्बर, 2012 में इन्होंने मुम्बई विश्वविद्यालय के 73वें सत्र को संबोधित किया। इन्होंने बाकू, अज़रवेजान में 11–12 सितम्बर, 2014 को 'सिविल सेवकों की क्षमता के विकास द्वारा सिविल सेवकों की कार्य कुशलता बढ़ाना' (एन्हैंसिंग द एफीशियेंसी ऑफ सिविल सर्वेंटस थ्रू कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंटस) विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और प्रस्तुतीकरण दिया।

प्रोफेसर डेविड आर. सिम्लिह ने 25 जून, 2012 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला तथा 4 जनवरी, 2017 को वह सं.लो.से.आ. के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए।

श्री मनबीर सिंह

श्री मनबीर सिंह का जन्म 13 सितम्बर, 1951 को हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) के अर्थशास्त्र विभाग से अर्थशास्त्र में एम.ए.किया। 1976 में भारतीय विदेश सेवा में आए।

1978 में ईरान में तृतीय सचिव के रूप में तैनात हुए तथा 1979 में द्वितीय सचिव के पद पर पदोन्नत हुए। 1982 से 1985 तक टोरंटो, कनाडा में उपमहा वाणिज्य दूत के रूप में सेवाएं दीं। 1985–1989 तक मुख्यालय में उप सचिव प्रभारी प्रेस–संबंध के रूप में कार्य किया। भारत में राजनैतिक गतिविधियों, भारत के विदेश संबंधों तथा आर्थिक विकास पर विदेशी पत्रकारों को संबोधित किया। 1989–1992 तक पूर्व यू.एस.एस.आर. तथा बाद में रूसी गणराज्य में परामर्शकार (वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र) के रूप में सेवाएं दीं। 1992–1995 तक संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास में राजदूत के रूप में सेवाएं प्रदान कीं। 1999 से 2002 तक नई दिल्ली मुख्यालय में प्रोटोकॉल प्रमुख के रूप में सेवाएं प्रदान कीं। इस अवधि के दौरान राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों तथा विदेश मंत्रियों के सभी आवागमन दौरों का आयोजन किया तथा साथ ही भारत में राजनयिक निकाय के प्रत्यायन, विशेषाधिकारों तथा सरलीकरण का कार्य भी संभाला। 2002 से 2005 तक बोस्निया व हर्जेगोविना एवं स्लोवेनिया के समवर्ती प्रत्यायन के साथ हंगरी में भारतीय राजदूत के रूप में सेवाएं प्रदान कीं। 2005 से 2008 तक ईरान में भारतीय राजदूत के रूप में सेवाएं प्रदान कीं। 2008 से 2010 तक नीदरलैंड में राजदूत के रूप में कार्य किया। 'रासायनिक हथियार रोकथाम सम्मेलन' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। जुलाई, 2010 से सितम्बर, 2011 तक विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में सचिव (आर्थिक

संबंध) के रूप में कार्य किया। ब्रिक्स, हिंद महासागर रिम देशों, जी–15, ओ.ई.सी.डी. तथा अन्य द्विपक्षीय एवं बहु–पक्षीय आर्थिक मुद्दों संबंधी मामलों को देखा।

दिनांक 03.09.2012 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए तथा 12.09.2016 (अप.) में उन्होंने पद त्याग दिया।

वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) डी.के.दीवान

वाइस एडमिरल डी.के.दीवान, पी वी एस एम, ए वी एस एम अपनी 38 वर्ष की गौरवपूर्ण सेवा के बाद 31 अगस्त, 2011 को नेवल स्टाफ (वी सी एन एस) के वाइस चीफ के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

वाइस एडमिरल डी.के.दीवान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे के छात्र रहे हैं। दिनांक 1 जुलाई, 1973 को भारतीय नौसेना में इनकी नियुक्ति हुई। अपने कार्यकाल के दौरान ये कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे जिनमें जुलाई, 2007 से जुलाई 2009 के बीच चीफ ऑफ परसोनेल तथा 31 अगस्त, 2009 से 31 अगस्त, 2011 के बीच वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पद शामिल हैं।

नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में इनके कार्यकाल की कुछ विशेष उपलब्धियाँ हैं, जैसे इन्होंने पिछले दो वित्तीय वर्षों में पूंजीगत व्यय में 80 प्रतिशत की वृद्धि करके नौसेना के बजट का 100 प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित किया। इन्होंने 15 वर्षीय मैरीटाइम कैपेबिलिटी परस्पैक्टिव प्लान 2012–2027 का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन्होंने 1978 में गनरी अधिकारी के रूप में अर्हता प्राप्त की। भारत तथा विदेशों में कई पाठ्यक्रमों में इन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की। रूस में एडवान्सड मिसाइल कोर्स और पेरिस में ज्वाइंट स्टाफ कोर्स तथा लंदन के द रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडिज में नेवल हायर कमांड कोर्स में स्नातक किया।

वाइस एडमिरल (से.नि.) डी.के.दीवान ने दिनांक 01.07.2013 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तथा 19.08.2016 (अप.) को पद त्याग दिया।

श्री विनय मित्तल

श्री विनय मित्तल का जन्म 20 जून, 1953 को सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ। ये दून स्कूल, देहरादून तथा सेंट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली के छात्र रहे, जहां से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बी.ए.(आनर्स) किया और बाद में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा भी प्राप्त की।

भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के 1975 के बैच के अधिकारी श्री विनय मित्तल 30 जून, 2013 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव रहे। अपने 38 वर्ष के दीर्घकालीन कार्यकाल के दौरान श्री मित्तल भारतीय रेलवे में विभिन्न प्रमुख पदों पर रहे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वे भारतीय रेलवे के उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले निकाय के प्रमुख रहे और उनकी जिम्मेदारियों में रेलवे के 17 अंचलों, 7 उत्पादन इकाईयों, 1 अनुसंधान संगठन तथा ग्रुप 'क' अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के कार्यों और उनके कार्य–निष्पादन का निरीक्षण आवश्यक रूप से शामिल रहा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री मित्तल ने भारतीय रेलवे को व्यावसायिक तौर पर चलाने, नीति निर्माण करने तथा रेलवे की कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए योजना निर्माण, प्रौद्योगिकी के प्रवेश और समावेश, रेलवे के करीब 1.4 मिलियन के कार्यबल के विशाल संसाधन का विकास, प्रमुख वरिष्ठ स्तरीय पदाधिकारियों तथा उनकी टीमों की तैनाती करने में कुशलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान करते हुए सामूहिक उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की। इन्होंने रेलवे के एच ए जी स्तर के अधिकारियों के लिए पदाधिकारियों के एमपैनलमेंट हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता भी की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री मित्तल ने भारत सरकार की शीर्ष नौकरशाही के साथ संवादक की भूमिका निभाई, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा योजना आयोग भी शामिल हैं। इन्होंने विभिन्न अन्तर–मंत्रालयी समूहों, सचिवों की समितियों तथा इसी प्रकार के अन्य उच्च स्तरीय मंचों पर रेलवे मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। श्री मित्तल ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की क्षेत्रगत आवश्यकताओं की प्रभावी पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दिया।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए श्री मित्तल डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष भी रहे जिसका गठन देश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र में 3000 कि.मी. से लम्बे दो आइकॉनिक हाई टैक्नालॉजी फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण हेतु किया गया है। भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। श्री मित्तल के कार्यकाल में इस परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण, सभी आवश्यक पर्यावरणीय और वन संबंधी अनापत्तियाँ जारी करना तथा साथ ही विश्व बैंक से सहायता प्राप्त खुर्जा से कानपुर तक 343 कि.मी. लम्बे पूर्वी कॉरिडोर के लिए प्रमुख सिविल निर्माण संविदा तथा जे आई सी ए से सहायता प्राप्त 641 कि.मी. लम्बे रेवाड़ी–इकबालगढ़ पश्चिमी कॉरिडोर के लिए संविदा कार्य शामिल है।

मुख्यतया श्री मित्तल के प्रयासों के कारण ही, डी एफ सी सी आई एल और आइ आर एफ सी को छोड़कर रेलवे के अन्तर्गत आने वाले सभी लोक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यालयों के प्रमुखों के पदनामों को पुनः पद नामित करके अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक बनाकर उन्हें पूर्णतया कार्य स्वायत्तता दी गई जिससे इन संगठनों को वास्तविक स्वायत्तता प्राप्त हुई। अखिल भारतीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री मित्तल को 1981 में रेल मंत्री का प्रतिष्ठित पुरस्कार (एम आर अवार्ड) मिला। 1992 में इन्हें यूनीवर्सिटी ऑफ वेल्स, कॉलेज ऑफ कारडीफ, यूके ने ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट एंड कंटेनरायजेशन में प्रमाण पत्र प्रदान किया और समुद्रीय अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन विभाग ने इन्हें बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड भी प्रदान किया। जब ये 2009–2011 के दौरान उत्तर–पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक थे उस समय क्षेत्रीय रेलवे के सभी परिचालन तथा संरचनागत मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार करने में समर्थ रहे जिसके लिए इन्हें अखिल भारतीय क्षेत्रीय रेलवे आधार पर 56वें रेलवे सप्ताह के दौरान उत्कृष्ट सेवा–2011 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में 5 अंतर–रेलवे शील्ड प्रदान की गई।

श्री मित्तल रेलवे प्रौद्योगिकी तथा इसकी कार्यशैली के विभिन्न पक्षों के अनेक उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए प्रतिनियुक्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर कई अवसरों पर यूएसए, चीन तथा अन्य देशों में गए। इन्होंने यूएसए, यूके तथा फ्रांस में विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

इन्हें 8 अगस्त, 2013 को सं.लो.से.आ. का सदस्य नियुक्त किया गया।

श्री छत्तर सिंह

इनका जन्म 5 मार्च, 1953 को हुआ।

इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंग्रेजी विभाग से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर किया। इसके पश्चात् इन्होंने मानचेस्टर विश्वविद्यालय (यूनाइटिड किंगडम) से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (विकास प्रशासन एवं प्रबंधन) किया।

इन्होंने 1977 में भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा में कार्यभार सम्भाला और वहाँ पर लगभग तीन साल सेवा करने के बाद, 1980 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यभार सम्भाला। इन्हें हरियाणा संवर्ग आबंटित किया गया तथा राज्य सरकार तथा भारत सरकार में इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। तीन विभिन्न स्थानों पर उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट की सेवाएँ देने के बाद इन्होंने दो साल जीन्द (हरियाणा) के अपर उपायुक्त तथा जीन्द के जिला ग्रामीण अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य किया। इसके बाद इन्होंने रजिस्ट्रार तथा परीक्षा नियंत्रक के रूप में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय में कार्य किया। अगस्त, 1987 से अप्रैल, 1989 तक ये महेन्द्रगढ़ जिले के नारनौल में उपायुक्त/ जिला दंडाधिकारी नियुक्त हुए। सितम्बर, 1991 तक इन्होंने हरियाणा सरकार के संयुक्त सचिव (राजनीतिक एवं सेवाएँ) के रूप में कार्य किया।

वर्ष 1991 से 1995 तक ये चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) में उपायुक्त–सह–सम्पदा अधिकारी रहे। इसके पश्चात् जनवरी, 1997 में इन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रारम्भ में निदेशक के रूप में अपना कार्यभार सम्भाला तथा नवम्बर, 1999 से जनवरी, 2005 तक संयुक्त सचिव रहे। इसके बाद ये वापिस हरियाणा सरकार में आ गए तथा मार्च, 2005 से नवम्बर, 2009 तक मुख्य मंत्री के अपर प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया। नवम्बर, 2009 से अगस्त, 2013 तक ये मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव तथा नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के निवेश संवर्धन केन्द्र के मुख्य समन्वयकर्ता रहे।

2 सितम्बर, 2013 को ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त हुए।

प्रो. एच.सी. गुप्ता

प्रोफेसर एच.सी. गुप्ता का जन्म 18 फरवरी, 1952 को हुआ। 15.05.2014 को ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त हुए। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इन्होंने 1972 में 'लैटिस डायनेमिक्स ऑफ मेटल्सः स्यूडोपोटेंशियल अप्रोच' पर अध्ययन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएच.डी. प्राप्त की। इन्होंने फुलब्राइट फैलोशिप और साउथ–साउथ–फैलोशिप (टी. डब्ल्यू.ए.एस.), ट्रीएस्ट, इटली प्राप्त की। इन्होंने 219 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों का लेखन किया। इन्होंने एक पुस्तक और एक समीक्षा लेख का लेखन किया, हिन्दी में एक पुस्तक का सम्पादन किया और पीएच.डी. डिग्री के लिए चौबीस से अधिक विद्यार्थियों का पर्यवेक्षण किया। ये ग्यारह शोध परियोजनाओं के सह–अन्वेषक प्रभारी भी रहे। ठोस और द्रव पदार्थों के थर्मल और इलेक्ट्रिकल गुण, कम आयामिक ठोस की आणविक गतिशीलता, माइक्रोवेव एकीकृत सर्किट इनके शोध के विषय थे। प्रोफेसर गुप्ता एक प्रख्यात अध्यापक और शैक्षिक प्रशासक रहे हैं। इन्होंने वर्ष 1971 में के.एम. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से एक व्याख्याता के रूप में अपना कैरियर आरम्भ किया। वर्ष 1981 से 2014 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में कार्य करते हुए इन्हें वृहद प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। प्रोफेसर गुप्ता अपने 33 वर्षों के दीर्घकालीन कार्यकाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के जे ई ई (एडवांस) 2013 के आयोजक अध्यक्ष थे। इनके मार्गदर्शन में पहली बार सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पूर्वस्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा का एक नया पैटर्न परिकल्पित किया गया और पूरा आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के समग्र विकास के लिए नीति बनाने में इनका योगदान रहा। इन्हें विद्यार्थियों के मामलों के प्रबंधन में 14 वर्ष का लम्बा अनुभव प्राप्त है जो एक वार्डन से आरम्भ होकर डीन ऑफ स्टूडेंट्स पर समाप्त होता है। इन्होंने जुलाई, 2011 से सितम्बर, 2011 के मध्य चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। ये ग्रेजुएट एपटीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन (गेट) प्रवेश परीक्षा और विभिन्न राज्य प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित गोपनीय कार्यों से भी जुड़े रहे।

इन्हें दिनांक 15.05.2014 को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया तथा 17.02.2017 को इन्होंने पद त्याग दिया।

श्री अरविन्द सक्सेना

श्री अरविन्द सक्सेना ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और 1978 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से प्रणाली एवं प्रबंधन में एम.टेक. किया। अध्ययन कार्यक्रमों के दौरान इन्होंने हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स, ऊटाकामंड, तमिलनाडु, आपरेशंस रिसर्च ग्रुप, साराभाई ग्रुप कम्पनी बड़ौदा, गुजरात और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लि. नई दिल्ली में कार्य किया जिसमें बड़ी और जटिल परियोजनाओं के प्रबंधन और नियंत्रण में अनुभव प्राप्त किया। सिविल सेवाओं के लिए अपना चयन होने पर, इन्होंने 1978 में भारतीय डाक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने डाक सेवाओं के डिवीजनल प्रमुख के रूप में भरतपुर और कोटा में कार्य किया जिसमें राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़ और बारां जिला शामिल थे। 1982 में इन्हें विशेष कार्याधिकारी के रूप में 9वें एशियाई खेलों तथा 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए डाक सेवाओं के प्रबंधन हेतु प्रभारी बनाकर दिल्ली लाया गया। इन कार्यों को निपटाने के बाद इन्होंने डाक टिकट संग्रह अधिकारी, डाक निदेशालय नई दिल्ली के पद का कार्यभार संभाला और इसके पश्चात टिकट और मोहर आधुनिकीकरण फैक्टरी, अलीगढ़ में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्य किया। प्रतिष्ठित, डाक एवं तार प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर,उ.प्र. के प्रिंसिपल के पद पर चयनित होने से पहले इन्हें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश राज्यों में डाक प्रबंधन का कार्य देखने के लिए निदेशक, डाक प्लानिंग आपरेशंस, बम्बई के पद पर तैनात किया गया। अपने इस कार्य के दौरान उन्होंने डाक सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए विशेषज्ञ समिति के साथ कार्य किया। इन्होंने इस समिति के लिए प्रारूप पत्र तैयार किया जिसमें डाक सेवाओं के लिए उपभोक्ता और

कर्मचारी सर्वेक्षण पर अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट और भारत में डाक कार्यों में प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रबंधन संव्यवहारों के आरंभ पर विशेषज्ञों के इनपुट शामिल हैं। इन्होंने मानचेस्टर यूनिवर्सिटी, यू.के. में प्रशिक्षकों के लिए एक प्रोग्राम में भी भाग लिया।

इन्होंने 1988 में कैबिनेट सचिवालय की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, में कार्यभार संभाला और पड़ोसी देशों में सामरिक विकास के अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल की। इन्होंने पांच देशों और जम्मू और कश्मीर में सेवा प्रदान की। इन्होंने चीन, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ–साथ, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मुद्दों के विकास में डोमेन विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से दौरा किया। इन्होंने 2014 में प्रभारी विशेष सचिव विमानन अनुसंधान केन्द्र के पद का कार्यभार संभाला जहां मई, 2015 में पद त्याग करने तक कार्य किया।

श्री अरविन्द सक्सेना ने 08 मई, 2015 को सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यभार संभाला।

प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी

प्रोफेसर (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। इससे पहले इन्होंने अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पद पर भी कार्य किया। इन्होंने निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एन आई ई पी ए), [मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार] के पद पर भी कार्य किया। अब निदेशक का पद परिवर्तित करके वाइस चांसलर एवं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान को परिवर्तित करके राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय कर दिया गया है। प्रोफेसर जोशी ने 1977 में वाणिज्य में अपनी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और 1981 में कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर से वाणिज्य में पीएच.डी की। प्रोफेसर जोशी 28 वर्षों से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में रहे। इन्होंने मई, 2000 से 12 जून, 2006 तक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) में प्रोफेसर, अध्यक्ष एवं डीन, प्रबंधन अध्ययन संकाय के पद पर कार्य किया। इन्होंने उक्त अवधि के दौरान (जून, 2006 तक) व्यवसाय प्रशासन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) में अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड और अध्यक्ष, आर.डी.सी. के पद पर भी कार्य किया। इससे पहले, इन्होंने व्यवसाय प्रशासन विभाग, रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.) और बरेली कॉलेज, बरेली में रीडर के पद पर सेवाएं दीं।

प्रोफेसर जोशी ने शिक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। ये भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समितियों के सदस्य रहे। ये संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार में भारत गणराज्य के 50वें वार्षिकोत्सव के लिए राज्य स्तरीय समिति के सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत शिक्षा सुधार संचालन समिति आयोग के पूर्व सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा के लिए संचालन समिति–सह–वितरण केन्द्र के पूर्व सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) के लिए राष्ट्रीय साधन समूह के पूर्व सदस्य; ये केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड (सीएबीई) के पूर्व सदस्य रहे। यह शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए उच्चतम परामर्शदात्री बोर्ड है, प्रोफेसर जोशी प्रख्यात अनुसंधानकर्ता और शिक्षाविद हैं जिनके पास 28 वर्षों से अधिक अध्यापन का अनुभव है। इन्हें वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण, लेखांकन प्रबंधन, कराधान, ग्रामीण विकास प्रबंधन, पंचायती राज संस्थान एवं खादी ग्रामोद्योग प्रबंधन आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है। इन्होंने बहुत से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में अनुसंधान पेपरों को प्रस्तुत और प्रकाशित किया। सक्रिय शिक्षाविद होने के कारण, इन्होंने विभिन्न देशों जैसे बेल्जियम, हॉलैंड, इंग्लैंड, नेपाल और जापान में व्याख्यान दिए और शैक्षणिक विचार–विमर्श किया। इन्होंने 19 स्कॉलरों का उनके पीएच.डी के लिए पर्यवेक्षण किया और इनके दिशा–निर्देश में लगभग 24 शोध–प्रबंध प्रस्तुत किए गए।

प्रो. जोशी ने 12 मई, 2015 को सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यभार संभाला।

श्री भीम सैन बस्सी

श्री भीम सैन बस्सी का जन्म 20 फरवरी, 1956 को हुआ। ये दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वाणिज्य स्नातक हैं और इसके बाद इन्होंने विधि में डिग्री

प्राप्त की। श्री बस्सी ए.जी.यू.एम.टी. (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं संघ शासित क्षेत्र) संवर्ग के 1977 बैच के आई.पी.एस. (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रशिक्षण के उपरांत इनकी प्रथम नियुक्ति 1980 में पुदुच्चेरी में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई। उसके पश्चात ये 3 वर्ष से अधिक समय तक अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवारत रहे। अक्तूबर, 1984 में इन्हें दिल्ली में तैनात किया गया, जहाँ ये 1993 तक सेवारत रहे। इनकी तैनातियों में पुलिस उपायुक्त/उत्तरी जिला, पुलिस उपायुक्त/उत्तर–पूर्वी जिला तथा पुलिस उपायुक्त/सुरक्षा शामिल हैं।

वर्ष 1993 से 1998 तक श्री बस्सी आसूचना ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर रहे। संवर्ग में वापस आने पर ये वर्ष 2000 से 2002 तक चंडीगढ़ में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में सेवारत रहे। इस कार्यावधि के पश्चात इन्हें संयुक्त पुलिस आयुक्त, दक्षिणी रेंज के रूप में पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तदुपरांत विशेष आयुक्त के रैंक पर पदोन्नति के बाद इन्होंने दिल्ली पुलिस की सतर्कता तथा आसूचना इकाइयों का नेतृत्व किया।

वर्ष 2009 में, श्री बस्सी को गोवा के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जहाँ ये 2011 तक सेवारत रहे। इस अवधि के दौरान इन्होंने पुलिस की कार्य पद्धति सुधारने के लिए बहुत से कदम उठाए। इसमें गोवा में अपराधों के सही–सही पंजीकरण तथा एक आधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करना और कमांडो इकाई का पुनर्गठन करना शामिल है। गोवा से दिल्ली वापसी पर विशेष आयुक्त प्रशासन के रूप में नियुक्त होने से पूर्व ये विशेष पुलिस आयुक्त, यातायात के रूप में सेवारत रहे। 31 जुलाई, 2013 को श्री बस्सी को पुलिस कमिश्नर, दिल्ली नियुक्त किया गया। ये फरवरी, 2016 तक, 85000 के विशाल बल को स्थायित्व प्रदान करते हुए ढाई साल से अधिक समय तक दिल्ली पुलिस के प्रमुख रहे। श्री बस्सी को इस बल की बागडोर ऐसे समय में मिली थी जब दिल्ली पुलिस, दिल्ली के नागरिकों विशेषतः महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के मुद्दे पर गंभीर आलोचना झेल रही थी। उनके समक्ष महिलाओं और बच्चों पर यौन हिंसा के मामलों को कम करने, आतंक से लड़ने और बढ़ते हुए अपराधों पर नियंत्रण पाने जैसी प्रमुख चुनौतियां थीं। श्री बस्सी को एक नई सोच वाले, पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता था जिन्होंने पुलिस विभाग में डिजिटल तकनीक का प्रयोग बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए। इस संबंध में वाहन और अन्य प्रकार की चोरी होने पर ई–एफ.आई.आर. की शुरूआत विशेषतः उल्लेखनीय है। इन्होंने दर्ज अपराधों की संख्या में कमी लाने तथा अ–पंजीकरण को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए।

श्री बस्सी को उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (1996) तथा विशिष्ट सेवा पदक (2002) से सम्मानित किया जा चुका है।

श्री बी.एस. बस्सी ने 31.05.2016 को सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यभार संभाला।

एयर मार्शल अजीत शंकरराव भौंसले (सेवानिवृत्त)

एयर मार्शल अजीत शंकरराव भौंसले ने 08 जून, 1978 को भारतीय वायु सेना में कमीशन प्राप्त किया तथा 39 वर्ष की अपनी असाधारण सेवा के बाद इन्होंने 21 फरवरी, 2017 को संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में कार्यभार सम्भाला।

इन्होंने भौंसला मिलिट्री स्कूल, नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए), डिफेंस सर्विसेज स्टॉफ कॉलेज (डीएसएससी), कॉलेज ऑफ डिफेंस मेनेजमेंट (सीडीएम) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज (एनआईडीएस), जापान से शिक्षा प्राप्त की है।

संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्ति से पूर्व इन्होंने इंटीग्रेटिड डिफेंस स्टॉफ (आईडीएस) के मुख्यालय के प्रमुख का कार्यभार सम्भाला तथा वे ज्वाईंट ऑपरेशंस, डॉक्ट्रिन, आर्गेनाइजेशन तथा ट्रेनिंग इन तीनों सेवाओं के उप–प्रमुख भी रहे। इस अवधि के दौरान एयर मॉर्शल अजीत शंकरराव भौंसले ने रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' के प्रोत्साहन के लिए रक्षा प्रबंध प्रक्रियाओं के निरूपण द्वारा सशस्त्र बलों में क्षमता निर्माण, एनडीए, सीडीएम और डी एस एस सी में प्रशिक्षण क्षमताओं तथा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, एनडीए में बी.टेक. पाठ्यक्रम की शुरूआत तथा आई डी एस के मुख्यालय के अंतर्गत मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी के समावेशन, साईबर, अंतरिक्ष अभिकरणों तथा विशेष सेना प्रभाग के प्रारम्भ, सशस्त्र सेनाओं के

लिए संयुक्त सिद्धांत निरूपण तथा असम, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात की राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरे भारत में आपदा राहत के अभ्यास संचालन का विस्तार किया। प्रचालनिक तथा घरेलू अवसंरचना के लिए परिवर्धित निधि आबंटन के साथ–साथ असैन्य रक्षा कर्मचारियों के रूप में द्वीपवासियों की भर्ती में वृद्धि करके तथा हवाई सम्पर्कता व पर्यावरण संरक्षण बढ़ाकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विशेष प्रोत्साहन दिया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वव्यापी स्पर्धा द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एवं राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय के लिए स्थान तथा रूपरेखा के चयन की परियोजना का नेतृत्व किया।

एयर मार्शल अजीत एस. भौंसले ने माले ऑपरेशन, श्रीलंका आई पी के एफ ऑपरेशन, सियाचीन एवं कारगिल ऑपरेशन में भाग लिया है तथा उन्हें 5200 घंटे का उड़ान अनुभव है।

एयर मार्शल अजीत एस. भौंसले ने विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों में सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दीं जैसे रक्षा अधिग्रहण परिषद, स्टॉफ समिति के प्रमुख, संयुक्त प्रशिक्षण समिति, उप प्रमुख समिति तथा प्रधान कार्मिक अधिकारी समिति आदि। इन्होंने विशेषज्ञ दलों की अध्यक्षता भी की जैसे संयुक्त सेवा संस्थान, भारत तथा संयुक्त–कल्याण अध्ययन केन्द्र तथा उच्च प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद (मानित विश्वविद्यालय) एवं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की अकादमी परिषद (एन डी ए) के सदस्य रहे।

एयर मार्शल अजीत एस. भौंसले ने यू.के., श्रीलंका और दक्षिणी अफ्रीका में मिलिट्री सिद्धांत मामलों, रणनीतिक रक्षा सहयोग एवं रक्षा उत्पादन के मामले में उच्च स्तरीय भारतीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने इन्हें असाधारण रूप से अपनी शानदार सेवा के लिए 2005 में विशिष्ट सेवा पदक तथा 2010 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया।

सुश्री सुजाता मेहता

इन्होंने राजनीति विज्ञान में एम. फिल की डिग्री लेने के बाद 1980 में भारतीय विदेश सेवा में कार्यभार ग्रहण किया।

इस दौरान इन्होंने विदेश मंत्रालय में अवर सचिव तथा संयुक्त सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दीं तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव/निदेशक और बाद में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

इन्होंने मोस्को, ढाका और संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में भारतीय शिष्ट मंडल में अपनी सेवाएं दीं।

इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनियुक्ति पर गाजा तथा न्यूयार्क में भी अपनी सेवाएं दीं।

जुलाई, 2013 में विदेश मंत्रालय लौटकर अपर सचिव तथा बाद में विशेष सचिव बनने से पूर्व वे स्पेन में भारत की राजदूत रहीं तथा जेनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत रहीं।

वे फरवरी, 2014 में विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्वी क्षेत्र) तथा 11 जनवरी, 2016 को सचिव (पश्चिम) नियुक्त हुईं।

इन्होंने 21 फरवरी, 2017 को संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।

परिशिष्ट–2

(अध्याय 3, 4 तथा 7 देखिए)

आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं– उम्मीदवारों/अधिकारियों की उपयुक्तता से संबंधित

क्र.सं.	विवरण	पदों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया		प्रतिशत अन्तर
		2016-17	2015-16	
1.	**चयन द्वारा सीधी भर्ती**	**1247**	**1357**	**-8.11 %**
क)	इंजीनियरी पद	189	348	-45.69 %
ख)	चिकित्सा पद	277	432	-35.88 %
ग)	वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद	407	145	+180.69 %
घ)	गैर–तकनीकी पद	374	432	-13.43 %
2.	परीक्षा द्वारा भर्ती	**4612***	**5659***	**-18.50%**
(क)	सिविल पद/सेवाएं	3244*	4356*	-25.53%
(ख)	रक्षा सेवाएं	1368	1303	+4.98%

* आरक्षित सूची में शामिल अनुशंसित उम्मीदवारों सहित

परिशिष्ट–3

(अध्याय 12 देखिए)

आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं– छूट संबंधी मामले, सेवा मामले, वरिष्ठता इत्यादि

क्र.सं.	विवरण	मामलों की संख्या		
		2016-17	2015-16	प्रतिशत अन्तर
1.	छूट संबंधी मामले	4	8	-50%
2.	सेवा मामले	4	2	+100%
3.	वरिष्ठता का निर्धारण (मामलों की संख्या)	2	6	-66.66%

परिशिष्ट–4

(देखिए अध्याय–3)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित की गई परीक्षाएं

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या				वास्तव में परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या				उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके साक्षात्कार किए गए/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया				नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या				
			कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	आर. पी. आर
1.	सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2016		1128262	300821	102872	275079	459659	108728	39301	125033	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	
2.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016		15382	2186	1126	4519	15149	2149	1101	4448	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016	110	932	141	64	251	651	90	35	180	298	40	22	102	110	16	08	29	1
4.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016	676	267557	54311	18380	69734	87957	13173	5645	26820	1692	213	101	606	604	93	46	177	0.89
5.	इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2017		325604	63734	23106	91638	154995	23855	9716	48878	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6.	भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2016	27	18839	5604	1508	3456	2856	491	170	669	74	12	06	16	24	04	03	04	0.89
7.	सम्मिलित भूविज्ञानी तथा भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2016	182	23421	3658	1239	6187	6725	894	343	1997	415	38	12	159	178	18	05	66	0.98
8.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षाए (I), 2016	375	503062	67894	16869	187623	305146	33538	9263	114609	4231	91	18	957	446	15	02	56	1.19
9.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षाए (II), 2016		423064	54301	12804	145877	286511	30582	7529	99930	6807	196	52	1533	-	-	-	-	
10.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II),2016		276210	43003	12626	74427	127013	12616	4287	35148	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I),2017		183844	30504	8673	48875	93508	9873	3202	25815	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2016	211	270727	78961	28212	65569	96473	19754	8439	28229	431	70	28	163	189	34	14	52	0.90
13.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सहायक कमांडेंट) (कार्यपालक) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2017		803	113	41	ला.न.	553	73	32	ला.न.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016	1025	33986	5605	1982	8740	16864	2608	957	4615	3288	334	114	1413	894	98	42	328	0.87
कुल		**2606**	**3471693**	**710836**	**229502**	**981975**	**1654060**	**258424**	**90020**	**516371**	**17236**	**994**	**353**	**4949**	**2445**	**278**	**120**	**712**	

-- वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं हैं
ला.न. लागू नहीं

परिशिष्ट–5

(देखिए अध्याय–3)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2015–2016 के दौरान आयोजित की गई, लेकिन वर्ष 2016–2017 के दौरान पूरी की गई / अंतिम रूप दी गई परीक्षाएं

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या				वास्तव में परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या				उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके साक्षात्कार किए गए / सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया				नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या				आर पी आर
			कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	
1.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015	1164	14927*	2229*	1147*	4048*	14626*#	2169*	1118*	3965*	2792	407	193	910	1078@	176	89	314	1
2.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2015	481*	250041*	49061*	16952*	60802*	92817*	14036*	5914*	26272*	1116*	183*	90*	315*	434*$	73*	36*	121*	0.90
3.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2015	259*	238972*	62592*	24085*	54945*	98162*	18027*	8607*	27193*	518*	86*	34*	178*	224*^	38*	18*	67*	1
4.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II) 2015	375	413867*	51862*	11183*	140733*	283001*	29695*	6343*	97251*	4077	96	19	783	423	9	3	47	1.13
5.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) 2015	463	243496*	37561*	10658*	64042*	113768*	11033*	3648*	30530*	5174	135	39	1023	290	4	2	35	0.63
6.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I) 2016	457	236307*	38349*	11610*	64575*	120281*	12967*	4444*	34392*	4523	152	38	965	209	2	1	33	0.46
7.	अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड. ख/ ग्रेड–I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2015	---	2314*	302*	103*	ला.न.	1781*	223*	72*	ला.न.	-	-	-	ला.न.	-	-	-	ला.न.	
कुल		**2459**	**1399924***	**241956***	**75738***	**389145***	**724436***	**88150***	**30146***	**219603***	**16566**	**790**	**289**	**3681**	**2000**	**191**	**95**	**429**	**0.90**

* पिछली रिपोर्ट में पहले ही दे दिए गए आंकड़ों को कुल जोड़ में शामिल नहीं किया गया है

\# 16 निरस्त उम्मीदवारियों के अतिरिक्त

@ समेकित आरक्षित सूची से अनुशंसित 86 उम्मीदवारों के अतिरिक्त

$ समेकित आरक्षित सूची से अनुशंसित 46 उम्मीदवारों के अतिरिक्त

^ समेकित आरक्षित सूची से अनुशंसित 35 उम्मीदवारों के अतिरिक्त

परिशिष्ट–6

जिन परीक्षाओं के संबंध में आरक्षित सूची नियम लागू है, उनमें आरक्षित सूची के माध्यम से वर्ष 2016–17 के दौरान अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

क्र. सं	परीक्षा का नाम	आरक्षित सूची के माध्यम से अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या					अभ्युक्तियां
		अ.ज	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	सामान्य	कुल	
1.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015	--	--	17	69	86	
2.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेट) परीक्षा, 2015*	01	--	21	13	35	
3.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2015	0	01	24	21	46	
	कुल	**01**	**01**	**62**	**103**	**167**	

*03/06/2016 को प्रचालित आरक्षित सूची

परिशिष्ट–7

(देखिए अध्याय–3)

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाली सेवाएं

1. सिविल सेवा परीक्षा, 2016

निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती हेतु :

i) भारतीय प्रशासनिक सेवा।

ii) भारतीय विदेश सेवा।

iii) भारतीय पुलिस सेवा।

iv) भारतीय डाक और तार लेखा एवं वित्त सेवा, ग्रुप 'क'।

v) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।

vi) भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क), ग्रुप 'क'।

vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।

viii) भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), ग्रुप 'क'।

ix) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा ग्रुप 'क' (सहायक कार्य प्रबंधक, प्रशासन)।

x) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप 'क'।

xi) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।

xii) भारतीय रेल यातायात सेवा, ग्रुप 'क'।

xiii) भारतीय रेल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।

xiv) भारतीय रेल कार्मिक सेवा, ग्रुप 'क'।

xv) रेलवे सुरक्षा बल में सहायक सुरक्षा आयुक्त का पद, ग्रुप 'क'।

xvi) भारतीय रक्षा संपदा सेवा, ग्रुप 'क'।

xvii) भारतीय सूचना सेवा (कनिष्ठ ग्रेड), ग्रुप 'क'।

xviii) भारतीय व्यापार सेवा, ग्रुप 'क'। (ग्रेड-III)।

xix) भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा, ग्रुप 'क'।

xx) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, ग्रुप 'ख' (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)।

xxi) दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'।

xxii) दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'।

xxiii) पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'।

xxiv) पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'।

2. इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016

निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाः

वर्ग I- सिविल इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवा/पदः

i) भारतीय रेल इंजीनियर सेवा।

ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)।

iii) केंद्रीय इंजीनियरी सेवा।

iv) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, ए डब्ल्यू एम/जे टी एस (सिविल इंजीनियरी पद)।

v) केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप– 'क') सिविल इंजीनियरी पद)।

vi) केंद्रीय जल इंजीनियरी सेवा ग्रुप–'क' (सिविल इंजीनियरी पद)।

vii) भारतीय सर्वेक्षण सेवा ग्रुप–'क'।

viii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल इंजीनियरी पद) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।

ix) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) पी एंड टी भवन निर्माण सेवा ग्रुप–'क'।

x) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा।

xi) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (क्यू एस एंड सी) मिलिटरी इंजीनियरी सेवा (एम ई एस) सर्वेक्षण संवर्ग।

वर्ग II- यांत्रिक इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवा/पदः

i) भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा।

ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

iii) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, ए डब्ल्यू एम / जे टी एस (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

iv) केंद्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

v) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।

vi) केंद्रीय जल इंजीनियरी सेवा ग्रुप–'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

vii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक इंजीनियरी पद) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।

viii) भारतीय नौसेना सशस्त्रीकरण सेवा।

ix) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा।

x) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'ख' (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

xi) सहायक कार्यपालक इंजीनियर ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद), ई.एम.ई. कोर, रक्षा मंत्रालय।

वर्ग III- वैद्युत इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवा/पद :

i) भारतीय रेल वैद्युत इंजीनियर सेवा।

ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

iii) केंद्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

iv) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, ए डब्ल्यू एम/जे टी एस (वैद्युत इंजीनियरी पद)

v) भारतीय निरीक्षण सेवा (सहायक निदेशक ग्रेड–I)

vi) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क'

vii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत) पी एंड टी भवन निर्माण ग्रुप 'क'।

viii) भारतीय नौसेना सशस्त्रीकरण सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

ix) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा।

x) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'ख' (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

xi) सहायक कार्यपालक इंजीनियर ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद) ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय

वर्ग IV - इलैक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी

ग्रुप 'क' और 'ख' सेवा/पदः

i) भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियर सेवा।

ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (दूरसंचार/इलैक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी पद)।

iii) भारतीय निरीक्षण सेवा (सहायक निदेशक ग्रेड-I)।

iv) भारतीय दूरसंचार सेवा ग्रुप 'क'।

v) भारतीय रेडियो विनियामक सेवा ग्रुप 'क'।

vi) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, ए डब्ल्यू एम/जे टी एस (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद)

vii) भारतीय नौसेना सशस्त्रीकरण सेवा (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद)।

viii) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी (सामान्य केंद्रीय सेवाए ग्रुप 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय)।

ix) केंद्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'ख' (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी सेवा)।

x) सहायक कार्यपालक इंजीनियर ग्रुप 'क' (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद), ई. एम.ई.कोर, रक्षा मंत्रालय।

3. इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2017

निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाः

वर्ग I- सिविल इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवा/पदः

i) भारतीय रेल इंजीनियर सेवा।

ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)।

iii) केंद्रीय इंजीनियरी सेवा।

iv) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, ए डब्ल्यू एम/जे टी एस (सिविल इंजीनियरी पद)।

v) केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप–'क' (सिविल इंजीनियरी पद)।

vi) केंद्रीय जल इंजीनियरी सेवा ग्रुप–'क' (सिविल इंजीनियरी पद)।

vii) भारतीय सर्वेक्षण सेवा ग्रुप–'क'।

viii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल इंजीनियरी पद) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।

ix) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) पी एंड टी भवन निर्माण ग्रुप 'क' सेवा।

x) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा।

xi) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (क्यू एस एंड सी) मिलिटरी इंजीनियरी सेवा (एम ई एस) सर्वेक्षण संवर्ग।

वर्ग II- यांत्रिक इंजीनियरी

ग्रुप क/ख सेवा/पदः

i) भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा।

ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

iii) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, ए डब्ल्यू एम/जे टी एस (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

iv) केंद्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

v) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ग्रुप 'क' इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यपालक इंजीनियर।

vi) केंद्रीय जल इंजीनियरी सेवा ग्रुप. 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

vii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक इंजीनियरी पद) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।

viii) भारतीय नौसेना सशस्त्रीकरण सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

ix) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

x) भारतीय नौसेना में सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड–I (यांत्रिक इंजीनियरी पद)

वर्ग III- वैद्युत इंजीनियरी

ग्रुप 'क'/'ख' सेवा/पद :

i) भारतीय रेल वैद्युत इंजीनियर सेवा।

ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

iii) केंद्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

iv) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, ए डब्ल्यू एम/जे टी एस (वैद्युत इंजीनियरी पद)

v) भारतीय नौसेना सशस्त्रीकरण सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

vi) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा।

vii) भारतीय नौसेना में सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड–I (वैद्युत इंजीनियरी पद)

viii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद) ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय

वर्ग IV - इलैक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी ग्रुप 'क' और 'ख' सेवा/पदः

i) भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियर सेवा।

ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (दूरसंचार/इलैक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी पद)।

iii) भारतीय रेडियो विनियामक सेवा ग्रुप 'क'।

iv) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, ए डब्ल्यू एम/जे टी एस (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद)

v) भारतीय नौसेना सशस्त्रीकरण सेवा (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद)।

vi) भारतीय नौसेना में सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड–I (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद)।

4. भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016

भारतीय वन सेवा।

5. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा, (I) और (II), 2016

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय नौसेना अकादमी पाठयक्रम (आई एन ए सी) के लिए सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों में प्रवेश हेतु।

6. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2016 तथा सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2017

निम्नलिखित में प्रवेश हेतुः

i) भारतीय सैन्य अकादमी।

ii) भारतीय नौसेना अकादमी।

iii) वायु सेना अकादमी।

iv) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) पाठ्यक्रम (पुरूषों के लिए)।

v) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (गैर–तकनीकी) पाठ्यक्रम।

7. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016

सेवा/पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित परीक्षाः

i) रेलवे में सहायक डिवीजनल चिकित्सा अधिकारी।

ii) भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी।

iii) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में कनिष्ठ वेतनमान पद।

iv) पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-IIA

v) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी।

8. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2016

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट (ग्रुप 'क') की भर्ती के लिएः

i) सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ)।

ii) केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सी आर पी एफ)।

iii) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी)।

iv) सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी)।

9. भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2016

निम्नलिखित सेवाओं में कनिष्ठ समय मान में भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा :

i) भारतीय आर्थिक सेवा।

ii) भारतीय सांख्यिकी सेवा।

10. सम्मिलित भूविज्ञानी तथा भू–वैज्ञानिक परीक्षा, 2016

निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए :

श्रेणी–I

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में पद)।

i) भूविज्ञानी–ग्रुप 'क'।

ii) भूभौतिक विज्ञानी, ग्रुप 'क'।

iii) रसायनज्ञ, ग्रुप 'क'।

श्रेणी–II

(केन्द्रीय भूमि–जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय में पद)

i) कनिष्ठ जलभूविज्ञानी (वैज्ञानिक 'ख'), ग्रुप 'क'

11. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यपालक) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2017

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट (कार्यपालक) की रिक्तियों को भरने के लिए

परिशिष्ट–8

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 2015 और 2016 में बैठे उम्मीदवारों के परीक्षा के माध्यम (भारतीय भाषाएं / अंग्रेजी) को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमी	बंगाली	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (देवनागरी)	सिंधी (अरबी)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
अनिवार्य प्रश्न – पत्र																										
भारतीय भाषाएं	2015	34	82	192	9358	484	-	340	1418	130	319	1	1	2	747	1213	70	-	-	7	2	1	1	1	-	14403
	2016	36	86	230	9416	600		422	1425	127	319	2	3	1	850	1308	66	1	-	8	5	1	1	2	-	14909
निबंध	2015	1	7	119	2439	18	-	6	169	-	4	-	-	-	23	33	2	-	-	-	-	-	-	-	11819	14640
	2016	-	3	135	1320	29	-	7	87	-	5	-	-	-	35	30	1	-	-	-	-	-	-	-	13490	15142
सामान्य अध्ययन-I	2015	1	7	120	2433	18	-	6	168	-	4	-	-	-	23	33	2	-	-	-	-	-	-	-	11790	14605
	2016	-	3	135	1318	29	-	7	87	-	5	-	-	-	35	30	1	-	-	-	-	-	-	-	13457	15107
सामान्य अध्ययन–II	2015	1	7	119	2429	18	-	6	167	-	4	-	-	-	23	33	2	-	-	-	-	-	-	-	11783	14592
	2016	-	3	135	1317	29	-	7	87	-	5	-	-	-	35	30	1	-	-	-	-	-	-	-	13443	15092
सामान्य अध्ययन–III	2015	1	7	119	2424	18	-	6	165	-	3	-	-	-	23	33	2	-	-	-	-	-	-	-	11766	14567
	2016	-	3	135	1317	29	-	7	87	-	5	-	-	-	34	30	1	-	-	-	-	-	-	-	13429	15077
सामान्य अध्ययन–IV	2015	1	7	120	2419	18	-	6	164	-	3	-	-	-	23	33	2	-	-	-	-	-	-	-	11760	14556
	2016	-	3	135	1318	29	-	7	87	-	5	-	-	-	34	30	1	-	-	-	-	-	-	-	13419	15068
वैकल्पिक प्रश्न – पत्र																										
कृषि-I	2015	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	86
	2016	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	97
कृषि–II	2015	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	86
	2016	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	97
पशुपालन व पशु चिकित्सा विज्ञान–I	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
पशुपालन व पशु चिकित्सा विज्ञान–II	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
मानव विज्ञान–I	2015	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	621	632
	2016	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907	913
मानव विज्ञान–II	2015	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	617	628
	2016	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	912
वनस्पति विज्ञान–I	2015	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	56
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	55

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमी	बंगाली	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (देवनागरी)	सिंधी (अरबी)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
वनस्पति विज्ञान–II	2015	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	56
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	55
रसायन विज्ञान–I	2015	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	91
	2016	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	122
रसायन विज्ञान–II	2015	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	91
	2016	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	121
सिविल इंजीनियरी-I	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	79
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	117
सिविल इंजीनियरी–II	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	117
वाणिज्य एवं लेखा–I	2015	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	150
	2016	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	226
वाणिज्य एवं लेखा–II	2015	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	150
	2016	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	225
अर्थशास्त्र–I	2015	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	184
	2016	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	231
अर्थशास्त्र–II	2015	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	184
	2016	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	231
वैद्युत इंजीनियरी–I	2015	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	142
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	187
वैद्युत इंजीनियरी–II	2015	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	142
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	187
भूगोल–I	2015	-	1	4	463	-	-	-	26	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2880	3377
	2016	-	-	4	248	1	-		4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3141	3401
भूगोल–II	2015	-	1	4	463	-	-	-	25	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2877	3373
	2016	-	-	4	250	1	-	-	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3133	3395
भू–विज्ञान–I	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
	2016				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	49
भू–विज्ञान–II	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	49
इतिहास–I	2015	-	2	20	733	1	-	-	68	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	973	1804
	2016		2	18	362	2	-	1	33	-	1	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	988	1414

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमी	बंगाली	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (देवनागरी)	सिंधी (अरबी)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
इतिहास–II	2015	-	2	20	732	1	-	-	68	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	972	1802
	2016	-	2	18	361	2	-	1	33	-	1		-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	987	1412
विधि–I	2015	-	-	-	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	245
	2016	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	312
विधि–II	2015	-	-	-	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	244
	2016	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	312
प्रबंधन–I	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94
प्रबंधन–II	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94
गणित–I	2015	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	245	254
	2016	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	392	403
गणित–II	2015	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	242	253
	2016	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	390	401
यांत्रिक इंजीनियरी–I	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	113
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	150
यांत्रिक इंजीनियरी–II	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	113
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	150
चिकित्सा विज्ञान–I	2015	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322	325
	2016	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	366
चिकित्सा विज्ञान–II	2015	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	323
	2016	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	365
दर्शनशास्त्र–I	2015	-	-	2	361	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470	834
	2016	-	-	3	210	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621	837
दर्शनशास्त्र–II	2015	-	-	2	358	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	827
	2016	-	-	3	209				3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	835

परीक्षा का माध्यम → / विषय ↓	वर्ष	असमी	बंगाली	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (देवनागरी)	सिंधी (अरबी)	तमिल	तेलुगु	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
भौतिकी–I	2015	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	126
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	135
भौतिकी–II	2015	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	125
	2016	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	133
राजनीति विज्ञान–I	2015	1	-	1	121	2	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816	976
	2016	-	-	1	66	-	-	-	25	-	-	-	-		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1114	1210
राजनीति विज्ञान–II	2015	1	-	1	121	2	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816	976
	2016	-	-	1	66	-	-	-	25	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	1208
मनोविज्ञान–I	2015	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	235
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	242
मनोविज्ञान–II	2015	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	234
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241	241
लोक प्रशासन–I	2015	-	-	1	137	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1641	1784
	2016	-	-	2	55	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1427	1488
लोक प्रशासन–II	2015	-	-	1	138	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1634	1779
	2016	-	-	2	55	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1426	1487
समाज–शास्त्र–I	2015	-	-	-	73	-	-	-	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1375	1466
	2016	-	-	-	43	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1566	1619
समाज–शास्त्र–II	2015	-	-	-	73	-	-	-	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1374	1465
	2016	-	-	-	43		-	-	9	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1565	1618
सांख्यिकी–I	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
सांख्यिकी–II	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
प्राणि–विज्ञान–I	2015	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	62	69
	2016	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	77
प्राणि–विज्ञान–II	2015	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	62	69
	2016	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	77

परिशिष्ट–9

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

1. सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन दो क्रमिक चरणों में किया जाता है अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा तथा प्रधान परीक्षा। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ शैली (बहुविकल्पी प्रश्न) के दो अनिवार्य प्रश्न पत्र शामिल हैं। प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हक घोषित उम्मीदवारों द्वारा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना अंतिम योग्यता क्रम तैयार करने में नहीं की जाएगी। प्रधान परीक्षा में नौ परंपरागत प्रकार के प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होता है।

2 सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 के लिए आवेदन करने वाले कुल 9,39,735 उम्मीदवारों में से केवल 4,63,391 उम्मीदवार 23 अगस्त, 2015 को आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुए। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के परिणाम के आधार पर 15,008 (3.2%) उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्हक घोषित किया गया। इन उम्मीदवारों का समुदाय–वार तथा लिंग–वार विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

तालिका– 1 : उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 में आवेदन किया, परीक्षा में बैठे और अर्हता प्राप्त की

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या								
	आवेदन करने वाले			परीक्षा में बैठे			अर्हता प्राप्त		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
अनुसूचित जाति	185821	58006	243827	82703	23845	106548	2024	227	2251
अनुसूचित जनजाति	62126	20956	83082	29732	9521	39253	1047	107	1154
अन्य पिछड़ा वर्ग	160509	61580	222089	95299	27087	122386	3778	304	4082
सामान्य	254163	136574	390737	140276	54928	195204	6592	929	7521
कुल	662619	277116	939735	348010	115381	463391	13441	1567	15008

2.1 **तालिका 1** में देखा जा सकता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 के लिए आवेदन करने वाले 9,39,735 उम्मीदवारों में से केवल 4,63,391 या 49.3 प्रतिशत उम्मीदवारों ने ही इस परीक्षा में भाग लिया। दूसरे शब्दों में, 50.7 प्रतिशत उम्मीदवारों ने आवेदन किया परन्तु परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसके अलावा, परीक्षा में शामिल न होने वाले उम्मीदवारों में अ.जा. (56.3%) श्रेणी के उम्मीदवारों की दर अधिकतम थी और तुलनात्मक रूप से अ.पि.व. (44.9%) श्रेणी के उम्मीदवारों की दर सबसे कम थी।

3 दिसम्बर, 2015 में आयोजित सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 के लिखित भाग में 15,008 अर्हक उम्मीदवारों में से 14,642 (97.6%) उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। प्रधान परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर केवल 2,797 (19.1%) उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की और इनमें से 2,792 उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल हुए और तत्पश्चात आयोग ने 1,164 रिक्तियों के लिए 1,164 उम्मीदवारों की सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसा की। सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 में बैठने वाले, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की लिंग–वार तथा समुदाय–वार संख्या **तालिका – 2** में दर्शाई गई है।

तालिका– 2 : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 में बैठे, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

समुदाय	परीक्षा में बैठे			साक्षात्कार किए गए			अनुशंसित		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
अनुसूचित जाति	1949	221	2170	348	59	407	141	35	176
अनुसूचित जनजाति	1013	105	1118	163	30	193	72	17	89
अन्य पिछड़ा वर्ग	3676	294	3970	813	97	910	298	33	331
सामान्य	6462	922	7384	1014	268	1282	424	144	568
कुल	**13100**	**1542**	**14642**	**2338**	**454**	**2792**	**935**	**229**	**1164**

4. वर्ष 2006 से 2015 तक के वर्षों के दौरान सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या सहित) **तालिका– 3** में दिया गया है:

तालिका – 3 : रिक्तियों की वर्षवार संख्या – सिविल सेवा परीक्षाएं

वर्ष	रिक्तियों की संख्या	वर्ष	रिक्तियों की संख्या
2006	533*	2011	1001
2007	734	2012	1091
2008	881	2013	1228
2009	989	2014	1364@
2010	1043$	2015	1164

* घोषित परिणाम– 532 पद (एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी जिसका परिणाम रोक कर रखा गया थाए को निरस्त कर दिया गया है।)

$ घोषित परिणाम –1042 पद। (एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी जिसका परिणाम रोक कर रखा गया थाए को निरस्त कर दिया गया है।)

@ घोषित परिणाम –1363 पद।

5. पिछली 5 परीक्षाओं में बैठे, साक्षात्कार किए गए और अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को **आरेख–1** में दर्शाया गया है।

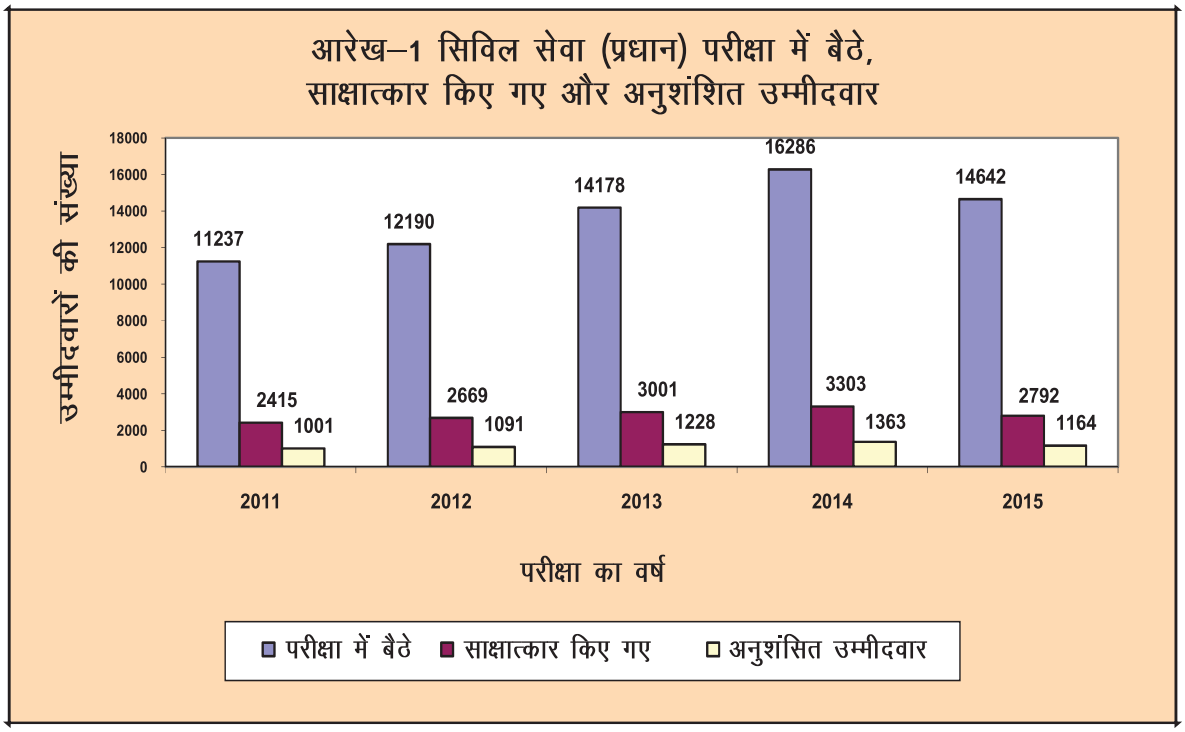

6. विषयों की मुख्य शाखाओं के साथ परीक्षा में उम्मीदवारों की सफलता दर **तालिका–4** में दी गई है।

तालिका– 4: सफलता दर की तुलना में विषयों की मुख्य शाखाएं – सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015

शैक्षणिक योग्यताएं	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
	साक्षात्कार किए गए	अनुशंसित	
I स्नातक डिग्रियां	**1975**	**821**	**41.6**
(i) मानविकी	210	86	**41.0**
(ii) विज्ञान	81	28	**34.6**
(iii) चिकित्सा विज्ञान	290	131	**45.2**
(iv) इंजीनियरी	1394	576	**41.3**
II उच्चतर डिग्रियां	**817**	**343**	**42.0**
(i) मानविकी	483	208	**43.1**
(ii) विज्ञान	111	40	**36.0**
(iii) चिकित्सा विज्ञान	60	29	**48.3**
(iv) इंजीनियरी	163	66	**40.5**
कुल	**2792**	**1164**	**41.7**

टिप्पणी : सफलता दर का परिकलन साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की संख्या में से अनुशंसित उम्मीदवारों के प्रतिशत के रूप में किया गया है।

6.1 इस प्रकार कुल मिलाकर उच्चतर डिग्रीधारी उम्मीदवारों की सफलता दर संबंधित विषयों में स्नातक डिग्रीधारी उम्मीदवारों से कुछ अधिक थी।

6.2 **तालिका – 4** से देखा से जा सकता है कि कुल 1164 या 41.7% उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया और उनकी विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए अनुशंसा की गई। उनमें से 821 (70.5%) स्नातक थे और 343 (29.5%) स्नातकोत्तर या उच्चतर योग्यताधारक थे।

7 परीक्षा में बैठे और नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों का वैकल्पिक विषयवार वितरण और सफलता दर को **तालिका – 5** में दर्शाया गया है।

तालिका–5 परीक्षा में बैठे और अनुशंसित उम्मीदवारों का वैकल्पिक विषयवार वितरण– सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2015

क्रम सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
		परीक्षा में बैठे	अनुशंसित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संथाली भाषा का साहित्य	2	2	100.0
2	सिंधी (अरबी) भाषा का साहित्य	2	1	50.0
3	सिंधी (देवनागरी लिपि) भाषा का साहित्य	3	1	33.3
4	उड़िया भाषा का साहित्य	7	2	28.6
5	तमिल भाषा का साहित्य	93	20	21.5
6	चिकित्सा विज्ञान	327	66	20.2
7	मणिपुरी भाषा का साहित्य	20	4	20.0
8	सांख्यिकी	5	1	20.0
9	विधि	245	41	16.7
10	बंगला भाषा का साहित्य	6	1	16.7
11	भौतिकी	128	20	15.6
12	मानव विज्ञान	641	95	14.8
13	वाणिज्य एवं लेखाशास्त्र	152	21	13.8
14	कृषि	86	11	12.8
15	मैथिली भाषा का साहित्य	106	13	12.3
16	यांत्रिक इंजीनियरी	115	14	12.2
17	प्रबंधन	91	11	12.1
18	गणित	258	31	12.0

क्रम सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
		परीक्षा में बैठे	अनुशंसित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	रसायन विज्ञान	92	11	12.0
20	मनोविज्ञान	238	28	11.8
21	समाजशास्त्र	1479	173	11.7
22	पंजाबी भाषा का साहित्य	52	6	11.5
23	पशुपालन व पशु चिकित्सा विज्ञान	47	5	10.6
24	अर्थशास्त्र	185	19	10.3
25	कन्नड़ भाषा का साहित्य	117	12	10.3
26	अंग्रेजी भाषा का साहित्य	21	2	9.5
27	वैद्युत इंजीनियरी	143	13	9.1
28	तेलुगु भाषा का साहित्य	132	12	9.1
29	वनस्पति विज्ञान	56	5	8.9
30	लोक प्रशासन	1795	151	8.4
31	मलयालम भाषा का साहित्य	65	5	7.7
32	प्राणि विज्ञान	72	5	6.9
33	राजनीति शास्त्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध	989	68	6.9
34	मराठी भाषा का साहित्य	15	1	6.7
35	संस्कृत भाषा का साहित्य	109	7	6.4
36	इतिहास	1821	102	5.6
37	दर्शनशास्त्र	847	47	5.5
38	सिविल इंजीनियरी	80	4	5.0
39	उर्दू भाषा का साहित्य	41	2	4.9
40	गुजराती भाषा का साहित्य	108	4	3.7
41	भूगोल	3391	115	3.4
42	हिन्दी भाषा का साहित्य	428	12	2.8
43	भूविज्ञान	27	0	0.0
44	असमी भाषा का साहित्य	3	0	0.0
45	डोगरी भाषा का साहित्य	2	0	0.0

7.1 **तालिका – 5** से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं :–

(i) उम्मीदवारों द्वारा वैकल्पिक विषयों के रूप में चुने गए विषयों में भूगोल सर्वाधिक वरीयता प्राप्त विषय था जिसके बाद इतिहास तथा लोक प्रशासन को वरीयता दी गई थी।

(ii) परीक्षा में 100 या उससे अधिक उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों में से चिकित्सा विज्ञान विषय लेने वाले उम्मीदवारों का उच्चतम सफलता प्रतिशत (20.2 प्रतिशत) था जिसके बाद विधि (16.7 प्रतिशत) तथा भौतिकी (15.6 प्रतिशत) का स्थान रहा।

(iii) जहां तक अनुशंसित उम्मीदवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का संबंध है, 55.2% इंजीनियरी से और उसके पश्चात 25.3%, 13.7% और 5.8% क्रमशः मानविकी, चिकित्सा विज्ञान और विज्ञान से थे। तथापि अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा लिए गए वैकल्पिक विषयों का 84% मानविकी विषयों (भाषा साहित्य सहित) से संबंधित था, और उसके पश्चात 7.2%, 6.1% और 2.7% क्रमशः विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरी से संबंधित था। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि अधिकांश उम्मीदवारों ने मूल विषयों (अर्थात इंजीनियरी, विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान विषयों) को छोड़कर परीक्षा में मानविकी के विषयों को चुना।

7.2 पिछली तीन सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षाओं में अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा वैकल्पिक विषयों की मुख्य शाखा–वार चुने गए वैकल्पिक विषयों का वितरण **आरेख–2** में दर्शाया गया है।

आरेख–2 मुख्य विषयों में अनुशंशित उम्मीदवारों द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों का विवरण सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा

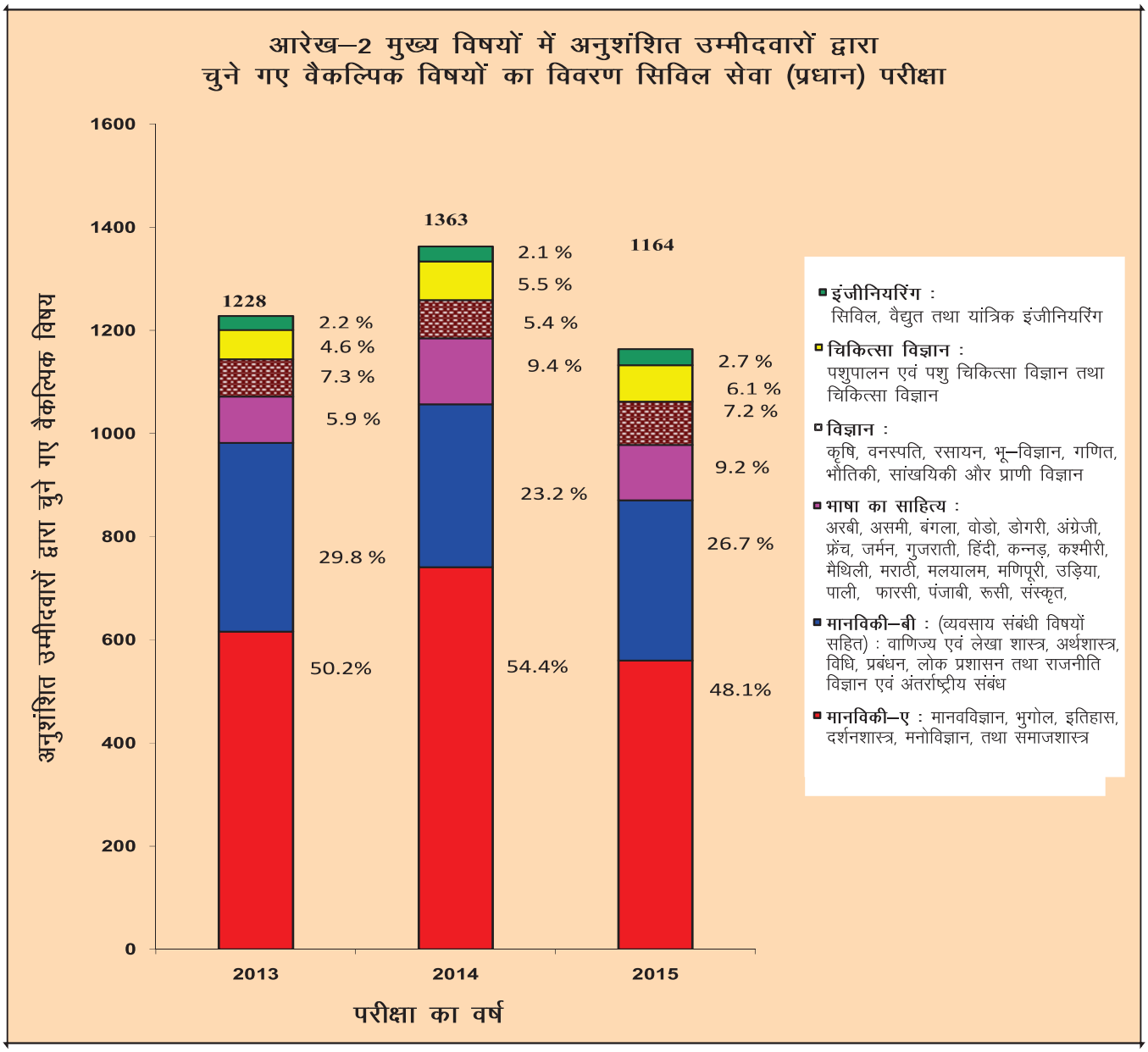

8. नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों का पृथक विश्लेषण यह दर्शाता है कि 176 उम्मीदवार या 15.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदाय के, 89 उम्मीदवार या 7.7 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के, 331 उम्मीदवार या 28.4 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग तथा 568 उम्मीदवार या 48.8 प्रतिशत सामान्य वर्ग से संबंधित थे।

8.1 सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में बैठे और अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु तथा लिंगवार विवरण क्रमशः **तालिका 6–क, 6–ख और 6–ग** में दिया गया है।

तालिका 6 क : सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2015 में बैठने वाले उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंगवार वितरण

(1.8.2015 के आधार पर आयु की गणना)

समुदाय	परीक्षा में बैठे उम्मीदवार			आयु–वर्ग									
				21–24 वर्ष		24–26 वर्ष		26–28 वर्ष		28–30 वर्ष		30 वर्ष तथा उससे ऊपर	
	पु.	म.	कुल	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म
अ.जा.	**82703**	**23845**	**106548**	**20528**	**8061**	**17269**	**5531**	**14099**	**3850**	**10802**	**2531**	**20005**	**3872**
	77.6%	22.4%	**100%**	24.8%	33.8%	20.9%	23.2%	17.0%	16.1%	13.1%	10.6%	24.2%	16.2%
अ.ज.जा.	**29732**	**9521**	**39253**	**7891**	**3177**	**6683**	**2402**	**5269**	**1688**	**3846**	**996**	**6043**	**1258**
	75.7%	24.3%	100%	26.5%	33.4%	22.5%	25.2%	17.7%	17.7%	12.9%	10.5%	20.3%	13.2%
अ.पि.व.	**95299**	**27087**	**122386**	**22990**	**9975**	**19013**	**6204**	**16461**	**4121**	**13124**	**2728**	**23711**	**4059**
	77.9%	22.1%	100%	24.1%	36.8%	20.0%	22.9%	17.3%	15.2%	13.8%	10.1%	24.9%	15.0%
सामान्य	**140276**	**54928**	**195204**	**34648**	**19739**	**30458**	**13570**	**28669**	**9525**	**23875**	**6818**	**22626**	**5276**
	71.9%	28.1%	100%	24.7%	35.9%	21.7%	24.7%	20.4%	17.3%	17.0%	12.4%	16.1%	9.6%
कुल	**348010**	**115381**	**463391**	**86057**	**40952**	**73423**	**27707**	**64498**	**19184**	**51647**	**13073**	**72385**	**14465**
	75.1%	24.9%	100%	24.7%	35.5%	21.1%	24.0%	18.5%	16.6%	14.8%	11.3%	20.8%	12.5%

पु. ➔ पुरूष; म. ➔ महिला; कु. ➔ कुल

तालिका 6 ख : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 में बैठने वाले उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंगवार वितरण (1.8.2015 के आधार पर आयु की गणना)

समुदाय	परीक्षा में बैठे उम्मीदवार			आयु–वर्ग									
				21–24 वर्ष		24–26 वर्ष		26–28 वर्ष		28–30 वर्ष		30 वर्ष तथा उससे ऊपर	
	पु.	म.	कुल	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म
अ.जा.	**1949**	**221**	**2170**	**176**	**37**	**333**	**54**	**390**	**46**	**366**	**37**	**684**	**47**
	89.8%	10.2%	**100%**	9.0%	16.7%	17.1%	24.4%	20.0%	20.8%	18.8%	16.7%	35.1%	21.3%
अ.ज.जा.	**1013**	**105**	**1118**	**100**	**14**	**206**	**27**	**218**	**27**	**176**	**16**	**313**	**21**
	90.6%	9.4%	**100%**	9.9%	13.3%	20.3%	25.7%	21.5%	25.7%	17.4%	15.2%	30.9%	20.0%
अ.पि.व.	**3676**	**294**	**3970**	**365**	**48**	**682**	**69**	**753**	**61**	**666**	**51**	**1210**	**65**
	92.6%	7.4%	**100%**	9.9%	16.3%	18.6%	23.5%	20.5%	20.7%	18.1%	17.3%	32.9%	22.1%
सामान्य	**6462**	**922**	**7384**	**749**	**161**	**1461**	**261**	**1552**	**198**	**1341**	**166**	**1359**	**136**
	87.5%	12.5%	**100%**	11.6%	17.5%	22.6%	28.3%	24.0%	21.5%	20.8%	18.0%	21.0%	14.8%
कुल	**13100**	**1542**	**14642**	**1390**	**260**	**2682**	**411**	**2913**	**332**	**2549**	**270**	**3566**	**269**
	89.5%	10.5%	**100%**	10.6%	16.9%	20.5%	26.7%	22.2%	21.5%	19.5%	17.5%	27.2%	17.4%

पु. ➔ पुरूष; म. ➔ महिला; कु. ➔ कुल

तालिका 6 ग : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 में अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंगवार वितरण

(1.8.2015 के आधार पर आयु की गणना)

समुदाय	अनुशंसित उम्मीदवार			आयु–वर्ग									
				21–24 वर्ष		24–26 वर्ष		26–28 वर्ष		28–30 वर्ष		30 वर्ष तथा उससे ऊपर	
	पु.	म.	कुल	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म
अ.जा.	**141**	**35**	**176**	**13**	**6**	**23**	**5**	**33**	**8**	**34**	**7**	**38**	**9**
	80.1%	19.9%	**100%**	9.2%	17.1%	16.3%	14.3%	23.4%	22.9%	24.1%	20.0%	27.0%	25.7%
अ.ज.जा.	**72**	**17**	**89**	**5**	**2**	**15**	**3**	**15**	**6**	**15**	**3**	**22**	**3**
	80.9%	19.1%	100%	6.9%	11.8%	20.8%	17.6%	20.8%	35.3%	20.8%	17.6%	30.6%	17.6%
अ.पि.व.	**298**	**33**	**331**	**35**	**4**	**68**	**8**	**74**	**8**	**50**	**8**	**71**	**5**
	90.0%	10.0%	100%	11.7%	12.1%	22.8%	24.2%	24.8%	24.2%	16.8%	24.2%	23.8%	15.2%
सामान्य	**424**	**144**	**568**	**76**	**27**	**103**	**45**	**106**	**35**	**80**	**23**	**59**	**14**
	74.6%	25.4%	100%	17.9%	18.8%	24.3%	31.3%	25.0%	24.3%	18.9%	16.0%	13.9%	9.7%
कुल	**935**	**229**	**1164**	**129**	**39**	**209**	**61**	**228**	**57**	**179**	**41**	**190**	**31**
	80.3%	19.7%	100%	13.8%	17.0%	22.4%	26.6%	24.4%	24.9%	19.1%	17.9%	20.3%	13.5%

पु. ➔ पुरूष; म. ➔ महिला; कु. ➔ कुल

9. **आरेख–3**, सिविल सेवा परीक्षा, 2015 में बैठने वाले पुरुष उम्मीदवारों के रूझान को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षाए 2015 में बैठने वाले पुरुष उम्मीदवारों में से उच्चतम प्रतिशतता (24.7%) 21–24 वर्ष के आयु समूह के उम्मीदवारों की थी। लेकिन सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 2015 में बैठने वाले अधिकतम 27.2 पुरुष उम्मीदवार 30 वर्ष एवं अधिक आयु समूह के थे। तथापि अनुशंसित पुरुष उम्मीदवारों में उच्चतम प्रतिशतता (24.4%) 26-28 वर्ष के आयु समूह के पुरुष उम्मीदवारों की थी।

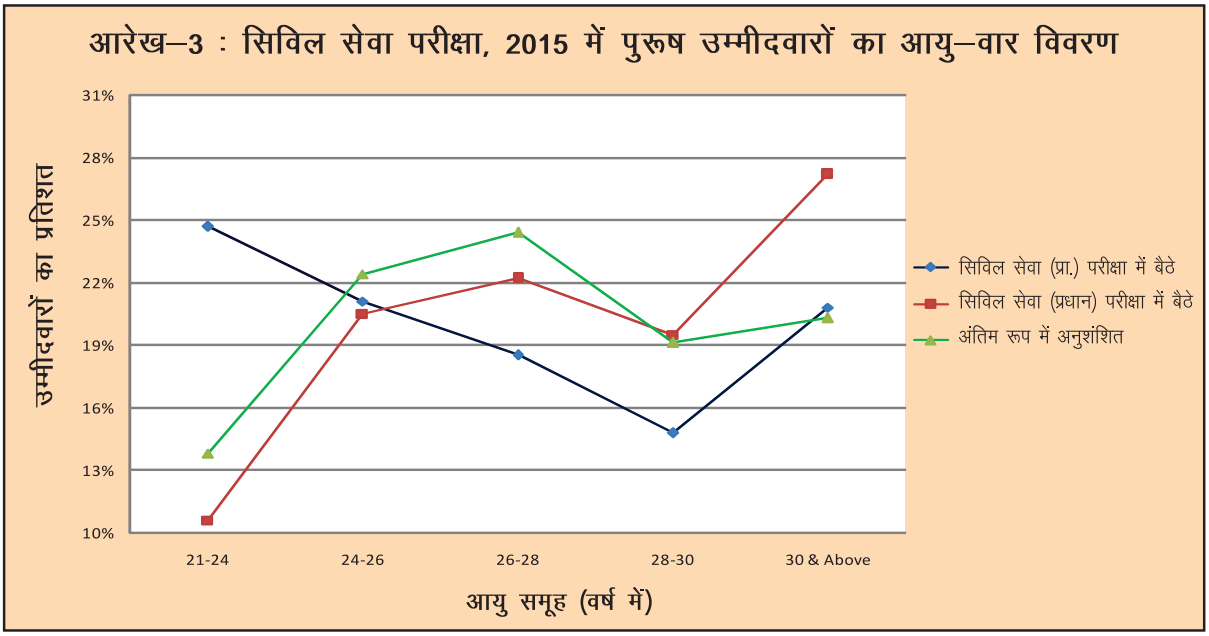

10. **आरेख–4** सिविल सेवा परीक्षा, 2015 में शामिल हुई महिला उम्मीदवारों के रूझान को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 में बैठने वाली महिला उम्मीदवारों में से उच्चतम प्रतिशतता (35.5%) 21–24 वर्ष के आयु समूह की उम्मीदवारों की थी। लेकिन सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 में बैठने वाली अधिकतम 26.7% महिला उम्मीदवार 24–26 वर्ष के आयु समूह की थीं और अनुशंसित चरण में अनुशंसित महिला उम्मीदवारों में उच्चतम प्रतिशतता (26.6%) 24–26 वर्ष के आयु समूह के उम्मीदवारों की थी।

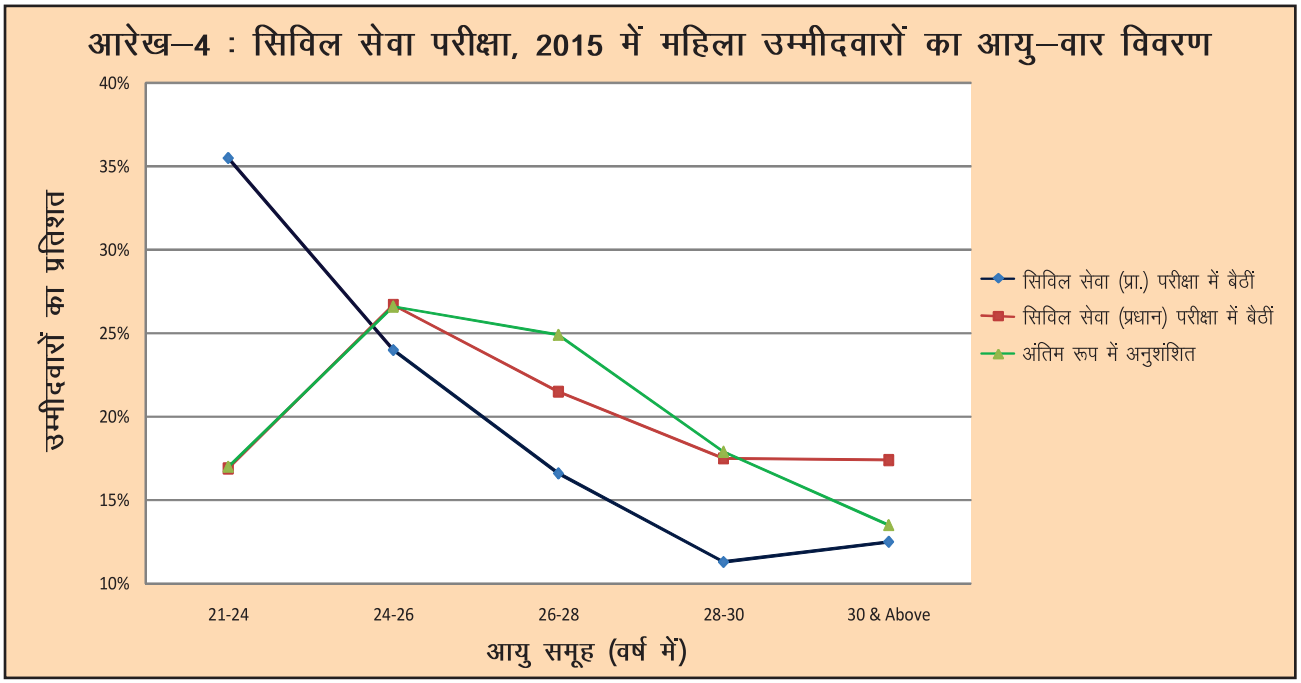

10.1 **तालिका 6–ग** इस बात को दर्शाती है कि अनुशंसित उम्मीदवारों में उच्चतम प्रतिशतता 26-28 वर्ष के आयु समूह के (24.5 प्रतिशत) उम्मीदवारों की थी, उसके बाद 24-26 वर्ष (23.2%), 30 वर्ष एवं अधिक आयु समूह के (19 प्रतिशत), 28-30 वर्ष के आयु समूह के (18.9 प्रतिशत) तथा 21-24 वर्ष आयु समूह के (14.4 प्रतिशत) उम्मीदवारों की थी।

11. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 में बैठने वाली कुल 1,542 महिला उम्मीदवारों में से कुल 229 की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई और इस प्रकार सफलता दर 14.9 प्रतिशत रही। दूसरी ओर 13,100 पुरूष उम्मीदवारों में से 935 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई, जिनकी सफलता दर 7.1 प्रतिशत रही। इस प्रकार महिला उम्मीदवारों का सफलता अनुपात पुरूष उम्मीदवारों की तुलना में अपेक्षाकृत काफी उच्च रहा।

11.1 समुदाय और लिंग–वार, उम्मीदवारों की सफलता दर **तालिका–7** में दी गई है

तालिका 7: समुदाय और लिंग–वार उम्मीदवारों की सफलता दर – सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा–2015

समुदाय	परीक्षा में बैठे उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार			सफलता दर (प्रतिशत)		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
अ.जा.	1949	221	2170	141	35	176	7.2%	15.8%	8.1%
अ.ज.जा.	1013	105	1118	72	17	89	7.1%	16.2%	8.0%
अ.पि.व.	3676	294	3970	298	33	331	8.1%	11.2%	8.3%
सामान्य	6462	922	7384	424	144	568	6.6%	15.6%	7.7%
कुल	**13100**	**1542**	**14642**	**935**	**229**	**1164**	**7.1%**	**14.9%**	**7.9%**

11.2 उपर्युक्त **तालिका–7** से देखा जा सकता है कि विभिन्न समुदायों यथा अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और सामान्य श्रेणी से सम्बद्ध महिला उम्मीदवारो का प्रदर्शन उस समुदाय के पुरूष उम्मीदवारों से काफी बेहतर रहा।

12. शारीरिक रूप से अक्षम 13,943 व्यक्तियों ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 के लिए आवेदन किया, जिनमें से 6,645 उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में बैठे और उनमें से 376 उम्मीदवारों ने परीक्षा में अर्हता प्राप्त की। लेकिन केवल 341 शारीरिक अक्षम उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 में बैठे और 46 ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई। उनमें से एक उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 13 अन्य पिछड़े वर्ग और 32 सामान्य श्रेणी के थे। इनमें नियुक्ति के लिए अनुशंसित 7 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा 4 ऐसे उम्मीदवार थे, जिन्होने अपने पहले प्रयास में ही परीक्षा में अर्हता प्राप्त की जिनमें से चार उम्मीदवार 21-24 आयु–समूह के थे। इसके अतिरिक्त परीक्षा में सफल होने वाले 46 उम्मीदवारों में से 19 उम्मीदवार 30 वर्ष एवं अधिक आयु.समूह के थे।

12.1 यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि इस परिशिष्ट में दी गई सभी तालिकाओं तथा आरेखों में शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को उनसे संबंधित समुदायों अर्थात अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा सामान्य वर्ग के अनुसार दर्शाया गया है।

13. सिविल सेवा (प्रा.), सिविल सेवा (प्रधान) और अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के लिए किए गए प्रयासों की संख्या का समुदाय और लिंग–वार विवरण **तालिका 8–क, 8–ख और 8–ग** के साथ–साथ **आरेख–5** में भी दर्शाया गया है।

तालिका– 8 क : सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2015 में बैठे उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या–समुदाय और लिंग–वार

समुदाय	लिंग	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8 और इससे अधिक	
अ.जा.	पुरूष	42575	16589	8852	5059	3272	2073	1241	3042	**82703**
		51.48%	20.06%	10.70%	6.12%	3.96%	2.51%	1.50%	3.68%	**100%**
	महिला	14964	4474	1903	1014	670	309	185	326	**23845**
		62.76%	18.76%	7.98%	4.25%	2.81%	1.30%	0.78%	1.37%	**100%**
अ.ज.जा.	पुरूष	15013	6085	3262	1936	1245	753	440	998	**29732**
		50.49%	20.47%	10.97%	6.51%	4.19%	2.53%	1.48%	3.36%	**100%**
	महिला	5825	1885	888	404	237	131	57	94	**9521**
		61.18%	19.80%	9.33%	4.24%	2.49%	1.38%	0.60%	0.99%	**100%**
अ.पि.व.	पुरूष	45550	19319	10693	6570	4740	3164	2320	2943	**95299**
		47.80%	20.27%	11.22%	6.89%	4.97%	3.32%	2.43%	3.09%	**100%**
	महिला	16916	5169	2289	1202	657	379	243	232	**27087**
		62.45%	19.08%	8.45%	4.44%	2.43%	1.40%	0.90%	0.86%	**100%**
सामान्य	पुरूष	75666	30150	15073	9099	6553	3477	151	107	**140276**
		53.94%	21.49%	10.75%	6.49%	4.67%	2.48%	0.11%	0.08%	**100%**
	महिला	35880	10593	4340	2218	1277	584	27	9	**54928**
		65.32%	19.29%	7.90%	4.04%	2.32%	1.06%	0.05%	0.02%	**100%**

कुल	पुरूष	**178804**	**72143**	**37880**	**22664**	**15810**	**9467**	**4152**	**7090**	**348010**
		51.38%	20.73%	10.88%	6.51%	4.54%	2.72%	1.19%	2.04%	**100%**
	महिला	**73585**	**22121**	**9420**	**4838**	**2841**	**1403**	**512**	**661**	**115381**
		63.78%	19.17%	8.16%	4.19%	2.46%	1.22%	0.44%	0.57%	**100%**
	कुल	**252389**	**94264**	**47300**	**27502**	**18651**	**10870**	**4664**	**7751**	**463391**
		54.47%	**20.34%**	**10.21%**	**5.93%**	**4.02%**	**2.35%**	**1.01%**	**1.67%**	**100%**

टिप्पणी–। :सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल छः अवसरों की अनुमति है। तथापि शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए तीन अतिरिक्त अवसरों की अनुमति है जो सामान्य श्रेणी से संबंधित हों।

तालिका– 8 ख : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 में बैठे उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या –समुदाय और लिंग–वार

समुदाय	लिंग	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8 और इससे अधिक	
अ.जा.	पुरूष	91	248	342	280	260	226	157	345	**1949**
		4.67%	12.72%	17.55%	14.37%	13.34%	11.60%	8.06%	17.70%	**100%**
	महिला	18	46	38	29	37	23	8	22	**221**
		8.14%	20.81%	17.19%	13.12%	16.74%	10.41%	3.62%	9.95%	**100%**
अ.ज.जा.	पुरूष	44	127	157	135	164	122	83	181	**1013**
		4.34%	12.54%	15.50%	13.33%	16.19%	12.04%	8.19%	17.87%	**100%**
	महिला	6	15	16	20	20	8	5	15	**105**
		5.71%	14.29%	15.24%	19.05%	19.05%	7.62%	4.76%	14.29%	**100%**
अ.पि.व.	पुरूष	214	566	716	534	513	378	310	445	**3676**
		5.82%	15.40%	19.48%	14.53%	13.96%	10.28%	8.43%	12.11%	**100%**
	महिला	19	52	63	48	47	21	16	28	**294**
		6.46%	17.69%	21.43%	16.33%	15.99%	7.14%	5.44%	9.52%	**100%**
सामान्य	पुरूष	631	1485	1465	1200	983	655	25	18	**6462**
		9.76%	22.98%	22.67%	18.57%	15.21%	10.14%	0.39%	0.28%	**100%**
	महिला	116	219	214	181	128	61	2	1	**922**
		12.58%	23.75%	23.21%	19.63%	13.88%	6.62%	0.22%	0.11%	**100%**
कुल	पुरूष	**980**	**2426**	**2680**	**2149**	**1920**	**1381**	**575**	**989**	**13100**
		7.48%	18.52%	20.46%	16.40%	14.66%	10.54%	4.39%	7.55%	**100%**
	महिला	**159**	**332**	**331**	**278**	**232**	**113**	**31**	**66**	**1542**
		10.31%	21.53%	21.47%	18.03%	15.05%	7.33%	2.01%	4.28%	**100%**
	कुल	**1139**	**2758**	**3011**	**2427**	**2152**	**1494**	**606**	**1055**	**14642**
		7.78%	**18.84%**	**20.56%**	**16.58%**	**14.70%**	**10.20%**	**4.14%**	**7.21%**	**100%**

टिप्पणी–1 : सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल छह अवसरों की अनुमति है। तथापि शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए तीन अतिरिक्त अवसरों की अनुमति है जो सामान्य श्रेणी से संबंधित हों।

तालिका– 8 ग : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015 में बैठे अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या–समुदाय और लिंग–वार

समुदाय	लिंग	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8 और इससे अधिक	
अ.जा.	पुरूष	5	15	27	26	23	17	13	15	**141**
		3.55%	10.64%	19.15%	18.44%	16.31%	12.06%	9.22%	10.64%	**100%**
	महिला	1	6	9	5	5	3	1	5	**35**
		2.86%	17.14%	25.71%	14.29%	14.29%	8.57%	2.86%	14.29%	**100%**
अ.ज.जा.	पुरूष	3	4	13	13	15	7	5	12	**72**
		4.17%	5.56%	18.06%	18.06%	20.83%	9.72%	6.94%	16.67%	**100%**
	महिला	0	3	3	7	2	0	1	1	**17**
		0.00%	17.65%	17.65%	41.18%	11.76%	0.00%	5.88%	5.88%	**100%**
अ.पि.व.	पुरूष	16	59	64	44	48	37	15	15	**298**
		5.37%	19.80%	21.48%	14.77%	16.11%	12.42%	5.03%	5.03%	**100%**
	महिला	2	6	6	7	5	2	4	1	**33**
		6.06%	18.18%	18.18%	21.21%	15.15%	6.06%	12.12%	3.03%	**100%**
सामान्य	पुरूष	40	97	106	86	63	29	3	0	**424**
		9.43%	22.88%	25.00%	20.28%	14.86%	6.84%	0.71%	0.00%	**100%**
	महिला	18	31	41	31	16	7	0	0	**144**
		12.50%	21.53%	28.47%	21.53%	11.11%	4.86%	0.00%	0.00%	**100%**
कुल	पुरूष	**64**	**175**	**210**	**169**	**149**	**90**	**36**	**42**	**935**
		6.84%	**18.72%**	**22.46%**	**18.07%**	**15.94%**	**9.63%**	**3.85%**	**4.49%**	**100%**
	महिला	**21**	**46**	**59**	**50**	**28**	**12**	**6**	**7**	**229**
		9.17%	**20.09%**	**25.76%**	**21.83%**	**12.23%**	**5.24%**	**2.62%**	**3.06%**	**100%**
	कुल	**85**	**221**	**269**	**219**	**177**	**102**	**42**	**49**	**1164**
		7.30%	**18.99%**	**23.11%**	**18.81%**	**15.21%**	**8.76%**	**3.61%**	**4.21%**	**100%**

टिप्पणी–1 : सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल छह अवसरों की अनुमति है। तथापि शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए तीन अतिरिक्त अवसरों की अनुमति है जो सामान्य श्रेणी से संबंधित हों।

आरेख–5 : सिविल सेवा परीक्षा, 2015 में उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या

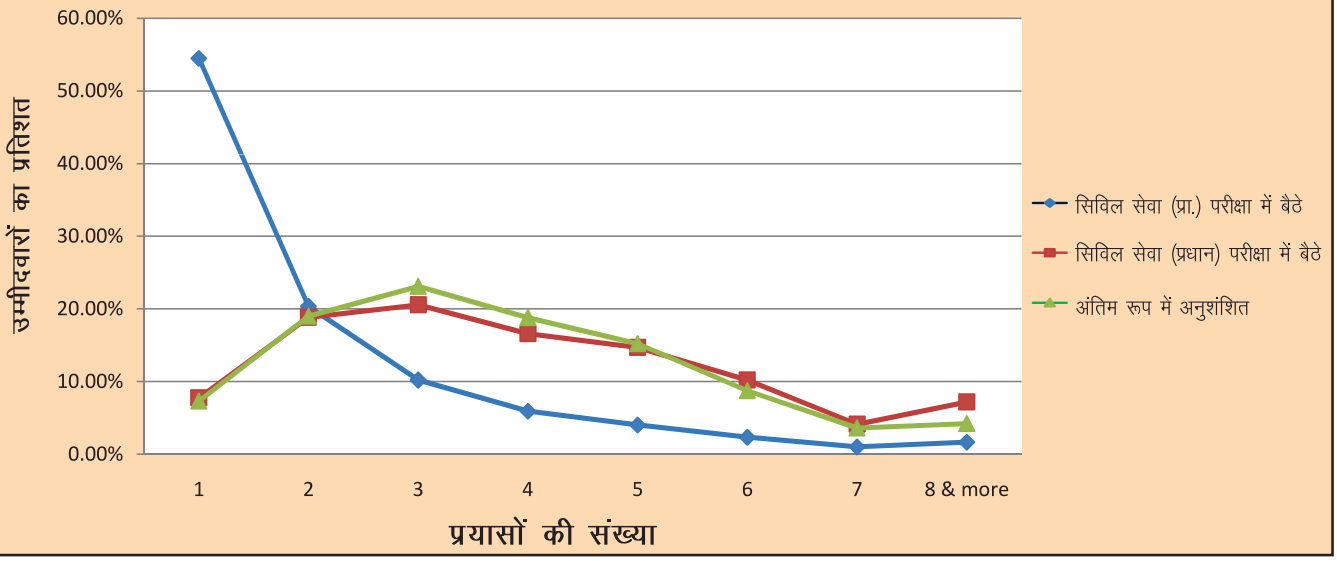

13.1 **तालिका 8–क और 8–ग** से स्पष्ट होता है कि 54.5 प्रतिशत उम्मीदवार प्रथम प्रयास में सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2015 में बैठे, उनमे से केवल 7.3 प्रतिशत उम्मीदवार प्रथम प्रयास में परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर सके। इसके अलावा द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ प्रयास में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 19.0 प्रतिशत, 23.1 प्रतिशत तथा 18.8 प्रतिशत था।

परिशिष्ट–10

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016: उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

1 आयोग द्वारा इंजीनियरी सेवा परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है – लिखित परीक्षा और उसके पश्चात व्यक्तित्व परीक्षण। लिखित परीक्षा में प्रत्येक चार विषयों के लिए तीन वस्तुनिष्ठ और दो परंपरागत प्रकार के प्रश्न–पत्र होते हैं, जो कुल 1,000 अंकों के होते हैं, जबकि व्यक्तित्व परीक्षण अधिकतम 200 अंकों का होता है। केवल वही उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के पात्र होते हैं जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

2 इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016 के आधार पर इंजीनियरी के चार विषयों में भरे जाने के लिए सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :–

	विषय		**रिक्तियों की संख्या**
(i)	सिविल इंजीनियरी	–	258
(ii)	यांत्रिक इंजीनियरी	–	192
(iii)	वैद्युत इंजीनियरी	–	123
(iv)	इलैक्ट्रानिकी एवं दूर संचार इंजीनियर	–	103
	कुल	.	**676**

3 इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016 के लिए जिन 2,67,557 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उनमें से केवल 87,957 (32.9%) उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठे। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर 1,721 (2.0%) उम्मीदवार अर्हक घोषित किए गए। इनमें से 1,692 उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया और विभिन्न इंजीनियरी सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ में 604 उम्मीदवार अनुशंसित किए गए। शेष 72 रिक्तियों का परिणाम वर्ष 2016–17 के अन्त तक घोषित नहीं किया गया है। आवेदन करने वाले तथा परीक्षा के लिखित भाग में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का समुदाय और लिंग–वार विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

तालिका –1 : इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016 के लिए आवेदन करने वाले तथा बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या

समुदाय	**उम्मीदवारों की संख्या**						
	आवेदन करने वाले			**परीक्षा में बैठने वाले**			**छोड़ने वालों की दर (%)**
	पुरुष	**महिला**	**योग**	**पुरुष**	**महिला**	**योग**	
अनुसूचित जाति	44,767	9,544	54,311	10,975	2,198	13,173	75.7%
अनुसूचित जनजाति	15,370	3,010	18,380	4,704	941	5,645	69.3%
अन्य पिछड़ा वर्ग	53,306	16,428	69,734	23,053	3,767	26,820	61.5%
सामान्य	90,141	34,991	1,25,132	34,694	7,625	42,319	66.2%
कुल	**2,03,584**	**63,973**	**2,67,557**	**73,426**	**14,531**	**87,957**	**67.1%**

3.1 **तालिका–1** से यह पता चलता है कि इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016 के लिए आवेदन करने वाले कुल 2,67,557 उम्मीदवारों में से केवल 87,957 या (32.9%) उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठे। दूसरे शब्दों में, 67.1% उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, परीक्षा में न बैठने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की दर सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की तुलना में अधिकतम थी।

3.2 पिछली पाँच परीक्षाओं में लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को **आरेख–1** में दिखाया गया है।

आरेख–1 : परीक्षा में बैठने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले और अनुशंसित उम्मीदवार – इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (2012–2016)

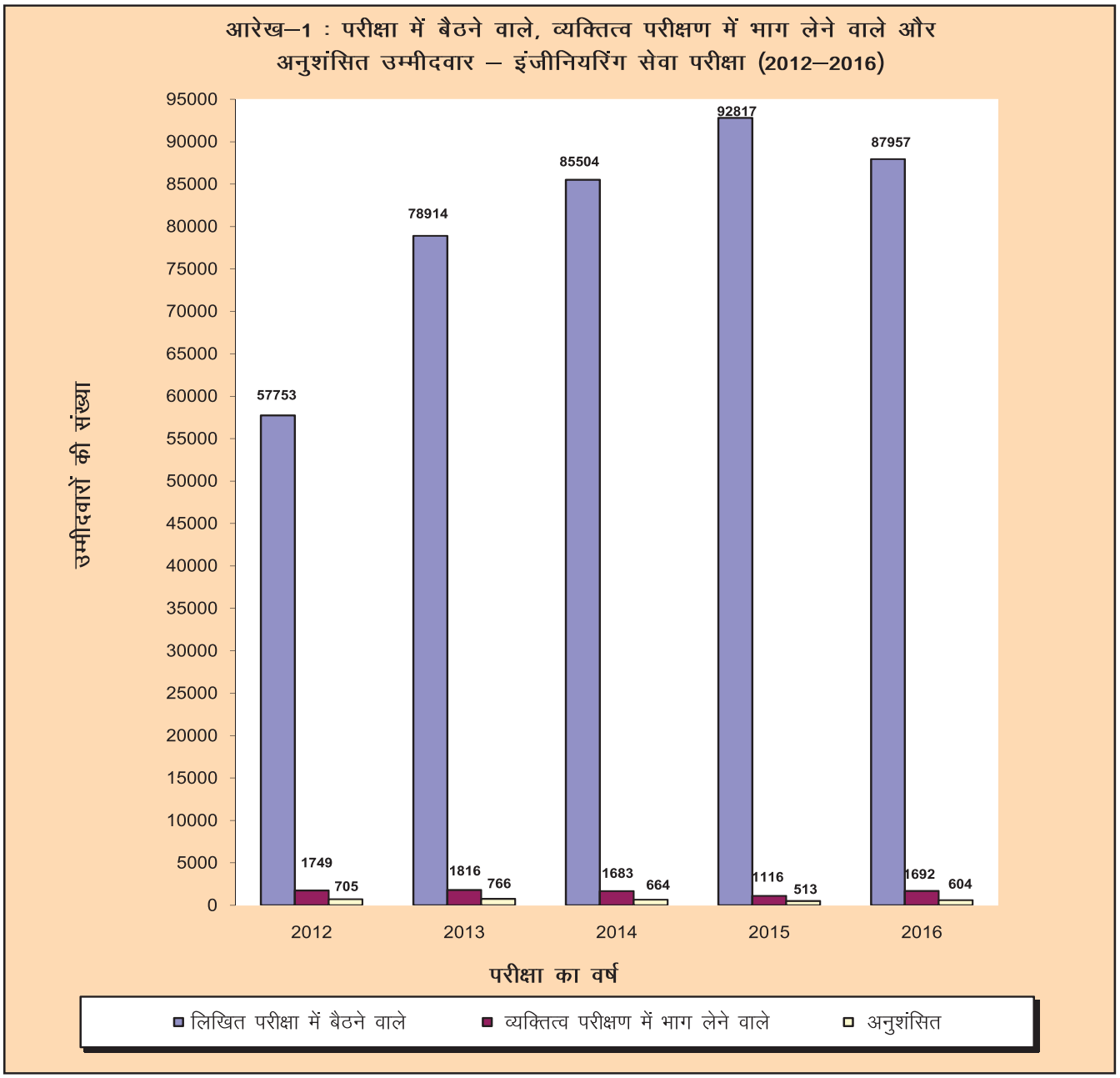

4. व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले तथा अनुशंसित उम्मीदवारों के संबंध में शैक्षिक योग्यताओं (अर्थात् उच्चतर योग्यताएं के साथ–साथ न्यूनतम निर्धारित योग्यता) तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर उनकी श्रेणी के आधार पर उम्मीदवारों का वितरण **तालिका –2** में दर्शाया गया है।

तालिका –2 : शैक्षिक योग्यता तथा श्रेणी के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या – इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016

शैक्षिक योग्यताएं	व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार		
	प्रथम श्रेणी	प्रथम श्रेणी से अन्यथा	योग	प्रथम श्रेणी	प्रथम श्रेणी से अन्यथा	योग
स्नातक डिग्रियां	1,303	97	1400	467	27	494
उच्चतर डिग्रियां	280	12	292	106	4	110
कुल	**1583**	**109**	**1692**	**573**	**31**	**604**

4.1 **तालिका–2** से यह पता चलता है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों में से 81.8 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातक थे, शेष 18.2 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातकोत्तर या उच्चतर योग्यता धारक थे। इसके अलावा, व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में स्नातक डिग्री धारकों तथा स्नातकोत्तर या उच्चतर डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 82.7 प्रतिशत तथा 17.3 प्रतिशत था।

4.2 **तालिका–2** से यह पता चलता है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित 604 उम्मीदवारों में से 573 उम्मीदवार या 94.9 प्रतिशत उम्मीदवारों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी तथा 31 उम्मीदवार या 5.1 प्रतिशत उम्मीदवारों ने कालेज/विश्वविद्यालय स्तर पर द्वितीय श्रेणी या उससे कम श्रेणी प्राप्त की थी। इसके अलावा, व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से 93.6 प्रतिशत उम्मीदवारों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी।

5. एक ओर, एम.ई./एम.एस.सी./बी.टेक./बी.एस.सी.(इंजी.) आदि जैसे नियमित डिग्रीधारकों तथा दूसरी ओर, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)/इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स/एरोनाटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया आदि द्वारा प्रदत्त समकक्ष योग्यताओं जैसे एसोशिएट मेम्बरशिप/ग्रेजुएट मेम्बरशिप रखने वाले उम्मीदवारों का विवरण **तालिका–3** में दिया गया है।

तालिका – 3 : नियमित डिग्री एवं साथ ही समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की संख्या –इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016

शैक्षिक योग्यताएं	उम्मीदवारों की संख्या	
	व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित हुए उम्मीदवार	अनुशंसित उम्मीदवार
I नियमित डिग्रियां		
(क) प्रथम श्रेणी		
(I) बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजी.)	1303	467
(II) एम.ई./एम.टेक./एम.एससी. (इंजी.)	280	106
(ख) अन्य श्रेणियां		
(I) बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजी.)	91	24
(II) एम.ई./एम.टेक./एम.एससी. (इंजी.)	12	4
उप–योग	**1,686**	**601**

II समकक्ष योग्यताएं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का खंड 'क' एवं 'ख'/इंस्टीटयूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा/एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया की एसोशिएट मेम्बरशिप परीक्षा, आदि	**6**	**3**
कुल	**1,692**	**604**

5.1 **तालिका 3** से यह देखा गया है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए कुल 604 उम्मीदवारों में से 601 (99.5%) उम्मीदवार विश्वविद्यालयों से प्राप्त नियमित डिग्रीधारी हैं और केवल तीन (0.5%) उम्मीदवार ही ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)/इंस्टीटयूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आदि से समकक्ष डिग्री प्राप्त की है।

6. व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों का विषयवार तथा योग्यतावार विवरण **तालिका–4** में दिया गया है।

तालिका–4 : विषय–वार तथा योग्यता–वार उम्मीदवारों की संख्या–इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016

विषय	व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार		
	स्नातक डिग्री	उच्चतर डिग्रियां	कुल	स्नातक डिग्री	उच्चतर डिग्रियां	कुल
सिविल	538	108	646	184	41	225
यांत्रिक	401	70	471	156	23	179
वैद्युत	281	39	320	91	15	106
इलैक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार	180	75	255	63	31	94
कुल	**1,400**	**292**	**1,692**	**494**	**110**	**604**

6.1 **तालिका–4** से यह पता चलता है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित 604 उम्मीदवारों में से 225 उम्मीदवारों या 37.3 प्रतिशत की सिविल इंजीनियरी पदों के लिए, 179 उम्मीदवारों या 29.6 प्रतिशत की यांत्रिक इंजीनियरी पदों के लिए, 106 उम्मीदवारों या 17.5 प्रतिशत की वैद्युत इंजीनियरी पदों तथा 94 उम्मीदवारों या 15.6 प्रतिशत उम्मीदवारों की इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पदों के लिए अनुशंसा की गई।

6.2 अनुशंसित उम्मीदवारों में से सिविल, यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार इंजीनियरी में उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 18.2 प्रतिशत, 12.8 प्रतिशत, 14.2 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत था। इस प्रकार अन्य इंजीनियरी विषयों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री धारक उम्मीदवारों की प्रतिशतता सर्वाधिक थी।

6.3 व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों तथा अनुशंसित उम्मीदवारों का विषय तथा योग्यता–वार वितरण भी **आरेख–2** में दर्शाया गया है।

आरेख–2 : उम्मीदवारों का विषय तथा योग्यता–वार विवरण– इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2016

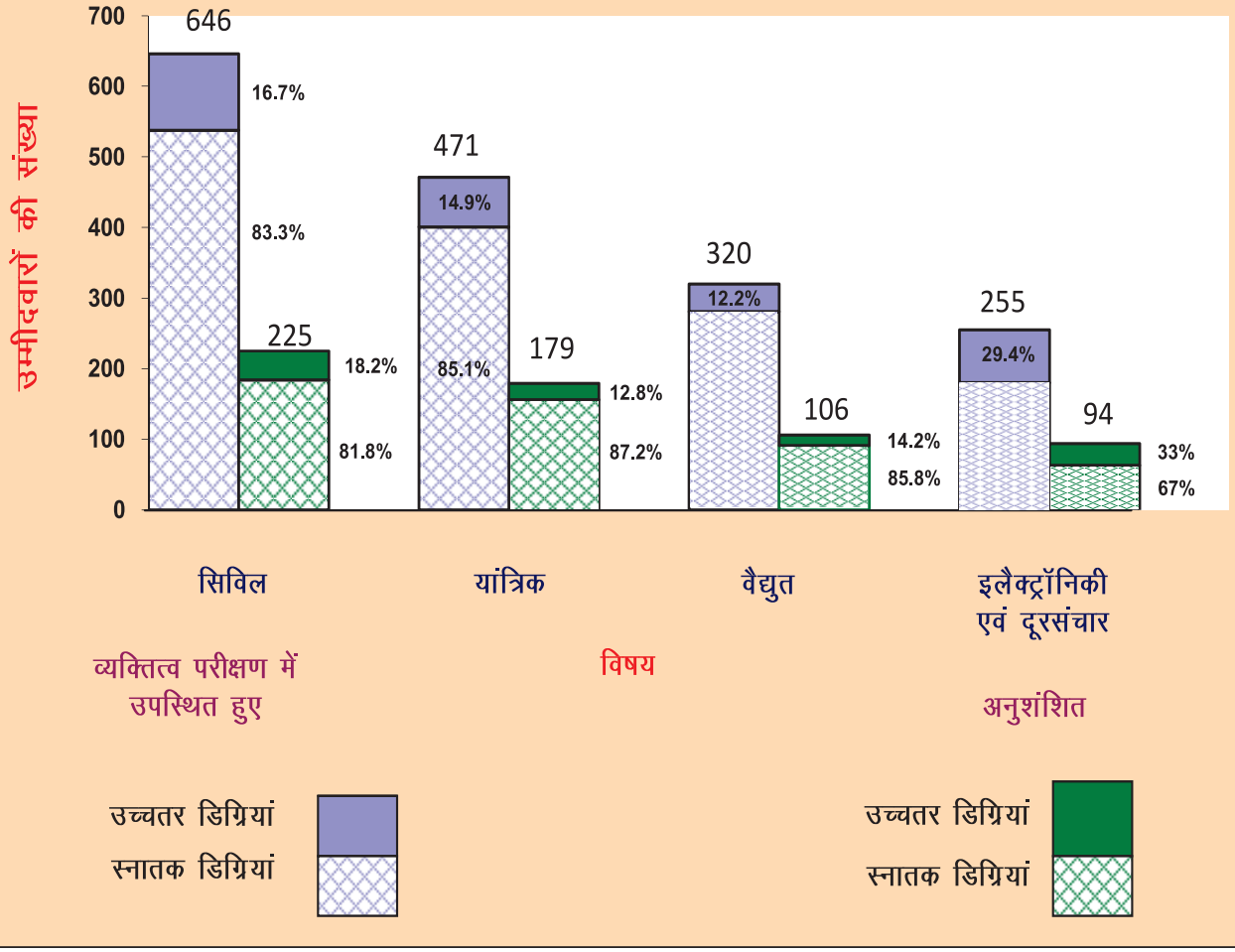

7. उन उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग–वार संख्या जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया और जिनकी अनुशंसा की गई, का विवरण **तालिका–5** में दर्शाया गया है।

तालिका–5 : उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग–वार संख्या – इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016

समुदाय	व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	194	19	213	86	7	93
अनुसूचित जनजाति	90	11	101	42	4	46
अन्य पिछड़े वर्ग	575	31	606	170	7	177
सामान्य	714	58	772	262	26	288
कुल	**1573**	**119**	**1692**	**560**	**44**	**604**

7.1 **तालिका–5** से पता चलता है कि अनुशंसित किए गए कुल उम्मीदवारों में से 92.7 प्रतिशत पुरूष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 7.3 प्रतिशत था।

8. अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु तथा लिंग–वार वितरण **तालिका–6** में दिया गया है

तालिका–6 : अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु तथा लिंग–वार वितरण इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016

(01.01.2016 के अनुसार आयु)

समुदाय	अनुशंसित उम्मीदवार			आयु–वर्ग									
				21–24 वर्ष		24–26 वर्ष		26–28 वर्ष		28–30 वर्ष		30 वर्ष तथा. उससे अधिक	
	पु.	म.	कु.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	86	7	93	44	5	30	2	5	0	3	0	4	0
अ.ज.जा.	42	4	46	29	2	8	1	4	1	1	0	0	0
अ.पि.व.	170	7	177	91	6	57	1	15	0	5	0	2	0
सामान्य	262	26	288	130	16	94	8	18	2	17	0	3	0
कुल	**560**	**44**	**604**	**294**	**29**	**189**	**12**	**42**	**3**	**26**	**0**	**9**	**0**

पु. – पुरूष म. – महिला कु. – कुल

8.1 **तालिका–6** से देखा जा सकता है कि 93 उम्मीदवार या 15.4 प्रतिशत उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 46 उम्मीदवार या 7.6 प्रतिशत उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, 177 उम्मीदवार या 29.3 प्रतिशत उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित थे तथा 288 या 47.7 प्रतिशत उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के थे।

8.2 अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय–वार वितरण **आरेख–3** में भी दर्शाया गया है।

आरेख–3 : अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय–वार वितरण इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा – 2016

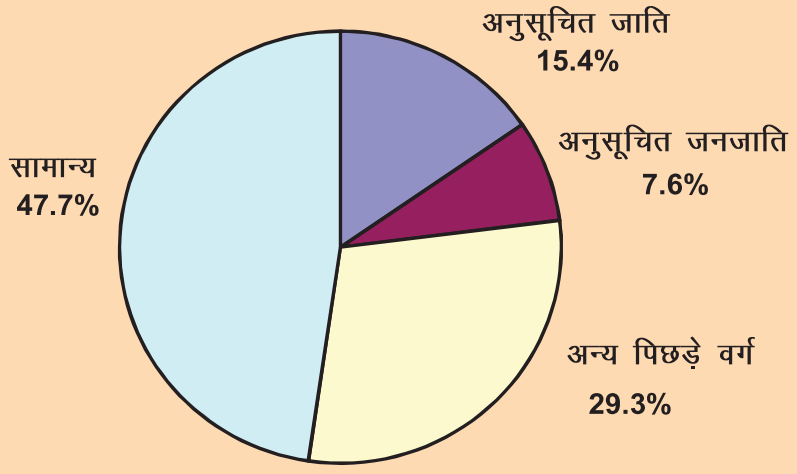

9. अनुशंसित उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग–वार औसत आयु **तालिका–7** में दी गई है।

तालिका–7 : अनुशंसित उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग–वार औसत आयु– इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016
(01.01.2016 के अनुसार आयु)

समुदाय	अनुशंसित उम्मीदवारों की औसत आयु (वर्षों में)		
	पुरूष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	24.3	23.8	24.2
अनुसूचित जनजाति	23.5	23.9	23.5
अन्य पिछड़े वर्ग	24.1	23.3	24.1
सामान्य	24.3	23.8	24.2
कुल	**24.2**	**23.8**	**24.1**

9.1 **तालिका–7** से यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक समुदाय के अतिरिक्त अनुसूचित जाति में नियुक्ति हेतु अनुशंसित पुरूष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों की आयु कम थी।

10. नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों का विषय तथा आयु वर्ग–वार वितरण **तालिका–8** में दिया गया है।

तालिका–8: नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों का विषय तथा आयु वर्ग–वार वितरण – इंजीनियरी सेवा परीक्षाए 2016
(01.01.2016 के अनुसार आयु)

विषय	अनुशंसित उम्मीदवार	आयु वर्ग				
		21–24 वर्ष	24–26 वर्ष	26–28 वर्ष	28–30 वर्ष	30 वर्ष तथा उससे ऊपर
सिविल	225	129	78	11	5	2
यांत्रिक	179	94	60	15	8	2
वैद्युत	106	60	33	8	5	0
इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार	94	40	30	11	8	5
कुल	**604**	**323**	**201**	**45**	**26**	**9**

10.1 **तालिका–8** में यह देखा जा सकता है कि अनुशंसित उम्मीदवारों में उच्चतम प्रतिशत 21-24 आयु वर्ग (53.5 प्रतिशत) से थी, इसके बाद क्रमशः 24-26 वर्ष आयु वर्ग (33.3 प्रतिशत), 26-28 वर्ष आयु वर्ग (7.4 प्रतिशत), 28-30 वर्ष आयु वर्ग (4.3 प्रतिशत), तथा 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग (1.5 प्रतिशत) थी।

10.2 अनुशंसित उम्मीदवारों का आयु वर्ग–वार वितरण **आरेख–4** में दिया गया है।

आरेख–4 : अनुशंसित उम्मीदवारों का आयु वर्ग–वार वितरण– इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2016

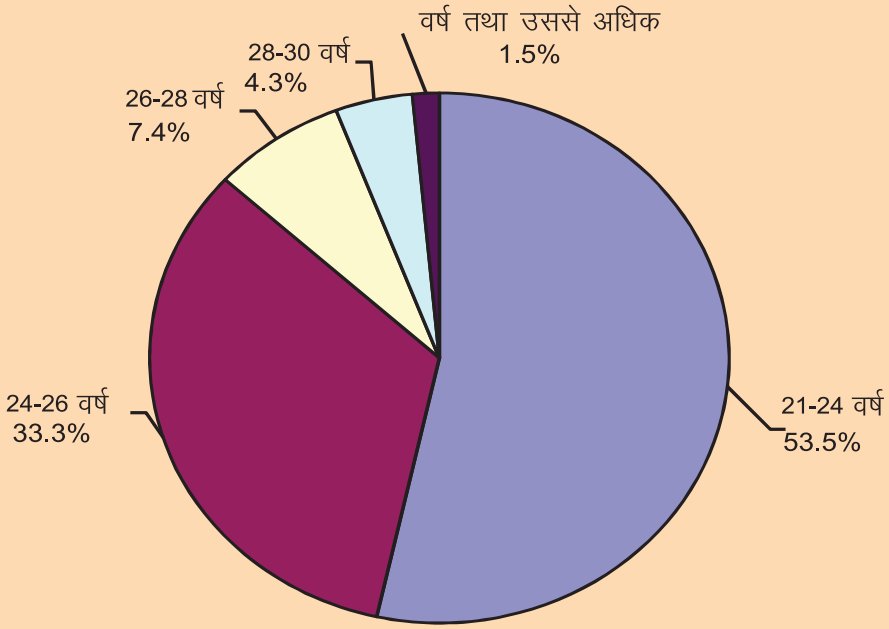

11. सरकार द्वारा इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016 के आधार पर शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या 52 बताई गई। इन 52 रिक्तियों में से 21 रिक्तियां (पी.एच.1 श्रेणी के लिए 8 तथा पी.एच3 श्रेणी के लिए 13) सिविल इंजीनियरी विषय के लिए आरक्षित थीं, 15 रिक्तियां (पी.एच.I श्रेणी के लिए 13 तथा पी.एच. 3 श्रेणी के लिए 2) यांत्रिक इंजीनियरी विषय के लिए आरक्षित थीं, 10 रिक्तियां (पी.एच.I श्रेणी के लिए 6 तथा पी.एच. 3 श्रेणी के लिए 4) वैद्युत इंजीनियरी विषय के लिए आरक्षित थीं और 6 रिक्तियां (पी.एच.I श्रेणी के लिए 5 तथा पी.एच. 3 श्रेणी के लिए 1) इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी विषय के लिए आरक्षित थीं। **(पी.एच.I. अस्थि विकलांग, पी.एच. 2. दृष्टि बाधित, पी.एच.3 . श्रवण बाधित)।**

11.1 इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016 के लिए आवेदन करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग 2,515 उम्मीदवारों में से 807 उम्मीदवारों ने इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016 की लिखित परीक्षा में भाग लिया। लिखित परीक्षा में 106 उम्मीदवार सफल हुए तथा 102 उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया। व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले 102 उम्मीदवारों में से 38 उम्मीदवारों (11 सिविल इंजीनियरी, 15 यांत्रिक इंजीनियरी तथा वैद्युत इंजीनियरी तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार इंजीनियरी विषय में से प्रत्येक में 6) को नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया। इन 38 अनुशंसित उम्मीदवारों में से 32 उम्मीदवार पीएच1 तथा शेष 6 उम्मीदवार पीएच3 से संबंधित थे।

11.2 इन 38 अनुशंसित उम्मीदवारों में से, **तीन** उम्मीदवार अनुसूचित जाति से, 13 अन्य पिछड़े वर्ग के तथा 22 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, इन 38 उम्मीदवारों में से 19 उम्मीदवार 21.24 वर्ष आयु वर्ग, **नौ** उम्मीदवार 24.26 वर्ष, **तीन** उम्मीदवार 26.28 वर्ष तथा 1 उम्मीदवार 30–28 वर्ष आयु वर्ग और 6 उम्मीदवार 30 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के थे।

परिशिष्ट–11

भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016: उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

1. संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष भारतीय वन सेवा परीक्षा आयोजित करता है। भारतीय वन सेवा परीक्षा दो क्रमिक चरणों में आयोजित की जाती है अर्थात भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन के लिए सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) और भारतीय वन सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार)। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पी प्रश्न) के दो प्रश्नपत्र होते हैं जिसमें से प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंक का होता है। इस परीक्षा का आयोजन केवल स्क्रीनिंग परीक्षण के रूप में किया गया है। उम्मीदवारों का अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्तांकों की गणना नहीं की गई है। प्रधान परीक्षा में परंपरागत (निबंध) शैली के छः प्रश्नपत्र हैं जो कुल 1400 अंकों के हैं, जबकि साक्षात्कार 300 अंकों का है। केवल वे उम्मीदवार साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के लिए पात्र होते हैं जो प्रधान परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं।

2. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2016 द्वारा भारतीय वन सेवा के लिए आवेदन करने वाले 2,52,230 उम्मीदवारों में से केवल 98,200 (38.9%) उम्मीदवार 7 अगस्त, 2016 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर 1,370 उम्मीदवार भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए। तथापि, 651 उम्मीदवार 12 नवम्बर, 2016 से 23 नवम्बर, 2016 तक आयोजित भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016 में शामिल हुए। इसके पश्चात प्रधान परीक्षा के परिणाम के आधार पर 298 उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उत्तीर्ण हुए। उनमें से सभी 298 उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल हुए। तदनन्तर आयोग ने 110 उम्मीदवारों की भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसा की। पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय वन सेवा की रिक्तियों और प्रारंभिक परीक्षा एवं भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले, उसमें शामिल होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में सम्मिलित होने वाले, अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या **तालिका–1** में दी गई है।

तालिका 1: वर्ष–वार रिक्तियों की संख्या तथा उम्मीदवारों की संख्या–भारतीय वन सेवा परीक्षा (2012–2016)

वर्ष	रिक्तियों की संख्या	उम्मीदवारों की संख्या							
		प्रारंभिक परीक्षा			प्रधान परीक्षा				
		आवेदन करने वाले	उपस्थित होने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	आवेदन करने वाले	लिखित परीक्षा में उपस्थित	लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले	व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले	अनुशंसित
2012	85	-	-	-	84,584	11,364	231	228	85
2013	85	1,70,667	63,809	1,061	715	520	226	222	85
2014	85	2,22,424	97,205	1,106	773	543	234	232	85
2015	110	2,21,705	1,01,404	1,417	991	736	310	308	110
2016	110	2,52,230	98,200	1,370	932	651	298	298	110

2.1 पिछली पांच भारतीय वन सेवा परीक्षाओं में लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को **आरेख–1** में दर्शाया गया है।

आरेख–1 : परीक्षा में उपस्थित होने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले तथा अनुशंसित उम्मीदवार–भारतीय वन सेवा परीक्षाएं (2012–16)

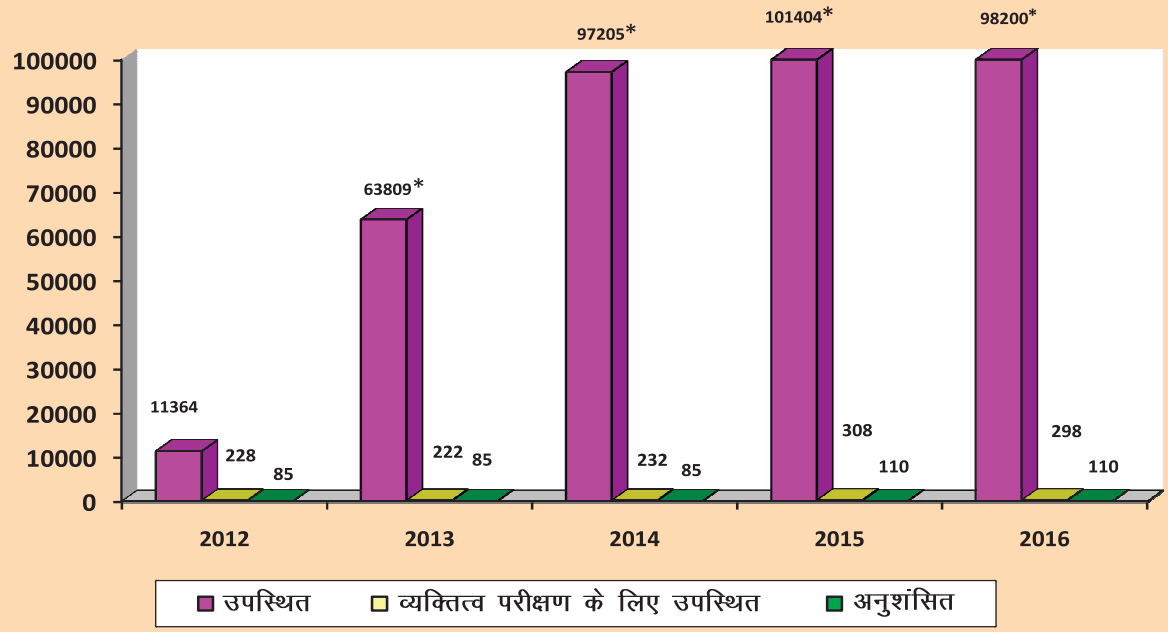

* प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या

3. भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2016 के लिए आवेदन करने वाले और उपस्थित उम्मीदवारों की समुदाय–वार तथा लिंग–वार संख्या को **तालिका–2** में और भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2016 के लिए आवेदन करने वाले और उपस्थित उम्मीदवारों की समुदाय–वार संख्या को **आरेख–2** में दर्शाया गया है:

तालिका 2 : भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2016 में आवेदन करने वाले तथा उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग–वार संख्या

समुदाय	आवेदन करने वाले				उपस्थित होने वाले			
	पुरूष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत	पुरूष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत
अ.जा.	51,030	13,560	64,590	25.6%	17,997	4,588	22,585	23.0%
अ.ज.जा.	18,758	5,525	24,283	9.6%	7,221	2,045	9,266	9.4%
अ.पि.व.	47,321	18,331	65,652	26.0%	22,694	6,243	28,937	29.5%
सामान्य	65,266	32,439	97,705	38.8%	28,114	9,298	37,412	38.1%
कुल	**1,82,375**	**69,855**	**2,52,230**	**100.0%**	**76,026**	**22,174**	**98,200**	**100.0%**

आरेख 2 : भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2016 में आवेदन करने वाले तथा उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की समुदाय वार संख्या

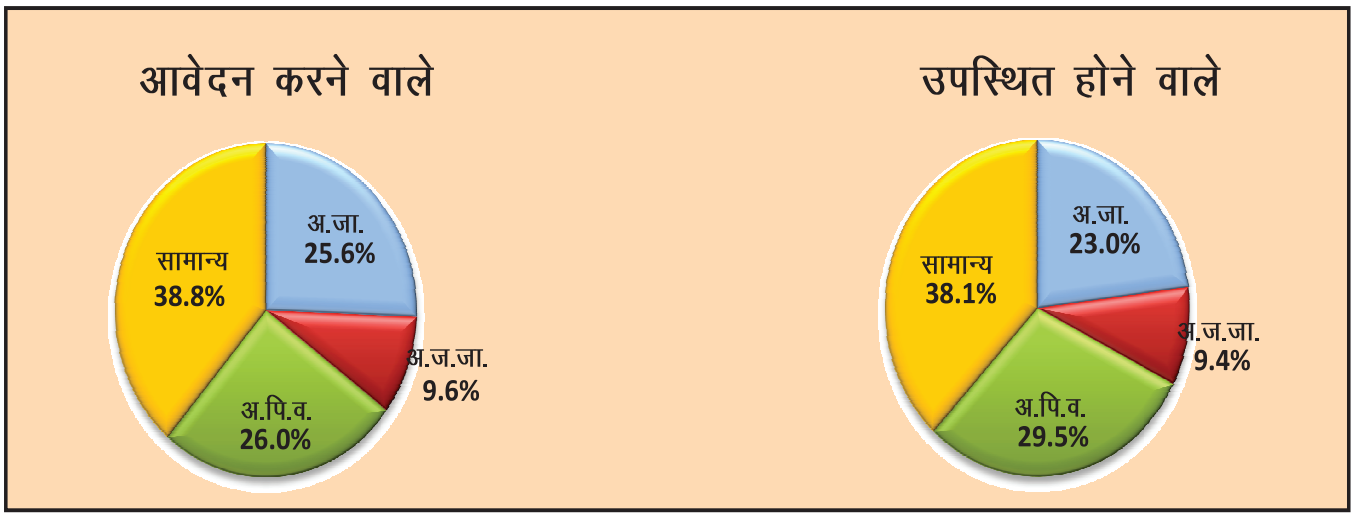

3.1 **तालिका–2** से यह देखा जा सकता है कि भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016 के लिए आवेदन करने वाले 2,52,230 उम्मीदवारों में से केवल 98,200 (38.9%) उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में बैठे। दूसरे शब्दों में, 61.1% उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए नहीं आए। साथ ही, परीक्षा छोड़ देने वाले उम्मीदवारों की दर सभी समुदायों में बहुत अधिक थी और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में यह सबसे अधिक (65%) थी। भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016 में उपस्थित हुए 98,200 उम्मीदवारों में से कुल 22,174 (22.6%) उम्मीदवार महिला थीं। इसी प्रकार, भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016 के लिए अनुशंसित 110 उम्मीदवारों में से आठ (7.3%) महिलाएं थीं। **(तालिका–7 देखें)।**

4. भारतीय वन सेवा परीक्षाएं 2016 के लिए आवेदन करने वाले, उपस्थित होने वाले, लिखित परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों) में उत्तीर्ण होने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की समुदाय–वार संख्या को **तालिका–3** में दर्शाया गया है।

तालिका–3 : समुदाय–वार उम्मीदवारों की संख्या : भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या							
	प्रारंभिक परीक्षा			प्रधान परीक्षा				
	आवेदन करने वाले	उपस्थित होने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	आवेदन करने वाले	उपस्थित होने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले	अनुशंसित
अनु. जाति	64,590	22,585	204	141	90	40	40	17
अनु. जनजाति	24,283	9,266	102	64	35	22	22	8
अन्य पिछड़े वर्ग	65,652	28,937	363	251	180	102	102	37
सामान्य	97,705	37,412	701	476	346	134	134	48
कुल	**2,52,230**	**98,200**	**1,370**	**932**	**651**	**298**	**298**	**110**

5. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016 के विस्तृत आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में एक विश्लेषण किया गया है। इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों की उच्चतम शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखा गया है। शैक्षिक योग्यतावार वे उम्मीदवार जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया तथा जिनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, का विवरण **तालिका–4** में दर्शाया गया है।

तालिका–4 : उम्मीदवारों का योग्यता–वार विवरण : भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016

शैक्षिक योग्यताएं		उम्मीदवारों की संख्या	
		व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले	अनुशंसित
I. स्नातक डिग्रियां		**209**	**72**
(i)	कृषि विज्ञान या वानिकी में स्नातक डिग्री	4	1
(ii)	पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन / एम.बी.बी.सी. में स्नातक डिग्री	1	1
(iii)	भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित, सांख्यिकी या भूविज्ञान में स्नातक डिग्री	10	4
(iv)	इंजीनियरी में स्नातक डिग्रियां	194	66
II. उच्चतर डिग्रियां		**89**	**38**
(i)	कृषि या वानिकी में स्नातकोत्तर डिग्री	14	7
(ii)	पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री	5	4
(iii)	इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री	23	7
(iv)	अन्य विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री	46	19
(v)	पी.एच.डी.	1	1
	कुल	**298**	**110**

5.1 उपर्युक्त **तालिका–4** से पता चलता है कि अनुशंसित उम्मीदवारों में से 65.5 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातक थे तथा 34.5 प्रतिशत उम्मीदवारों ने स्नातकोत्तर या उच्चतर डिग्रियाँ प्राप्त की थीं।

5.2 **तालिका–4** से पता चलता है कि भारतीय वन सेवा परीक्षाए 2016 में अनुशंसित उम्मीदवारों में से 66.4% इंजीनियरी पृष्ठभूमि के थे।

6. जिन उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया था और जिनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई थी, उनका वैकल्पिक विषय–वार विवरण **तालिका–5** में दिया गया है।

तालिका 5 : व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों एवं अनुशंसित उम्मीदवारों का वैक. ल्पिक विषय–वार विवरण –भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016

क्र. सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या*		
		व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया	अनुशंसित	पास प्रतिशतता
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	कृषि इंजीनियरी	19	9	47.4%
2.	कृषि	48	13	27.1%
3.	पशुपालन तथा पशुचिकित्सा विज्ञान	7	5	71.4%

क्र. सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या*		
		व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया	अनुशंसित	पास प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	वनस्पति विज्ञान	27	16	59.3%
5.	रसायन इंजीनियरी	8	3	37.5%
6.	रसायन विज्ञान	18	8	44.4%
7.	सिविल इंजीनियरी	14	4	28.6%
8.	वानिकी	232	90	38.8%
9.	भू–विज्ञान	140	35	25.0%
10.	गणित	42	17	40.5%
11.	यांत्रिक इंजीनियरी	14	4	28.6%
12.	भौतिकी	15	6	40.0%
13.	प्राणि विज्ञान	12	10	83.3%

* प्रत्येक उम्मीदवार ने दो वैकल्पिक विषयों का चयन किया।

6.1 **तालिका–5** से यह पता चलता है कि व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से वानिकी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी, इसके बाद भू–विज्ञान और कृषि का स्थान रहा। अनुशंसित उम्मीदवारों के मामले में भी वानिकी और भू–विज्ञान सबसे अधिक लाभदायक वैकल्पिक विषय रहे।

6.2 **तालिका–4** और **तालिका–5** से यह भी देखा जा सकता है कि जहां तक अनुशंसित उम्मीदवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का संबंध है, 66.4% उम्मीदवार इंजीनियरी पृष्ठभूमि के थे। तथापि अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों में से केवल 9.1% ही इंजीनियरी विषयों से संबंधित थे। इससे पता चलता है कि अधिकांश उम्मीदवारों ने अपने मूल विषयों अर्थात इंजीनियरी से गैर इंजीनियरी की ओर क्रास डोमेन शिफ्ट किया।

7. जिन उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया उनका समुदाय–वारए आयु–वार तथा लिंग–वार विवरण **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका–6 : उन उम्मीदवारों का समुदाय–वार, आयु–वार तथा लिंग–वार विवरण जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016

(1 अगस्त, 2016 के अनुसार आयु)

समुदाय	कुल			आयु–वर्ग (वर्षों में)									
				21–24		24–26		26–28		28–30		30 तथा उससे ऊपर	
	कु.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	40	39	1	4	-	9	1	12	-	7	-	7	-
अ.ज.जा.	22	21	1	4	-	3	-	6	1	3	-	5	-
अ.पि.व.	102	94	8	12	-	23	4	31	2	17	1	11	1
सामान्य	134	124	10	13	1	28	3	39	3	26	1	18	2
कुल	**298**	**278**	**20**	**33**	**1**	**63**	**8**	**88**	**6**	**53**	**2**	**41**	**3**

कु – कुल पु – पुरूष म – महिला

7.1 उपर्युक्त **तालिका–6** से यह देखा जा सकता है कि साक्षात्कार में 298 उम्मीदवार शामिल हुए जिनमें 40 (13.4%) उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 22 (7.4%) उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, 102 (34.2%) उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग तथा 134 (45%) उम्मीदवार सामान्य समुदाय के थे।

8. जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, उनका समुदाय–वार, आयु–वार तथा लिंग–वार विवरण **तालिका–7** में दिया गया है।

तालिका–7 : अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय–वार, आयु–वार तथा लिंग–वार वितरण–भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016 (1 अगस्त, 2016 के अनुसार आयु)

समुदाय	कुल			आयु–वर्ग (वर्षों में)									
				21–24		24–26		26–28		28–30		30 तथा उससे ऊपर	
	कु.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	17	16	1	3	-	3	1	5	-	2	-	3	-
अ.ज.जा.	8	7	1	1	-	1	-	3	1	-	-	2	-
अ.पि.व.	37	35	2	2	-	11	2	11	-	5	-	6	-
सामान्य	48	44	4	3	-	12	2	12	1	12	-	5	1
कुल	**110**	**102**	**8**	**9**	**-**	**27**	**5**	**31**	**2**	**19**	**-**	**16**	**1**

कु – कुल पु – पुरूष म – महिला

8.1 **तालिका–7** से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है:

(i) 110 अनुशंसित उम्मीदवारों में से 17(15.5%) उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 8(7.3%) उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, 37(33.6%) उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग तथा 48 (43.6%) उम्मीदवार सामान्य समुदाय के थे। भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016 में अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय–वार विवरण **आरेख–3** में भी दर्शाया गया है।

आरेख–3 : अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय–वार विवरण भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016

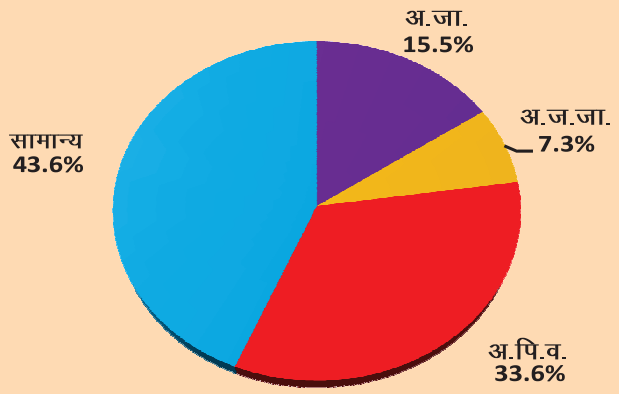

(ii) कुल अनुशंसित उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 7.3 था।

(iii) अनुशंसित उम्मीदवारों में अधिकतम प्रतिशत 26-28 वर्ष (30.0%) आयुवर्ग के थे। इसके बाद 24-26 वर्ष (29.1%), 28-30 वर्ष (17.3%) 30 वर्ष और अधिक (15.4%) एवं 21–24 वर्ष (8.2%) आयुवर्ग के थे।

8.2 भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016 में अनुशंसित उम्मीदवारों का आयुवार प्रतिशत **आरेख–4** में दर्शाया गया है।

आरेख–4 : अनुशंसित उम्मीदवारों का आयु–वार प्रतिशत भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016

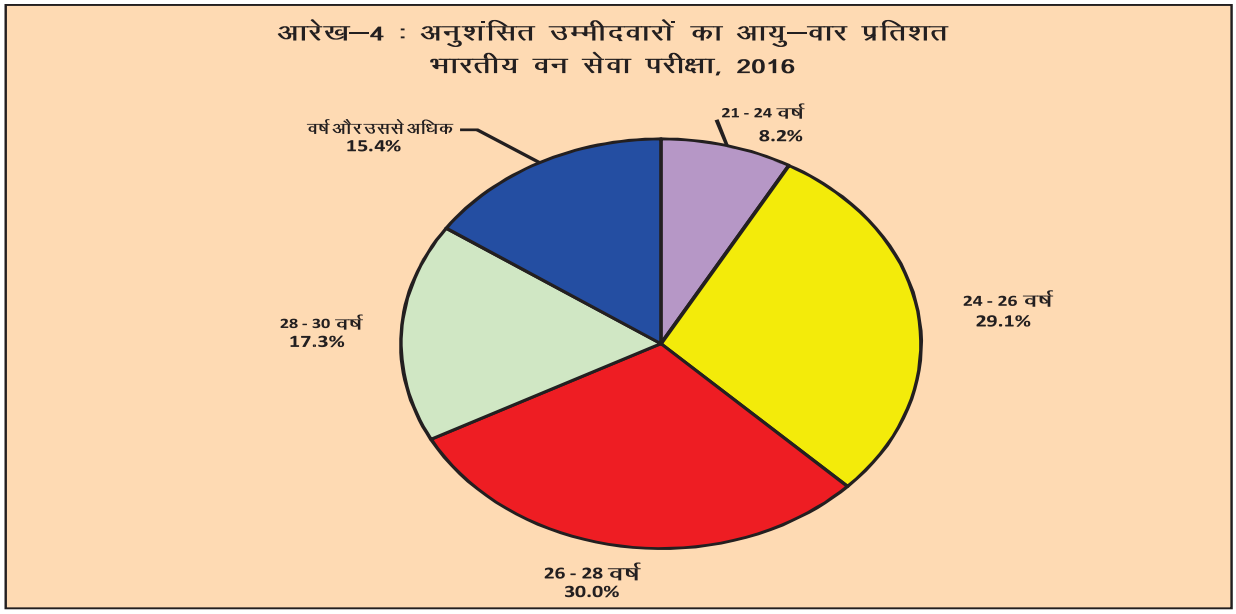

9. सामान्य उम्मीदवारों तथा अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय के उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेने के लिए क्रमशः अधिकतम छह और नौ अवसर प्रदान किए जाते हैं। तथापि, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए अवसर की संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं हैं। परीक्षा के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या का समुदाय–वार तथा लिंग–वार विवरण **तालिका–8** में दर्शाया गया है।

तालिका–8 : अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयास – समुदाय–वार तथा लिंग–वार विवरणः भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2016

समुदाय	लिंग	अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या						
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	कुल
अ.जा.	पु.	2	4	5	4	1	-	16
	म.	-	-	1	-	-	-	1
अ.ज.जा.	पु.	1	4	-	-	1	1	7
	म.	-	-	1	-	-	-	1
अ.पि.व.	पु.	4	7	14	8	1	1	35
	म.	-	-	2	-	-	-	2
सामान्य	पु.	7	15	16	4	2	-	44
	म.	1	1	1	1	-	-	4
कुल	पु.	14	30	35	16	5	2	102
	म.	1	1	5	1	-	-	8
	कुल	**15**	**31**	**40**	**17**	**5**	**2**	**110**

9.1 **तालिका–8** से पता चलता है कि 13.6 प्रतिशत उम्मीदवारों ने परीक्षा में पहले प्रयास में, 28.2 प्रतिशत उम्मीदवारों ने दूसरे प्रयास में, 36.4 प्रतिशत ने तीसरे प्रयास में, 15.5 प्रतिशत ने चौथे प्रयास में, 4.5% उम्मीदवारों ने पांचवे प्रयास में, शेष 1.8% उम्मीदवारों ने छठे प्रयास में सफलता प्राप्त की। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय वन सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले किसी भी उम्मीदवार ने छह से अधिक अवसर नहीं लिए।

परिशिष्ट–12

इंजीनियरी, चिकित्सा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी और गैर–तकनीकी पद, जिन्हें वर्ष 2016–2017 के दौरान विज्ञापित किया गया, की मंत्रालय–वार संख्या

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या				कुल
		इंजीनियरी	चिकित्सा	वैज्ञानिक तथा तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर)	गैर–तकनीकी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कृषि तथा किसान कल्याण	1	4	11	2	18
2	आयुष	-	4	1	-	5
3	नागर विमानन	3	-	1	-	4
4	वाणिज्य तथा उद्योग	4	-	-	9	13
5	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	-	-	7	-	7
6	कारपोरेट मामले	-	-	-	19	19
7	संस्कृति	-	-	15	7	22
8	रक्षा	297	2	1	41	341
9	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन	1	-	4	-	5
10	विदेश	-	-	-	4	4
11	वित्त	-	-	39	20	59
12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	418	2	-	420
13	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम	-	-	4	-	4
14	गृह	7	-	30	-	37
15	मानव संसाधन विकास	-	-	-	1	1
16	श्रम तथा रोजगार	10	2	2	323	337
17	विधि तथा न्याय	-	-	-	28	28
18	खान	11	-	5	4	20
19	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	-	-	-	62	62
20	रेलवे	-	13	-	1	14
21	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	-	5	-	5
22	पोत परिवहन	8	-	1	1	10
23	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता	22	-	4	6	32
24	वस्त्र	-	-	3	8	11
25	संघ लोक सेवा आयोग	-	-	1	1	2
26	शहरी विकास	-	-	1	-	1
27	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	-	42	2	3	47
28	चंडीगढ़ प्रशासन	1	18	-	-	19
29	दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन	-	32	-	-	32
30	दमन एवं दीव प्रशासन	34	-	11	11	56
31	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	3	22	-	-	25
32	पुदुच्चेरी सरकार	-	-	-	1	1
कुल		**402**	**557**	**150**	**552**	**1661**

परिशिष्ट–13

विषयवार इंजीनियरी पदों का विवरण जिनके लिए वर्ष 2016–17 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. स.	विषय/विशेषज्ञता	पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या				आवेदन किया				साक्षात्कार हेतु बुलाए गए				साक्षात्कार किए गए				अनुशक्ति				पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का (%)
			अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	वैमानिकी	14	1	1	2	10	126	34	373	571	19	9	28	73	17	9	25	63	1	1	3	9	100.00
2	कृषि	2	-	-	1	1	21	4	64	58	3	1	10	10	1	1	8	8	-	-	2	-	100.00
3	वास्तुकला	39	7	3	9	20	920	143	1290	3070	33	47	338	938	23	9	40	40	7	3	11	17	97.44
4	रसायन	9	1	2	2	4	144	60	417	354	11	13	21	30	7	7	15	19	1	2	2	3	88.89
5	सिविल	29	3	2	7	17	662	393	1816	2670	39	26	51	84	23	16	31	61	3	2	4	14	79.31
6	कम्प्यूटर इंजीनियरी/विज्ञान	7	1	-	2	4	405	39	812	1282	15	-	25	22	11	-	19	14	3	-	3	1	100.00
7	वैद्युत	11	1	2	3	5	315	134	878	1088	13	19	42	45	7	14	19	31	1	2	3	5	100.00
8	यांत्रिक	46	8	3	10	25	1140	178	2419	3410	87	27	144	148	64	18	113	115	9	2	15	19	97.83
9	धातुविज्ञान	9	1	1	2	5	101	14	209	290	17	7	38	44	11	4	26	31	2	1	3	3	100.00
10	खनन	5	1	-	1	3	10	3	38	146	2	1	13	29	2	1	12	25	-	-	1	3	80.00
11	इलैक्ट्रानिकी	6	1	-	2	3	129	10	400	507	14	-	33	30	10	-	23	20	1	-	2	3	100.00
12	इलैक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार	3	-	1	-	2	185	22	464	830	-	-	1	17	-	-	1	13	-	-	-	2	66.67
13	सूचना प्रौद्योगिकी	6	1	-	1	4	228	24	403	709	5	-	6	16	3	-	1	13	1	-	1	4	100.00
14	शर्करा प्रौद्योगिकी/इंजीनियरी	1	-	-	-	1	6	1	25	76	-	-	3	6	-	-	2	6	-	-	-	1	100.00
15	वस्त्र प्रौद्योगिकी	2	-	-	2	-	1	-	10	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	2	-	100.00
	कुल	189	26	15	44	104	4393	1059	9618	15061	258	150	757	1492	179	79	339	459	29	13	52	84	94.18

अ.जा. : अनुसूचित जाति अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति अ.पि.व. : अन्य पिछड़े वर्ग अना. : अनारक्षित

कुल आरक्षित पद : 189 आवेदन किए गए : 30131 साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार : 2657 साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार : 1056 अनुशंसित उम्मीदवार : 178

परिशिष्ट–14

वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का विषयवार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2016–17 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. स.	विषय/विशेषज्ञता	पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या				आवेदन किया				साक्षात्कार हेतु बुलाए गए				साक्षात्कार किए गए				अनुशक्ति				पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का (%)
			अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	कृषि विज्ञान/सस्य विज्ञान/कीट विज्ञान	4	2	-	-	2	67	3	37	101	19	-	3	9	16	-	3	9	2	-	-	2	100.00
2	जीव रसायन विज्ञान	2	-	-	-	2	57	10	133	323	1	1	8	17	1	-	4	13	-	-	-	2	100.00
3	जीव विज्ञान	2	-	-	-	2	35	7	59	142	1	-	3	14	1	-	1	12	-	-	-	1	50.00
4	रसायन विज्ञान	18	3	1	3	11	775	113	1508	2351	15	4	23	36	14	3	20	33	4	1	5	7	94.44
5	भूगोल	1	-	-	-	1	4	1	4	12	1	-	2	9	1	-	2	9	-	-	-	1	100.00
6	भूविज्ञान	144	21	11	39	73	785	312	1740	2277	80	41	188	188	71	37	156	151	22	11	51	55	96.53
7	गणित	2	-	-	1	1	-	-	88	-	-	-	8	-	-	-	5	-	-	-	1	-	50.00
8	सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/विकृति विज्ञान	9	1	2	2	4	304	119	776	988	9	14	26	25	6	10	18	21	1	2	2	2	77.78
9	फार्मेसी/भेषजीय रसायन/भेषजगुण विज्ञान	154	19	13	39	83	2200	415	4347	5351	53	13	132	114	53	13	130	112	25	11	54	61	98.05
10	भौतिकी	29	3	3	6	17	336	108	671	1391	48	26	47	93	33	24	43	84	4	2	10	11	93.10
11	शरीर क्रिया विज्ञान	1	-	-	-	1	1	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	सांख्यिकी	4	-	1	-	3	10	17	46	105	3	2	3	17	3	1	3	16	-	1	-	3	100.00
13	पशु चिकित्सा विज्ञान/पशुपालन	1	-	-	-	1	2	-	7	7	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	100.00
14	प्राणि विज्ञान	7	1	-	2	4	121	4	187	195	7	-	18	29	3	-	6	11	1	-	3	3	100.00
15	रसायन प्रौद्योगिकी	5	1	-	2	2	66	5	145	152	10	-	17	11	9	-	13	10	1	-	2	2	100.00
16	चमड़ा/फुटवियर प्रौद्योगिकी	1	-	-	-	1	8	-	10	27	3	-	-	7	2	-	-	6	-	-	-	1	100.00
17	नृविज्ञान	8	1	-	3	4	34	14	127	109	9	1	46	36	9	1	37	30	1	-	3	4	100.00
18	विविध	15	1	2	5	7	16	3	23	126	15	2	13	88	11	2	11	67	1	1	5	7	93.33
	कुल	407	53	33	102	219	4821	1131	9909	13669	274	104	537	695	233	91	452	586	62	29	136	163	95.82

अ.जा. : अनुसूचित जाति अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति अ.पि.व. : अन्य पिछड़े वर्ग अना. : अनारक्षित

कुल आरक्षित पद : 407 आवेदन किए गए : 29530 साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार : 1610 साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार : 1362 अनुशंसित उम्मीदवार : 390

परिशिष्ट–15

गैर–तकनीकी पदों का विषयवार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2016–17 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. स.	विषय/विशेषज्ञता	पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या				आवेदन किया				साक्षात्कार हेतु बुलाए गए				साक्षात्कार किए गए				अनुशक्ति				पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का (%)
			अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	लागत सहित लेखा शास्त्र	45	5	1	11	28	205	23	747	2895	20	4	65	93	17	2	55	77	5	1	14	25	100.00
2	प्रशासन/लोक प्रशासन	25	4	1	10	10	1599	306	3035	4869	13	5	38	32	11	4	33	27	4	1	10	10	100.00
3	अभिलेख विज्ञान	2	-	-	-	2	1	-	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	कला–ललित/वाणिज्यिक	4	-	-	1	3	1	1	6	29	-	-	2	10	-	-	2	9	-	-	1	3	100.00
5	वाणिज्य	5	-	-	1	4	96	17	403	361	4	-	21	10	3	-	17	7	-	-	3	2	100.00
6	अर्थशास्त्र	5	-	-	1	4	63	22	229	486	2	-	30	38	1	-	21	27	-	-	2	2	80.00
7	शिक्षा/शिक्षण	3	-	-	-	3	80	12	131	320	-	2	5	19	-	2	5	17	-	-	-	2	66.67
8	इतिहास	8	2	-	2	4	120	22	185	217	18	4	15	28	17	4	14	23	2	-	2	4	100.00
9	पत्रकारिता/जनसंचार/ प्रचार	7	-	-	3	4	19	8	59	133	3	3	27	30	3	3	26	26	-	1	3	3	100.00
10	भाषा–विदेशी	11	2	-	3	6	24	3	70	87	3	-	23	29	3	-	21	23	1	-	3	3	63.64
11	भाषा–भारतीय	12	1	-	2	9	240	30	697	704	7	2	26	39	5	1	20	30	1	-	3	7	91.67
12	विधि	207	28	17	60	102	66142	16076	122111	159791	130	81	292	356	105	67	259	315	29	17	70	84	96.62
13	चलचित्र/फोटोग्राफी	2	1	-	-	1	25	5	28	60	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	राजनीति शास्त्र	3	1	-	1	1	61	8	77	65	4	-	4	5	4	-	3	3	-	-	1	1	66.67
15	सामाजिक विज्ञान/सामाजिक कार्य	2	-	-	-	2	8	17	24	39	2	4	1	8	-	2	1	5	-	2	-	-	100.00
16	कार्यालय प्रबंधन/सचिवालयी पद्धति	4	-	-	1	3	3	1	13	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	भंडारण	12	1	1	4	6	232	91	557	610	5	5	12	16	4	4	10	15	1	1	5	5	100.00
18	दर्शनशास्त्र	1	-	-	-	1	10	4	24	36	5	-	1	1	3	-	-	1	1	-	-	-	100.00
19	फैशन	5	1	-	3	1	14	-	51	21	2	-	16	3	-	-	13	2	-	-	3	1	80.00
20	होटल प्रबंधन	1	1	-	-	-	113	-	-	-	14	-	-	-	13	-	-	-	1	-	-	-	100.00
21	पुस्तकालय विज्ञान	3	-	-	1	2	36	12	105	218	3	-	7	15	1	-	6	8	-	-	1	2	100.00
22	प्रबंधन	3	-	-	-	3	40	6	96	273	1	-	3	10	1	-	1	4	-	-	1	1	66.67
23	पर्यटन	1	-	-	-	1	18	5	36	50	-	-	3	11	-	-	3	6	-	-	-	1	100.00
24	विविध	3	-	-	1	2	39	16	156	194	2	-	11	8	1	-	11	7	-	-	1	2	100.00
	कुल	374	47	20	105	202	69189	16685	128843	171477	239	110	604	761	193	89	521	632	45	23	123	158	93.32

अ.जा. : अनुसूचित जाति अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति अ.पि.व. : अन्य पिछड़े वर्ग अना. : अनारक्षित

कुल आरक्षित पद : 374 आवेदन किए गए : 386194 साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार : 1714 साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार : 1435 अनुशंसित उम्मीदवार : 349

परिशिष्ट–16

विषयवार चिकित्सा पद, जिनके लिए वर्ष 2016–17 के दौरान भर्ती को अंतिम रूप दिया गया

क्र. स.	विषय/विशेषज्ञता	पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या				आवेदन किया				साक्षात्कार हेतु बुलाए गए				साक्षात्कार किए गए				अनुशक्ति				पदों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों का (%)
			अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	संवेदनाहरण विज्ञान	1	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
2	जैव रसायन विज्ञान	2	-	-	1	1	3	1	8	34	-	-	7	17	-	-	3	12	-	-	1	1	100.00
3	हृदय रोग विज्ञान	17	3	2	3	9	1	-	6	47	1	-	5	43	-	-	1	24	-	-	1	5	35.29
4	न्यायालयी आयुर्विज्ञान	3	-	-	1	2	4	1	4	22	4	1	4	22	1	-	4	12	-	-	1	2	100.00
5	जठरांत्रशोथ रोग विज्ञान	9	2	1	3	3	-	1	3	16	-	-	2	15	-	-	1	12	-	-	-	3	33.33
6	चिकित्सा–सामान्य	4	-	-	-	4	16	3	22	73	-	-	2	19	-	-	1	12	-	-	-	4	100.00
7	होम्योपैथी	10	2	1	1	6	959	204	1548	2900	8	5	8	17	8	4	8	17	2	1	2	5	100.00
8	मेडिसिन	21	2	1	12	6	15	5	10	37	11	5	9	33	5	3	5	19	3	1	4	5	61.90
9	तंत्रिका विज्ञान/तंत्रिका शल्य चिकित्सा	25	5	2	8	10	-	-	3	23	-	-	3	23	-	-	-	15	-	-	-	10	40.00
10	प्रसूति रोग विज्ञान/स्त्री रोग विज्ञान	4	-	-	2	2	4	-	5	35	2	-	2	23	-	-	2	17	-	-	2	2	100.00
11	अस्थि रोग विज्ञान	20	3	1	8	8	28	7	19	67	22	4	18	45	13	2	12	27	3	1	7	7	90.00
12	शिशु रोग विज्ञान	44	7	4	15	18	60	17	53	213	47	10	45	135	28	9	24	86	7	4	12	17	90.91
13	विकृति विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान	2	-	-	1	1	1	-	4	17	1	-	1	13	-	-	1	8	-	-	1	1	100.00
14	औषध विज्ञान	1	1	-	-	-	11	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	100.00
15	शरीर क्रिया विज्ञान	1	-	-	1	-	-	-	9	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	1	-	100.00
16	प्लास्टिक शल्य चिकित्सा	8	1	-	5	2	2	-	2	14	2	-	2	13	1	-	2	3	1	-	2	2	62.50
17	निवारक एवं सामाजिक आयुर्विज्ञान	4	-	-	1	3	7	-	9	29	6	-	8	24	2	-	7	16	-	-	1	2	75.00
18	मनाश्चिकित्सा	27	4	2	10	11	14	2	27	34	10	2	19	25	8	2	12	19	5	2	8	9	88.89
19	रेडियोलोजी	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	वक्ष शल्य चिकित्सा	8	1	1	2	4	2	3	1	11	2	3	1	11	1	1	1	8	1	1	1	3	75.00
21	क्षय रोग विज्ञान	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	यूनानी	9	1	2	2	4	23	2	354	470	14	1	26	35	6	-	20	25	1	-	2	4	77.78
23	मूत्र रोग विज्ञान	2	-	-	1	1	2	-	2	8	2	-	2	8	-	-	2	4	-	-	1	1	100.00
24	चर्म रोग एवं रजित रोग विज्ञान	9	1	1	5	2	3	9	7	14	3	7	4	13	3	5	2	9	1	1	2	2	66.67
25	अंतस्त्रावी विज्ञान	9	1	-	3	5	-	-	2	9	-	-	1	8	-	-	-	4	-	-	-	2	22.22
26	कर्करोग विज्ञान (ओकोंलाजी)	1	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	4	-	-	-	1	100.00
27	शरीरिक चिकित्सा तथा पुर्नवास	2	1	-	1	-	3	-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	100.00
28	सिद्ध	2	-	-	1	1	19	-	82	21	4	-	28	2	3	-	23	2	-	-	2	-	100.00
29	पशु चिकित्सा विज्ञान/पशुपालन	30	6	3	12	9	252	106	732	584	59	22	91	64	21	11	53	56	6	3	12	8	96.67
	कुल	277	42	21	101	113	1430	361	2923	4686	206	60	301	616	105	37	189	411	32	14	64	96	74.37

अ.जा. : अनुसूचित जाति अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति अ.पि.व. : अन्य पिछड़े वर्ग अना. : अनारक्षित

कुल आरक्षित पद : 277 आवेदन किए गए : 9400 साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार : 1183 साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार : 742 अनुशंसित उम्मीदवार : 206

परिशिष्ट–17

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण (सीबीआरटी) और भर्ती परीक्षण (आर.टी.)

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (₹)	आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या	परीक्षण देने वाले उम्मीदवारों की संख्या
1	सहायक भूविज्ञानी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय	139	9300-34800+4800	4890	2875
2-4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–I,रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय तथा प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II, एकीकृत मुख्यालय, सिविलियन कार्मिक निदेशालय (नौसेना), रक्षा मंत्रालय	5 14 6	15600-39100+6600 15600-39100+5400 9300-34800+4600	2805 4673 2331	1826 2878 690
5	भंडार अधिकारी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय	12	9300-34800+4600	1490	682
6-7	रासायनिक परीक्षक ग्रेड–II, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय एवं सहायक रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय	10 4	15600-39100+5400 9300-34800+4800	1732 2537	851 800
8	कनिष्ठ निर्माण प्रबंधक (सिविल),आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय	4	9300-34800+4600	3461	1262

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (₹)	आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या	परीक्षण देने वाले उम्मीदवारों की संख्या
9-11	अतिरिक्त सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय (बेतार पुलिस), गृह मंत्रालय तथा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (इलेक्ट्रानिकी), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (इलेक्ट्रॉनिकी), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय	9 2 20	9300-34800+4800 9300-34800+4800 9300-34800+4600	1568 4100 4340	467 884 1523
12-13	सिविलियन चिकित्सा अधिकारी, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय तथा चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सेवाएं, दादरा तथा नगर हवेली प्रशासन	49 32	15600-39100+5400 15600-39100+5400	2106 753	563 267
14-15	दंत शल्य चिकित्सक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सहायक प्रभागीय दंत शल्य चिकित्सक, रेलवे बोर्ड, चिकित्सा विभाग, रेल मंत्रालय	10 13	15600-39100+5400 15600-39100+5400	9771 3593	5563 2248
16-17	सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड–I, भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय तथा सहायक निदेशक जनगणना कार्य(टी), भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय	17 42	9300-34800+4600 15600-39100+5400	2226 1568	1079 1024

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (₹)	आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या	परीक्षण देने वाले उम्मीदवारों की संख्या
18-19	कनिष्ठ निर्माण प्रबंधक (विद्युत), आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विद्युत), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय	5 10	9300-34800+4600 9300-34800+4600	5386 995	1786 307
20-21	प्रबंधक ग्रेड–I / अनुभाग अधिकारी, कैंटीन भंडार विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा प्रबंधक ग्रेड–I / अनुभाग अधिकारी, कैंटीन भंडार विभाग, रक्षा मंत्रालय	14 13	15600-39100+5400 15600-39100+5400	1279 2936	351 1142
22	चिकित्सा अधिकारी / अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय	15	15600-39100+5400	10278	4417
23	सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि), केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, गृह मंत्रालय (प्रवीणता परीक्षण)	4	9300-34800+4600	32	21
24	प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (गैर कम्प्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण)	257	9300-34800+4600	554018	146004

परिशिष्ट–18

वर्ष 2016–17 के दौरान अंतिम रूप दिए गए विपुल भर्ती मामले

क्रम संख्या	पद / मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय (15600–39100+5400 / –रु.)	170	362130	170
2	औषधि निरीक्षक, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (9300–34800+4800 / –रु.)	147	10529	144
3	चिकित्सा अधिकारी / अनुसंधान अधिकारी (होम्योपैथी), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, आयुष मंत्रालय (15600–39100+5400 / –रु.)	10	5611	10
4	सहायक भूविज्ञानी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय (9300–34800+4800 / –रु.)	139	4890	136
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+5400 / –रु.)	14	4673	14
6	कनिष्ठ निर्माण प्रबंधक (सिविल), आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (9300–34800+4600 / –रु.)	4	3461	4
7	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–I, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+6600 / –रु.)	5	2805	5
8	सहायक रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय (9300–34800+4800 / –रु.)	4	2537	4
9	लेक्चरर कम्प्यूटर इंजीनियरी, राजकीय पालिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा विभाग, दमन तथा दीव प्रशासन (15600–39100+5400 / –रु.)	6	2509	6
10	उप वास्तुविद्, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय (15600–39100+5400 / –रु.)	13	2397	13
11	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II, एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), रक्षा मंत्रालय (9300–34800+4600 / –रु.)	6	2331	6
12	लेक्चरर, विद्युत इंजीनियरी, राजकीय पालिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा विभाग, दमन तथा दीव प्रशासन (15600–39100+5400 / –रु.)	7	2193	7
13	सहायक वास्तुविद्, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय (9300–34800+4800 / –रु.)	22	1943	21

क्रम संख्या	पद/मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	लेक्चरर, यांत्रिकी इंजीनियरी, राजकीय पालिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा विभाग, दमन तथा दीव प्रशासन (15600–39100+5400/–रु.)	3	1868	3
15	औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (9300–34800+4800/–रु.)	7	1784	7
16	सहायक निदेशक (लागत), मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (15600–39100+5400/–रु.)	24	1773	24
17	रासायनिक परीक्षक ग्रेड–II, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (15600–39100+5400/–रु.)	10	1732	10
18	भंडार अधिकारी,रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (9300–34800+4600/–रु.)	12	1490	12
19	लेक्चरर, इलेकट्रॉनिक तथा संचार इंजीनियरी, राजकीय पालिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा विभाग, दमन तथा दीव प्रशासन (15600–39100+5400/–रु.)	1	1481	1
20	लेक्चरर, सूचना प्रौद्योगिकी, राजकीय पालिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा विभाग, दमन तथा दीव प्रशासन (15600–39100+5400/–रु.)	6	1364	6
21	प्रशिक्षण अधिकारी (शिक्षण के सिद्धांत), प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय (9300–34800+4600/–रु.)	10	1256	10
22	लेक्चरर, सिविल इंजीनियरी, राजकीय पालिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा विभाग, दमन तथा दीव प्रशासन (15600–39100+5400/–रु.)	5	1239	5
23	सहायक प्रोफेसर (हिन्दी), राजकीय कला तथा विज्ञान महाविद्यालय / कांची मामूनिवार स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय,पुद्दुचेरी सरकार (15600–39100+6000/–रु.)	5	1236	5
24	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि केन्द्र, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय (9300–34800+4600/–रु.)	6	1141	5
25	सहायक निदेशक (लागत), मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (15600–39100+5400/–रु.)	12	1100	12

क्रम संख्या	पद/मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड–II (इंजीनियरी), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+5400/–रु.)	4	1060	4
27	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि केन्द्र, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग,कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय (9300–34800+4600/–रु.)	3	1046	2
28	सहायक वास्तुविद,स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (9300–34800+4600/–रु.)	1	936	1
29	सहायक निदेशक उड़ान योग्यता,नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय(15600–39100+6600/–रु.)	19	902	19
30	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड–II (इंजीनियरी),गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय,रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+5400/–रु.)	4	880	4
31	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड–II (यांत्रिकी),गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय,रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+5400/–रु.)	9	857	9
32	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड–II (इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार इंजीनियरी), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+5400/–रु.)	5	759	5
33	पशु चिकित्सा अधिकारी,पशु पालन एकक, विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (15600–39100+5400/–रु.)	5	758	5
34	वैज्ञानिक 'बी' (सिविल इंजीनियरी),केन्द्रीय मृदा तथा सामग्री अनुसंधान केन्द्र,जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय(15600–39100+5400/–रु.)	16	739	11
35	हवाई सुरक्षा अधिकारी (इंजीनियरी), नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय (15600–39100+5400/–रु.)	3	689	3
36	लेक्चरर, रासायनिक इंजीनियरी, राजकीय पालिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा विभाग, दमन तथा दीव प्रशासन (15600–39100+5400/–रु.)	6	655	5
37	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड–II (इलेक्ट्रॉनिकी), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+5400/–रु.)	4	582	4

क्रम संख्या	पद/मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदन	अनुशंसित उम्मीदवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	अधीक्षक (लेखा), संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय (9300–34800+4600/–रु.)	6	561	6
39	सहायक प्रोफेसर (वाणिज्य), राजकीय कला तथा विज्ञान महाविद्यालय / कांची मामूनिवार स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय,पुद्दुचेरी सरकार (15600–39100+6000/–रु.)	3	548	3
40	सहायक निदेशक ग्रेड–II (यांत्रिकी), विकास संगठन, विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय (9300–34800+4600/–रु.)	6	545	6
41	उप अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय (15600–39100+5400/–रु.)	8	544	8
42	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु पालन तथा पशु चिकित्सा सेवा विभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन (15600–39100+5400/–रु.)	14	532	14
43	सहायक प्रोफेसर (प्राणिवज्ञान), राजकीय कला तथा विज्ञान महाविद्यालय / कांची मामूनिवार स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, पुद्दुचेरी सरकार (15600–39100+6000/–रु.)	7	507	7
योग		**771**	**438573**	**756**

परिशिष्ट–19

(देखिए अध्याय–7)

उन संवर्गों का विवरण, जिनमें वर्ष 2015 के संबंध में भा.प्र.से. (राज्य सिविल सेवा), भा.पु.से. और भा.व.से. संवर्ग और भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा) की कोई चयन सूची तैयार करनी अपेक्षित नहीं थी – शून्य रिक्ति/कोई पात्र नहीं।

क्र.सं.	संवर्ग/उप–संवर्ग	सेवा
1.	असम	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
2.	हिमाचल प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
3.	जम्मू एवं कश्मीर	भा.व.से.*
4.	झारखंड	भा.व.से.
5.	मणिपुर	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
6.	मणिपुर	भा.व.से.*
7.	मेघालय	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
8.	नागालैड	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
9.	नागालैंड	भा.व.से.
10.	सिक्किम	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
11.	सिक्किम	भा.व.से.
12.	त्रिपुरा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
13.	उत्तर प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
14.	पश्चिम बंगाल	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
15.	पश्चिम बंगाल	भा.व.से.
16.	अरूणाचल प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
17.	अरूणाचल प्रदेश	भा.पु.से.
18.	मिजोरम	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
19.	गोवा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)
20.	गोवा	भा.पु.से.

* कोई पात्र नहीं

संकेत शब्द : भा.प्र.से. – भारतीय प्रशासनिक सेवा
भा.पु.से. – भारतीय पुलिस सेवा
भा.व.से. – भारतीय वन सेवा
रा.सि.से. – राज्य सिविल सेवा

परिशिष्ट–20

(देखिए अध्याय 7)

अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश – वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित बैठकें

1. आयोजित बैठकें:

वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग ने 58 चयन समिति बैठकें आयोजित कीं, जिनमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य सिविल सेवाओं, गैर–राज्य सिविल सेवाओं, राज्य पुलिस सेवाओं तथा राज्य वन सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा में प्रवेश के लिए 953 अधिकारियों के मामले शामिल थे।

(i) **भा.प्र.से. (रा.सि.से.)** : आयोग को वर्ष 2015 की विद्यमान रिक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 18 संवर्गों के संबंध में राज्य सिविल सेवा से भा.प्र.से. में प्रवेश के लिए चयन समिति की बैठकें आयोजित की गई। पांच प्रस्ताव कमी वाले थे, जिसके संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए। एक संवर्ग के संबंध में चयन समिति बैठक न्यायालयी आदेश के कारण स्थगित कर दी गई।

(ii) **भा.प्र.से. (गैर–रा.सि.से.)** : वर्ष के दौरान, आयोग में भा.प्र.से. में चयन द्वारा नियुक्ति हेतु गैर–राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 08 संवर्गों के संबंध में बैठकें आयोजित की गई। दो प्रस्ताव, कमी वाले थे और अपेक्षित दस्तावेज / स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए।

(iii) **भा.पु.से.** : आयोग को वर्ष 2015 की विद्यमान रिक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए 22 प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 21 संवर्गों के लिए राज्य पुलिस सेवा से भा.पु.से. में प्रवेश हेतु चयन समिति की बैठकें आयोजित की गई। एक प्रस्ताव, कमी वाला था जिसके संबंध में संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित दस्तावेज / स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए।

(iv) **भा.व.से.** : आयोग को वर्ष 2015 की विद्यमान रिक्तियों की चयन सूचियां तैयार करने के लिए 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य वन सेवा से भा.व.से. में प्रवेश हेतु 11 संवर्गों/उप–संवर्गों के संबंध में चयन समिति की बैठकें आयोजित की गई। दो प्रस्ताव कमी वाले थे, जिनके संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षित दस्तावेज / स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए।

2 वर्षवार चयन सूचियां तैयार करना : वर्ष 2016–17 के दौरान, निम्नलिखित संवर्गों/ उप–संवर्गों के संबंध में पिछले वर्षों की चयन सूचियां तैयार की गई :–

संवर्ग	सेवा	तैयार की गई चयन सूचियां
कर्नाटक	भा.प्र.से.	2014
कर्नाटक	भा.पु.से.	2014
केरल	भा.प्र.से.	2012, 2013 एवं 2014

संवर्ग	सेवा	तैयार की गई चयन सूचियां
केरल	भा.पु.से.	2014
केरल	भा.व.से.	2013 एवं 2014
ओड़िशा	भा.प्र.से. (गैर–रा.सि.से.)	2013
त्रिपुरा	भा.प्र.से.	2014
उत्तर प्रदेश	भा.व.से.	2014

3. **पुनरीक्षा चयन समिति बैठकें** : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण / उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, वर्ष 2016–17 (परिशिष्ट–21) के दौरान पुनरीक्षा चयन समिति की 11 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 257 अधिकारियों के मामले शामिल थे।

परिशिष्ट–21

(देखिए अध्याय–7)

2016–17 में आयोजित पुनरीक्षा चयन समिति बैठकें

क्रम सं.	राज्य	न्यायालय का नाम	ओ.ए./डब्ल्यू. पी./ सी.पी. संख्या	श्री/श्रीमती के मामले में	निर्णय की तारीख	बैठक की तारीख	विचार किए गए अधिकारियों की संख्या	अनुशंसित अधिकारियों की संख्या	संबंधित सेवा	चयन सूची
1	उत्तरप्रदेश–भा.पु.से.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधानपीठ	ओ ए सं. 830/2015	श्रीमती आभा सिंह	08/01/16	12/04/16	01	01	भा.पु.से.	2010
2	राजस्थान–भा.पु.से.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर	ओए सं. 768/13	श्री रोहित महाजन	09/01/15	22/04/16	246	82	भा.पु.से.	2005-14
3	राजस्थान–भा.प्र.से.	राजस्थान उच्च न्यायालय	एस बी सी डब्ल्यू सी सं. 1757/13	श्रीमती शकुन्तला सिंह	27/01/16	22/04/16	01	शून्य	भा.प्र.से.	2007
4	उत्तरप्रदेश–भा.प्र.से.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधानपीठ	ओए सं. 948/2013	श्री विमल चंद्र श्रीवास्तव	03/11/15	17/05/16	1	01	भा.प्र.से.	2007
5	हरियाणा–भा.व.से.	पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय	सी डब्ल्यू पी सं. 1992 का 9546	श्री शेर सिंह निराणिया	26/09/13	26/06/16	01	-	भा.व.से.	2000-04
6	पंजाब – भा.पु.से.	पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय	सी डब्ल्यू पी सं. 4335/1986 तथा सी डब्ल्यू पी सं. 11532/1988	श्री जीत सिंह तथा श्री बलवंत सिंह	24/09/09	15/07/16	02	02	भा.पु.से.	1985 एवं 1990
7	महाराष्ट्र–भा.पु.से.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बॉम्बे	ओए सं. 08/12	श्री के आर शेखर	25/02/13	18/07/16	01	01	भा.पु.से.	2004
8	उत्तरप्रदेश–भा.पु.से.	उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ	डब्ल्यू पी सं. 732(58)/2015	श्री जगनाया के. सिंह गौतम	21/04/16	22/07/16	01	01	भा.पु.से.	2010
9	उत्तरप्रदेश–भा.पु.से.	उच्च न्यायालय इलाहाबाद	सी एम डब्ल्यू पी सं. 58154/2009	श्री ओम प्रकाश सागर	16/07/15	22/07/16	01	शून्य	भा.पु.से.	2001
10	पश्चिम बंगाल–भा.पुसे.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता पीठ	ओए सं. 895/2013	श्री अमिताभ बरमा	07/08/14	03/09/16	01	शून्य	भा.पु.से.	2010
11	पंजाब–भा.प्र.से	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण चंडीगढ़	ओए सं. 860/0085/2016	श्री संजय पोपली	21/09/16	29/11/16	01	शून्य	भा.प्र.से.	2010-13

परिशिष्ट–22

(देखिए अध्याय–7)

वर्ष 2015 की चयन सूची से संबंधित अखिल भारतीय सेवाएं – वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित नहीं की गई चयन समिति की बैठकें

क्र. सं.	संवर्ग	सेवा	कारण
1.	आंध्र प्रदेश	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
2.	आंध्र प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
3.	आंध्र प्रदेश	भा.पु.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
4.	आंध्र प्रदेश	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
5.	बिहार	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
6.	बिहार	भा.वसे.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
7.	गुजरात	भा.पु.से.	अपूर्ण प्रस्ताव
8.	हरियाणा	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
9.	हरियाणा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	अपूर्ण प्रस्ताव
10.	हरियाणा	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
11.	हिमाचल प्रदेश	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव
12.	जम्मू व कश्मीर	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
13.	जम्मू व कश्मीर	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
14.	जम्मू व कश्मीर	भा.पु..से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
15.	झारखंड	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव
16.	झारखंड	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	अपूर्ण प्रस्ताव
17.	कर्नाटक	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव
18.	कर्नाटक	भा.पु.से.	वरिष्ठता विवाद / अदालती मामले
19.	कर्नाटक	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
20.	कर्नाटक	भा.व.से.	वरिष्ठता विवाद / अदालती मामले
21.	केरल	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
22.	केरल	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
23.	केरल	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
24.	महाराष्ट्र	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ

क्र. सं.	संवर्ग	सेवा	कारण
25.	मध्यप्रदेश	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	अपूर्ण प्रस्ताव
26.	मध्यप्रदेश	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
27.	ओडिशा	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
28.	ओडिशा	भा.पु.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
29.	ओडिशा	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
30.	पंजाब	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव
31.	पंजाब	भा.पु.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
32.	पंजाब	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव
33.	राजस्थान	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
34.	तमिलनाडु	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
35.	तमिलनाडु	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
36.	तमिलनाडु	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
37.	तेलंगाना	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
38.	तेलंगाना	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
39.	तेलंगाना	भा.पु..से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
40.	तेलंगाना	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
41.	त्रिपुरा	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव
42.	उत्तर प्रदेश	भा.व.से.	अपूर्ण प्रस्ताव
43.	उत्तराखंड	भा.प्र.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
44.	उत्तराखंड	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
45.	अरूणाचल प्रदेश	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
46.	गोवा	भा.प्र.से.	अदालती निर्देश के कारण चयन समिति की बैठक को आस्थगित कर दिया गया
47.	गोवा	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
48.	संघ शासित क्षेत्र	भा.प्र.से.	अपूर्ण प्रस्ताव
49.	संघ शासित क्षेत्र	भा.प्र.से. (गैर–राज्य सिविल सेवा)	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई
50.	संघ शासित क्षेत्र	भा.व.से.	रिक्ति निर्धारित नहीं की गई

परिशिष्ट–23

वे मंत्रालय/विभाग/संघ शासित क्षेत्र, जिन्होंने वर्ष 2016–17 के दौरान ग्रुप 'क' और 'ख' पदों/सेवाओं पर की गई तदर्थ नियुक्तियों की अर्धवार्षिक विवरणियां नहीं भेजीं

1.	**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (कृ. अनु. एवं शि.वि.)
	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
	पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग
2.	**आयुष मंत्रालय**
3.	**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**
	रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग
	उर्वरक विभाग
	भेषजीय विभाग
4.	**नागर विमानन मंत्रालय**
5.	**कोयला मंत्रालय**
6.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
	वाणिज्य विभाग
7.	**संचार मंत्रालय**
	डाक विभाग
	दूरसंचार विभाग (दू.स.वि.)
8.	**उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**
	उपभोक्ता मामले विभाग
	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
9.	**कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय**
10.	**संस्कृति मंत्रालय**
11.	**रक्षा मंत्रालय**
	रक्षा विभाग
	रक्षा उत्पादन विभाग
	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
	भूतपूर्व–सैनिक कल्याण विभाग
12.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय**
13.	**पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**
14.	**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**
	भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी)
15.	**इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
16.	**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

17.	**विदेश मंत्रालय**
18.	**वित्त मंत्रालय**
	आर्थिक कार्य विभाग
	व्यय विभाग
	वित्तीय सेवाएं विभाग
	विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
	राजस्व विभाग
19.	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**
20.	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**
	स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
21.	**भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय**
	भारी उद्योग विभाग
	लोक उद्यम विभाग
22.	**गृह मंत्रालय**
	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
	केन्द्रीय पुलिस संगठन
	सीमा प्रबंधन विभाग
	गृह विभाग
	आंतरिक सुरक्षा विभाग
	जम्मू व कश्मीर (ज. एवं क.) मामले विभाग
	राजभाषा विभाग
	राज्य विभाग
23.	**आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**
24.	**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**
	उच्चतर शिक्षा विभाग
	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
25.	**सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**
26.	**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**
27.	**विधि एवं न्याय मंत्रालय**
	न्याय विभाग
	विधि कार्य विभाग
	विधायी विभाग
28.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
29.	**खान मंत्रालय**

30.	**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**
31.	**नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**
32.	**पंचायती राज मंत्रालय**
33.	**संसदीय कार्य मंत्रालय**
34.	**कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय**
	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
35.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
36.	**विद्युत मंत्रालय**
37.	**रेल मंत्रालय**
38.	**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**
39.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
	भूमि संसाधन विभाग (डी एल आर)
	ग्रामीण विकास विभाग (डी आर डी)
40.	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी), भारत सरकार
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर)
41.	**पोत परिवहन मंत्रालय**
42.	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय**
43.	**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय**
	अशक्तता अधिकारिता विभाग
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
44.	**सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**
45.	**इस्पात मंत्रालय**
46.	**पर्यटन मंत्रालय**
47.	**जनजाति कार्य मंत्रालय**
48.	**शहरी विकास विकास मंत्रालय**
49.	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
50.	**युवा मामले एवं खेल मंत्रालय**
	खेल विभाग
	युवा मामले विभाग
51.	**परमाणु ऊर्जा विभाग**
52.	**अंतरिक्ष विभाग**

परिशिष्ट–24

मंत्रालयों/विभागों में ग्रुप 'क' और 'ख' पदों/सेवाओं में हुईं ऐसी तदर्थ नियुक्तियां, जो वर्ष 2015–16 के दौरान एक वर्ष से अधिक अवधि तक चलीं तथा अर्ध–वार्षिक विवरणियों द्वारा आयोग को सूचित की गई

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	पद का नाम	क्या भर्ती नियमावली मौजूद है	भर्ती का माध्यम	वेतनमान/वेतन बैंड	तदर्थ नियुक्ति का वर्ष	तदर्थ नियुक्तियों की संख्या			
							30.06.2016		31.12.2016	
							समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'क'	समूह 'ख'
1	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**									
	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	विकास अधिकारी (इंजी.)	भर्ती नियमावली तैयार की जानी शेष है। सं.लो.से.आ. ने भर्ती नियमावली को अनुमोदित किया है, अब भर्ती नियमों को विधि मंत्रालय द्वारा अनुवाद एवं जांच के पश्चात अधिसूचित किया जाना है।		पीबी–3, 15600–39100+ ग्रेड वेतन 6600/– रु.	2003	1	शून्य		
						2005	1	शून्य		
		विकास अधिकारी (रजा.)	भर्ती नियमावली तैयार की जानी शेष है। सं.लो.से.आ. ने भर्ती नियमावली को अनुमोदित किया है, अब भर्ती नियमों को विधि मंत्रालय द्वारा अनुवाद एवं जांच के पश्चात अधिसूचित किया जाना है।		पीबी–3, 15600–39100+ ग्रेड वेतन 6600/– रु.		शून्य	शून्य		
		वरि. विकास अधिकारी (इंजी.)	भर्ती नियमावली तैयार की जानी शेष है। सं.लो.से.आ. ने भर्ती नियमावली को अनुमोदित किया है, अब भर्ती नियमों को विधि मंत्रालय द्वारा अनुवाद एवं जांच के पश्चात अधिसूचित किया जाना है।		पीबी–3, 15600–39100+ ग्रेड वेतन 7600/– रु.	2007	2	शून्य		
						2008	1	शून्य		
						2009	1	शून्य		
						2010	1	शून्य		

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	पद का नाम	क्या भर्ती नियमावली मौजूद है	भर्ती का माध्यम	वेतनमान/वेतन बैंड	तदर्थ नियुक्ति का वर्ष	तदर्थ नियुक्तियों की संख्या			
							30.06.2016		31.12.2016	
							समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'क'	समूह 'ख'
		वरि. विकास अधिकारी (रजा.)	भर्ती नियमावली तैयार की जानी शेष है। सं.लो.से.आ. ने भर्ती नियमावली को अनुमोदित किया है, अब भर्ती नियमों को विधि मंत्रालय द्वारा अनुवाद एवं जांच के पश्चात अधिसूचित किया जाना है।		पीबी–3, 15600–39100+ ग्रेड वेतन 7600/– रु.		शून्य	शून्य		
		अपर औद्योगिक सलाहकार (इंजी.)	भर्ती नियमावली तैयार की जानी शेष है। सं.लो.से.आ. ने भर्ती नियमावली को अनुमोदित किया है, अब भर्ती नियमों को विधि मंत्रालय द्वारा अनुवाद एवं जांच के पश्चात अधिसूचित किया जाना है।		पीबी–4, 37000–67000+ ग्रेड वेतन 8700/– रु.	2009	1	शून्य		
		औद्योगिक सलाहकार (रजा.)	भर्ती नियमावली तैयार की जानी शेष है। सं.लो.से.आ. ने भर्ती नियमावली को अनुमोदित किया है, अब भर्ती नियमों को विधि मंत्रालय द्वारा अनुवाद एवं जांच के पश्चात अधिसूचित किया जाना है।		पीबी–4, 37000–67000+ ग्रेड वेतन 8900/– रु.		शून्य	शून्य		
		औद्योगिक सलाहकार (इंजी.)	भर्ती नियमावली तैयार की जानी शेष है। सं.लो.से.आ. ने भर्ती नियमावली को अनुमोदित किया है, अब भर्ती नियमों को विधि मंत्रालय द्वारा अनुवाद एवं जांच के पश्चात अधिसूचित किया जाना है।		पीबी–4, 37000–67000+ ग्रेड वेतन 8900/– रु.	2010	1	शून्य		

क्रम सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	पद का नाम	क्या भर्ती नियमावली मौजूद है	भर्ती का माध्यम	वेतनमान/वेतन बैंड	तदर्थ नियुक्ति का वर्ष	तदर्थ नियुक्तियों की संख्या			
							30.06.2016		31.12.2016	
							समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'क'	समूह 'ख'
2	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**									
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इसके दो अधीनस्थ कार्यालय						शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	**जल संसाधन मंत्रालय**									
	नदी विकास एवं गंगा संरक्षण (मुख्य)तथा इसके सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालय						शून्य	शून्य		
						कुल	**9**	**0**	**0**	**0**

परिशिष्ट–25

वर्ष 2016–17 के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का मंत्रालय/विभाग–वार विवरण तथा विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित अधिकारियों की संख्या			अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित अधिकारियों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग
1	राजस्व	36	14	50	16	7	23	28	13	41
2	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	11	6	17	11	6	17	1	0	1
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	6	4	10	5	1	6	2	1	3
4	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन	25	4	29	9	4	13	5	9	14
5	नागर विमानन	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	दिल्ली जल बोर्ड	6	2	8	6	2	8	0	0	0
7	दिल्ली नगर निगम	13	8	21	13	8	21	0	0	0
8	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	0	1	1	0	1	1	1	0	1
9	जल संसाधन	12	7	19	3	0	3	1	0	1
10	गृह	101	46	147	25	5	30	9	7	16
11	गृह (आर जी आई)	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	गृह (के.औ.सु.ब.)	4	1	5	5	1	6	3	2	5
13	गृह (आ.ब्यू.)	13	9	22	12	4	16	18	0	18
14	गृह (एस एस बी)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	रेल	21	10	31	21	5	26	18	11	29
16	पर्यावरण एवं वन	1	0	1	0	1	1	1	0	1
17	दमन एवं दीव प्रशासन	0	0	0	1	0	1	0	0	0
18	संस्कृति	1	1	2	0	0	0	1	0	1
19	कृषि	4	3	7	3	2	5	3	1	4
20	विधि एवं न्याय	0	0	0	1	0	1	0	0	0

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित अधिकारियों की संख्या			अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित अधिकारियों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज. जा.	योग	अ.जा.	अ. ज. जा.	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	योग
21	सूचना एवं प्रसारण	4	1	5	0	0	0	4	1	5
22	खान	19	7	26	5	0	5	0	0	0
23	रक्षा	31	38	69	30	14	44	34	16	50
24	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	1	2	3	1	1	2	7	4	11
25	विदेश	3	4	7	3	0	3	0	0	0
26	वस्त्र	0	1	1	0	1	1	0	0	0
27	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1	1	2	1	1	2	12	10	22
28	वाणिज्य	1	0	1	1	0	1	1	4	5
29	विद्युत	12	12	24	12	3	15	15	0	15
	कुल	**328**	**182**	**510**	**185**	**67**	**252**	**165**	**79**	**244**

परिशिष्ट–26

वर्ष 2016–17 में आयोजित/संपन्न परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुसूचित–जाति/अनुसूचित–जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों की, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	अनुसूचित जाति						अनुसूचित जनजाति						अन्य पिछले वर्ग					
		आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीवारों की संख्या	कमी	सामान्य मानक पर अनुशंसित उम्मीदारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2015	176	2169	176	176	--	--	89	1118	89	89	--	--	314	3965	331	314	--	17$
2.	भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016	17	90	16	16	01^	-	08	35	08	08	-	-	37	180	29	29	08^	-
3.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2016	93	13173	93	88	-	5	46	5645	46	44	-	2	177	26820	177	126	-	51
4.	भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय साख्यिकी सेवा परीक्षा, 2016	04	491	04	04	-	-	06	170	03	03	03^	-	04	669	04	04	-	-
5.	सम्मिलित भू–वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2016	16	894	18	16	--	02	07	343	05	05	--	--	56	1997	66	56	--	10
6.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016	98	2608	98	83	--	15	42	957	42	42	-	-	328	4615	328	212	-	116
7	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2015	38	18027	38	37	-	01	18	8607	18	18			67	27193	67	46		21
8	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2016	34	19754	34	34	-	02	14	8439	14	14	-	-	52	28229	52	52	-	20*
	कुल	**476**	**57206**	**477**	**454**	**01**	**25**	**230**	**25314**	**225**	**223**	**03**	**2**	**1035**	**93668**	**1054**	**839**	**08**	**198**

$ 17 उम्मीदवारों को सामान्य मानक पर अनुशंसित किया गया ।

* परीक्षा के किसी भी चरण में पात्रता या चयन मानदंड में स्वीकार्य रियायत / छूट का लाभ नहीं उठाते हुए उन्हें अर्हक / अनुशंसित किया गया है । आरक्षित सूची के प्रचालन के कारण आंकड़ों में परिवर्तन किया जा सकता है ।

^ कमी का कारण श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना है ।

परिशिष्ट – 27

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित उन पदों की सूची, जिनके लिए इन वर्गों के किसी भी उम्मीदवार ने वर्ष 2016–17 के दौरान आवेदन नहीं किया

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	आरक्षित पदों की संख्या			कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	अनुवादक (दारी / फारसी), सिग्नल आसूचना निदेशालय, सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	1	0	0	1
2	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिकी), प्रकाश स्तंभ तथा प्रकाश पोत महानिदेशालय, पोत परिवहन मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	0	1	0	1
3	चिकित्सा अधिकारी / अनुसंधान अधिकारी (यूनानी), आयुष मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	0	1	0	1
4	लेक्चरर (बर्मी), विदेशी भाषा विद्यालय, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	0	0	1	1
5	विशेषज्ञ ग्रेड–III, सहायक प्रोफेसर (जठरांत्रशोथ रोग विज्ञान), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	2	0	0	2
6	विशेषज्ञ ग्रेड–III, सहायक प्रोफेसर (अंतस्रावी विज्ञान), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	1	0	0	1
7	सहायक विधायी अधिवक्ता (मणिपुरी), राजभाषा स्कंध, विधायी विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	1	0	0	1
8	वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	1	0	0	1
9	विशेषज्ञ ग्रेड–III, सहायक प्रोफेसर (तंत्रिका विज्ञान), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	5	2	0	7
10	विशेषज्ञ ग्रेड–III, सहायक प्रोफेसर (हृदयरोग विज्ञान),स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	0	2	0	2
11	वरिष्ठ लेक्चरर (क्षयरोग तथा श्वसन रोग), राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन। (15600–39100+8600 रू.)	0	0	1	1
कुल		**11**	**6**	**2**	**19**

परिशिष्ट – 28

वर्ष 2016–17 के दौरान चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की संख्या

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अधीक्षक (लेखा), संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय (9300–34800+4600 रू.)	-	-	1	1
2	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर मनश्चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	1	-	1	2
3	सहायक भूविज्ञानी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय (9300–34800+4800 रू.)	1	-	12	13
4	सहायक निदेशक (पूंजी बाजार), गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, कारपोरेट कार्य विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (9300–34800+4800 रू.)	-	-	1	1
5	उप वास्तुविद्, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	-	-	1	1
6	आर्थिक अधिकारी,सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग,सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (9300–34800+4600 रू.)	-	-	1	1
7	उप विधायी अधिवक्ता ग्रेड–III (भारतीय विधि सेवा), विधायी विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय (15600–39100+7600 रू.)	1	-	-	1
8	सहायक निदेशक ग्रेड–II (धातुकर्म), विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय (9300–34800+4600 रू.)	1	-	1	2
9	सहायक निदेशक ग्रेड–I (गैर तकनीकी), वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	-	-	1	1
10	औषधि निरीक्षक, केन्द्रीय औषधि, मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (9300–34800+4800 रू.)	5	1	14	20
11	विशेषज्ञ ग्रेड–III, सहायक प्रोफेसर, हृदयवक्ष वाहिका शल्य चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	1	-	-	1
12	सहायक निदेशक प्रचालन, नगार विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	-	-	1	1
13	सहायक निदेशक (लागत), मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	-	-	1	1

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	सहायक निदेशक (लेक्चरर), पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, गृह मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	-	1	-	1
15	उप सहायक निदेशक (लेक्चरर), पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, गृह मंत्रालय(9300–34800+4600 रू.)	-	1	-	1
16	भंडार अधिकारी, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (9300–34800+4600 रू.)	-	-	1	1
17	भारतीय सूचना सेवा का वरिष्ठ ग्रेड, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय (9300–34800+4600 रू.)	-	1	-	1
18	सहायक निदेशक उड़ान योग्यता, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	1	-	3	4
19	रासायनिक परीक्षक ग्रेड–II, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, राजस्व विभाग,वित्त मंत्रालय(15600–39100+5400 रू.)	1	-	2	3
20	कृषि इंजीनियर, फार्म मशीनरी, प्रशिक्षण तथा जांच संस्थान, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय (9300–34800+4600 रू.)	-	-	1	1
21	सहायक निदेशक ग्रेड–II (यांत्रिकी), विकास संगठन, विकास आयुक्त का कार्यालय,सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय (9300–34800+4600 रू.)	-	-	1	1
22	सहायक निदेशक ग्रेड–II (औद्योगिक प्रबंधन तथा प्रशिक्षण), विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय (9300–34800+4600 रू.)	-	-	1	1
23	चिकित्सा अधिकारी / अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध), आयुष मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	-	-	1	1
24	सहायक प्रोफेसर (प्राणि विज्ञान), राजकीय कला तथा विज्ञान महाविद्यालय, कांची मामुनिवार स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, पुद्दुचेरी सरकार (15600–39100+6000 रू.)	-	-	1	1
25	सहायक प्रोफेसर (तर्कशास्त्र / दर्शनशास्त्र), राजकीय कला तथा विज्ञान महाविद्यालय, कांची मामुनिवार स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, पुद्दुचेरी सरकार(15600–39100+6000 रू.)	1	-	-	1
26	सहायक प्रोफेसर (हिन्दी), राजकीय कला तथा विज्ञान महाविद्यालय, कांची मामुनिवार स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, पुद्दुचेरी सरकार (15600–39100+6000 रू.)	-	-	1	1

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	सहायक प्रोफेसर (वाणिज्य), राजकीय कला तथा विज्ञान महाविद्यालय, कांची मामुनिवार स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, पुद्दुचेरी सरकार (15600–39100+6000 रू.)	-	-	1	1
28	सहायक प्रोफेसर (फ्रेंच), राजकीय कला तथा विज्ञान महाविद्यालय, कांची मामुनिवार स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, पुद्दुचेरी सरकार (15600–39100+6000 रू.)	-	-	1	1
29	सहायक वास्तुविद्, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,शहरी विकास मंत्रालय (9300–34800+4800 रू.)	-	-	1	1
30	प्रबंधक (मेल मोटर सर्विस), डाक विभाग, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	1	-	1	2
31	औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (9300–34800+4800 रू.)	1	-	1	2
32	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II (जेनटेक्स), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	-	-	1	1
33	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (अस्थि रोग विज्ञान), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	-	-	1	1
34	लेक्चरर कम्प्यूटर इंजीनियरी, राजकीय पालिटेक्नीक, तकनीकी शिक्षा विभाग, दमन तथा दीव प्रशासन (15600–39100+5400 रू.)	2	-	1	3
35	प्रशिक्षण अधिकारी (शिक्षण के सिद्धांत), प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय (9300–34800+4600 रू.)	-	-	2	2
36	वैज्ञानिक 'एस बी' (यांत्रिकी), राष्ट्रीय जांचशाला, उपभोक्ता मामले विभाग,उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	-	-	1	1
37	सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय (15600–39100+5400 रू.)	-	-	7	7
38	सहायक प्रोफेसर (विधि), डा. अंबेडकर राजकीय विधि महाविद्यालय, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, पुद्दुचेरी सरकार (15600–39100+6000 रू.)	1	-	3	4
39	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (बाल शल्य चिकित्सा), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	-	-	1	1

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	कनिष्ठ निर्माण प्रबंधक (सिविल), आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग,रक्षा मंत्रालय (9300–34800+4600 रू.)	-	-	1	1
41	चिकित्सा अधिकारी / अनुसंधान अधिकारी (होम्योपैथी), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, आयुष मंत्रालय(15600–39100+5400 रू.)	-	-	1	1
42	विशेषज्ञ ग्रेड–III सहायक प्रोफेसर (आयुर्विज्ञान), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (15600–39100+6600 रू.)	1	-	-	1
कुल		**19**	**4**	**71**	**94**

परिशिष्ट–29

(देखिए अध्याय–8)

वर्ष 2016–2017 के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामले

अग्रेनीत : 112

वर्ष के दौरान प्राप्त : 487

योग : 599

निपटाए गए कुल मामले : 480

अन्तिम शेष : 119

क्र सं.	कदाचार	मामले जिनमें सलाह संसूचित की गई														पुनर्विचार करके दोहराई	मामलों पर नए सिरे से कार्यवाही	विविध सलाह	जारी किए गए सलाह पत्रों की संख्या	अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु वापस	मामलों का संदर्भ नहीं	सरकार द्वारा वापस लिए गए	निपटाए गए कुल मामले
		ग्रुपवार ब्यौरा				शास्ति, जिसकी सलाह दी गई																	
		ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	ग्रुप 'ग'	ग्रुप 'घ'	बर्खास्तगी	सेवा से हटाना	अनिवार्य सेवानिवृत्ति	रैंक घटाना	**आर्थिक	पदोन्नति रोकना	परिनिन्दा	पेंशन में कटौती	कार्यवाही समाप्त	कुल प्रभावी सलाह								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	दोषसिद्धि	22	13	19	0	13	0	0	0	0	0	0	40	1	**54**	0	0	1	**55**	0	0	0	**55**
02	भ्रष्टाचार/अनाचार	9	3	1	0	1	0	0	0	3	0	0	8	1	**13**	0	0	0	**13**	0	0	0	**13**
03	बेईमानी/गबन	19	12	11	0	1	0	1	0	10	0	1	26	3	**42**	0	0	1	**43**	0	0	0	**43**
04	अनैतिक आचरण	7	1	2	0	1	0	0	0	4	0	0	4	1	**10**	0	0	0	**10**	0	0	0	**10**
05	बिना छुटी लिए ड्यूटी से अनुपस्थिति	25	7	5	0	18	2	6	0	4	0	0	7	0	**37**	0	0	0	**37**	0	0	0	**37**
06	बाहरी रोजगार/व्यवसाय	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	**1**	0	0	0	**1**
07	अवज्ञा	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	**2**	0	0	0	**2**	0	0	0	**2**
08	ड्यूटी की अवहेलना/अनुपालन न करना	65	25	30	0	2	0	0	1	39	0	14	57	7	**120**	0	0	0	**120**	0	0	0	**120**
09	संपत्ति के लेन–देन में अनियमितताएं	15	6	0	0	0	0	0	1	7	0	2	7	4	**21**	1	0	0	**22**	0	0	0	**22**
10	दुर्व्यवहार	2	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	**4**	0	0	0	**4**	0	0	0	**4**
11	अन्य आरोप/कदाचार	83	20	20	1	0	0	1	0	39	0	13	57	14	**124**	0	0	0	**124**	49	0	0	**173**
		249	**89**	**89**	**1**	**37**	**2**	**8**	**2**	**110**	**0**	**30**	**208**	**31**	**428**	**1**	**0**	**2**	**431**	**49**	**0**	**0**	**480**

** इसमें वेतन को समय वेतनमान के निचले स्तर पर घटाने, वेतन वृद्धि को रोकने और अवहेलना से सरकार को हुई धन संबंधी हानि या आदेशों के उल्लंघन की पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वेतन से वसूली करने संबंधी शास्तियां सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट–30

वर्ष 2016–2017 के दौरान आयोग द्वारा अनुशासनिक मामलों में दी गई सलाह का मंत्रालय–वार विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/राज्य सरकार का नाम	सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के मामले				सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के अलावा अन्य मामले				नए सिरे से कार्यवाही आरंभ करने का परामर्श	विविध स्वरूप का परामर्श	कॉलम 6, 10, 11 और 12 का कुल योग
		उन मामलों की संख्या जिनमें दीर्घ शास्ति की सलाह दी गई है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति की सलाह दी गई है	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति की सलाह नहीं दी गई है	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें दीर्घ शास्ति की सलाह दी गई है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति की सलाह दी गई है	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति की सलाह नहीं दी गई है	कुल			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	मंत्रिमंडल सचिवालय	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**	0	0	**1**
2	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**	0	0	**1**
3	वाणिज्य एवं उद्योग	1	0	0	**1**	1	0	0	**1**	0	0	**2**
4	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	76	13	8	**97**	18	8	3	**29**	0	0	**126**
5	रक्षा	9	0	0	**9**	3	0	0	**3**	0	0	**12**
6	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	1	3	0	**4**	0	1	1	**2**	0	0	**6**
7	विदेश मामले	6	1	0	**7**	4	2	0	**6**	0	0	**13**
8	वित्त	16	1	0	**17**	3	1	2	**6**	0	0	**23**
9	कारपोटेट मामले	2	0	0	**2**	0	0	0	**0**	0	1	**3**
10	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**	0	0	**1**
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	0	0	**1**	2	1	0	**3**	0	0	**4**
12	गृह	38	2	3	**43**	10	4	0	**14**	0	0	**57**
13	मानव संसाधन विकास	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**	0	0	**4**
14	संस्कृति	3	0	0	**3**	0	0	0	**0**	0	0	**3**
15	सूचना एवं प्रसारण	6	0	1	**7**	1	0	0	**1**	0	1	**9**
16	का., लो.शि. एवं पेंशन	6	0	0	**6**	1	0	0	**1**	0	0	**7**

क्र. सं.	मंत्रालय/राज्य सरकार का नाम	सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के मामले				सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के अलावा अन्य मामले				नए सिरे से कार्यवाही आरंभ करने का परामर्श	विविध स्वरूप का परामर्श	कॉलम 6, 10, 11 और 12 का कुल योग
		उन मामलों की संख्या जिनमें दीर्घ शास्ति की सलाह दी गई है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति की सलाह दी गई है	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति की सलाह नहीं दी गई है	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें दीर्घ शास्ति की सलाह दी गई है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति की सलाह दी गई है	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति की सलाह नहीं दी गई है	कुल			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
17	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	2	0	1	**3**	0	1	1	**2**	0	0	**5**
18	रेलवे	49	8	5	**62**	17	15	1	**33**	0	0	**95**
19	पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	3	0	0	**3**	0	1	0	**1**	0	0	**4**
20	शहरी विकास	15	2	1	**18**	1	8	1	**10**	0	0	**28**
21	जल संसाधन, आरडी और जीआर	4	0	0	**4**	0	0	0	**0**	0	0	**4**
22	पृथ्वी विज्ञान	0	0	0	**0**	1	0	0	**1**	0	0	**1**
23	प्रधानमंत्री कार्यालय	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**	0	0	**1**
24	विद्युत	0	0	0	**0**	0	0	1	**1**	0	0	**1**
25	खान	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**	0	0	**1**
26	नागर विमानन	2	0	0	**2**	0	1	0	**1**	0	0	**3**
27	अंतरिक्ष	6	0	0	**6**	0	1	0	**1**	0	0	**7**
28	बिहार	0	0	0	**0**	1	2	0	**3**	0	0	**3**
29	गुजरात	0	0	0	**0**	0	0	1	**1**	0	0	**1**
30	मध्य प्रदेश	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**	0	0	**1**
31	महाराष्ट्र	0	0	0	**0**	0	1	0	**1**	0	0	**1**
32	तमिलनाडु	0	1	0	**1**	0	0	0	**0**	0	0	**1**
33	उत्तर प्रदेश	0	0	1	**1**	0	0	0	**0**	0	0	**1**
34	छत्तीसगढ़	0	0	1	**1**	0	0	0	**0**	0	0	**1**
कुल		**254**	**31**	**21**	**306**	**65**	**47**	**11**	**123**	**0**	**2**	**431**

परिशिष्ट–31

(देखिए अध्याय 10)

सरकार द्वारा भर्ती नियम अधिसूचित न किए जाने वाले मामलों की संख्या और विलंब की अवधि दर्शाने वाला विवरण (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	2.3 वर्ष	1.2 वर्ष	0.1 वर्ष	कुल
1	**कृषि**				
	कृषि एवं सहकारिता	0	1	8	**9**
	पशु पालन एवं डेयरी	0	0	3	**3**
2	**मंत्रिमंडल सचिवालय**				
	मंत्रिमंडल सचिवालय	0	0	0	**0**
3	**रसायन एवं उर्वरक**				
	रसायन एवं पेट्रो–रसायन	0	2	1	**3**
	उर्वरक	0	0	0	**0**
4	**विद्युत**				
	विद्युत	0	0	0	**0**
5	**वाणिज्य एवं उद्योग**				
	वाणिज्य	0	2	4	**6**
	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	1	0	7	**8**
6	**संचार**				
	डाक	0	0	1	**1**
	दूरसंचार	0	1	5	**6**
7	**रक्षा**				
	रक्षा उत्पादन	0	1	13	**14**
	रक्षा (डी / नियुक्ति)	0	0	0	**0**
	रक्षा अनुसंधान एवं विकास	0	0	2	**2**
	रक्षा (सी.ए.ओ.)	0	0	0	**0**
	रक्षा	0	1	19	**20**
8	**पर्यावरण एवं वन**				
	पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव	0	0	18	**18**
9	**विदेश मामले**				
	विदेश मामले	0	0	1	**1**
10	**वित्त**				
	व्यय	0	0	1	**1**
	राजस्व	0	0	1	**1**
	आर्थिक कार्य	0	0	0	**0**
	कंपनी मामले	0	0	0	**0**
11	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**				
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	0	0	0	**0**
12	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**				
	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी पद्धति	0	0	2	**2**

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	2.3 वर्ष	1.2 वर्ष	0.1 वर्ष	कुल
	स्वास्थ्य	1	0	4	**5**
	परिवार कल्याण	0	0	0	**0**
13	**गृह**				
	राजभाषा	0	0	0	**0**
	गृह	0	0	9	**9**
	आंतरिक सुरक्षा	0	0	0	**0**
14	**मानव संसाधन विकास**				
	माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा	0	0	1	**1**
	प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता	0	0	0	**0**
15	**भारी उद्योग**				
	भारी उद्योग	0	0	0	**0**
16	**सूचना एवं प्रसारण**				
	सूचना एवं प्रसारण	0	0	0	**0**
17	**श्रम**				
	रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय	0	0	0	**0**
	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय	0	0	0	**0**
	श्रम	1	0	4	**5**
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	0	0	0	**0**
18	**विधि एवं न्याय**				
	विधि एवं कार्य	0	0	0	**0**
	विधायी विभाग	1	1	0	**2**
	कंपनी विभाग	0	0	0	**0**
19	**संसदीय कार्य**				
	संसदीय कार्य	0	1	2	**3**
20	**कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन**				
	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत	0	0	0	**0**
	कार्मिक एवं प्रशिक्षण	0	1	4	**5**
21	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस**				
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	0	0	1	**1**
22	**युवा मामले**				
	युवा मामले	0	0	1	**1**
23	**रेल**				
	रेल	0	0	3	**3**
24	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**				
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान	0	0	0	**0**
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0	1	1	**2**
25	**इस्पात एवं खान**				
	इस्पात	0	0	0	**0**
26	**कारपोरेट कार्य**				
	कारपोरेट कार्य	0	0		**0**

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	2.3 वर्ष	1.2 वर्ष	0.1 वर्ष	कुल
27	**वस्त्र**				
	वस्त्र	0	0	9	**9**
28	**पर्यटन एवं संस्कृति**				
	पर्यटन	0	0	1	**1**
	संस्कृति	0	0	5	**5**
29	**संघ लोक सेवा आयोग**				
	संघ लोक सेवा आयोग	0	0	4	**4**
30	**शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन**				
	शहरी विकास	0	0	5	**5**
	शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन	0	0	0	**0**
31	**जल संसाधन**				
	जल संसाधन	0	0	5	**5**
32	**अंडमान एवं निकोबार प्रशासन**				
	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	0	1	4	**5**
33	**चंडीगढ़ प्रशासन**				
	चंडीगढ़ प्रशासन	0	1	17	**18**
34	**दमन, दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली**				
	दमन, दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	1	1	4	**6**
35	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**				
	भूमि तथा भवन	0	0	0	**0**
	वित्त	0	0	0	**0**
	प्रशासन	0	0	0	**0**
	शिक्षा एवं भाषा	0	0	0	**0**
	श्रम	0	0	0	**0**
	विकास	0	0	0	**0**
	गृह	0	0	0	**0**
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	1	1	**2**
	तकनीकी शिक्षा	0	0	4	**4**
	सेवाएं	0	0	0	**0**
36	**लक्षद्वीप प्रशासन**				
	लक्षद्वीप प्रशासन	0	1	5	**6**
37	**पुदुच्चेरी सरकार**				
	पुदुच्चेरी सरकार	2	0	10	**12**
38	**दिल्ली नगर निगम**				
	दिल्ली नगर निगम	0	1	5	**6**
39	**नीति आयोग**				
	नीति आयोग	1	1	0	**2**
40	**प्रधान मंत्री सचिवालय**				
	प्रधान मंत्री सचिवालय	0	0	0	**0**
41	**नई दिल्ली नगर पालिका परिषद**				
	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	0	0	0	**0**

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	2.3 वर्ष	1.2 वर्ष	0.1 वर्ष	कुल
42	**ग्रामीण विकास**				
	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोज़गार	0	0	0	**0**
	ग्रामीण विकास	0	0	1	**1**
	पेयजल एवं आपूर्ति	0	0	0	**0**
	भू–संसाधन	0	0	0	**0**
43	**उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण**				
	उपभोक्ता मामले	0	0	2	**2**
	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	0	0	6	**6**
44	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम**				
	लघु उद्योग विकास संगठन	0	0	0	**0**
45	**नागर विमानन**				
	नागर विमानन	0	0	8	**8**
46	**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता**				
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	0	0	1	**1**
47	**दिल्ली जल बोर्ड**				
	दिल्ली जल बोर्ड	0	1	8	**9**
48	**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**				
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	1	0	1	**2**
49	**सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**				
	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	0	0	1	**1**
50	**पोत परिवहन मंत्रालय**				
	पोत परिवहन	1	0	2	**3**
51	**खान मंत्रालय**				
	खान	0	0	0	**0**
52	**कोयला मंत्रालय**				
	कोयला	0	0	0	**0**
53	**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**				
	पृथ्वी विज्ञान	0	0	0	**0**
54	**जनजातीय मामले मंत्रालय**				
	जनजातीय मामले	0	0	0	**0**
55	**पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास**				
	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	0	0	0	**0**
57	**भारत मौसम विज्ञान विभाग**				
	भारत मौसम विज्ञान विभाग	0	0	0	**0**
57	**पंचायती राज**				
	पंचायती राज	0	0	1	**1**
	सकल योग	**10**	**20**	**226**	**256**

परिशिष्ट–32

(देखिए अध्याय–12)

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के जारी होने के बाद से आयोग के अधिकार–क्षेत्र से पृथक किए गए पद/सेवाएं

अनुसूची–1

(संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए पृथक किए गए पद)

क्र. सं.	पद/सेवाओं के पदनाम	दिनांक जिससे पृथक किए गए
1.	मद (7) में सम्मिलित मद से अन्यथा, उच्च न्यायालय या न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के नियंत्रणाधीन संघ शासित क्षेत्रों के सभी सिविल और दांडिक न्यायिक पद	1.9.1958
2.	राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति के सचिवालय में तथा वैयक्तिक स्टाफ संबंधी पद	26.3.1962
3.	विदेश मंत्रालय के अधीन राजकीय आतिथ्य संगठन के पद	26.3.1962
4.	शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के पद	25.3.1963
5.	योजना आयोग में परामर्शदाता तथा मुख्य परामर्शदाता# के पद	25.4.1964
6.	भारत के सॉलिसिटर जनरल तथा भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल के निजी सचिव के पद	14.4.1965
7.	संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्त, अपर न्यायिक आयुक्त, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश	9.3.1966
8.	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) अनुपूरक विनियमावली, 1970 के अंतर्गत भारत सरकार में विदेश आसूचना से संबद्ध संगठन के अधीन या उससे संबंधित समस्त सेवाएं और पद	14.8.1970
9.	आसूचना ब्यूरो में अनुभाग अधिकारी के पदों से भिन्न, ग्रुप 'ख' अनुसचिवीय पद	12.2.1973
10.	(क) अंतरिक्ष विभाग और (ख) अंतरिक्ष आयोग में अथवा उनके अधीन सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक पद	14.11.1974
11.	(क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी आयोग में अथवा उनके अधीन सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक पद	13.8.1975
12.	रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की भर्ती/पदोन्नति	18.5.1985
13.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अथवा उसके अधीन सभी ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पद	10.1.1986
14.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 39018/2/86–स्था.ख दिनांक 1.4.87 के अनुबंध में यथानिर्दिष्ट विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महासागर विकास विभाग, गैर–पंरपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग और पर्यावरण, व तथा वन्य जीव विभाग में वैज्ञानिक पद, इमें वे पद शामिल हीं हैं जिन पर नियुक्ति विभागीय पदोन्नति समिति (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 6.5.96 की अधिसूचना सं. 39018/1/96 स्था.ख द्वारा संशोध) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जाी है।	6.5.1996
15.	खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जो वाले सहायक ग्रुप 'ख' (अराजपत्रित) और आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के पद	7.9.1989
16.	योजना आयोग में ग्रेड वेतन 10/000/– रुपए सहित 37,400–67,000/– रुपए के वेतन बैंड–4 अथवा 67,000/– (3% की वार्षिक वेतनवृद्धि) – 79,000/– रुपए के एचएजी वेतनमान अथवा 80,000/– रुपए के शीर्ष वेतनमान में सलाहकार के समस्त पद, किन्तु इसमें वे पद शामिल हीं हैं जो सीनियर स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत भरे जो अपेक्षित हैं या जो किसी संगठित सेवा में सम्मिलित हैं।''	7.9.1989

क्र. सं.	पद/सेवाओं के पदनाम	दिनांक जिससे पृथक किए गए
17.	दूरसंचार विभाग में ग्रुप 'ख' के अराजपत्रित पद	29.12.1989
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन ग्रुप 'ख' के अराजपत्रित पद	18.9.1990
19.	वे पद/सेवाएं, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली की अनुसूची की मद (20) के अंतर्गत पृथक रखा आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था: (i) विदेश मंत्रालय के अधी विशेष सीमा सुरक्षा योजना से संबद्ध पद (ii) केंद्रीय रिज़र्व पुलिस और भारत–तिब्बत सीमा बल के अंतर्गत पद (iii) भारतीय उच्चायोग, लंद और विदेश स्थित अन्य भारतीय मिशनों में वे पद, जिन पर संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा स्थानीय भर्ती की जाती है।	1963-64 22.7.1960 4.8.1988
20.	औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय में पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक; सहायक नियंत्रक, पेटेंट एवं डिजाइन; उप नियंत्रक, पेटेंट एवं डिजाइन; संयुक्त नियंत्रक पेटेंट एवं डिज़ाइन; वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक, पेटेंट एवं डिज़ाइन; उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी; वरिष्ठ प्रलेख अधिकारी; वरिष्ठ रिप्रोग्राफी अधिकारी; कनिष्ठ प्रलेख अधिकारी, रिप्रोग्राफी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रोग्रामर के पद	6.7.1999
21.	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय में लेफ्टि. जनरल, वैज्ञानिक ''एच'' मेजर जनरल, वैज्ञानिक ''जी'' सचिव*, अपर सचिव*, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव, प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक*, अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी, सहायक, अनुसंधान सहायक, वैयक्तिक सहायक, प्रोटोकॉल सहायक, वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक तथा नक्शानवीस ग्रेड "I" के पद	31.1.2001
22.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रोफेसर विधि	31.1.2003
23.	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अंतर्गत सभी पद	14.7.2005
24.	संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ के महानिदेशक के पद तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोलकाता के निदेशक का पद और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद[$]	30.04.2009 & 11.12.2013
25.	मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली का पद	22.7.2009
26.	सशस्त्र सेना अधिकरण (एएफटी) में सभी समूह 'क' और समूह 'ख' पद	21.6.2011
27.	भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक डी, ई, एफ एवं जी (ग्रुप 'क' पद) के पदों पर भर्ती[%]	15.07.2015

\# कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिांक 25 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना के अंतर्गत शामिल।

* कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 31 जनवरी, 2003 की अधिसूचना के अंतर्गत शामिल।

** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 7 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रतिस्थापित।

$ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 11 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रतिस्थापित।

% कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 15 जुलाई, 2015 की अधिसूचना के अंतर्गत शामिल।

अनुसूची–II
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3)(ख) के प्रयोजन के लिए पृथक किए गए पद)

क्र. सं.	पद/सेवाओं के पदनाम	दिनांक, जिससे पृथक किए गए
1.	जल संसाधन मंत्रालय के अधीन ग्रुप 'ख' अराजपत्रित पद	13.11.1991
2.	सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' पदों पर सीधी भर्ती, पद से सम्बद्ध ग्रेड वेतन का विचार किए बिना @	21.5.1999 एवं 24.7.2012
3.	4600/– रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9300 रु. –34,800 रु. के वेतन बैंड–2 में सभी अराजपित्रत पदों पर सीधी भर्ती *	29.9.2005 एवं 28.9.2010
4.	प्रवर्तन निदेशालय में 8900/– रुपए के ग्रेड वेतन सहित 37,400/– रुपए – 67,000/– रुपए के वेतन बैंड–4 में विशेष प्रवर्तन निदेशक का पद $	1.6.2006
5.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में 7600/–रू. के ग्रेड वेतन सहित 15,600–39,100 रू. के वेतन बैंड –3 में उप सचिव का पद और ग्रेड वेतन 8700/– रू. सहित 37,400–67,000 रू. के वेतन बैंड–4 में निदेशक का पद। $&#	30.7.2008 एवं 3.2.2010
6.	31 जनवरी, 2014 तक की अवधि के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच–एजेंसी में पुलिस अधीक्षक (गैर–भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, प्रशासनिक अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ निजी सचिव, आशुलिपिक ग्रेड–सी और सहायक के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती। **	6.1.2010 एवं 11.9.2013
7.	गृह मंत्रालय के अधीन आसूचना ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर गैर–भारतीय पुलिस सेवा कार्मिक की प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती। *	28.9.2010
8.	31 जनवरी, 2014 तक की अवधि के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच–एजेंसी में उप महानिरीक्षक (गैर–भा.पु.से.), साइबर फोरेंसिक परीक्षक, क्राइम सीन सहायक और फोरेंसिक शरीर–क्रिया विज्ञानी के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती। ***	11.9.2013
9.	कार्मिक, शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिए तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय की जाने वाली भर्ती ##	10.10.2013
10.	प्रतिनियुक्ति की विधि द्वारा भरे गए सभी ग्रुप 'ख' पद जिनमें ग्रेड वेतन 4800 रूपये से कम है और 9300 से 34800 रूपये के वेतन बैंड–2 में हैं।^	03.06.2015
11.	प्रधान मंत्री कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर आसूचना ब्यूरो से कार्मिकों की भर्ती। $$	18.08.2015
12.	आमेलन विधि और मिश्रित विधि द्वारा भरे गए 9300 से 34800 रूपये के वेतन बैंड–2 में 4800 रूपये से कम के ग्रेड वेतन वाले सभी ग्रुप ख पद। ###	22.12.2015
13.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के 9300 से 34800 रूपये के वेतन बैंड–2 में 4800 रूपये ग्रेड वेतन वाले ग्रुप 'ख' (राजपत्रित) पदों पर सीधी भर्ती।^^	17.02.2016

$ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 7 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।
# कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 3 फरवरी, 2010 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।
* कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।
@ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 24 जुलाई, 2012 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।
** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 11 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।
*** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 11 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
^ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 3 जून, 2015 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
$$ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 18 अगस्त, 2015 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना द्वारा शामिल।
^^ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 17 फरवरी, 2016 की अधिसूचना द्वारा शामिल।

परिशिष्ट–33

आयोग के कर्मचारियों की संवर्ग एवं ग्रुप–वार तथा कर्मचारियों के पदों की संख्या का विस्तृत विवरण

तालिका 1 : आयोग के कर्मचारियों की संवर्ग–वार, ग्रुप–वार संख्या

विवरण	समूह 'क'		समूह 'ख'				समूह 'ग'		कुल	
			राजपत्रित		अराजपत्रित					
	31.3.16	31.3.17	31.3.16	31.3.17	31.3.16	31.3.17	31.3.16	31.3.17	31.3.15	31.3.16
सचिवालय संवर्ग	129	129	196	196	418	418	290	291	1033	1034
संघ लोक सेवा आयोग संवर्ग	56	56	53	53	96	92	600	599	805	800
अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग	3	3	7	7	9	9	8	8	27	27
विभागीय कैंटीन	-	-	-	-	2	2	36	36	38	38
कुल	188	188	256	256	525	521	934	934	1903	1899

तालिका 2 : वर्ष 2016 – 2017 के दौरान जिन संवर्गों/पदों की स्वीकृत संख्या में परिवर्तन आया है

31.03.2016 को स्वीकृत कुल संख्या	31.03.2017 को स्वीकृत कुल संख्या	अंतर
1903	1899	-(4)

क्र.सं.	पद का नाम	31.03.2016 को संस्वीकृत संख्या	31.03.2017 को संस्वीकृत संख्या	अंतर
1	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	9	8	-1
2	तकनीकी सहायक (लेखा)	15	12	-3
3	कनिष्ठ मशीन प्रचालक	2	1	-1
4	स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड)	5	6	+1
			कुल अंतर	**-(4)**

तालिका 3 : कर्मचारियों की संख्या का समूह–वार, संवर्ग–वार और पदनाम–वार विवरण

क्र सं.	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार
1.	**2.**	**3.**	**4.**
A.	**ग्रुप 'क'**	**188**	**188**
I.	सचिवालय संवर्ग	129	129
1.	सचिव	1	1
2.	अपर सचिव	2	2
3.	अपर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक	1	1
4.	अपर सचिव (परीक्षा सुधार)	1	1
5.	संयुक्त सचिव	11	11
6.	प्रधान स्टाफ अधिकारी	3	3
7.	उप सचिव	30	30
8.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	8	8
9.	अवर सचिव	67	67

क्र सं.	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार
10.	प्रधान निजी सचिव	5	5
II.	**संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग**	**56**	**56**
11.	भाषायी प्रशासक	1	1
12.	कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रणाली)	1	1
13.	निदेशक (सूचना प्रणाली)	1	1
14.	निदेशक (परीक्षा सुधार)	2	2
15.	संयुक्त निदेशक (अनुसंधान सांख्यिकी एवं विश्लेषण)	1	1
16.	अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य अधिकारी	1	1
17.	संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार)	3	3
18.	संयुक्त निदेशक (सूचना प्रणाली)	4	4
19.	वित्त एवं बजट अधिकारी	1	1
20.	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1	1
21.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1
22.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आरएस एंड ए)	2	2
23.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम)	1	1
24.	वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक	8	8
25.	उप निदेशक (परीक्षा सुधार)	2	2
26.	सहायक निदेशक (सतर्कता)	1	1
27.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप 'जी'	3	3
28.	अनुसंधान अधिकारी (आरएस एंड ए)	4	4
29.	सिस्टम विश्लेषक	11	11
30.	सहायक निदेशक (गोपनीय सुरक्षा)	3	3
31.	उप निदेशक (गोपनीय)	1	1
32.	वरिष्ठ संपदा अनुरक्षण एवं बैठक अधिकारी	1	1
33.	अध्यक्ष के स्टाफ अधिकारी	1	1
34.	संपर्क और प्रोटोकॉल अधिकारी	1	1
III	**अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग**	**3**	**3**
35.	निदेशक (राजभाषा)	1	1
36.	उप निदेशक (राजभाषा)	2	2
B	**समूह 'ख'**	779	775
37.	समूह 'ख' राजपत्रित	**256**	**256**
I.	**सचिवालय संवर्ग**	**196**	**196**
38.	अनुभाग अधिकारी	141	141
39.	निजी सचिव	55	55
II.	**संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग**	**53**	**53**
40.	कनिष्ठ विश्लेषक	1	1
41.	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	8	8
42.	लेखा अधिकारी	6	6

क्र सं.	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार
43.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप ''ई'	14	14
44.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक	16	16
45.	स्वागत अधिकारी	1	1
46.	संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी	2	2
47.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1	1
48.	सुरक्षा अधिकारी	1	1
49.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1
50.	सचिव के स्टाफ अधिकारी	1	1
51.	सहायक अधीक्षक (टेलीफोन)	1	1
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग**	**7**	**7**
52.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	4	4
53.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1	1
54.	सहायक लेखा अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी (वे. एवं ले. का.)	2	2
55.	ग्रुप 'ख' अराजपत्रित	**523**	**519**
I.	**सचिवालय संवर्ग**	**418**	**418**
56.	सहायक अनुभाग अधिकारी	357	357
57.	वैयक्तिक सहायक (के. स. आ. से. का ग्रुप 'ग')	61	61
II.	**संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग**	**96**	**92**
58.	वरिष्ठ मशीन ऑपरेटर	1	1
59.	अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन)	4	4
60.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	9	8
61.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रुप 'ए'	21	21
62.	सतर्कता सहायक	2	2
63.	पर्यवेक्षक (गोपनीय)	1	1
64.	संपदा पर्यवेक्षक	2	2
65.	रिसेप्शनिस्ट	1	1
66.	हाउस कीपर	1	1
67.	तकनीकी सहायक (लेखा)	15	12
68.	मोटर परिवहन पर्यवेक्षक	1	1
69.	सुरक्षा सहायक	1	1
70.	प्रोटोकॉल सहायक	1	1
71.	प्रधान टंकक (हिन्दी)	1	1
72.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (ग्रेड 'घ')	32	32
73.	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	1	1
74.	गोपनीय सहायक	1	1
75.	स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	1	1
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग**	**9**	**9**
76.	वरिष्ठ अनुवादक	5	5

क्र सं.	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार
77.	कनिष्ठ अनुवादक	4	4
C.	**समूह 'ग'**	**898**	**898**
I.	**सचिवालय संवर्ग**	**290**	**291**
78.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	177	177
79.	आशुलिपिक (के. स. आ. से. का ग्रेड 'घ')	18	18
80.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	79	79
81.	स्टाफ कार चालक	16	17*
II.	**संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग**	**600**	**599**
82.	प्रधान टंकक (हिन्दी)	2	2
83.	केयरटेकर	2	2
84.	कनिष्ठ स्वागत अधिकारी	2	2
85.	बढ़ई	1	1
86.	सहायक पर्यवेक्षक (गोपनीय)	1	1
87.	मशीन ऑपरेटर	4	4
88.	सामान्य डयूटी लिपिक	2	2
89.	डिस्पैच राइडर	2	2
90.	कनिष्ठ मशीन ऑपरेटर	2	1
91.	सहायक केयरटेकर	1	1
92.	वरिष्ठ रिकार्डकीपर	13	13
93.	कुक (सलाहकार कक्ष)	6	6
94.	बैरा (सलाहकार कक्ष)	8	8
95.	वॉश ब्वाय (सलाहकार कक्ष)	4	4
96.	सहायक कुक (सलाहकार कक्ष)	3	3
97.	पुस्तकालय लिपिक	2	2
98.	टंकक (हिन्दी)	1	1
99.	लाइनमैन	1	1
100.	मल्टी – टास्किंग स्टाफ	537	537
101.	पुस्तकालय परिचर	3	3
102.	फ्रेंकिंग मशीन ऑपरेटर	2	2
103.	परिचर्या अर्दली	1	1
दिनांक 2.3.2017 के आदेश सं.ए–11013/04/2000–प्रशा.–I द्वारा स्टाफ कार ड्राइवर (ओ जी) का पद सृजित किया गया है।			
1.	**2.**	**3.**	**4.**
III.	**अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग**	**8**	**8**
104.	वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार (वे. एवं ले. कार्या. एकक)	8	8
D.	**कैंटीन स्टाफ**	**38**	**38**
I.	**समूह 'ख'**	**02**	**02**
105.	महाप्रबंधक (कैन्टीन)	1	1
106.	प्रबंधक–सह–लेखाकार	1	1
II.	**समूह 'ग'**	**36**	**36**
107.	हलवाई	2	2

क्र सं.	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार
108.	सहायक प्रबंधक–सह–स्टोर कीपर	2	2
109.	कैन्टीन लिपिक	6	6
110.	कुक	2	2
111.	सहायक हलवाई	2	2
112.	टी/कॉफी मेकर	2	2
113.	बैरा	14	14
114.	वॉश ब्वाय	4	4
115.	सफाई कर्मचारी	2	2

परिशिष्ट – 34

(देखिए अध्याय–66)

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

आयोग का संगठनात्मक चार्ट (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)

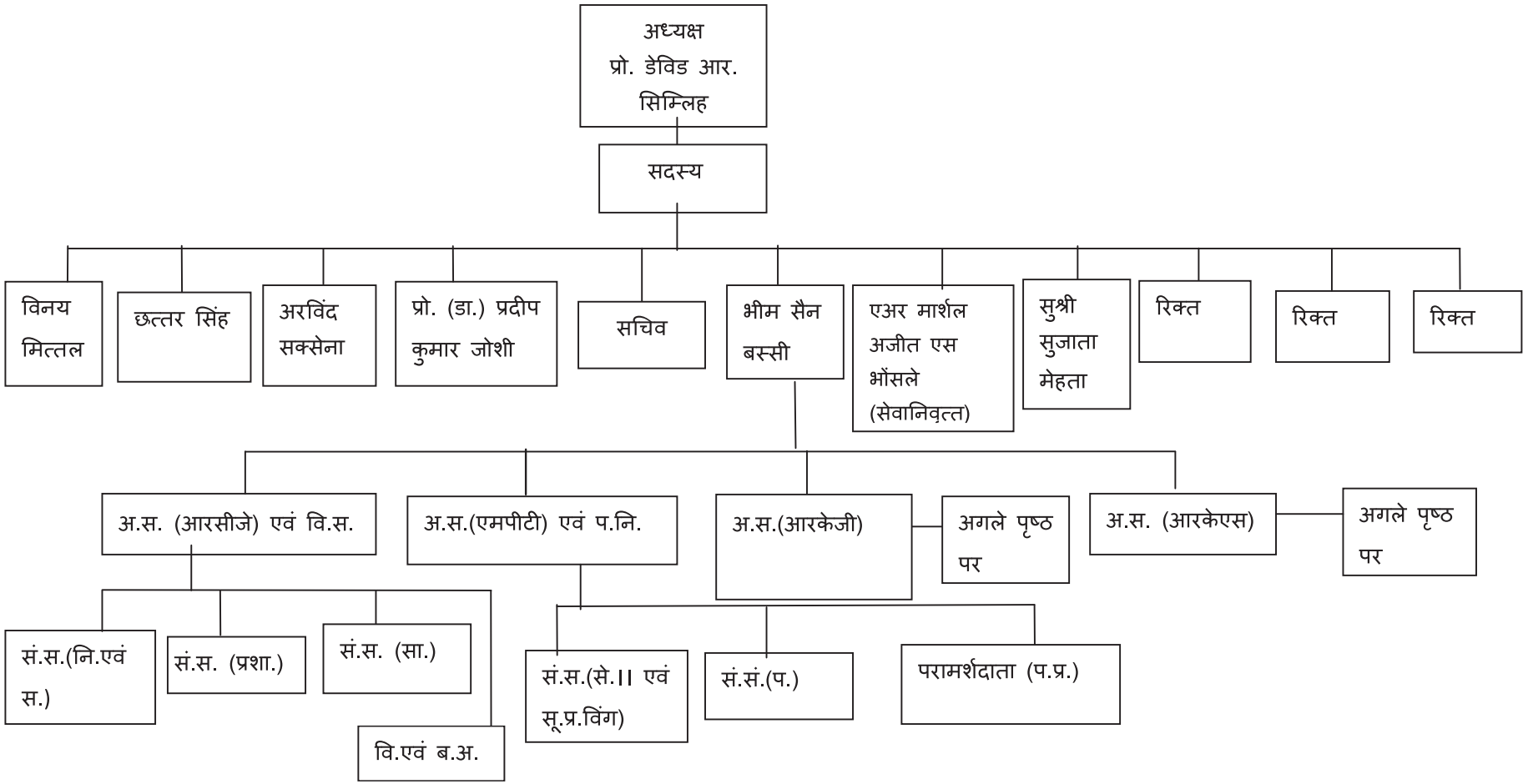

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

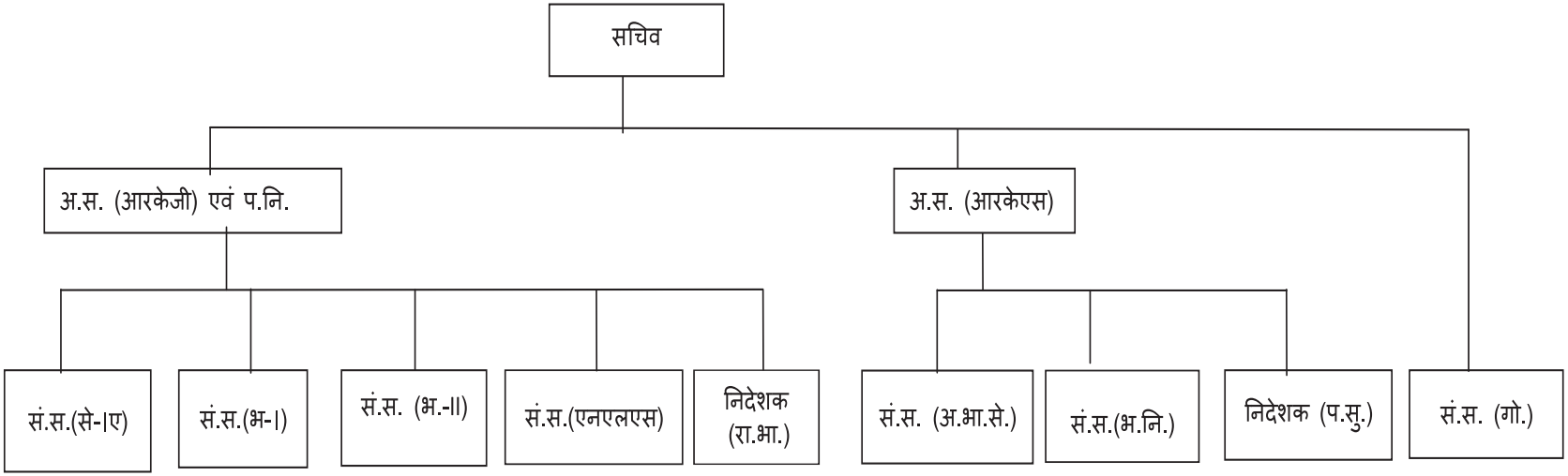

संकेत शब्द			
अ.स.(आरसीजे) एवं वि.स.	**नियुक्ति, प्रशासन, सामान्य शाखाएं, सतर्कता एवं वित्तीय सलाहकार**	**अ.स. (आरकेजी)**	**सेवा–I (ए), भर्ती–I एवं II शाखाएं, हिंदी शाखा, पुस्तकालय, नोडल लीगल सेक्शन**
अ.स. (एमपीटी) एवं प.नि.	परीक्षा, सेवा– II, सूचना प्रणाली विंग एवं परीक्षा नियंत्रक	अ.स. (आरकेएस)	परीक्षा सुधार, अखिल भारतीय सेवाएं और भर्ती नियम, लीगल सेक्शन
अ.स.	अपर सचिव	सं.स.	संयुक्त सचिव
नि.	नियुक्ति	रा.भा.	राजभाषा
गो.	गोपनीय	भ.नि.	भर्ती नियम
उ.स.	उप सचिव	भ.	भर्ती
प.सु.	परीक्षा सुधार	से.–I एवं से.–II	सेवा – I एवं सेवा – II
प.	परीक्षा	वि. एवं ब.अ.	वित्त एवं बजट अधिकारी
प.प्र.	परीक्षा प्रबंध	प.नि.	परीक्षा नियंत्रक
नो.ली.से.	नोडल लीगल सेल	आई एस	सूचना प्रणाली

परिशिष्ट–35

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों तथा निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

तालिका 1: अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					कुल	सीधी भर्ती द्वारा			पदोन्नति द्वारा			अन्य पद्धतियों द्वारा		
	कुल	अ.जा	अ.ज. जा.	अ.पि.व.		अ.जा	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा	अ.ज. जा.	कुल	अ.जा	अ.ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ग्रुप 'क'	157	28	19	10	--	-	-	-	08	01	-	--	-	-
ग्रुप 'ख'	590	102	51	62	10	03	01	04	17	02	--	06	-	-
ग्रुप 'ग'	570	161	25	64	04	01	-	02	98	20	05	01	--	-
ग्रुप 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)														
ग्रुप 'घ' (सफाई कर्मचारी)														
कुल	**1317**	**291**	**95**	**136**	**14**	**04**	**01**	**06**	**123**	**23**	**05**	**07**	**--**	**-**

तालिका .2 : विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या					सीधी भर्ती						पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	प्रतिशत	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
ग्रुप 'क'	157	1	-	-	0.63%	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप 'ख'	590	2	3	6	1.86%	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-
ग्रुप 'ग'	570	4	4	5	2.28%	02	02	03	04	02	02	-	-	-	-	02	01	-	01
ग्रुप 'घ'																			
कुल	**1317**	**7**	**7**	**11**	**1.89%**	**02**	**02**	**03**	**04**	**02**	**02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**02**	**01**	**-**	**01**

परिशिष्ट–36

वर्ष 2016–2017 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की प्राप्तियां और व्यय दर्शाने वाला विवरण

क – प्राप्तियां

क्र. सं.	प्राप्तियों का नाम	(रु. लाख में)
1.	अन्य प्राप्तियां	65.00
2.	संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क	2807.07*

ख – व्यय

क्र. सं.	प्रशासनिक व्यय	(रु. लाख में)
1.	वेतन	10435.69
2.	मज़दूरी	25.94
3.	समयोपरि भत्ता	0.83
4.	चिकित्सा उपचार	215.00
5.	घरेलू यात्रा व्यय	39.96
6.	विदेश यात्रा व्यय	4.92
7.	कार्यालय व्यय	1004.34
8.	प्रकाशन	3.35
9.	अन्य प्रशासनिक व्यय	42.56
10.	फुटकर कार्य	98.19
11.	व्यावसायिक सेवाएं	517.00
12.	सहायता–अनुदान (सामान्य)	0.73
13.	अन्य प्रभार	1.25
	परीक्षाओं तथा चयन पर होने वाला व्यय	
14.	घरेलू यात्रा व्यय	564.48
15.	घरेलू यात्रा व्यय	10394.07
16.	सूचना प्रौद्योगिकी	689.41
	अन्य व्यय (लघु शीर्ष)	
17.	विभागीय कैंटीन – अन्य प्रशासनिक व्यय	141.27
	सकल योग	**24178.99**

* परीक्षा/भर्ती शुल्क के अंतर्गत प्राप्तियों का हिसाब वेतन एवं लेखा कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग/लेखा नियंत्रक, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सरकारी खाते में दिखाया जाता है।

परिशिष्ट–37

संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्षों की सूची (1926 से)

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख
1	सर रॉस बार्कर	अक्टूबर, 1926	अगस्त, 1932
2	सर डेविड पैट्री	अगस्त, 1932	1936
3	सर आयर गॉर्डन	1937	1942
4	सर एफ.डब्ल्यू रॉबर्टसन	1942	1947
5	श्री एच.के. कृपलानी	1.4.1947	13.1.1949
6	श्री आर.एन. बैनर्जी	14.1.1949	9.5.1955
7	श्री एन. गोविंदराजन	10.5.1955	9.12.1955
8	श्री वी.एस. हेजमादी	10.12.1955	9.12.1961
9	श्री बी.एन. झा	11.12.1961	22.2.1967
10	श्री के.आर. दामले	18.4.1967	2.3.1971
11	श्री आर.सी.एस. सरकार	11.5.1971	1.2.1973
12	डॉ. ए.आर. किदवई	5.2.1973	4.2.1979
13	डॉ. एम.एल. शहारे	16.2.1979 (अपराह्न)	16.2.1985
14	श्री एच.के.एल. कपूर	18.2.1985	5.3.1990
15	श्री जे.पी. गुप्ता	5.3.1990 (अपराह्न)	2.6.1992
16	श्रीमती आर.एम. बैथ्यू (खारबुली)	23.9.1992	23.8.1996
17	श्री एस.जे.एस. छतवाल	23.8.1996 (अपराह्न)	30.9.1996
18	श्री जे.एम. कुरैशी	30.9.1996 (अपराह्न)	11.12.1998
19	ले.ज. (सेवानिवृत्त) सुरिन्दर नाथ	11.12.1998(अपराह्न)	25.06.2002
20	श्री पी.सी. होता	25.06.2002(अपराह्न)	08.09.2003
21	श्री माता प्रसाद	08.09.2003(अपराह्न)	04.01.2005
22	डॉ. एस.आर. हाशिम	04.01.2005(अपराह्न)	01.04.2006
23	श्री गुरबचन जगत	01.04.2006(अपराह्न)	30.06.2007
24	श्री सुबीर दत्ता	30.06.2007(अपराह्न)	16.08.2008
25	प्रो. डी.पी. अग्रवाल	16.08.2008 (अपराह्न)	16.08.2014
26	श्रीमती रजनी राजदान	16.08.2014(अपराह्न)	22.11.2014
27	श्री दीपक गुप्ता	22.11.2014(अपराह्न)	20.09.2016

तालिका 2 आयोग के पूर्व सदस्यों की सूची (1926 से)

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	अभ्युक्ति
1.	सर फिलिप हतोग	1.10.1926	5.4.1930	
2.	श्री ए.एच. ले	1.10.1926	1.10.1931	
3.	श्री सैयद रज़ा अली	1.10.1926	31.11.1931	
4.	सर टी.वी. राघवाचारी	1.10.1926		
5.	श्री एम. कीने			
6.	खानबहादुर सर अब्दुल कादिर	13.7.1929	30.11.1929	
7.	श्री जे.एन. रॉय	16.9.1929	2.4.1930	
8.	रायबहादुर ए.एन. चटर्जी	6.1.1930	1.10.1930	
9.	श्री जे.आर. चुनिंघम	20.1.1930	5.4.1930	
10.	सर जे. चार्ल्स वेयर	16.6.1930	16.12.1935	
11.	रायबहादुर बी.पी. वर्मा	1.10.1930	1.10.1935	
12	सर डेविड पैट्री	1.10.1931	8.8.1932	अध्यक्ष नियुक्त हुए
13.	डा. एल.के. हैदर	2.1.1932	31.12.1936	
14.	श्री एच.एस. क्रास्थवेट	16.2.1935	1.5.1939	
15.	सर शफात अहमद खान	18.5.1935	10.9.1935	
16.	श्री पी.एल. धवन	18.5.1935	20.9.1940	
17.	श्री डी. रैनेल	31.8.1936	29.11.1936	
18.	सर ए.एफ रहमान	7.1.1937	7.5.1942	
19.	सर सी.सी. चिथम	2.12.1938	15.4.1939	
20.	श्री एल.पी.मिश्रा	18.7.1938	4.9.1938	
21.	सर जॉन रदरफोर्ड डेन	8.5.1939	16.2.1942	
22.	श्री के. संजीवा राव	20.9.1940	1.4.1947	
23.	श्री डब्ल्यू.आर.जी. स्मिथ	16.2.1942	1.4.1947	
24.	कर्नल एम.ए.रहमान	1.1.1946	30.6.1946	
25.	श्री डब्ल्यू.ए. कासग्रेव	7.4.1944	25.10.1944	
26.	श्री एन.जे. रॉफटन	1.1.1945	20.9.1945	
27.	मेजर नौनिहाल सिंह मान	31.7.1946	17.11.1946	
28.	श्री एफ.सी. अडमंडस	12.4.1946	6.6.1946	

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	अभ्युक्ति
29.	श्री ओ.ई. विंडले	1.7.1946	6.8.1946	
30.	श्री आर.पी. पटवर्धन	5.2.1947	5.8.1947	
31.	श्री एस.जी. ग्रब	1.11.1945 एवं 9.12.1946	16.10.1946 एवं 23.2.1950	
32.	श्री जावेद हुसैन	14.3.1947	31.3.1952	
33.	श्री के. ज़कारिया	1.7.1947	18.1.1950	
34.	श्री डब्ल्यू.आर. पुराणिक	1.4.1947	31.3.1952	
35.	श्री जे.एल. कपूर	4.12.1947	31.5.1949	
36.	श्री बलवंत सिंह पुरी	1.6.1948 एवं 17.9.1948	31.7.1948 एवं 30.4.1949	
37.	श्री एस.सी. त्रिपाठी	5.6.1948	14.2.1950	
38.	डा. एल.डी. जोशी	12.6.1948	18.2.1949	
39.	श्री जी.सी. चटर्जी	1.8.1949	31.10.1953	
40.	श्री एन. गोविन्दराजन	31.5.1950	9.5.1955	अध्यक्ष नियुक्त हुए
41.	श्री सी.बी. नागरकर	18.12.1950	18.12.1956	
42.	श्री एन.के. सिद्धांता	16.4.1951	31.7.1955	
43.	श्री ए.ए.ए. फैज़ी	2.6.1952	31.5.1957	
44.	श्री एस.वी. कानूनगो	29.9.1952	29.9.1958 (पूर्वाह्न)	
45.	श्री जे.एस. पिल्लै	17.8.1955	16.8.1961 (अपराह्न)	
46.	श्री सी.वी. महाजन	2.1.1956	2.1.1960 (पूर्वाह्न)	
47.	डा. जे.एन. मुखर्जी	1.9.1956	22.4.1958	
48.	श्री पी.एल. वर्मा	24.11.1956	24.11.1962 (पूर्वाह्न)	
49.	श्री एस.एच. ज़हीर	1.6.1957	31.5.1963 (अपराह्न)	
50.	डा. जी.एस. महाजनी	1.7.1957	30.6.1963 (अपराह्न)	
51.	डा. ए.टी. सेन	1.9.1958	31.8.1964 (अपराह्न)	
52.	श्री एम.एल. चतुर्वेदी	1.3.1960	6.7.1964 (अपराह्न)	
53.	श्री एम.ए.वी. नायडू	11.3.1960	14.1.1965 (अपराह्न)	
54.	श्री ए.वी. रामास्वामी	14.12.1961	14.7.1964 (अपराह्न)	
55.	श्री बटुक सिंह	19.4.1963	20.9.1968 (अपराह्न)	
56.	श्री एन.एल. अहमद	1.6.1963	25.4.1967 (अपराह्न)	

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	अभ्युक्ति
57.	श्रीमती बी. खोंगमेन	9.1.1964	8.1.1970 (अपराह्न)	
58.	श्री देसराज मेहता	29.1.1964	20.11.1967 (अपराह्न)	
59.	डा. ए. अप्पादुरै	9.12.1964	15.3.1967 (अपराह्न)	
60.	श्री एम.एस. दोरीस्वामी	14.9.1965 (अपराह्न)	14.11.1967 (अपराह्न)	
61.	श्री आर.सी.एस. सरकार	31.1.1966	11.05.1971	अध्यक्ष नियुक्त हुए
62.	श्री हरि शर्मा	22.5.1967 (अपराह्न)	22.05.1973	
63.	डा. ए.आर. किदवई	29.9.1967	05.02.1973	अध्यक्ष नियुक्त हुए
64.	मेजर जनरल पी.सी. गुप्ता	3.2.1968	02.02.1974	
65.	डा. एम.एल. शहारे	14.2.1968	13.2.1974	अध्यक्ष नियुक्त हुए
66.	श्री डी.पी. कोहली	16.10.1968	08.02.1972	
67.	प्रो. एच.एन. रामचन्द्र राव	9.5.1969	08.05.1975	
68.	श्री आर.एन. मट्टु	25.6.1971	24.6.1977	
69.	डा. ए.के. धान	28.6.1971	5.11.1975	
70.	श्री आर.जी. राजवाड़े	23.8.1973	5.1.1974	
71.	प्रो. पी.एल. भटनागर	1.10.1973	18.7.1975	
72.	श्री अशोक सेन	22.1.1974	21.1.1980	
73.	एयर मार्शल टी.एस. विर्क	22.4.1974	21.4.1980	
74.	श्री एम. सिंगारवेलु	24.7.1974	16.3.1980	
75.	डा. सरूप सिंह	12.2.1975	14.3.1978	
76.	श्री एन.एस. सक्सेना	4.6.1977	4.6.1983	
77.	डा. पी.सी. वैद्य	1.7.1977	22.10.1978	
78.	प्रो. एस. सम्पत	10.8.1977	28.8.1981	
79.	डा. एन.ए. नूर मुहम्मद	30.11.1978	17.10.1981	
80.	श्रीमती आर.ओ. धान	1.12.1978	30.11.1984	
81.	प्रो. भुवनेश्वर बेहेरा	12.12.1978	31.12.1980	
82.	श्री एस.आर. मेहता	17.3.1980	16.12.1982	
83.	श्री जे.आर. बंसल	17.5.1980	16.5.1986	
84.	एयर वाइस मार्शल ए.के.एस. बक्शी	27.7.1981	14.11.1986	
85.	श्री ए.एम. अब्दुल हमीद	11.12.1981	25.3.1986	
86.	डा. के. वैंकट रामय्या	24.12.1981	23.12.1987	

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	अभ्युक्ति
87.	श्री एस. सामद्दार	24.5.1982	23.5.1988	
88.	श्री जगदीश राजन	25.9.1984	25.9.1990	
89.	श्री जे.पी. गुप्ता	1.7.1985	5.3.1990(पूर्वाह्न)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
90.	डा. आर. एरोकीसामी	5.7.1985	4.7.1991	
91.	श्री सुरेन्द्र नाथ	23.12.1985	7.8.1991(पूर्वाह्न)	
92.	श्री काज़ी मुख्तार अहमद	4.4.1986	14.3.1991	
93.	श्रीमती आर.एम. बैथ्यू (खारबुली)	8.6.1987	22.9.1992	अध्यक्ष नियुक्त हुए
94.	ले. ज. आर.एस. दयाल	31.7.1987	13.5.1988	
95.	वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी	13.4.1989	12.4.1995	
96.	श्री ए. पद्मनाभन	17.4.1989	13.12.1993	
97.	श्री जे.ए. कल्याणकृष्णन	29.12.1989	28.12.1995	
98.	श्री हरीश चन्द्र	15.1.1990	14.1.1996	
99.	श्रीमती ओटिमा बोर्डिया	11.5.1990	10.05.1996	
100.	श्री एस.जे.एस. छतवाल	14.1.1991	23.8.1996 (अपराह्न)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
101.	श्री जे.एम. कुरैशी	1.4.1991	30.09.1996 (अपराह्न)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
102.	श्री एस.के. मिश्रा	21.8.1991 (अपराह्न)	21.08.1997	
103.	डा. (सुश्री) पी.सेल्वी दास	19.9.1991	28.05.1997	
104.	श्री बी. कृष्ण मोहन	20.09.1993 (अपराह्न)	25.01.1998	निधन हो गया
105.	श्रीमती कान्ता कथूरिया	24.05.1995	22.08.1998	
106.	ले.ज. (सेवानिवृत्त) सुरिन्दर नाथ	20.09.1995	11.12.1998	अध्यक्ष नियुक्त हुए
107.	श्री पी.सी. होता	27.09.1996(अपराह्न)	25.06.2002	अध्यक्ष नियुक्त हुए
108.	श्री के.के. मदान	01.11.1996(अपराह्न)	01.11.2002	
109.	डा. के.जी. आडियोडि	14.11.1996(अपराह्न)	28.05.2001	28.05.2001 को निधन हुआ
110.	श्री पी. अब्राहम	05.06.1997	04.06.2003	
111.	श्री एम.के. देब बर्मा	06.06.1997	05.06.2003	
112.	डा. एल. सिध्दवीर गौड़ा	11.6.1997 (अपराह्न)	05.09.2001	
113.	श्री टी.के. बनर्जी	21.08.1997(अपराह्न)	21.08.2003	
114.	श्री माता प्रसाद	23.4.1998 (अपराह्न)	08.09.2003	अध्यक्ष नियुक्त हुए
115.	कु. अरूंधति घोष	03.09.1998	02.09.2004	

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	अभ्युक्ति
116.	डा. ओम नागपाल	05.04.1999(अपराह्न)	02.03.2002	2.3.2002 को निधन हुआ
117.	डा. एस.डी. कार्निक	18.09.2001	16.07.2002	16.07.2002 को त्याग–पत्र दिया
118.	डा. एस.आर. हाशिम	19.03.2002(अपराह्न)	04.01.2005 (अपराह्न)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
119.	डा. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	20.03.2002(अपराह्न)	07.02.2005	
120.	श्री गुरबचन जगत	14.08.2002(अपराह्न)	01.04.2006	अध्यक्ष नियुक्त हुए
121.	श्री बी.एन. नवलावाला	05.12.2002(अपराह्न)	14.04.2007	
122.	श्री सुबीर दत्त	04.07.2003(अपराह्न)	30.06.2007	अध्यक्ष नियुक्त हुए
123.	एयर मार्शल सतीश गोविन्द ईनामदार	12.12.2003 (अपराह्न)	09.01.2008	
124.	डा. भूरे लाल	14.10.2004 (अपराह्न)	08.02.2008	
125.	सुश्री चोकिला अय्यर	01.02.2005 (अपराह्न)	28.06.2007	
126.	प्रोफेसर डी. पी. अग्रवाल	31.10.2003	16.08.2008	अध्यक्ष नियुक्त हुए
127.	सुश्री परवीन तलहा	30.09.2004 (अपराह्न)	03.10.2009	
128.	श्री के. रॉय पॉल	18.05.2005 (अपराह्न)	08.06.2009	
129.	प्रोफेसर ई. बालागुरूसामी	20.12.2006 (अपराह्न)	02.05.2010	
130.	प्रोफेसर के. एस. चलम	01.06.2005 (अपराह्न)	01.06.2011	
131.	ले.ज.(सेवानिवृत्त) निर्भय शर्मा	07.05.2008	10.10.2011	
132.	श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी	17.05.2007(अपराह्न)	05.06.2012	
133.	डा. के.के. पॉल	26.07.2007(पूर्वाह्न)	05.02.2013	
134.	प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल	02.07.2007 (पूर्वाह्न)	01.07.2013	
135.	श्री आई.एम.जी. खान	09.06.2008 (अपराह्न)	01.07.2013	
136.	श्री प्रशांत कुमार मिश्रा	08.08.2008 (पूर्वाह्न)	06.08.2013	
137.	श्री विजय सिंह	19.11.2009 (पूर्वाह्न)	30.04.2013	त्याग–पत्र दिया
138.	डा. वेंकटारामी रेड्डी वाई.	30.06.2011 (अपराह्न)	15.02.2014	
139.	श्रीमती रजनी राजदान	19.04.2010(पूर्वाह्न)	16.08.2014	अध्यक्ष नियुक्त हुए
140.	श्री ए.पी. सिंह	13.02.2013 (पूर्वाह्न)	09.01.2015	त्याग–पत्र दिया
141.	डा. (श्रीमती) पी. किलेम्सुंगला	19.08.2013 (पूर्वाह्न)	29.02.2016	

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	अभ्युक्ति
142.	श्रीमती अलका सिरोही	04.01.2012(अपराह्न)	03.01.2017	संविधान के अनुच्छेद 316(6क) के अन्तर्गत दिनांक 21.09.2016 से अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों के निवर्हन के लिए नियुक्त
143.	प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	25.06.2012 (पूर्वाह्न)	21.01.2018	संविधान के अनुच्छेद 316(6क) के अन्तर्गत दिनांक 21.09.2016 से अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों के निवर्हन के लिए नियुक्त
144.	श्री मनबीर सिंह	03.09.2012	12.09.2016	
145.	वाइस एडमिरल (सेवानिवृति) डी. के. दीवान	01.07.2013	19.08.2016	
146.	प्रो. हेम चन्द्र गुप्ता	15.05.2014	17.02.2017	

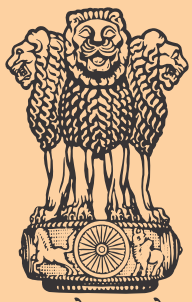

सत्यमेव जयते

l?k ykd lok vk;ksx

èkkSyiqj gkml] 'kkgtgka jksM] ubZ fnYyh & 110069